राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11]   तेरहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पांचवां दिवस   [संख्या : 4

शुक्रवार,

30 अगस्त, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल।

अलवर शहर में पार्किंग की व्यवस्था हेतु कार्य योजना

54. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में वर्तमान में पार्किंग की अत्यधिक समस्या है? यदि हां, तो कहां-कहां? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अलवर शहर के मास्टर प्लान 2031 में न्यू तेज टाकीज की खाली पड़ी भूमि को पार्किंग हेतु आरक्षित दिखाया गया है?

(4) क्या सरकार अलवर शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु न्यू तेज टाकीज की जमीन पर बहुमंजिला पार्किंग बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। अलवर शहर में विशेषत: निम्न स्थानों के आस-पास पार्किंग की समस्या है :-

1-होप सर्कल, 2-घण्टा घर, 3-बस स्टैण्ड, 4-कलेक्ट्रेट, 4-महल चौक, 5-रेलवे स्टेशन, 6-भगत सिंह सर्किल व 7-विवेकानन्द चौराहा।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(2) जी हां। नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा पार्किंग समस्या के समाधान के लिए होप सर्कस एवं घण्टा घर के पास पुराने तांगा स्टैण्ड की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाये जाने का प्रस्ताव लिया गया है। अन्य स्थानों पर पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु स्थल का चयन किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। अलवर शहर के मास्टर प्लान 2031 के भू-उपयोग मानचित्र में न्यू तेज टाकीज की खाली पड़ी भूमि को पार्किंग हेतु आरक्षित नहीं दिखाया गया है। इस भूमि को व्यावसायिक दिखाया गया है परन्तु मास्टर प्लान रिपोर्ट के वर्णन (description) में पार्किंग हेतु विकसित किये जाने का उल्लेख है।

(4) जी नहीं। क्योंकि मंत्रिमण्डल की आज्ञा 39/2011 की अनुपालना में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 21.03.2011 के अनुसार न्यू तेज टाकीज की भूमि, जो कि नजूल सम्पत्ति है, को नगर विकास न्यास, अलवर को हस्तान्तरित कर दी गई है तथा उक्त भूखण्ड के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि से अलवर में मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण करवाया जाना है।

श्री अध्यक्ष: आज आपकी परफार्मेंस नोट हो रही है, ध्यान रखना।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बिलकुल, सपरिवार।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि बिन्दु संख्या 2 में जो उत्तर सरकार ने दिया है कि नगर विकास न्यास के द्वारा तांगा स्टैण्ड की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव लिया गया, तो कब लिया, किस दिनांक को लिया, किस बैठक में लिया और इस बैठक में कौन-कौन उपस्थित थे?

बिन्दु संख्या 3 में राज्य सरकार ने मिथ्या कथन किया है, गलत उत्तर दिया है। मंत्रीजी ने बताया कि अलवर शहर के मास्टर प्लान 2031 के भू-उपयोग मानचित्र में न्यू तेज टाकीज की खाली पड़ी भूमि को पार्किंग हेतु आरक्षित नहीं दिखाया गया है; जो मास्टर प्लान की पुस्तक है, इसको मैं अभी टेबल कर देता हूं, इसके पेज नम्बर 86 पर पैरा संख्या 5.8 (3) (र), पार्किंग

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

व्यवस्था को, माननीय मंत्रीजी, आप पढ़ लें, इसमें न्यू तेज टाकीज और तांगा स्टैण्ड, दोनों को मास्टर प्लान-2031 में पार्किंग के कालम में स्पेसिफाइड कर रखा है; पार्किंग के लिए जो व्यवस्थाएं 2031 तक के लिए अलवर में की गई हैं, उसमें स्पेसिफाइड है। विभाग के अधिकारीयों द्वारा आपसे गलत उत्तर पढ़वाया गया है।

इसके अतिरिक्त, आपने जो कहा है कि इसको मानचित्र में व्यावसायिक दिखाया है, तो आप अपने अधिकारियों से कृपया यह भी जानकारी कर लें कि ओ.सी.एफ. और व्यावसायिक में अन्तर होता है या नहीं होता है? इसको ओ.सी.एफ. दिखाया हुआ है, मेरे पास उस मानचित्र की प्रति भी है, ओ.सी.एफ. का मतलब कामर्शियल नहीं है, अदर कम्युनल फैसिलिटीज है। इन्होंने मानचित्र में भी इसको ओ.सी.एफ. दिखाया हुआ है। सरकार गलत जवाब दे रही है। ये अधिकारी लोग जो जवाब पढ़वा रहे हैं, उसको आप पढ़ रहे हैं और, मंत्रीजी, आपने भी जानकारी करने की कोशिश नहीं की।

इसके अतिरिक्त, बजट घोषणा 2010-11, जिसका हवाला इस उत्तर में दिया गया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जो बजट घोषणा की गई, मैंने भी एक पत्र नगर विकास न्यास, अलवर को लिखा था, जिसका जवाब अलवर के नगर विकास न्यास ने मुझे 17.7.2013 को प्रेषित किया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की 2010-11 की बजट घोषणा संख्या 224 की पालना में अलवर के मिनी सचिवालय भवन के निर्माण हेतु न्यू तेज टाकीज की भूमि का खुली नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाकर निस्तारण किये जाने हेतु नगर विकास न्यास, अलवर को हस्तान्तरित किया गया है। बजट घोषणा भी मेरे पास है, इस बजट घोषणा में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि इसके बदले में वित्तीय संसाधन यहां से उपलब्ध कराये जाएंगे। यह राज्य सरकार ने अलवर में मिनी सचिवालय की घोषणा की, खूब मेजें बजवाई और बहुत बड़ी वाहवाही लूटने का काम किया। ये राजस्थान सरकार के जो आपके अधिकारी हैं...

श्री अध्यक्ष: आपके पूरक प्रश्न क्या हैं?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मेरा पूरक प्रश्न यह है कि आप एक तो यह बता दें कि जो आपने अभी जवाब दिया है, यह प्रस्ताव कब लिया गया?

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

बिन्दु संख्या 2 में तांगा स्टैण्ड और यह जो न्यू तेज टाकीज की भूमि है, इसका उल्लेख भी आपके इस मास्टर प्लान की बुक में है, नक्शे में है। एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यू.डी.एच. डिपार्टमेंट के मुताबिक ओ.सी.एफ. और कामर्शियल में अन्तर है या नहीं? यदि है तो सरकार के इन अधिकारियों ने आपको गुमराह करके इस तरह का उत्तर क्यों दिया? यह आपने गलत उत्तर दिया है। दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मानचित्र में ओ.सी.एफ. है और आपकी बुक में यह दर्ज है या नहीं कि 2031 के मास्टर प्लान में न्यू तेज टाकीज को पार्किंग के लिए आरक्षित किया गया है?

तीसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अपनी बजट घोषणा 2010-11 में कहां था, उसमें इस घोषणा के साथ में क्या यह लिखा गया है कि इसके लिए वित्तीय व्यवस्था, इस न्यू तेज टाकीज की जो पार्किंग के लिए आरक्षित भूमि है, उसको बेचकर, कामर्शियल बनाकर शहर की समस्या को और अधिक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह शहर के बीचोंबीच है? आज आप खुद मान रहे हैं, उत्तर के पैरा 1 में सारे मुख्य बाजारों को छोड़ने का अधिकारी वर्ग ने काम किया है। इसमें आपने जो लिखे हैं, वे हैं, होप सर्कस, घण्टा घर, बस स्टैण्ड, कलेक्ट्रेट महल चौक, रेलवे स्टेशन, भगत सिंह सर्किल और विवेकानन्द; जबकि इस पार्किंग के जो उपयोग हैं, चूड़ी मार्केट, पंसारी बाजार, सब्जी मण्डी....

श्री अध्यक्ष: आप भाषण नहीं दें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): साहब, यह उत्तर का ही हिस्सा है। इन्होंने जो छिपाया है, उसको मैं उजागर कर रहा हूं।

इस पार्किंग के लिए जहां न्यू तेज टाकीज में पार्किंग बनाये जाने की आवश्यकता है, वह आवश्यकता है, सब्जी मण्डी, पंसारी बाजार, चूड़ी मार्केट, भटियारों की गली...

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्नों का उत्तर आने दीजिये पहले।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछा है। मैं अलाउ नहीं करता, बिलकुल नहीं। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर नहीं आया और आप बीच में खड़े हो गये। अंकित नहीं होगा।

मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई तो नम्बर लेने के लिए धौलपुर और रणकपुर जाता है...

श्री अध्यक्ष: और मेरे को यहां भी नहीं लेने दे रहे हो, यहां भी नहीं देने दे रहे हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझे यहां भी नहीं देने दोगे क्या? (व्यवधान) मेरी चिंता मत करो आप।

अध्यक्ष महोदय, पहला आपने पूरक प्रश्न किया कि यह प्रस्ताव नगर विकास न्यास के ट्रस्ट ने कब लिया कि तांगा स्टैण्ड पर पार्किंग बनाई जाएगी, यह पहला प्रस्ताव, दिनांक 14.9.2012 को ट्रस्ट की पूरी बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि तांगा स्टैण्ड पर पार्किंग का निर्माण किया जाएगा।

नम्बर दो, आपने कहा कि कौन-कौन मौजूद थे, तो मेरे पास अभी वह लिस्ट तो नहीं है लेकिन कोरम जरूर पूरा था। वही काफी होता है।

तीसरी बात आपने बताई, यह मास्टर प्लान की कापी मेरे पास भी है, मास्टर प्लान जो 2011 तक लागू था, मेरी बात सुनिये, 2011 तक जो मास्टर प्लान था उसमें भी यह लैंड कामर्शियल दिखाई गई है और 4 मार्च, 2013 को जो नया मास्टर प्लान बना, उसमें भी यह कामर्शियल दिखाई गई है। फर्क इतना सा है, समझ का है, आप मानचित्र को समझ नहीं पाये। मानचित्र में दो तरह की बातें होती हैं, एक तो होता है भू-उपयोग कि इस भूमि का भू-उपयोग क्या होता है, दूसरा एक वर्णन होता है डेस्क्रिप्शन, तो उस डेस्क्रिप्शन में जरूर यह दे रखा है कि यहां पर पार्किंग विकसित की जा सकती है।

सवाल इस बात का है कि मानचित्र बनाते वक्त कई गलतियां रह जाती हैं लेकिन उसमें एक क्लाज होता है आखिरी-आखिरी में; आपने सिर्फ 5 (8)(3) पढ़ा, 5(8)(3) की जो लैंग्वेज है, वह मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाये, मास्टर प्लान की रिपोर्ट बिन्दु संख्या 5(8)(3)(र), पार्किंग व्यवस्था में यद्यपि तांगा स्टैण्ड के साथ तेज टाकीज पर पार्किंग विकसित किये जाने का उल्लेख है; ठीक है ना, अब आपने क्या किया, चूंकि यह तो आपके मतलब की बात थी, आपने पढ़ दी लेकिन यह 6(3) आपने नहीं पढ़ा। यह 6(3), मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि भू-उपयोग अंकन व भू-अवाप्ति में यह वर्णित है कि पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां, मतलब 4.3.2013 के पहले जो स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं सरकार के द्वारा, या कोई कमिटमेंट कर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

लिये गये हैं, किसी भी प्राइवेट पार्टी से कमिटमेंट कर लिये, या किसी भी विभाग से कमिटमेंट कर लिये गये हैं, तो नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई भू-उपयोग योजना, 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास तो किया गया है, फिर भी सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है तो वह भी समायोजित माना जायेगा। यह 6(3) पढ़ लीजिये आप।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपका मतलब, इस न्यू तेज टाकीज को समायोजित मान रहे हैं ना इस पार्किंग के लिए? न्यू तेज टाकीज को समायोजित मान रहे हैं ना पार्किंग के लिए?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप पार्किंग के लिए चिंतित हैं, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आपको बता रहा हूं, मैंने भी जो आपको प्रोब्लम बताई है, यह कुल मिलाकर सात जगह मैंने प्रोब्लम बताई है। निश्चित तौर पर आपकी जो चिंता है, वह हमारी भी चिंता है, पूरे अलवरवासियों की चिंता है कि पार्किंग होनी चाहिए। सवाल यह है कि शकूर प्रजनन केन्द्र है, जो कि पशुपालन विभाग की प्रोपर्टी थी, उसको जी ए डी के द्वारा 21.3.2011 को, वह भूमि थी कुल मिलाकर 46,800 वर्ग गज, उस 46,800 वर्ग गज को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यू.आई.टी. को हस्तान्तरित कर दिया गया...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, आप बात को घुमा रहे हो, साहब। मैं यह पूछ रहा हूं कि...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुनिये मेरी बात, मेरी बात पूरी सुन लीजिये। क्या पूछ रहे हो आप? आप फिर पूछना, फिर जवाब दूंगा मैं। पहले मेरी बात तसल्ली से सुन लीजियेगा।

46,800 वर्ग गज शूकर प्रजनन केन्द्र की जो भूमि थी, वह जी.ए.डी. के द्वारा 21.3.2011 को यू.आई.टी. को दे दी गई; सिर्फ इसलिए दे दी गई कि वहां पर मिनी सचिवालय बने। मिनी सचिवालय कितनी भूमि पर बनेगा, यह बनेगा 41,155 वर्ग मीटर पर, बाकी जो जमीन बची है 4,653 वर्गमीटर, उसके लिए भी जी.ए.डी. ने यह कहा कि जिस तरीके से न्यू तेज टाकीज की जमीन को व्यावसायिक करके बेचा जाए, उसी तरीके से यह भी व्यावसायिक करके

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बेची जाये और इससे जो पैसा आये, वह पैसा मिनी सचिवालय के लिए, जो 148 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, उसको पूरा किया जाये। चार जगह हैं, सी.एम.एच.ओ. कार्यालय, तहसील, तहसील के साथ-साथ न्यू तेज टाकीज और चौथा यह प्रजनन केन्द्र है, इन चारों को मिलाकर उस मिनी सचिवालय का निर्माण किया जायेगा।

मैं आपसे फिर यह निवेदन करता हूं कि पहला जो प्रपोजल था, जिसको यू.आई.टी. ने पास किया है, तांगा स्टैण्ड का, यह तांगा स्टैण्ड की जमीन भी 440 वर्ग मीटर थी, जो पी.डब्ल्यू.डी. की है, बाकी जमीन नगर परिषद की थी। नगर परिषद ने जमीन हैंडओवर करने की सहमति दे दी यू.आई.टी. को और पी.डब्ल्यू.डी. ने ट्रांसफर कर दिया।

ठीक इसी तरीके से, जो तहसील है, वह तहसील भी, चूंकि जब मिनी सचिवालय बनेगा तो पूरा का पूरा तहसील का कार्यालय वहां शिफ्ट हो जायेगा और जो सी.एम.एच.ओ. का कार्यालय है, जिसमें पांच-छह कार्यालय चल रहे हैं, नया जो कार्यालय बन जायेगा, तो वे वहां शिफ्ट हो जायेंगे। तो यह जमीन खाली हो जाएगी।

अब सवाल यह रहता है, आपकी चिंता का कि यह पार्किंग का क्या होगा? उसके बारे में मेरा निवेदन है, पहला तो होप सर्कस और घंटाघर; यह घंटाघर और होप सर्कस की पार्किंग, चूंकि 50 मीटर पर ही तांगा स्टैण्ड है, तो वहां पर जो मल्टीलेवल पार्किंग बनेगी, इसमें 108 फोर-व्हीलर्स की और 497 टू-व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था होगी।

दूसरा बस स्टैण्ड है, तो नवीन बस स्टैण्ड के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और सिर्फ जगह ही चिन्हित नहीं की गई है, बल्कि लैंड एक्वीजिशन एक्ट का सेक्शन 4 और 6 भी निकाल लिया गया है। यह जमीन ज्यों ही हाथ में आ जायेगी, इससे भी इस पार्किंग की समस्या का समाधान होगा।

तीसरा है...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : साहब, इसमें बस स्टैण्ड का प्रकरण नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूं, वह भी विवाद का विषय है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : मुझे बोलने तो दो। आप फिर पूछ लेना ना, मैं फिर जवाब दूंगा आपकी बात का।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : बसी हुई आबादी को

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उजाड़कर बस स्टैण्ड बनाने की योजना बन रही है, वह भी फांस है आपके लिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखिये। मैं इसको यहीं खतम कर रहा हूं। 15 मिनट हो गये हैं एक प्रश्न में।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : हां, तो पूरा जवाब तो आये, साहब।

श्री अध्यक्ष: तो क्या पूरा सदन इसी के लिए बैठा रहेगा? और भी सवाल हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : मैं सवाल के लिए जवाब ही तो चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बीच में इंटरप्ट नहीं करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : तीसरी समस्या बताई गई है आपकी, कलेक्ट्रेट और महल चौराहे पर है, तो यह जब मिनी सचिवालय बन जायेगा तो उसमें नई पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। तो यहां पर भी आपकी पार्किंग की कोई समस्या नहीं रह पायेगी।

रेलवे स्टेशन के पास में भी भूमि चिन्हित की जा रही है और भगतसिंह...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : माननीय मंत्रीजी, मैं खुद छोटा कर रहा हूं। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, पिनपाइंटेड बता दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष: आप इनको तो देने दीजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : साहब, एक तरफ तो आप जल्दी कर रहे हो, छोटा करो; मैं छोटा कर रहा हूं, साहब, आप छोटा जवाब दिलवा दो।

श्री अध्यक्ष: 16 मिनट हो गये हैं। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं। आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं, मैं समाप्त कर रहा हूं इसको।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आप सीधा जवाब दिलवा दो, साहब। ये घुमाकर टाइम खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: 16 मिनट एक प्रश्न पर हो गये हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : टाइम को तो ये बढ़ा रहे हैं जबरदस्ती। इसमें कोई लेना-देना ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। बैठिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : मैं पूछ रहा हूं, ओ.सी.एफ. में और कामर्शियल में अंतर होता है कि नहीं होता है? आप कह रहे हो, जानकारी ही नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : मैं बता रहा हूं आपको, मैं आ रहा हूं, आप तसल्ली रखिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : ओ.सी.एफ. और कामर्शियल एक हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप डिस्टर्ब नहीं करें, जवाब आ जाने दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप तसल्ली रखिये, मैं उस पर आ रहा हूं, आप तसल्ली रखें।

श्री अध्यक्ष: 16 मिनट एक प्रश्न पर लग गये हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप तसल्ली रखिये, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आपकी हर चीज का जवाब दूंगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : नहीं, आप टाइम को किल करके इसको खतम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप शोर्ट करें। शोर्ट करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : विवेकानन्द चौराहे पर भी भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है।

अब यह जो ओ.सी.एफ. की बात आप कह रहे हैं, पहला तो आता है न्यू तेज टाकीज, यह न्यू तेज टाकीज है और उसके बाद में जो आप ओ.सी.एफ. बता रहे हो, वहां पर कोतवाली है। इस कोतवाली के लिए भी, आपको जानकर खुशी होगी कि...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : न्यू तेज कहां दिखा रखा है?

श्री अध्यक्ष: फिर आप खड़े हो गये। फिर आप खड़े हो गये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : न्यू तेज टाकीज कहां है, यह तो बताओ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप बैठिये, सुनना चाहते हों तो सुनिये आप पूरी बात।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : न्यू तेज कहां दिखा रखा हे, मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी समापत करिये, मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। इस तरह से एक प्रश्न में 17 मिनट लगेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : मैं तो तैयार हूं, साहब, मेरा जवाब तो आ जाये।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये आप।

अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : मेरे प्रश्न को समाप्त कर दिया बिलकुल। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार ने मेरे प्रश्न को जान-बूझकर...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : ×××

श्री अध्यक्ष: चलिये।

सांगानेर (जयपुर) में रंगाई-छपाई उद्योग को बचाने हेतु कार्य योजना

55. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सांगानेर में रंगाई-छपाई व अन्य फैक्टरियों को नोटिस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब व किस-किस प्रकार की फैक्टरियों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सांगानेर में ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो क्या इस आधार पर फैक्टरियों को चालू रखने का नियमों में प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त उद्योग को चालू रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्रीमती बीना काक) : (1) जी हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सांगानेर में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत वांछित सम्मति बगैर कार्यरत 826 लघु वस्त्र

(श्रीमती बीना काक)

रंगाई-छपाई उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के अन्तर्गत बंद करने हेतु 'कारण बताओ नोटिस' माह जुलाई व अगस्त, 2013 में जारी किये गये हैं। जिन 826 लघु वस्त्र रंगाई-छपाई उद्योगों को नोटिस जारी किये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) जी नहीं। संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र के निर्माण से पूर्व भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 की अनुपालना में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति सांगानेर प्रदूषण निवारण समिति द्वारा प्राप्त की जानी है। पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवश्यक जन सुनवाई दिनांक 14.09.2012 की कार्यवाही का विवरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पत्र दिनांक 18.10.2012 द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को प्रेषित किये जा चुके हैं। सांगानेर में संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र के निर्माण के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा माह जून, 2013 में सांगानेर प्रदूषण निवारण समिति को मुहाना रोड, सांगानेर पर 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आबंटन किया गया है तथा लीज डीड जारी हो चुकी है।

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र के प्रस्तावित निर्माण के आधार पर इससे जुडने वाले उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत सम्मति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) उद्योगों को संचालित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग का है। राज्य सरकार प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधानों की पालना की स्थिति में ही अग्रिम सकारात्मक कार्यवाही कर सकती है। सांगानेर स्थित लघु वस्त्र रंगाई-छपाई उद्योगों के जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि का आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 14.9.2012 को पोल्यूशन बोर्ड ने सुनवाई कर ली और सुनवाई कर अभी तक एन ओ सी हमको नहीं दी, अगर वे एन ओ सी दे देते तो यह काम चालू हो जाता। नम्बर वन।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नम्बर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह ढाई सौ साल पुरानी जयपुर की पहचान है और आज हिन्दुस्तान भर में पहचान है। 20.8.2008 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को पोल्यूशन बोर्ड के पास, राजस्थान के पास भेजा और राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड ने 31.3.2009 को इन-टोटो उसको स्वीकार कर लिया। नम्बर एक। नम्बर दो, 2009 में सुप्रीम कोर्ट न तीन अर्हताएं बताईं कि ये तीन काम करने हैं, उन तीनों कामों को करने के लिए सरकार ने भूमि आबंटित कर दी और भूमि का, रंगाई-छपाई उद्योग ने 91 लाख से अधिक रुपये जमा करा दिये, इस संयंत्र को बनाने के लिए भी पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये। अब यह 14 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, उसकी अगर हमको एन ओ सी मिल जाती तो कलक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी है, वह पोल्यो-ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो जाता और उसके बाद यह समस्या नहीं रहती।

मेरा कहना यह है कि यह जो एन जी टी का फैसला हुआ है, जिसके आधार पर पोल्यूशन बोर्ड ने यह 826 उद्योगों को नोटिस दिये हैं, वे अवैध हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कार्यवाही हो रही है, इसलिए उनको देने का अधिकार नहीं है।

मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिन 826 इकायों की नोटिस दिये गये हैं, ये सारे तथ्य लिखकर उन 826 ने अलग-अलग पोल्यूशन बोर्ड को अपने जवाब भेज दिये हैं, पोल्यूशन बोर्ड प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर उनकी सुनवाई करे और सुनवाई करके फैसला करे, और आवश्यक हो तो, चूंकि काम पूरा हो चुका, सरकार ने जमीन दे दी, उन्होंने रुपये जमा करा दिये, पांच करोड़ का गठन हो गया, कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई और उसका काम चालू होने वाला है, इसलिए एक एफिडेविट लेकर कि इतने समय में ज्यों ही ये एन ओ सी जारी करेंगे, छह महीने का, बारह महीने का, डेढ वर्ष का एफिडेविट लेकर इन उद्योगों को चालू रखने दिया जाए ताकि जयपुर की शान और सांगानेर के लाखों जो मजदूर हैं, वे बेकार नहीं हों।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, वह निश्चय ही बहुत गम्भीर है। कई सरकारें आईं, गईं, लेकिन यह समस्या बरकरार ही रही। ये सभी जो यूनिट्स...(व्यवधान) जी?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : मैच फिक्सिंग हुआ है क्या?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : मैच फिक्सिंग है हमारे तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : मैच नहीं, एवरीथिंग इज फिक्स्ड।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : हमारा तो मैच फिक्सिंग ही है, शुरू से और आगे भी रहेगा। इनके...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : यह 85 से हैं जब ये बाल काले थे।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) हां, सही बात है, हम तो एडमिट कर रहे हैं, आगे भी रहेगा। (व्यवधान) आपको क्या कष्ट हो रहा है? आप भी सीखिये यह।

श्री अध्यक्ष: अब क्या है?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : तो यह जो, माननीय अध्यक्ष महोदय, 826 इण्डस्ट्रीज को नोटिस दिये गये हैं, उनमें से, मैं माननीय सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहती हूं कि करीब 138 हैं जो सर्वे नहीं हो पाये अभी तक। कुछ के बोर्डस बदल दिये गये, कुछ एड्रेसेज गलत हैं। तो वह समस्या थोड़ी सी हमारी आ रही है।

तो एक तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो निर्देश दिये कि जो बिना कन्सेंट के इण्डस्ट्रीज चल रही हैं उनको तुरन्त बंद कर दिया जाय, जैसा कि माननीय सदस्य ने आलरैडी बताया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, वे साफ कहते हैं कि जो यूनिट्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोर्म्स को पूरा करती हैं उनको चलाने की परमिशन दी जा सकती है, यदि कोई दूसरा कानून उसके आडे नहीं आता। तो राज्य सरकार व बोर्ड संयुक्त, वे भी और वे भी, संयुक्त निरीक्षण करेंगे। यहां तक कि, कोई यूनिट अगर नोर्म्स को वायलेट करती है, तो उसको बंद करने के भी उन्होंने निर्देश दिये हैं।

मैं यहां कहना चाहूंगी कि कोई भी यूनिट यदि नहीं मानती है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यदि कोई यूनिट पोल्यूशन नहीं कर रही है, तो उसको भी यह छूट दी गई है कि वह बोर्ड में आवेदन कर सकती है, लिखकर के दे, एप्लिकेशन वहां दे कि हम पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वह उसको प्रूव करे, और कन्सेंट ली जा सकती है।

यहां मैं बहुत ही, जो सुप्रीम कोर्ट की इसमें सख्ती है, वह मैं पढ़ना चाहती हूं, "We, therefore, dispose of the writ petitions with the directions that in case the requisite norms as fixed by the Board are fulfilled by any industry whose case is being expoused by the effluent association, necessary permission

(श्रीमती बीना काक)

to continue, shall be granted to it, if otherwise there is no violation of any norms or any statutory prescriptions. The Board and the State shall make joint inquiries in future to see that the requisite norms are being followed and in case there is any deviation or inflexion therefrom, it shall be open to the Board or the State, as the case may be, to take action as available in law."

तो हम भी इस चीज से चिंतित हैं कि ये पोल्यूशन नहीं होना चाहिए और यह मानते हैं कि इससे निजात दिलाना चाहते हैं, सरकार भी करना चाहती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की और ग्रीन ट्रिब्यूनल की चिंता है, इसमें बाहर, समय-समय पर मुख्य स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता की गई है, पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा वार्ता की गई है...

श्री अध्यक्षः थोड़ा सीमित रखें।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : और एसोसिएशन ने अब आश्वासन दिया है कि 2011 तक सी टी पी को, सी टी पी बना करके दे देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी जो लीगेलिटीज हैं, केस माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं...

श्री अध्यक्षः और बाकी ज्यादा जानकारी चाहें तो चैम्बर में मिल लें।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : उसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहती हूं, लेकिन आपको मैं यह सरकार की तरफ से, क्या कहते हैं उसको, भरोसा देना चाहती हूं कि इस समस्या का निस्तारण करना सरकार की मंशा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्तर के ऊपर भी और सी.एस. के स्तर पर भी वार्ता चल रही है। जो भी नोटिसेज जिन लोगों को मिले हैं, सर्व हो चुके हैं, मैं अधिकारियों को निर्देश दे चुकी हूं कि बाकायदा उनकी व्यक्तिगत सुनवाई करें, व्यक्तिगत तरीके से उनका स्पष्टीकरण लें और संयुक्त रूप से एसोसिएशन को सूचित करके, जितने भी जो उनके केसेज हैं, उनका निस्तारण करें और शीघ्रातिशीघ्र, मेरे ख्याल से पांच तारीख तक, मैं चाहूंगी कि एक अभियान के रूप में इसे लिया जाय और जितने भी केसेज राजस्थन के अन्दर इस तरह के हैं, करीब दस हजार को नोटिस दिये गये हैं, उनकी जो आपके कैम्प आफिसेज होंगे, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर, बालोतरा, बीकानेर, सीकर, कोटा, भरतपुर, अलवर, यहां के सब आर.ओ. आफिसेज में...

श्री अध्यक्षः यह प्रश्न सांगानेर से सम्बन्धित है, प्रश्न सांगानेर से सम्बन्धित है खाली, शार्ट करें।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य की इसमें चिंता है और राज्य को बताना चाहती हूं कि हम ये कैम्प लगा करके इनका निस्तारण करने की जल्दी से जल्दी, प्रोवाइडेड वे नोर्म्स को पूरा करें, प्रोवाइडेड एक साल, अगर दो साल सी टी पी में लगते हैं, मैं आपसे भी चाहूंगी कि हम जन-प्रतिनिधि भी उनमें इसका सहयोग करें, सरकार फेसिलिटेट करेगी लेकिन सी टी पी तो उनको लगाने हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : यह दो साल का....

एक माननीय सदस्य : सुमेरपुर नहीं है।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : एक मिनट। सुमेरपुर पोल्यूशन नहीं फैलाता है। एक मिनट।

लेकिन पर्यावरण, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं और बताना चाहती हूं कि पर्यावरण के प्रति जो इस बार भी इण्डस्ट्रीज मंत्रीजी ने एक प्रस्ताव भेजा था टैक्सटाइल पैकेज का, जब कैबिनेट के अन्दर उसका डिस्कशन आया तो मैंने, चूंकि इस विभाग की मंत्री भी हूं और पोल्यूशन के प्रति चिंतित भी हूं, मैंने कैबिनेट में यह सुझाव रखा कि अब जब-जब भी इण्डस्ट्रीज का एरिया खोला जाए, जहां-जहां इस तरह की पोल्यूशन फैलाने वाली इण्डस्ट्रीज हों, वहां जेड एण्ड डीज की जमीन साथ ही मुहैया कराई जाए और उनको जो भी रियायत देनी है, 50 प्रतिशत सब्सिडी एक्स्ट्रा, वह दी जाए, ताकि 'तुम्हीं ने दर्द दिया, तुम्हीं दवा देना'।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : छोटी सी उम्र मे कमाल कर दिया आपने।

श्री अध्यक्षः यहां लगता है, आप वाला मामला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि सारा मामला जो मंत्रीजी ने कहा है कि हमने पांच करोड़ रुपये जमा करा दिये, 91 लाख रुपये देकर जमीन ले ली; सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हरेक व्यक्ति जवाब देगा और दो साल का एफिडेविट सब देंगे कि दो साल में हम इसको कम्प्लीट कर देंगे और तब तक पेाल्यूशन समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप इसको बनाये रखें, यह मैं कहता हूं।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : लेकिन, माननीय सदस्य, ये

(श्रीमती बीना काक)

एफिडेविट तो दे दिये जाते हैं लेकिन उनकी पालना कितनी होती है, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : कराएंगे, हम भी कराएंगे।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री) : कृपा करके इन लोगों से कहें कि जो नोर्म्स हैं, उनको पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना इन लोगों के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पेमाराम।

श्री मदन प्रजापत (पचदपरा) : बालोतरा का भी इनसे जुडा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बालोतरा का नहीं है प्रश्न। श्री पेमाराम।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोतरा भी, सांगानेर वाली सेम समस्या है।

श्री अध्यक्ष: महिला बाल विकास मंत्रीजी, जवाब दें। अंकित नहीं होगा। प्रश्न सांगानेर से सम्बन्धित है, सारे राजस्थान से नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

सीकर जिले के आंगनबाड़ी कार्मिकों को बकाया मानदेय का भुगतान

56. **श्री पेमाराम** (धोद): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) क्या जिला सीकर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व साथिनों को मानदेय का भुगतान समय पर किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सीकर जिले में उक्त को वितीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 में कब-कब मानदेय का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सीकर जिले में उक्त का मानदेय अभी तक बकाया चल रहा हैं? यदि हां, तो किस तिथि से, कितने दिनों का व कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मानदेय का बकाया भुगतान समय पर नहीं करने के लिए

(श्री पेमाराम)

कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) सीकर जिले में संचालित परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकताओं, आशा सहयोगिनियों एवं साथियों को मानदेय का भुगतान नियमित समय पर नहीं हो पाया है। आनलाइन भुगतान की व्यवस्था आरम्भ होने पर समस्त कर्मिकों का आनलाइन खाता खुलवाने, उनका व्यक्तिगत डाटा पे-मैनेजर में ई.सी.एस. पद्धति हेतु आनलाइन फीडिंग किये जाने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है। माह जुलाई, 2013 का मानदेय भुगतान मंत्रालयिक कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने की वजह से प्रभावित हुआ है।

(2) वर्ष 2012-13 व 2013-14 में सीकर जिले में किये गये मानदेय भुगतान का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(3) सीकर जिले के बकाया मानदेय का विवरण परियोजनावार परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) भुगतान में विलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि अकेले सीकर जिले में 1 करोड़ 80 लाख 37 हजार 918 रुपये और अकेले आपके विधान सभा क्षेत्र में 15 लाख 71 हजार 623 रुपया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और साथिन, उनको 1,500 रुपये का मानदेय देते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने आज से दो साल पहले चूरू का सवाल आया अमरारामजी का और मंत्री महोदय ने इसी सदन में जवाब दिया था कि आज के बाद माहवार भुगतान दिलवाया जाएगा और जो भी अधिकारी इसमें कोताही बरतेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, अकेले सीकर जिले में इन्होंने जो भुगतान दिया है, वह भुगतान भी चार-चार और छह-छह महीने का एक साथ दिया है, क्या सरकार के खजाने में आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी और साथिन का मानदेय देने के लिए पैसा नहीं है? और यदि है तो मुझे बता दीजिए, एक भी अधिकारी का एक महीने से

(श्री पेमाराम)

ज्यादा सीकर जिले में किसी का वेतन बकाया रहा है तो उस अधिकारी का नाम बता दीजिए। वरना मार्च से लेकर के अभी अगस्त खतम होने जा रहा है, छह महीने तक भुगतान नहीं देने वाले, आपके आश्वासन के बाद सीकर के जिस अधिकारी ने जान-बूझकर के यह किया है और यही नहीं, जो भोजन गर्म देते हैं, उनका आठ महीने का पैसा बाकी पड़ा है। यहि नहीं, हमारे शेखावाटी, मैं पूरे स्टेट पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन झुंझुनूं का पैसा बाकी है, चूरू का पैसा बाकी है और आपके दो साल के पूर्व के आश्वासन के बाद जिन अधिकारियों ने जान-बूझकर के लापरवाही बरती है, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: अब जवाब आने दें।

श्री पेमाराम (धोद): प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय के सदन में आश्वासन के बाद आज तक माहवार पेमेंट नहीं देने वाले अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। नम्बर एक

नम्बर दो, अकेले सीकर जिले में 1 करोड़ 80 लाख 37 हजार 918 रुपये पूरे जिले के बकाया हैं, यह जो बकाया है वह किस तारीख तक मिलेगा?

मेरा तीसरा सवाल है कि भविष्य में ऐसा न हो, इसलिए, मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर आपने पूर्व में आश्वासन दिया है, आपने कहा कि जो भी एक महीने से ज्यादा वेतन रोकेगा, उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगी, महिला सशक्तिकरण में, जिसका 1,500 रुपये मिलें, वह समय पर नहीं मिलें, आप उन अधिकारियों को दण्डित करें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मंत्रीजी। जवाब सुनिये।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच में माफ करने लायक बात नहीं है कि जो हमारी कार्यकर्ता हैं, साथिन हैं, दो हजार से लेकर चार हजार तक मानदेय प्राप्त करती हैं और उनका अगर चार-चार, छह-छह महीने तक पेमेंट नहीं होता है तो यह बहुत ही गलत चीज है। इसमें मुख्य सचिव के स्तर पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने रिव्यूज के अन्दर, मैंने भी अपने स्वयं के डिविजनल हैडक्वार्टर्स के रिव्यू पर इस चीज पर बहुत सख्ती से बार-बार निर्देश दिये थे। उसके पश्चात भी एक-एक, दो-दो महीने तक कई जगहों पर और कई जगहों पर छह-छह महीने तक पेमेंट नहीं हो पाया है। कुछ समस्या तो वाजिब है कि आन-लाइन सारा का सारा सिस्टम

(श्रीमती बीना काक)

बना, उसको पूरा पुख्ता रूप लेने में समय लगेगा। क्योंकि कई बार हमारे पास ट्रेंड कर्मचारी भी नहीं होते हैं जो उसको पूरी तरह से लागू कर सकें।

खास तौर से, सीकर के अन्दर एक और समस्या आई थी कि जो राजस्थान ग्रामीण बैंक है, उसका मर्जर आपके बैंक आफ बड़ौदा के अन्दर हो गया था। तो उसमें भी थोड़ा डेटा, वगैरहा अपडेट करने में समय लगा। कुछ, जैसा कि बताया, हड़ताल भी हो गई थी, लेकिन समय पर इनका भुगतान होना चाहिए था। जीन दिन पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बुलाकर के पर्टिकुलर आफिसर को यहां तक कहा कि जब तुम्हें खुद को तनख्वाह लेनी होती है तो उस वक्त ये चीजें काम क्यों नहीं आती हैं? उस वक्त तो आप अपना पेमेंट लेने आ जाते हैं लेकित इन महिलाओं के साथ...।

तो यह क्वेश्चन पढ़ने के बाद, सीकर से सम्बन्धित था, समय ज्यादा नहीं था, मैंने पूरे राजस्थान के आंकड़े मंगवाने के निर्देश दे दिये हैं और इनसे कल ही, आपका जो वहां का डी डी है...

श्री पेमाराम (धोद): कार्यवाही कीजिए। आपने आश्वासन तो पहले भी दिया है, आप तो कार्यवाही कीजिए। अगर आप एक जिले में कार्यवाही करेंगी तो पूरे राजस्थान में समय पर वेतन मिलेगा।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय सदस्य, ये ए पी ओ के आर्डर और सस्पेंशन के आर्डर मेरे हाथ में हैं। उन्हें मैं सस्पेपंड आलरैडी कर चुकी हूं। राजस्थान में इस तरह की कोई भी कोताही आयी तो स्टैण्डिंग आर्डर हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त अनुशासनात्मक की जाएगी। महिलाओं के पेमेंट से सम्बन्धित कोई कोताही यह सरकार न तो अभी बरतेगी और न अब हम आएंगे वापस, तो बरतेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अजय सिंह। अंकित नहीं होगा । मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: यह मैं बरदाश्त नहीं करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डेगाना के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

57. **श्री अजय सिंह** (डेगाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के अनेक पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर कमी तथा परीक्षा परिणाम में भी गिरावट आई है? यदि हां, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में चल रहे रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित डेगाना विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अजय सिंह (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जो जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है, उसमें खुद सरकार ने माना है कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के अनेक पद लम्बे समय तक रिक्त रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि सरकार अपने कार्यकाल को पूरा कर रही है, पांच वर्ष, तो लम्बे समय तक इतने पद रिक्त रहने का क्या कारण रहा है? तथा सरकार ने और शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर क्या-क्या पांच साल तक कार्यवाही की है? जबकि विद्यालयों में छात्रों द्वारा लगातार तालाबंदी की जाती रही है। सरकार द्वारा रिक्त पदों की भर्ती के लिए कब विज्ञापन जारी किये गये; कितने पदों के लिए आपने साक्षात्कार कब किये; तथा कितने योग्यजन को आपने नियुक्ति दी?

(श्री अजय सिंह)

दूसरा मेरा प्रश्न है माननीय मंत्रीजी से कि सरकार लगातार विद्यालयों को क्रमोन्नत करती रही है, तो क्रमोन्नत करने से पहले या क्रमोन्नत करने के समय क्या सरकार ने शिक्षकों के पदों को पहले सृजित किया था? क्या उन पदों की पहले स्वीकृति दी थी? उसके अलावा, क्या सरकार ने कोई बजट का प्रावधान किया है उस स्कूल में भवन निर्माण के लिए, कक्षा कक्ष निर्माण के लिए? और यदि किया है, तो उसका आप मेरे को विस्तार से बता दें। काम पूरा अगर हो गया हो कहीं भवन निर्माण का, तो वह भी बता दें और काम अगर चल रहा है, तो वह भी बता दें मुझे।

खण्ड 2 में मैंने पूछा था कि क्या शिक्षकों की कमी के कारण से विद्यार्थियों की संख्या में कमी आयी है कि नहीं आयी है, माननीय मंत्री ने मुझे कहा कि नहीं आयी है, तो आप मुझे डेगाना उपखण्ड मुख्यालय के विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हसौर की स्थिति मुझे स्पष्ट बता दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला जो प्रश्न पूछा है, उसमें हमने 2010-11 में 1,129 लेक्चरर्स की भर्ती की है; 2011-12 में 719 लेक्चरर्स की भर्ती की है, 2011-12 में ही, 8,835 सैकण्ड ग्रेड के टीचर्स की भर्ती की है; व्याख्याताओं की 2012-13 में 727 की भर्ती की है और वरिष्ठ अध्यापकों की हमने 10,699 की भर्ती की है।

जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र में टीचर्स के अभाव में कोई नामांकन में कमी आयी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2009-10 में डेगाना विधान सभा क्षेत्र में 10,182 छात्र पढ़ते थे, 2010-11 में 10,587 पढ़ते थे और 2011-12 में 12,922 छात्र पढ़ते हैं। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि इसमें कोई कमी नहीं आयी है।

नम्बर-3 जो आपने पूछा कि क्या परिणाम स्तर में कोई कमी आयी है, मैं बताना चाहता हूं कि नागौर जिले का प्रतिशत 2009-10 में 77.39 प्रतिशत रहा, जबकि विधान सभा क्षेत्र डेगाना का 74.21 प्रतिशत रहा; 2010-11 में 75.32 प्रतिशत रहा, तो डेगाना का 74.94 प्रतिशत रहा; 2011-12 में 64.39 प्रतिशत रहा, तो डेगाना का 61.97 प्रतिशत रहा। उच्च माध्यमिक स्तर

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

पर 2009-10 में 96.06 प्रतिशत रहा नागौर जिले का और डेगाना का 96.85 प्रतिशत रहा; 2010-11 में 96.17 प्रतिशत नागौर जिले का रहा और डेगाना का 95.73 प्रतिशत रिजल्ट रहा; और इसी तरीके से, 2011-12 में नागौर जिले का 91.30 प्रतिशत रहा और डेगाना का 86.10 प्रतिशत रहा। उच्च माध्यमिक स्तर पर 2009-10 में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री अजय सिंह (डेगाना) : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा, उत्तर आने दीजिये पहले।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : साथ दे देना, साहब।

श्री अध्यक्ष: डेगाना विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अजय सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दें एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न केवल डेगाना विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित था।

श्री अजय सिंह (डेगाना) : माननीय मंत्रीजी से पहले तो मैंने यह पूछा कि जो विद्यालय आपने क्रमोन्नत किये हैं, उसमें मुझे बतायें कि क्या आपने पहले पद सृजित किये थे? क्या बजट आबंटन, अलग से आपने बजट का प्रावधान किया था? क्या कोई कक्षा निर्माण, क्या कोई भवन निर्माण पांच सालों में आपने कराये हैं, जिनको क्रमोन्नत किया?

आपने मुझे बताया अभी कि शिक्षकों के कारण से विद्यार्थियों में कोई कमी नहीं आयी है, तो मैं आपको बताता हूं कि डेगाना के अन्दर उपखण्ड मुख्यालय पर एक मात्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, 2011-12 में वहां पर कुल बालिकाएं थीं 259, 2012-13 में रह गईं 195; 2013-14 में वहां पर रह गईं 164 । आप यह देखिये, 95 बालिकाओं ने वहां से अपना नामांकन हटाया है और वे प्राइवेट स्कूलों में गई हैं।

इसके अलावा, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डेगाना के विज्ञान संकाय के बारे में मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि 2010-11 के अन्दर विज्ञान संकाय में 87 विद्यार्थी थे, 2011-12

(श्री अजय सिंह)
में 45 रह गये और 2013-14 में 8 विद्यार्थी रहे हैं, सिर्फ विज्ञान संकाय में डेगाना में। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है, स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिये पहले। माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी खोल दी, वी.सी. लगा दिया, यूनिवर्सिटी है ही नहीं सीकर में! (व्यवधान) सीकर में वी सी लगा हुआ है और यूनिवर्सिटी है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर) : ×××

श्री अध्यक्ष: पहले मंत्रीजी को उत्तर देने दीजिये। कृपया मंत्रीजी को उत्तर देने दीजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। आप बैठिये। केवल मूल प्रश्नकर्ता को मैंने इजाजत दी है। केवल मूल प्रश्नकर्ता को इजाजत दी है।

श्री अजय सिंह (डेगाना) : अध्यक्षजी, मेरा प्रश्न यह है कि पांच साल के लम्बे समय में भी आप डैगाना विधान सभा क्षेत्र में लगातार चल रहे रिक्त पदों पर अध्यापकों को क्यों नहीं पदस्थापित कर सके?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने अपने मूल प्रश्न में पूछा कि क्या जो अब नये स्कूल खोलें उनका बजट प्रावधान किया, क्या उनके अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की; माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो घोषणा की थी, उसके मुताबिक हमने बजट का प्रावधान किया है, टीचर्स की भर्ती का काम शुरू किया है और मैं उसका आपको निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कटारिया जी। श्री कटारियाजी। (व्यवधान) अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा। श्री कटारियाजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूची दी है, उसमें ही आपके डेगाना विधान सभा क्षेत्र में 100 व्याख्याताओं के पद सृजित हैं, उनमें से आपके 65 व्याख्याता नहीं है। 100 में से 65 व्याख्याता नहीं हैं। उसके बाद भी आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कृपा करके जो ये 35 लगे हुए हैं, इनको भी घर रवाना कर दो। अगर रिजल्ट ही बनता है, तो फिर जरूरत कहां है? आश्चर्य है, आप इस फिगर को देखेंगे तो भले ही रोज भर्ती करो, भर्ती करो, उस बच्चे का क्या होगा जिसको पढ़ाने के लिये नहीं हैं?

आपने जो यह लिस्ट दी है, आपने जिस लड़कियों के स्कूल के बारे में कहा है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, डेगाना, उसमें 7 व्याख्याताओं के पद में से 5 पद खाली हैं। वे कैसे पढ़ेंगी और क्या उनका जीवन बनेगा, आप इसका कोई अंदाज लगा सकते हैं? बड़े आश्चर्यजनक फिगर हैं।

आपने देखा होगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजलोता, इसमें कुल ही 7 पद सृजित हैं, सैकण्ड ग्रेड के भी और फर्स्ट ग्रेड के भी, इन 7 में से 6 पद खाली हैं। 7 में से 6 पद खाली हैं। यह आपकी सूची कह रही है। कमाल है!

उसके बाद भी बड़ा आश्चर्यजनक फिगर है, सैकण्ड ग्रेड के जो पद हैं, सैकण्ड ग्रेड के कुल 419 पद हैं, उनमें से 131 पद, अर्थात 32 प्रतिशत पद आपके नहीं हैं। सेकण्डरी के हैडमास्टर जो सलेक्ट हुए, 7 महीने से, आर पी एस सी ने सूची इनको भेज दी, आर पी एस एसी से हैडमास्टर सलेक्ट हुए 7 महीने हो गये, उसको लेकर बैठे हुए हैं, उनको अपाइंटमेंट नहीं दे पा रहे हैं।

इनके नेतृत्व में शिक्षा का जितना बंटाढार हुआ है, इतिहास लिखा जायेगा तेरहवीं विधान सभा का कि वास्तव में आपके पास अध्यापक आ गये, उनको आप अपाइंट नहीं कर पा रहे हों और कह यह रहे हों कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो इन सबको भी हटा दो, घर भेज दो, रिजल्ट अच्छा रहता है तो। गरीब का बच्चा पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल में। क्या मजाक कर रखी है।

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : ×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया) : ...(व्यवधान) हमारी कल्याणकारी सरकार ने कई स्कूल प्रमोट किये हैं, हमने प्रमोटेड स्कूल के लिये, रिक्त स्थान के लिये, टीचर्स की नियुक्ति के लिये क्या प्रावधान किये हैं? और बच्चों के लिये कमरों के क्या प्रावधान किये हैं? (व्यवधान) क्या मुझे दोबारा पूछना पड़ेगा?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के नेता ने बात बताई कि अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं, यह सही है लेकिन मैं यह बात आपको निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये पद अभी से खाली नहीं हैं। 2007 में भी ये पद खाली थे, 2008 में भी खाली थे। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर) : ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : ...(व्यवधान) जैसे ही ये पद ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं ...(व्यवधान) मंत्रीजी कह रहे हैं...(व्यवधान) मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव की हायर सैकण्डरी स्कूल में एक प्रिंसिपल है, 1980 का हायर सैकण्डरी स्कूल है, मेरे खुद के गांव की स्कूल, जिसमें मैं खुद पढ़ा हूं, उसमें एक प्रिंसिपल है और वह भी विकलांग है। (व्यवधान) उसके घर वाले...(व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर) : ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से बार-बार मिलकर इस मामले में निवेदन किया, माननीय मंत्री महोदय से एक बार नहीं, दसों बार प्रयास कर लिया, उसके बावजूद मेरी स्कूल में 17 में से 1 प्रिंसिपल है, वह भी विकलांग है। बच्चे छोड़-छोड़ कर ...(व्यवधान) बच्चे छोड़-छोड़ कर प्राइवेट में चले गये। मैंने शिक्षा मंत्री महोदय को बीसों बार, बीसों बार मैंने इनसे निवेदन किया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा प्रश्न दोहराना चाहती हूं। (व्यवधान) देखिए, माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए, हमारी कल्याणकारी सरकार का एक नजराना तो देखिए, सरसों की फसल सर्दी में आनी थी, वह भवानीजी उगा लाये। अभी आ गई, जल्दी हो गया।

अब मैं हमारे मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं, माननीय मंत्री महोदय, हमारी कल्याणकारी सरकार ने जो स्कूल अपग्रेड किये हैं, उन अपग्रेडेड स्कूलों के लिये क्या हमने भवन निर्माण के लिये, कमरा निर्माण के लिये वित्तीय व्यवस्था कर ली है? क्या हमने टीचर्स की, क्योंकि जब हमने अपग्रेड किये हैं तो ग्यारहवीं, बारहवीं के लिये क्या हमने शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है? इसका जवाब दें, साहब।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) ×××

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) आसन पांवों पर है। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

अनुपस्थिति अनुमति

महीपाल मदेरणा, श्री, सदस्य को 26 अगस्त 2013 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह क्या हो रहा है? श्री मोहनलाल गुप्ता, क्या हो रहा है यह? आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आप सीनियर सदस्य हैं, पता नहीं है आपको?

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री महिपाल मदेरणा, सदस्य, विधान सभा ने न्यायिक अभिरक्षा में होने के फलस्वरूप दिनांक 26 अगस्त, 2013 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की दयनीय चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद लम्बे समय से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

3. श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से मेवात विकास बोर्ड के बजट का दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में;

4. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर के कमीनपुरा स्थित शुगर मिल को सभी औपचारिकता पूर्ण करने पर भी स्थानान्तरित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

5. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से अजमेर नगर निगम द्वारा 756 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन निकालने के उपरान्त भी अभी तक भर्ती नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

6. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर की तहसील राजाखेड़ा और धौलपुर के अन्तर्गत आने वाले गांवों को चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में;

7. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर में एकान्तरे जलापूर्ति किये जाने से जनता को ही रही परेशानी के सम्बन्ध में;

8. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों एवं स्कूलों को पोषाहार के लिए दिया जा रहा गेहूं सड़ा-गला व बदबूदार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

9. श्री रामहेत सिंह एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से जिला अलवर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से आमजन में व्याप्त भय के सम्बन्ध में;

10. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से जिला झालावाड़ के खानपुर, मनोहरथाना व अकलेरा ब्लाक तथा उप-तहसील बकानी क्षेत्र में चार वर्ष से ए.पी.एल. परिवारों को आटा वितरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

11. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर की जीवन रेखा सिद्ध होने वाले ईस्ट-वैस्ट कोरिडोर के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैंगिग ब्रिज के कार्य को अघोषित रूप से रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

12. श्री निर्मल कुमावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से डेडिकेटेड फ्रैट कोरिडोर परियोजना के लिए किसानों व राजस्थान सरकार से ली जा रही भूमि व सम्पत्तियों के प्रकरण में कथित अनियमितता कर कम भुगतान करने के सम्बन्ध में;

13. श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजनीतिक नियुक्तियों में आपराधिक छवि के व्यक्तियों को निगम बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

14. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से कामर्शियल बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड-धारी किसानों की सहकारी बैंकों द्वारा फसली ऋणों हेतु साख सीमा नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

15. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न टोल नाकों पर की जा रही अवैध वसूली के सम्बन्ध में;

16. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं संसाधनों की कमी एवं भवन की दुर्दशा के सम्बन्ध में;

17. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश की बिजली कम्पनियों द्वारा गत 12 माह में हजारों वी सी आर के प्रकरण दर्ज कर गरीब किसानों से जुर्माना वसूलने के सम्बन्ध में; एवं

18. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से राज्य में रावत व मेहरात जाति के लोगों को अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी, माननीय सदस्य, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री वासुदेव देवनानी, डा. फूलचन्द भिण्डा एवं शंकर सिंह रावत को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला सीकर के श्रम विभाग कार्यालय में श्रमिकों के विभिन्न कार्यों के जमा आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
2. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्या की ओर से राजसमंद तहसील क्षेत्र की खनन एवं खनिज पिसाई इकाइयों को पर्यावरण सहमति नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
3. श्री रामहेत सिंह, सदस्य की ओर से किशनगढ़ बास से गढ़ बोलनी (हरियाणा) सड़क का निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ करने के सम्बन्ध में;
4. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के सम्बन्ध में;
5. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में कृषि भूमि पर बसी निजी कालोनियों में पेयजल पाइपलाइन बिछाकर पेयजल की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में;
6. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से सी एच सी, भीम एवं देवगढ़ में कनिष्ट विशेषज्ञ एवं अन्य चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
7. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से चौमूं विधान सभा क्षेत्र के गांवों की क्षतिग्रसत सड़कों की मरम्मत करने एवं कतिपय नयी सड़क बनाने के सम्बन्ध में;
8. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में;
9. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से पंचायत समिति, शेरगढ़ व बालेसर में महानरेगा की वार्षिक योजना 2013-14 में सम्मिलित सार्वजनिक टांकों के निर्माण हेतु कन्वर्जेन्स एवं परिसम्पत्ति निर्माण निधि में से अतिरिक्त सामग्री राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में;
10. श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला घड़साना क्षेत्र में 25-30 वर्ष से कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे व्यक्तियों को आवासीय पट्टा देने के सम्बन्ध में; एवं

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य की बंजारा जाति सहित उप-जाति भाट बंजारा, मारू बंजारा, बाल्दिया बंजारा, बामणियां बंजारा, लवाना बंजारा, बागोरा बंजारा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई थी, जो प्राप्त हो गई है। उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करता हूं, परन्तु उन्हें अपने प्रस्ताव पर, विषय-वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात...

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : मेवात विकास बोर्ड का बहुत दुरुपयोग हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा, विराजें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य के विभिन्न टोल नाकों पर की जा रही अवैध वसूली

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विभिन्न सड़कों पर टोल नाके बने हुए हैं और टोल सड़कें भी बनी हुई हैं। इन टोल सड़कों की हालत इस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति अगर जयपुर-दिल्ली हाइवे पर चला जाए, हाइवे नहीं, लो-वे है। आदमी परेशान

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

हो जाता है। चार घण्टे की जर्नी आठ घण्टे में तय हो रही है। चंदवाजी से शाहजहांपुर तक ऐसी स्थिति है, इस तरह से रोड का डाइवर्जन है कि वहां पर पेड़ खड़े हो गए; यानी, काम नहीं चल रहा है और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है कि वहां पूरी वसूली की जा रही है, टोल पूरा वसूल किया जा रहा है।

(12.00 बजे)

श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक व्यक्ति ने अपने एक्सपीरियंस में यह लिखा है कि जयपुर से दिल्ली जाने वाला रास्ता है, उस पर यदि मैं यात्रा करता हूं तो यह स्वर्ग के बनिस्पत नरक है; मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी-कभी तो लोगों को गुस्सा, और हाइवे जाम की वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है कि लोग फ्लाइट के लिए लेट हो जाते हैं; लोगों की जर्नी है, जो उसका काम है, उसके कारण जयपुर-दिल्ली जाना हो तो लेट हो जाते हैं, दिल्ली से जयपुर आना हो तो लेट हो जाते हैं।

यह गोल्डन ट्रियांगल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर, दिल्ली, आगरा, लेकिन जो टूरिस्ट आता है, एक्सपोर्टर आता है, वह बहुत परेशान हो जाता है, उसको आगरा का रूट अपनाते हुए वापस जयपुर आना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रोड पर जापानी कोरिडोर भी है; जापानी इन्वेस्टमेंट का कोरिडोर है, नीमराना पर। वहां पर जितने इंडस्ट्रीयलिस्ट ने अपनी इण्डस्ट्रीज लगा रखी हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना प़ड रहा है। आर एस आर टी सी को भी लोस हो रहा है। वहां का जो मिड-वे है, वहां पर 50 परसेंट यात्री भार रह गया।

मैं यह कहना चाहूंगा कि 450 रुपये टोल वसूल रहे हैं और उसके बावजूद भी यह स्थिति है कि वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वहां लम्बा जाम लगता है, लोगों को परेशानी होती है। एक और रिपोर्ट है कि जयपुर-दिल्ली हाइवे पर सर्वाधिक एक्सीडेंट हैं, एक्सीडेंट वाला जोन बन गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति हो रही है कि हर व्यक्ति परेशान है, इस लम्बे जाम के कारण, डाइवर्जन के कारण और टोल वसूली के कारण। मेरा आपसे अनुरोध है, जयपुर-दिल्ली हाइवे पर, मंत्री महोदय, आप जरा इस व्यवस्था को देखें।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

अजमेर रोड पर भी इस प्रकार की स्थिति है। अजमेर रोड पर अभी टोल संघर्ष समिति बनी है, टोल संघर्ष समिति, ठिकरिया। बगरू के आसपास के लोगों को कई बार टोल नाकों से गुजरना पड़ता है। टोल नाका गलत लगा रखा है, गलत वसूली की जा रही है। हमारी कांग्रेस की एम एल ए, श्रीमती गंगा देवी के नेतृत्व में अभी संघर्ष किया गया है, संघर्ष करके उन लोगों ने 15 दिन का समय दिया है कि या तो टोल नाका खत्म करें, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति सरकार के लिए ठीक नहीं है, वह मूकदर्शक बनकर बैठी हुई है, कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 अगस्त को जो गंगादेवी जी ने धरना दिया था, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से, जयपुर से रींगस और चौमूं वाले रास्ते पर भी इसी प्रकार का टोल नाका बना दिया गया है। अब जयपुर से चौमूं, चौमूं तो जयपुर विकास प्राधिकरण के ही दायरे में आता हैं, उसमें भी टोल नाका लगा दिया गया। 20 किलोमीटर की यात्रा, उस पर भी 55 रुपये। अभी हमारे रामलालजी शर्मा के नेतृत्व में वहां भी धरना दिया गया है, वहां भी लोगों की मांग है कि यह टोल नाका खतम किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगरा-जयपुर मार्ग पर भी यह जो मधुकोन प्राइवेट कम्पनी है, मधुकोन आगरा-जयपुर एक्सप्रेस हाई-वे लिमिटेड, इसने पांच रुपये ज्यादा लिये हैं। इस प्रकार जुलाई से तीन दिसम्बर तक तीन लाख रुपये की ज्यादा वसूली की है, गैर-नियमानुसार की है। यह कम्पनी की जेब में ही चला गया। इस प्रकार से ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं, गैर-नियम से और बिना-अधिकृत-हुए ये पैसा वसूल कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से भरतपुर 165 रुपये लगे हैं, पांच टोल नाके हैं। ये टोल नाके नहीं हैं, यह एक तरह से अवैध वसूली का धन्धा बना लिया। टोल नाकों का मतलब होता है कि वहां सड़क पर यदि कोई खड्डा हो जाए, सड़क पर कोई मवेशी हो, सड़क पर यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरन्त उस पर कार्यवाही हो, लेकिन खड्डे तो खड्डे ही पड़े हुए हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है; मवेशी पड़े हुए हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है; खड्डे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। राजस्थान की पुलिस भी मूकदर्शक बनकर बेठी हुई है।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 11 परियोजनाएं चल रही हैं, इन 11 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं, कोटा बाइपास, धौलपुर-मुरैना बाइपास, किशनगढ़-ब्यावर की छह लेन, गुडगांव-कोटपूतली और टोंक-देवली। इन सब में देरी हो रही है। इस देरी के कारण लोगों को पैसा देना भी पड़ रहा है। अनावश्यक रूप से जाम भी लगते हैं, अनावश्यक रूप से डाइवर्जन भी होता है। लोगों को परेशनी का सामना करना पड़ रहा है। आखिरी ये जो परियोजनाएं हैं, इनमें देरी क्यों हो रही है, इस बात का सरकार जवाब दे। इस बात के लिये सरकार की रेस्पांसिबिलिटी है कि नेशनल हाइवे अथोरिटी से बात करे; यदि कोई परेशनी है, कोई दिक्कत है, उसको सोल्व करे।

सीकर-झुंझुनूं-लुहारू मार्ग पर टोल वसूली हो रही है, 2005 तक टोल वसूली होनी थी लेकिन यह 2017 तक हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में एक याचिका भी लगा रखी है कि 1.60 करोड़ की नाली के निर्माण के कारण सात साल टोल नाका बढ़ा दिया गया। सात साल! और वह नाली का निर्माण ही नहीं हुआ। यह क्या स्थिति हो रही है। आखिर हम सब लोग इसको देख नहीं रहे हैं क्या? क्या हम उन टोल नाकों पर जाते नहीं हैं? क्या उन सड़कों पर हम यात्रा नहीं करते हैं? क्या उन सड़कों की स्थिति हम देख नहीं रहे हैं? क्या हमें इस बात के लिये संवेदनशील नहीं होना चाहिये? क्या हमारी सरकार संवेदनशील नहीं है? क्या वे जयपुर-दिल्ली रोड पर जाते नहीं हैं? क्या वे जयपुर-आगरा मार्ग पर जाते नहीं? क्या स्थिति हो रही है।

राजस्थान भर में यह जिस प्रकार से टोल नाकों के द्वारा अवैध वसूली हो रही है, अनाधिकृत वसूली हो रही है और यात्रियों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। (व्यवधान) बहुत टाइम हो गया, हो गई सीमा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आखिर सरकार इस बात के लिये जवाब तो देवे कि जयपुर में इतना बड़ा एन.आर.आई. सम्मेलन हुआ, उस वक्त सारे एन.आर.आई. आये थे, स्पेशल फंड सैंक्शन किया गया था, केन्द्रीय मंत्रीजी ने, मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि जयपुर-दिल्ली की सड़क को हम जल्दी ही पूरा कर देंगे, एन.आर.आई. सम्मेलन को आज दो साल हो गये। लेकिन वह सड़क अभी तक ठीक नहीं हुई। लोग परेशान हैं। यह पूरा का पूरा अखबार यात्रियों

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

की पीड़ा से व्यथित है, कह रहा है, ट्यूरिस्ट डाउन हो रहे हैं, एक्सपोर्टर्स का धंधा नहीं हो रहा है, नीमराणा जोन में परेशानी हो रही है, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, जाम हो रहे हैं लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। कृपया सरकार के कानों में जूं रेंगवाओ और लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिये आदेश प्रदान करावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय वासुदेवजी देवनानी।

अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में चिकित्साकर्मियों व संसाधनों की कमी तथा भवन की दुर्दशा

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एक सम्भाग स्तरीय अस्पताल है। आज जिस दौर से वह गुजर रहा है, उसके हालात को देखते हुए पूरे सम्भाग के, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक जिले के मरीजों को इतनी परेशानियां आ रही हैं कि उस अस्पताल की अवस्था बहुत चिंतनीय है। राजस्थान सरकार की उपेक्षा के कारण यह अस्पताल बड़ी दुर्दशा का शिकार हो रहा है।

आज से चार साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हमने कैथ लैब की स्थापना की, कैथलैब के कारण एंजियोग्राफी शुरू हुई; लगा कि सम्भाग के लोगों को बाइपास सर्जरी की जरूरत है, हमने कार्डियो-थोरेसिक सेण्टर की स्थापना की, लाखों की लागत से उसका निर्माण हुआ? लेकिन आज वहां पर एक कार्डियो-सर्जन की नियुक्ति पिछले साढ़े चार साल में नहीं हुई। इसलिए वहां पर बाइपास सर्जरी की सुविधा आज तक प्रारम्भ नहीं हो पाई, जिसके कारण से पूरे सम्भाग के लोगों को जयपुर, दिल्ली या अहमदाबाद, बाकी जगह चक्कर काटना पड़ रहा है। गरीब लोगों को बहुत ही जाने में दिक्कत हो रही है। इस प्रकार की वहां पर दुर्दशा है।

दूसरा विभाग, वहां पर ट्रोमा सेण्टर, लाखों की लागत से वहां पर ट्रोमा सेण्टर स्थापित हुआ, लेकिन आज जो उसकी दुर्दशा है, वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक और पैरा-मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने के कारण वहां गम्भीर रूप से जो घायल लोग आते हैं, उनको वहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। केवल एक साधारण, सामान्य आर्थोपेडिक सेण्टर के रूप में वह काम कर पा रहा है। यहां तक भी, कहीं गाड़ी नहीं रोकी, 25 लाख की लागत से नवीनतम सुविधायुक्त एक एम्बुलेंस खरीदी गयी लेकिन ड्राइवर की नियुक्ति के

(श्री वासुदेव देवनानी)

अभाव में दो वर्ष से पड़ी-पड़ी वह एम्बुलेंस भी आज जंग खा रही है। यह स्थिति आज वहां के अस्पताल की इन्होंने बना दी।

तीसरा डिपार्टमेंट आ जाएं, न्यूरो-सर्जरी, वहां न्यूरो-सर्जन के अभाव में आज वहां के लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है जिसकी कल्पना करना एक साधारण व्यक्ति के लिये असम्भव है।

और तो सुविधा यहां तक जुटी, लेकिन अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि वहां पर दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी कई वार्ड हैं; मरीज भर्ती होते हैं लेकिन वहां पर सारी लिफ्टें पिछले वर्षों से खराब पड़ी हैं। एक लिफ्ट को भी वहां का प्रशासन ठीक नहीं करा पाया, तीनों लिफ्टें वहां पर खराब पड़ी हैं। इसलिये दूसरी और तीसरी मंजिल पर जो भर्ती मरीज हैं, आवश्यक जांचों के लिये भी उनको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बार-बार आना-जाना पड़ता है, व्हील-चेयर का उपयोग करना पड़ता है। इतने मुश्किल कामों से वे परेशान हैं।

यहां तक कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में पी.बी.एक्स. सिस्टम, उसमें तो कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन पी.बी.एक्स, सिस्टम भी खराब पड़ा है। नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण आज सारा अस्त-व्यस्त हो रहा है, जिससे वार्ड, आउटडोर, विभिन्न जांच सम्बन्धी, सारे प्रभावित हो रहे हैं। और तो और, इस अस्पताल में एम.आर.आई. मशीन का अभाव है। कई बार आश्वासन मिले कि एम.आर.आई. मशीन की स्थापना होगी लेकिन मरीजों को प्राइवेटली बाहर भेजा जा रहा है।

असपताल में उन लोगों को इतनी असुविधा हो रही है, आज गरीब व्यक्ति जो अस्पताल जाने में भी घबराता है। अस्पताल में कोई व्यक्ति जाते ही कतराता है कि वहां स्थिति क्या है। अस्पताल के भवन आज दुर्दशापूर्ण हैं; ड्रेनेज सिस्टम खराब है; फिजियोग्राफी विभाग पूरा जीर्ण-शीर्ण हो रहा है। और तो और, वहां पर दवा वितरण केन्द्र, जिसके केन्द्र खूब ढोल पीट रही है कि हमने फ्री दवाएं दे दीं, फ्री जांचें हैं, लेकिन वहां पर दवाई वितरण केन्द्र इतने कम संख्या में हैं कि गरीब मरीजों को घण्टों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वह भी तीन दिन की दवाई, फिर अगले दिन आयें। तो गरीब मरीज खड़े-खड़े चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं।

इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, मैं समझता हूं कि इतना दयनीय अस्पताल है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, सम्भागीय अस्पताल की कुछ घोषणाएं कर रहे हो लेकिन उन घोषणाओं का गरीब लोगों को किसी

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। यह सम्भागीय अस्पताल आज दुर्दशा का शिकार है, उसके भवन की दुर्दशा है, ड्रेनेज सिस्टम की दुर्दशा है, अन्दर डाक्टर और नर्सों की कमी है। विभाग भी केवल खोल दिये, भवन निर्माण भी कुछ हुए, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को वहां पर किसी प्रकार की सहुलियत नहीं मिल पा रही है। इसलिए तुरन्त स्टाफ की नियुक्ति करके मेरे सम्भाग के मरीजों को सहुलियतें प्रदान करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय डाक्टर फूलचन्दजी भिण्डा।

बिजली कम्पनियों द्वारा वी सी आर के माध्यम से किसानों से जुर्माना वसूली

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : उपाध्यक्षजी, बजट सत्र के समय भी मेरा स्थगन लगा था, बिजली कम्पनियों किसानों से मनमाने तरीके से वी.सी.आर. भरकर वसूली कर रही हैं। इतना ही नहीं, विद्युत कम्पनियां मनमाने तरीके से सर्कुलर निकालती हैं, नियम ले आती हैं; कभी तीन सौ से ज्यादा की आबादी की ढाणियों के कनेक्शन होंगे, कभी कहते हैं कि यह आबादी में नहीं आता, कभी कहते हैं कि सौ से छोटी ढाणियों को कनेक्शन देंगे। जब गांव स्वीकृत है, विद्युतीकृत है, उसके बाद में उसमें बसने वाली ढाणियों की क्या गलती है कि उनके कनेक्शन नहीं किये जा रहे हैं?

इसी प्रकार से, धारा 135, यह विशेष प्रावधान है, कितने प्रकार के सेक्टर हैं, सैकड़ों प्रकार के सेक्टर हैं लेकिन केवल कृषि सेक्टर का जो क्षेत्र है, उनके उपभोक्ताओं पर धारा 135 लगाकर के उनको अपराधी, मनमाने तरीके से अपराधी घोषित किया जाता है। उनके लिये अलग थाना बना दिया गया है। सुनवाई होती नहीं है। जो वी.सी.आर. तय कर दी जाकर के एक लाइनमैन ने या जे.ईएन. ने, उसकी नौ गुना पेनल्टी सिविलियन लायबिलिटी के नाम पर तय हो जाती है, उसकी वसूली की जाती है; लिखते हैं, तुम अपराधी हो, बिना सुनवाई के, बिना जांच के तुम अपराधी हो, थाना नम्बर इतना है जयपुर में, वहां तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज होगा, वरना ये पैसे इतनी तारीख को जमा करा दो। इस प्रकार की बात हो रही है।

इतना ही नहीं, आपके माध्यम से, आप भी किसान हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक किसान ने घरेलू कनेक्शन ले रखा है, कृषि कनेक्शन ले रखा है, मीटर से अपने बैलों का चारा काटने की मशीन नहीं चलाएगा तो

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

क्या करेगा? घर में आटा नहीं पीसेगा अपने मीटर से तो क्या करेगा? आप देखिये, वी.सी.आर. में मेंशन करते हैं, इनके दो सी.एफ.एल. जलती हैं, दो बल्ब जलते हैं, चार पंखे चलते हैं। यह भी वी.सी.आर. भरा जा रहा है।

मीटर है, जो कभी अनपढ़ किसान था, गांव का आदमी था, फार्म भरवाया उससे तो उसने उसमें आधा किलोवाट लिख दिया। पहले लिखा जाता था, आधा किलोवाट भरो आप; एक किलोवाट चाहते थे, तब भी नहीं भरा जाता था। इस प्रकार, उनको डेढ़ किलोवाट के नाम पर, दो किलोवाट के नाम पर वी.सी.आर. भरी जा रही है। दो किलोवाट की, वह की जा रही है। मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा....(व्यवधान) आप आश्वासन मंत्रीजी से दिलवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, भिण्डा साहब बात कर रहे हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और हो गया, इस वर्ष, 2013 का वर्ष तो ऐसा आया कि जिस विधान सभा क्षेत्र में लाल बत्ती घूमती है वहां पर वी.सी.आर. बहुत कम भरे गये और जहां पर लाल बत्ती नहीं है, चाहे फिर एम.एल.ए. कांग्रेस का है या चाहे बी.जे.पी. का है, वहां पर वी.सी.आर. धड़ल्ले से भरी गईं। यह दूदू और कोटपूतली का स्टेटमेंट मंगवा लें मंत्रीजी, बाकी दस जगह पर वी.सी.आर. खूब भरी गईं और दो जगह पर नहीं भरी गईं क्योंकि वहां पर लाल बत्तियां घूम रही थीं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। धन्यवाद

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : नहीं, इतना ही नहीं है, अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा, इसी प्रकार सिविल लाइबिलिटी चालू की गई। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं, मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा था कि एक साल के लिए सिविल लाइबिलिटी स्थगित की जाती है, लेकिन वह स्थगित नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से आश्वासन चाहता हूं। करीबन 47 करोड़ रुपए मेरे सम्भाग से, अभी मेरे सब-डिविजन से वसूल किए गए हैं। इस कारण से, मैं आश्वासन चाहता हूं कि गरीब किसानों से, जहां पर पिछली बार पाला पड़ गया, अभी ज्यादा बरसात हो गयी, इस कारण से उसका आश्वासन चाहता हूं मैं, आपके माध्यम से मंत्रीजी आश्वस्त करें कि क्या सिविल लाइबिलिटी स्थगित की गई

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

थी या केवल झूठा आश्वासन विधान सभा में दिया गया? यह मैं आपके माध्यम से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : इतना ही नहीं, जो मीटर बदलने और डी.बी. बदलने की प्रक्रिया है, 10 दिन तक, 15 दिन तक डी.बी. नहीं बदली जाती; 10 दिन तक, 15 दिन तक मीटर नहीं बदले जाते। इस कारण से गरीब किसान, गांव का किसान मर रहा है, रो रहा है, कर्जा ले रहा है, कनेक्शन दुबारा से कराने के लिए कर रहा है। जिन लोगों के कनेक्शन के पैसे जमा हो गए, डिमांड नोट जमा हो गए, उनके भी कनेक्शन नहीं हुए।

तो आपका संरक्षण प्राप्त करते हुए, मैं आशा करता हूं, मंत्रीजी यहां पर विराजे हुए हैं, मंत्रीजी स्पष्ट आश्वासन दें कि सिविल लाइबिलिटी का जो आश्वासन था, पिछले सत्र का, वह लागू हुआ कि नहीं? यह मैं यह चाहता हूं सरकार से कि इसको आप लागू करें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजेंगे, तब वे कहेंगे न। आप विराजिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : मंत्रीजी बैठे हैं, मंत्रीजी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं, आश्वासन दिलवाइए इसमें, क्योंकि सिविल लाइबिलिटी तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजेंगे तो वे खड़े होंगे।

मंत्रीजी, इनका कहना है कि कुट्टी है चारा की, उसको भी नहीं चला सकता किसान घरेलू कनेक्शन से। पशुओं को तो चारा देगा न। यूं कह रहे हैं वे। छूट चाह रहे हैं आपसे। सर्कुलर क्या है? कुछ कहेंगे क्या आप?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : यह तो आश्वासन था आपका, आश्वासन को तो रिपीट कर दें। आश्वासन था, रिकार्ड पर है, विधान सभा के रिकार्ड पर है, मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि एक साल के लिए सिविल लाइबिलिटी स्थगित कर रहे हैं। उसका तो मुझे दुबारा करवा दीजिए। मेरे इलाके में किसान बहुत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजेंगे तो वे कहेंगे न।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिविल लाइबिलिटी का जो मैटर बार-बार आता है, यह हमारा जो रेग्यूलेटरी कमीशन है, इनके डायरेक्शंस होते हैं। फिर मैंने निर्देश दे रखे हैं, किसानों के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

ऊपर तमिलनाडु हाई कोर्ट का कोई निर्णय था, उसके आधार पर यह सिविल लाइबिलिटी रेग्यूलेटरी कमीशन के माध्यम से इम्प्लीमेंट हुई थी, फिर भी मैंने निर्देश दे रखे हैं कि अननेसेसरी हैरेस किसानों को नहीं किया जाए और जो वी.सी.आर. का मैटर है, उसमें भी अननेसेसरी किसानों को परेशान नहीं किया जाए। यह डायरेक्शन मैंने उनको दे रखे हैं। लेकिन फिर विराट नगर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, मैं उसको एक्सपेडाइट और एग्जामिन करवा लेता हूं और किसानों का अननेसेसरी हैरेसमेंट नहीं हो, मैं स्वयं भी किसान हूं और आप भी हैं, मैं जानता हूं सारा, सारा सदन है, निश्चित रूप से कोई हैरेसमेंट नहीं हो...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : सिविल लाइबिलिटी स्थगित करने की बात थी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : नहीं, नहीं, वह तो केवल एक चेपा-चापी ही हुई। स्पष्ट आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने पाइंट्स लेकर मंत्रीजी से आप डिस्कस कर लेना।

माननीय श्री शंकर सिंहजी रावत।

रावत-मेहरात जाति को अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में शामिल किया जाना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रावत-मेहरात जाति के लोग काफी संख्या में निवास करते हैं। इस जाति के लोग विशेषकर काश्तकार हैं लेकिन किसी के पास में एक या दो बीघा से ज्यादा जमीन कहीं पर भी नहीं है। इनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। इस जाति के लोग ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इनका रहन-सहन आदिवासी लोगों की तरह है। अधिकतर लोग निरक्षर हैं। राजस्थान में आज भी एक भी आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अफसर नहीं है, इस जाति का। इनके पास किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है, न ही कोई प्राइवेट कल-कारखाने चल रहे हैं। ब्यावर क्षेत्र के आस-पास पत्थर पीसने की फैक्टरियों में जो मजदूर काम पर जाता है, उसके शरीर में पाउडर घुसने से टीबी जैसी भयंकर

(श्री शंकर सिंह)

बीमारियां हो जाती हैं तथा उनकी आधी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी फैक्टरियों में 99 प्रतिशत रावत और मेहरात जाति के लोग मजदूरी कर रहे हैं।

इससे यह साफ है कि अति पिछड़ा वर्ग की आरक्षण की सूची में इनका नाम नहीं जोड़ा गया है, जबकि इसके असली हकदार इस जाति के लोग हैं। राजस्थान सरकार ने जब पिछड़ा वर्ग से अन्य अति पिछड़ी जातियों का, छंटनी का जो सर्वे करवाया था, वह सरकार ने बिलकुल झूठा और पक्षपातपूर्ण, एकतरफा सर्वे करवाया था। इस सर्वे में इन जातियों का नाम नहीं आया है। अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की तरह असली रावत और मेहरात जाति के लोग बहुत गरीब हैं।

अत: हमारी इस सदन से मांग है, रावत-मेहरात जाति में उपजे जनाक्रोश की स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर नियम 50 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही रुकवाकर चर्चा के लिए आपसे आग्रह किया गया है, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय से इसका जवाब दिलवाया जाए और आश्वासन दिलवाया जाए कि विशेष पिछड़ा वर्ग की जो आरक्षण सूची है, उसके अन्दर इसका नाम सम्मिलित कर लिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिलवाइए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : आज तो मान ही लो, साहब; सब कह रहे हैं, आज तो मान लो। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो भली-भांति वाकिफ हैं, आप तो पधारे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रावत और मेहरात जाति को अति पिछड़ों में घोषित किया जाए, यह आपने कहा है, ध्यान में आ गया सरकार के।

माननीय श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : हां, आपकी बात ठीक है। सरकार तो फिर अपनी आने वाली है न, चिंता मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : तिवाड़ी साहब यूं कह रहे हैं कि आपने जिले का मुद्दा क्यों छोड़ दिया?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : नहीं, नहीं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पाइप खरीद में परिवर्तित नीति से राजकोष को सम्भावित हानि

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नहीं, छोडा नहीं है, चालू रखा है इन्होंने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य हित का एक मुद्दा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारे 25.2.2010 से राजस्थान में एक नीति लागू थी कि 100 एम.एम. से 600 एम.एम. तक तथा 600 एम.एम. से 1000 एम.एम. तक हम जो पाइप्स खरीदते थे पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट में, उसमें हम यह निर्देश देते थे ठेकेदारों को कि जी.आई./एम.एस., जो भी पाइप उपलब्ध हों, उस पाइप को खरीद लें और उसके हिसाब से वह काम चलता रहता था, लेकिन अब जो इस बार पालिसी में परिवर्तन किया गया है, 4.7.2013 को, उसमें इन्होंने जो अभी टेंडर निकाले हैं विभिन्न-विभिन्न, उनमें ठेकेदारों को यह आदेश दिया गया है, केवल डी.आई. पाइप के लिए उन्होंने कहा है; आगे जो एम.एस. पाइप लिखते थे, वह उसमें नहीं लिखा गया है।

इसके कारण, क्या है कि वह दोनों लिखने से उसमें बहुत अधिक लोग शामिल हो जाते थे और पैसा भी कम लगता था और काम भी जल्दी ठीक हो जाता था। लेकिन एक जी.आई. पाइप लिखने से यह काम भी कम होगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है, कि 15-20 लोग इसमें भाग लेते थे, मंत्रीजी उसकी बजाए अब दो-तीन लोग ही भाग लेंगे। और दो-तीन में भी, प्रमुख रूप से एक कम्पनी हरियाणा की है जिन्दल की, वह कम्पनी ही है, बाकी सब उसके एसोसिएट्स हैं, वे मिलकर इस काम को करेंगे। तो राजकोष, जो 4,000 करोड़ की पाइप खरीद रहा है, उसमें करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सारे भारत-वर्ष में भारत सरकार के निर्देश और डी.जी. एस. एण्ड डी. के अन्तर्गत जिस प्रकार से सारा काम है, उसी प्रकार से सदैव की भांति जिस प्रकार से जी.आई., एम.एस. और एक नई पाइप भी जोड़ी है उसमें, वह तीनों पाइप्स का, बी.डब्ल्यू.एम.सी., एम.एस. और जी.आई. तीनों पाइपों की ठेकेदारों को छूट होनी चाहिए और जिस जगह, राइजिंग मेन में कौनसा लगना है, हार्ड स्ट्रैटा में कौनसा लगता है, मिट्टी में कौनसी पाइप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लाइन लगती है, जो तकनीकी रूप से ठीक हो, उस पाइप को लगायें ताकि रेट भी कम आएगी, काम भी ज्यादा चलेगा और इसमें जो एक आदमी की मोनोपोली होकर उसमें जो बात होने वाली थी, वह भी नहीं होगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे सारी जानकारी है, जो परिवर्तन किया गया है, एक वरिष्ठ अधिकारी के इशारे पर यह सारे काम को परिवर्तित किया गया है। इसलिए, मंत्रीजी स्वयं समझदार हैं, मैं चाहूंगा कि इसको पूर्ववत करें ताकि राजकोष को हानि नहीं हो और लोगों का काम भी सही समय पर हो जाए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य ने पाइप नीति के ऊपर कहा है। माननीय उपाध्यक्ष महदोय, पी एच ई डी में पाइपलाइन में दो तरह के इस्तेमाल होते थे, एक तो हमारे जी आई पाइप, एक हमारे एम एस पाइप, और अब एक अलग से हैं सी आई पाइप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें मेन कम्प्लेंट यह आने लगी थी कि जो लम्बी लाइनें हैं, उनमें लीकेज होने लगते थे, या उसके अन्दर परफोरेशन होने लगते थे, और कई आब्जेक्शंस आयें। एम एस पाइप को लेकर शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी हाइली आब्जेक्ट किया था कि आप तो सिर्फ जी आई पाइप लगाइये। लेकिन निश्चित रूप से जी आई पाइप महंगा है और विभाग को उस पर काफी राशि लगानी पड़ती है। 25.5.2010 की नीति है, उसको हमने दुबारा से रिव्यू किया था। इसमें 4.7.2013 की नीति थी, उसके दर उन्होंने जो राइजिंग मेन और लाइनिंग के अन्दर सिर्फ उन्होंने जी आई पाइप के लिये कहा।

तो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, उसका सम्मान करते हुए मैं मेरे अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि उसको दुबारा से रिव्यू करें ताकि जहां-जहां एम एस पाइप का इस्तेमाल हो सके, वहां एम एस पाइप इस्तेमाल किया जाये और वह डिलीट न किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष: आज शायद सत्रावसान हो जायेगा, तो यह जो 295 है, यदि सदन की राय हो तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाये, पढ़ा हुआ मान लिया जाये? पढ़ा हुआ मान लिया गया। मैं निर्देश दे रहा हूं, पढ़ा हुआ मान लिया जाये। इसी को आदेश मान लो। रिकार्ड में आपका आयेगा। सेम वही सिस्टम है। केवल आपके बोलने का समय बच जायेगा। आप तो सारे रूल्स जानते हो।

(श्री उपाध्यक्ष)

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

माननीय श्री कैलाश चन्दजी भंसाली।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुदे

जोधपुर शहर की सड़कों की खराब स्थिति

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरे नम्बर का बड़ा शहर है। हमारे मुख्य मंत्री जोधपुर शहर के एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आये हैं। अभी मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर शहर का दौरा किया था, वह केवल बाहर-बाहर के स्थानों का, उन्होंने स्वयं कहा कि इतनी सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं, ये आने वाले 10 दिनों में ठीक किये जायें। इस बात को भी एक महीना हो गया है, आज भी उसी तरह गड्ढे हैं। चार डिलीवरी आटो रिक्शा में इसी कारण हुईं कि इतने गड्ढे थे कि वहीं प्रसव हो गये। ऐसी भयानक स्थिति में सरकार आंख मूंदकर खड़ी है। हमने कलक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, पी डब्ल्यू डी के सारे अधिकारियों से बार-बार निवेदन किया है, परन्तु समस्या जहां की तहां खड़ी है। कोई काम नहीं हो रहा है।

अभी 15 दिन पहले जो बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, जोधपुर में सर्वाधिक बारिश उस दिन हुई साढ़े चार इंच की, उस समय तो सारी सड़कें नंगी हो गयीं। तीन महीने पहले जो सड़क बनाई थी और वह भी सी सी की, वह सारी बजरी में बदल गयी और गड्ढे के गड्ढे हो गये। (व्यवधान) अब मैं यह नहीं कहना चाहता, किसने पैसे खाये, नहीं खाये, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप भी नहीं लगाना चाहता परन्तु यह बात सही है, घपला भी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सड़क बहुत खराब हुई है। आम आदमी बहुत परेशान है। विशेषकर छोटे बच्चे, चार सकूल बसें मधुबन में फंस गयीं। उनको निकालने के लिये सेंट जेवियर स्कूल को अपने स्वयं के ट्रैक्टर्स बुलाकर उनको निकालना पड़ा और उनको मूड/फन्टे डालकर काम करना पड़ा। तब उनकी दूसरे दिन बस गयी नहीं, तो बच्चे बहुत मुश्किल में आ गये थे उस दिन। मतलब, पेरेंट्स के...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा) : सड़क नंगी हो गयी थी, ऐसा कुछ बोला है? (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : हां, बिलकुल सड़क नंगी हो गयी है।

श्री करणसिंह (छबड़ा) : नंगी हो गयी?

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : बजरी निकल गयी है। मैं बिलकुल ठीक कह रहा हूं।

श्री करणसिंह (छबड़ा) : नहीं, मैं यह कह रहा हूं, यह शब्द ठीक है क्या?

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : बिलकुल सही है यह शब्द।

श्री उपाध्यक्ष : आपको एतराज है क्या?

श्री करणसिंह (छबड़ा) : यह क्या शब्दों का चक्कर है? कल कटारिया साहब भी शब्द के चक्कर में...(व्यवधान) कटारिया साहब की...(व्यवधान) सम्मान, कल भी। यह नंगी शब्द को हटाया जाये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनके कहने का मतलब यह है। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : जोधपुर के शहर क्षेत्र में सिंवाची गेट से खण्डाफलसा तक, शास्त्री सर्कल से कल्पतरु सिनेमा तक, तीजा मां जी के मंदिर से सोजती गेट, सरदारपुरा से सिंवाची गेट तक, मेडती गेट से स्टेडियम, महावतों की मस्जिद से हाथीराम के ओडे तक, उम्मेद चौक से गुलाब सागर, महिला बाग, दो कोटों के बीच में पन्ना निवास तक, 11वीं बी रोड सरदारपुरा गौतम टिम्बर के सामने से लेकर सी रोड, बाहेती ब्रदर्स की दुकान तक, मोती चौक, भंडारी भवन, सिलावटों का मोहल्ला होते हुए गोरिन्दा बावड़ी कार्नर, कपड़ा बाजार, शिव मंदिर से निमाज हवेली तक...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करिये, भंसाली जी। समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : मैं मिनट, सर। मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह से सड़कों की बुरी हालत है, उससे आम आदमी परेशान हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आश्वासन दें कि आने वाले 30 सितम्बर के पहले सारी सड़कें, जहां मरम्मत होनी है, मरम्मत होवें और जहां नई बननी हैं, वहां नई बनायी जावें; जिसके टेण्डर आलरैडी हुए हुए हैं, उनके वर्क आर्डर्स जारी करके यह काम करवाये जायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जीवारामजी चौधरी।

भीनमाल के परिवहन कार्यालय के उद्घाटन के समय स्थानीय विधायक का असम्मान

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17 अगस्त, 2013 को भीनमाल में एक परिवहन कार्यालय का उद्घाटन रखा गया था, जिसमें जो आमंत्रित कार्ड बनाये थे, उसमें श्रीमान श्री देवजी भाई पटेल, सांसद, जालौर-सिरोही; श्री जीवाराम चौधरी, विधायक, सांचौर; श्री पूरारामजी चौधरी, विधायक भीनमाल; इन-इन लोगों को आमंत्रित किया था उस कार्यक्रम में, और यह कार्यक्रम परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में रखा गया था। माननीय भीनमाल विधायक वहां मौजूद थे, लेकिन सांसद देवजी भाई और विधायक जीवाराम चौधरी और विधायक पूराराम चौधरी का जो पट्टिका में नाम लिखा गया था, उसके ऊपर काली पट्टी लगाकर इन्होंने उद्घाटन किया। यह हमारा नहीं, बल्कि जालौर की जनता का अपमान है। दूसरे दिन अखबारों में बड़े रूप में खबरें में आईं। पट्टिका का फोटो भी मैं लेकर आया हूं।

मैं चाहूंगा कि इसके बदले में या तो माननीय मंत्रीजी माफी मांगें, या उस अधिकारी के खिलाफ, जिसने यह कृत्य किया है, क्या कार्यवाही करे सरकार, वह मैं इनके मुख से जवाब चाहता हूं। पूरे जिले में इस कृत्य से जनता में रोष है। जालौर जिले की पांच विधान सभा की सीटें, जिन पर अब की बार एक भी कांग्रेस के खाते में नहीं आयेगी इस वजह से। मेरा पुरजोर अनुरोध है कि या तो मंत्रीजी माफी मांगें और अगर मंत्रीजी माफी नहीं मांगें, तो उस अधिकारी को सस्पेंड करें, जिसके हाथों से यह कृत्य हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मौजूद थे उस प्रोग्राम में?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर) : पूरारामजी मौजूद थे, मैं मौजूद नहीं था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप शांत रहिये, बात समाप्त करने दीजिये, मामला आगे बढ़े।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर) : अगर इसी प्रकार इनको करना था तो फिर आमंत्रण कार्ड में हमारा नाम क्यों लिखा? अगर इनको इसी प्रकार से करना था...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, आपसे एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, उनकी बात समाप्त हो गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : हां, उनकी बात पर ही कह रहा हूं, उनकी बात समाप्त हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आपकी बात समाप्त हो गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं यह कह रहा हूं कि जन-प्रतिनिधि, चाहे सत्तारूढ़ दल का हो, चाहे विपक्ष का हो, वह जन-प्रतिनिधि है। मैं सोचता हूं कि जिस कार्यक्रम को आपने आयोजित किया और जिस पट्टिका को आपने बनाया और जिस पर उनके नाम लिखे और उनको आपने आमंत्रित किया, अगर यह परिपाटी एक बार डाल दी गई, तो या तो एक आदेश निकाल दो कि पट्टिका पर नाम जो सरकारी पक्ष होगा या सत्तारूढ़ दल होगा, उसी का लिखा जाएगा। तो भविष्य में इसी हिसाब से चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पट्टिका पर नाम हो या न हो, उससे आदमी न तो जिन्दा रहता है, न मरता है लेकिन जिस प्रकार से अनादर करने का तरीका जो निकाला, वह बहुत ही शर्मनाक है।

कल तो अपन सब लोगों ने हाउस के अन्दर इतनी बात की कि इस हाउस की और माननीय सदस्यों की इतनी गरिमा है, वह गरिमा है, वह तो पुलिस अधिकारी ने तोड़ी तो उसको आपने सजा दे दी, लेकिन जिसने भी पहले पट्टिका पर नाम लिखा, वह पहले क्यों लिखा? जो निमंत्रण पत्र छपा, उसमें आपने विशिष्ट अतिथि के रूप में उनको क्यों आमंत्रित किया? आमंत्रित करने के बाद, उस घटनाक्रम में जब पट्टिका को खोला गया, तो आपने उस पर काली पट्टी क्यों लगायी?

अगर यही परिपाटी बनानी है, बना दीजिए, कोई चिन्ता की बात नहीं, भविष्य में चलेगी, आज कौन चलायेगा, कल कौन नहीं चलायेगा, पर यह तरीका, जन-प्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके क्षेत्र में अगर कार्यक्रम हो रहा है, उसको आपने उसमें आमंत्रित किया है, तो उस सम्बन्धित अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह उसके ऊपर काली पट्टिका लगा करके उसके नाम को, नाम से, ये भाटे न तो किसी को अमर कर पाये, न कभी आगे अमर हो पायेंगे, लेकिन एक तरह से अपमान जरूर हुआ है। अगर आप पहले से ही नहीं लिखते, केवल एक ही नाम लिख देते, उस पट्टिका के ऊपर केवल मंत्री का ही नाम लिखकर छोड देते, तब तो बात समझ में आ जाती लेकिन लिख देने के बाद काली पट्टी लगाना, मैं सोचता हूं, लोकतंत्र का इससे ज्यादा अपमान और कोई नहीं हो सकता। अब तो आजकल छोटे-छोटे से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कार्यक्रमों में सरपंच का नाम लिखते हैं, जिला परिषद के सदस्य का नाम लिखते हैं। एक के बजाय चार नाम लिख दिये, क्या फर्क पड़ गया उस पत्थर को?

माननीय सदस्य ने फोटो, वगैरह सब पेश किया। माननीय मंत्री महोदय, इसको थोड़ा सीरियसली लेवें। अगर आपने सीरियसली न होकर मजाक में लिया, तो आज अपमान हमारा हुआ, कल आपका होगा और यह अपमान आपका और हमारा नहीं, एक तरह से लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब आने दो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक प्रथा बन गयी है, हमारे यहां स्थानीय विधायकों को नहीं बुलाया जाता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब नहीं चाहते हैं क्या?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर) : जवाब चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया शांत रहें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, सूचना तक नहीं दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये, बात तो सुनिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपके लीडर ने बोल दिया। आप इनसे ऊपर हो क्या? आप कटारियाजी से ऊपर हो क्या?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बोलिए न। उनका अंकित नहीं हो रहा, आप बोलिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री जीवारामजी ने पर्ची डालते हुए सदन का ध्यान आकृष्ट किया, मैं उसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो, इन्होंने कहा कि काली पट्टी लगाकर, काली पट्टी नहीं लगायी गयी। इनके मन का कालापन इजहार हो रहा है इसके अन्दर। काली पट्टी बिलकुल नहीं लगायी गयी।

यह बात सही है कि कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय सदस्य को कार्यकम आयोजित करने से पहले अवगत करवाया गया, इनसे समय लिया गया और इनसे निवेदन किया गया। इनके निवेदन के उपरान्त, न सिर्फ कार्ड में इनका नाम दिया गया, बल्कि उस पट्टी पर भी इनका नाम दिया गया। इन माननीय सदस्य ने कार्यक्रम में आने के समय मना कर दिया कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। न सिर्फ इन्होंने, बल्कि निर्वाचित माननीय सांसद महोदय ने वहां पर पहुंचने में असमर्थता जाहिर की।

वहां पर ऐसे अनेकों अवसर आये, जब माननीय जन-प्रतिनिधिगण वहां पर कार्यक्रम में नहीं पधारे। तो उसको लेकर जो टीका-टिप्पणी की जाती रही, उसको लेकर माननीय सदस्यों का, यह विचार इन्हीं के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आया कि ये कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं हो रहे हैं तो उनकी उपस्थिति को वहां पर नहीं दर्शाया जाए, जिससे कि उनको लोगों के सामने इस बात के लिए नीचा न देखना पड़े कि हम केवल पत्थर पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं।

हम इतिहास-पुरुष तो बनना चाहते हैं लेकिन किये गये कार्यों की वहां पर अगर आम जन प्रशंसा कर रहा है तो उसको ये सुनना नहीं चाहते। प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करते हुए, वहां पर अपनी उपस्थिति को नहीं दर्शाते हुए, केवल वातावरण को दूषित करने के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, उस बात को ध्यान में रख कर वहां पर उस कार्यक्रम में...(व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर) : ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री) : प्रतिपक्ष के सदस्य हम भी रहे हैं। (व्यवधान) यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती अनीता सिंह।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर) : ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री) : अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में...(व्यवधान) जो कि वहां की विधायक हैं, सम्मानपूर्वक इनका नाम लिया गया। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : ×××

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) अपना कंधे से कंधा मिलाकर उपस्थिति दर्शायी है। (व्यवधान) चलने नहीं दी जाएगी। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं एक कार्यक्रम में नहीं पधार पायें... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जो भी असंसदीय शब्द आये हैं, उनको हटा दिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय मंत्री महोदय, पूराराम जी विधायक आपके कार्यक्रम में मौजूद थे?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री) : थे ही नहीं, उनका नाम भी वहां था। मैंने स्वयं ने इनको दो बार निमंत्रित किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : ये स्वयं मौजूद थे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री) : आप सही फरमा रहे हैं। मैं सबसे पहले इनके पास चल कर गया, मैंने इनको निमंत्रित किया कि माननीय विधायक जी, पधारिये। इन्होंने न कर दी और कहा कि मैं यहीं बैठा हूं। (व्यवधान) आप मेरा निवेदन सुनिये। इनका नाम शिला-लेख पर सम्मानपूर्वक था और आज भी है। ये उस कार्यक्रम में थे। (व्यवधान) इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर आप उनको सुन लें, तो बतौर जन-प्रतिनिधि आपको अपने ऊपर शर्म आने लगेगी। इन्होंने सार्वजनिक रूप से वहां पर बोला। शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अनीता सिंहजी। आप बोलिए।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : हाउस आर्डर में आये, तभी तो बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस आर्डर में है, आपके अकेले के अलावा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात) : हम भी प्रतिपक्ष के विधायक थे, कितने कार्यक्रमों में आपने हमें बुलाया? आप बताइये। (व्यवधान) सम्मानपूर्वक बुला रहे हैं और ये इस तरह की सीमा को लांघ रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ये जो असंसदीय शब्द हैं, सब निकाल दें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात) : मैं किसको धमका रहा हूं? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात) नहीं, नहीं, धमकाने का काम नहीं है। धमकाने का काम तो जनता के पास है, मतदाता के पास है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात) : वे ही धमकायेंगे, जिनको धमकायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अनीता सिंहजी, बोलिये।

पंचायती राज विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आरक्षण सम्बन्धी अनियमितताएं

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पर्ची के माध्यम से जिस विषय को मैं उठा रही हूं, सरकार उसके प्रति गम्भीर होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को यहां मौजूद भी होना चाहिए। अगर आप उनको बुला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा राज्य मंत्री विराज रहीं हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : चलिये, राज्य मंत्रीजी जवाब दे देंगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मैं नहीं कहता, बाकी वे विराज रही हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : नहीं, जवाब आप दिलाइयेगा, आप पर पूर्ण विश्वास है मुझे।

मैं यह कहना चाहती हूं कि जब सरकार गठित होती है तो जनता के

(श्रीमती अनीता सिंह)

मन के अन्दर इतना विश्वास होता है कि यह जो सरकार बनी है, वह जनता के मन की भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। वे सब बातें, जो नवयुवक हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए हम यह करते हैं कि शिक्षा में हम अपने भविष्य को आगे लाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, वे जब पढ़-लिख कर नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, रोजगार के लिए जाना चाहते हैं तो सरकार उनके साथ जिस तरीके का छलावा करती है, उसके ऊपर मैं यह कहना चाहती हूं।

यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में, जिलेवार जारी संशोधित सूचियों में फिर से नियमों की बहुत अनदेखी की गयी है। कार्मिक विभाग के आदेशों को दरकिनार किया गया है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी में जो सामान्य सूची को शामिल किया है।

यह एक तरह का षड्यंत्र यह सरकार करती है कि ऐसे काम करें ताकि कोर्ट में जाकर ये मामले रुक जाएं। खुद ही न्यूज पेपर में नियुक्ति की विज्ञप्ति निकालती है और फिर ऐसे काम करके, ताकि वह नियुक्ति कोर्ट में जाकर रुक जाए और हमारे प्रदेश के, जो रोजगार के लिए हमारे बच्चे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाये, इसके लिए षड्यंत्र हमेशा करती रहती है।

मैं यह कहना चाहती हूं, जैसे कि कहा गया है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है, लेकिन अगर पंचायती राज विभाग की बात की जाए तो अधिकारी जलने के बावजूद हजारों बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर आमादा हैं। ताजा मामला पिछले एक साल से चल रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 का है, जिसमें आला अधिकारियों ने सरकार के आदेशों को दरकिनार कर आयु, फीस के अलावा अन्य छूट देने के बाद भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर फिर से एक नया विवाद खड़ा कर दिया।

परिणाम संशोधन के बाद, हाल ही में प्रथम लेवल की सूची जारी की जा चुकी है, जबकि दूसरी सूची एक-दो दिन में जारी होने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर गलती सुधारी नहीं गयी तो प्रदेश भर में करीब एक हजार से अधिक नये अभ्यर्थियों को मेरिट में होने के बावजूद नौकरी, उनका नौकरी का सपना पूरा नहीं हो पायेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनको बंद कर दूं? (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : बोलने दो, साहब, बोलने दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको अपनी पर्ची पर मौका मिलेगा। नहीं चाहो तो, आप तो अपनी बात करिये, आपको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप ही की पार्टी के सदस्य आपको डिस्टर्ब करते हैं। ये नाराज क्यों हैं आपसे?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : नहीं, नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सहयोग कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सहयोग की आवश्यकता है क्या?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने यह जो भर्ती की है, शुरू से यह विवादों में रही है। प्रदेश भर में जिला परिषदों के जरिए पिछले साल प्रारम्भ हुई 40 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरुआत से ही विवादों में रही है। पहले भर्ती नियमों में गुपचुप परिवर्तन हुए और फिर परिणाम में खामियों को लेकर प्रदेश भर में इसके विरोध सामने आये हैं। कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रास्ता भी अपनाया, लेकिन तब तक पहली सूची के आधार पर काफी संख्या में चयनितों को नौकरी दे दी गयी थी। विभाग ने अब 08.01 के संशोधित परिणाम में, कुछ प्रश्नों के उत्तर में सुधार के बाद एक सप्ताह पहले फिर से जिलेवार संशोधित परिणाम में कट-आफ-लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया, प्रथम लेवल के उस पर की।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप पढ़ कर नहीं। पढ़ कर नहीं पर्ची का... (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : मैं यह कहना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने, पिछले साल 12 सितम्बर को कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया था और आरक्षित वर्ग को कहा था कि उनको, आरक्षित लोगों को आरक्षित में मिलेगी और सामान्य के लोगों को सामान्य में मिलेगी। उसके लिए जब उन्होंने अपना यह पत्र निकाला था, उसके अन्दर यह भी कहा गया था कि जो आरक्षित लोग होंगे, उनके लिए फीस कम होगी; उनके लिए जो कागज होंगे, उनकी जरूरतें अलग तरीके की बतायी गयी थीं, लेकिन जब

(श्रीमती अनीता सिंह)

आरक्षित लोगों ने आरक्षित में भरा और सामान्य लोगों ने सामान्य में भरा, उसके बावजूद भी जो आरक्षित लोग हैं उनको सामान्य में भर कर, सामान्य लोगों का जो कोटा था, उस कोटे के लिए उन्होंने उनको कम कर दिया। जिसकी वजह से, मैं समझती हूं कि पूरा जो नियुक्तियों का इन्होंने दौर शुरू किया है, वह एक ऐसे विवाद में फंस गया है, जो आगे जाकर हाई कोर्ट में और उनमें ऐसे अटक जायेगा कि नियुक्तियां होना बड़ा असम्भव इसमें हो जायेगा।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे कहना है कि जिस तरीके की आप नियुक्ति अखबारों में जारी करते हैं कि हमने यह विज्ञप्ति निकाली है, उस विज्ञप्ति में जिस प्रकार के नियम और कानून आप डालते हैं, उन नियम और कानूनों को पूरी तरह से फालो करना चाहिए। उनको फालो नहीं करके, अपनी मनमर्जी से जो यह फेरबदल किया जाता है, उससे जो बच्चे वहां पर आते हैं, उनको भी यह लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि सरकार...

श्री उपाध्यक्ष : आप हाई कोर्ट के आर्डर को सही मानती हैं क्या? क्या यह सदन है, यहां पर आप डिस्कस कर सकती हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : मेरा कहना यह है कि मैं हर न्याय प्रक्रिया को, विधायी प्रक्रिया को, सबको सही मानती हूं लेकिन सरकार जिस प्रकार से काम करती है, नियमों की धज्जियां उड़ाती है, उस नियम के लिए मैं कहना चाहती हूं कि जैसी वह नियुक्ति में अपनी विज्ञप्ति निकालती है कि हम इस प्रकार की नियुक्तियां करेंगे, इसके ये नोर्म्स हैं, तो सरकार को उन नोर्म्स को बदलने का कोई हक नहीं है। अगर हक है, तो उस विज्ञप्ति को तुरन्त, पूरा का पूरा उनको कैंसिल करना चाहिए और दोबारा से विज्ञप्ति निकालनी चाहिए।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि यह एक बहुत गम्भीर विषय है, इसको आप गम्भीरता से लेते हुए मंत्री महोदय से जरूर जवाब दिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, दें तो मुझे एतराज थोड़े है। आसन को कतई एतराज नहीं है। सदन को भी एतराज नहीं, कुछ बोलना चाहें तो।

माननीया श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी खड़े हुए थे।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : नहीं, जब नाम पुकार लिया, नाम पुकार दिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : जवाब देना चाहोगे क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नहीं, वे जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर आई कैच कैसे करेंगे? आपने तो यूं कर रखी है आंखें। आप इधर-उधर देखो, तब तो कोई आपकी...

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है, घनश्यामजी तिवाडी की तरफ देखना ही पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते।

मंत्रीजी, क्या आप बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आज जंच रहे हो। जवाब दे दो आप। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : नयी बात नहीं है यह। आप कहो तो आपको भी बंधवा दूं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : जवाब देना चाहते हैं क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : दो न जवाब आप।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिलाएं। जब बैठे ही हैं तो इस तरीके से अन्याय क्यों कर रहे हैं? आज सदन के सत्र का आखिरी दिन है। कम से कम ऐसे समय पर अगर जवाब देंगे तो ठीक लगेगा पूरे सदन को। इनका मेसेज भी अच्छा जायेगा प्रदेश में।

श्री माननीय सदस्य : खड़े भी हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहो तो दे सकते हो, मंत्रीजी।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : मैंने कब मना किया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सूर्यकान्ताजी, यह क्या आप अपने स्थान के? आप तो बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, राजस्थान के मसले लाया करो न। सूरसागर, सूरसागर, सूरसागर।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने पंचायती राज के माध्यम से भर्ती के सम्बन्ध में जो प्रश्न पर्ची के माध्यम से लगाया है, मैं सदन को अवगत करना चाहूंगा,

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

प्रथम लेवल पर एक से पांच तक के जो अध्यापक हैं, वे 10,609 और सेकण्ड लेवल के जो अध्यापक हैं, वे 28,935, इनकी नियुक्ति जारी की गयी और विज्ञप्ति के अनुसार यह नियुक्ति दे दी गयी। प्रथम लेवल पर 7,061 और सेकण्ड लेवल पर 26,570, इस तरह से 33,631 अध्यापकों की भर्ती हम अब तक कर चुके हैं।

जहां तक माननीय सदस्या की जो बात है, मैं समझा हूं, वह शायद उनको यह पीड़ा है कि आरक्षित वर्ग का जो अभ्यर्थी है, उनको छूट मिली फीस में, आयु में और उसके बाद भी अगर वह मेरिट में आ रहा है तो यह आरक्षित वर्ग का व्यक्ति सामान्य वर्ग में क्यों जा रहा है? मेरा इसमें इतना सा उत्तर है माननीय सदस्या को कि पहले यह था, डी.ओ.पी. का सर्कुलर भी था लेकिन माननीय कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगायी और रोक लगाते हुए यह व्यवस्था दी कि अगर कोई एस.सी., एस.टी. का, आरक्षित वर्ग का व्यक्ति है, जिसने दोनों छूट ले ली और उसके बाद भी वह टापर है तो सामान्य वर्ग में जा सकता है। यह छूट दे दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि शायद आपके पूरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है।

(13.00 बजे)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं यह पूछना चाहती हूं कि 12.9.12 का जो परिपत्र है, उसकी पालना की गयी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मंत्रीजी, सदस्या यह कह रही हैं कि वह ओ बी सी के थे और ओ बी सी वालों का नम्बर आया, उनको उस लिस्ट में नहीं लिया; सामान्य में आ सकते थे वे यह कह रही हैं। यही है ना आपका?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : जी।

श्री उपाध्यक्ष: यह कह रही हैं, सामान्य में आ सकते थे उनको बैन कर दिया। इंटेलिजेंट होते हुए भी ओ बी सी को प्रिफरेंस देना चाहिए था, सामान्य को प्रिफरेंस दे दिया, हमारे को नुकसान हो गया।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : तो वह तो अच्छी बात है ना। टेलेंटेड अभ्यर्थी सामान्य से...

श्री उपाध्यक्ष: वे चाहती हैं, आपकी भावना से, वे चाहती हैं, लेकिन वह उलटा कर दिया।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : नहीं, हमने कोई उलटा नहीं किया।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल है कि 12.9.2012 का जो आदेश है, उसकी पालना हुई क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप बात कर लीजिए, मदद करेंगे आपकी भावना की।

माननीय श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आज आखिरी दिन है, अगले टाइम अपन मिलेंगे, ईश्वर की कृपा रही तो। बाकी आप राजस्थान की नेता हो, छठी दफा बनोगी। छह दफा वाले तो, दो दफा वाले ही चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, एक दफा वाले ही बन जाते हैं। आप साधारण में मत लो मेरी बात को। पूरा राजस्थान आपका सम्मान करता है और ऐसी छोटी-छोटी बात लाती हो, बड़ी लाया करो। तिवाड़ी साहब भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा दायरा बढ़ाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : हम तो खुद ही इनको चाह लें, पर ये खुद ही दूसरों को चाह लें, तो हम क्या करें?

श्री उपाध्यक्ष : ये आपके साथ हैं, मनसा, कर्मणा, वचना। आप घबरा जाती हो, ये यूं कह रहे हैं।

सूरसागर में सड़क, सफाई एवं प्रकाश की मूलभूत सुविधाओं की अव्यवस्था

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरसागर क्षेत्र के अन्दर ऐसी स्थिति है, मैं क्या बताऊं एक-एक जगह का, कि इतनी तो सड़कें खराब, पाइपलाइन नहीं, सीवर लाइन नहीं और नाले हैं तो इतनी गंदगी से भरे हुए। सबसे ज्यादा अगर कहीं कच्ची बस्ती हैं तो इस सूरसागर क्षेत्र के अन्दर हैं और वहां पर पानी भर जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप नाराज नहीं हों तो मैं एक अर्ज कर दूं? जब आपका भतीजा मुख्य मंत्री है तो उन्हीं से बात कर लेते ना आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सूरसागर और शेरगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इसलिए बोलना पड़ता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : आज बहुत अच्छा मौका है,

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मंत्री महोदय को जब पत्र लिखती हूं तो ये मेरे को धन्यवाद दे देते हैं और मुख्य मंत्रीजी को जब पत्र लिखती हूं तो सदन के नेता कहते हैं कि आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। तो पत्रों का जवाब तो यह रहता है। तो, खैर, कोई बात नहीं, उसको भी हमने तो गले उतार लिया। मंत्री जी, सोओ मत, मेरी बात तो सुनो। नींद में से तो उठाओ मंत्रीजी को।

श्री उपाध्यक्ष: वे मनन कर रहे हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सरकार सो रही है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : सरकार सो रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सोने की इजाजत है, खर्राटे मारने की नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई सफाई करानी हो तो कोर्ट में जाओ; पाइपलाइन बनानी हो तो कोर्ट में जाओ; सारे ही काम कोर्ट करेगी तो फिर सरकार क्या करेगी? मैं यह उदाहरण देना चाहती हूं, हरिओम नगर, सीताराम नगर, सूतला, सोडाऊ की ढाणी, चांदणा भाकां, देवी रोड, कमला नेहरू नगर, प्रताप नगर, यहां सारे नगर ही नगर हैं और सारे जे डी ए के बसाये हुए हैं नगर। यहां पर चार एजेंसी हैं, नगर निगम, जे डी ए, हाउसिंग बोर्ड और पी डब्ल्यू डी मगर कोई पता नहीं है, कौन काम कहां करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। एक भी सड़क नहीं बनाई और सात-सात सड़कों के पैसे उठ जाएं। कोई देखने वाला नहीं। मैंने तो डिटेल भेजी है, मैं इस हाउस के अन्दर कोई ऐसे ही बात नहीं कहूंगी, मैंने सदन के नेता को डिटेल भेजी है, मगर उनको वहां से हटा दिया गया और फाइलें जे डी ए से गायब हो गयीं।

तो यह तो सरकार का हाल है तो अब कहां से और कैसे काम होगा? क्या सड़कों की हालत है। जहां जाएं, वहां पानी बह रहा है; गटर लाइन बह रही है; लाइट नहीं। एक-दूसरे आपस के अन्दर ही टकरा रहे हैं। नगर निगम कहता है कि जे डी ए काम करेगा, जे डी ए कहता है कि नगर निगम करेगा और नगर निगम कहता है कि हाउसिंग बोर्ड करेगा। अब काम कौन करता है, क्या होता है, कोई पता नहीं। मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगी, वास्तव में सही रिपोर्ट मैं दे रही हूं आपको कि क्या हाल हो रहा है, आप जाकर देखो। वे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कोई आ गया कोर्ट से लेकर, या कोई

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

दबाव दे दिया, वहां सड़क बन गयी, बाकी सड़कें ऐसे ही पड़ी हैं। आप मेरे साथ आपके अधिकारी को भेज कर राउंड करवा दो, आपके सामने सारी प्रत्यक्ष बात आ जाएगी।

मैं कम से कम चालीस-पचास किलोमीटर घूमती हूं, सूरसागर क्षेत्र बड़ा बहुत है, तो मैं सब जगह जाकर के देखती हूं, क्या सड़कों की हालत है, क्या सफाई की है और क्या लाइट की है। लाइट के लिए कहते हैं तो कहते हैं, जे डी ए लगाएगा; जे डी ए कहता है कि नगर निगम करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड का तो यह हाल हो गया है, हाउसिंग बोर्ड कहता है कि यह जगह हमारी है और नगर निगम कहता है, यह जगह हमारी है। तो अब जमीन किसकी है? कैसे काम होगा? कोई सुनने वाला ही नहीं है। भगवान ही भेली है। मैंने तो उदाहरण दिया है, मैंने कागज पेश किये हैं।

श्री उपाध्याक्ष : कन्क्लूजन करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलने तो दो, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। मेरी पर्ची खुली है तो मैं पर्ची के माध्यम से बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: मनन कर रहे हैं वे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : मनन करने से नहीं होगा। आज मैं जवाब लूंगी इनका। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, क्या करें? इन सड़कों की हालत देखकर रोना आ रहा है। आप देखो, कहीं पार्क हैं, हाउसिंग बोर्ड के पार्क इतने जबरदस्त हैं मगर कचरे से भरे हुए रहते हैं। मैंने तो मेरे फंड से जितना काम हो सकता था, उतना मैंने कराया। मैं मुख्य मंत्री जी से भी आगे बढ़कर काम करवा रही हूं, मुख्य मंत्रीजी का फंड भी अभी पड़ा है, मेरा फंड पूरा हो चुका है। यह बहुत सोचने का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगी कि इन सड़कों की हालत, नगरों की हालत, पाइपलाइन नहीं, सीवर लाइन नहीं, सड़कें खराब, लाइट नहीं, तो फिर क्या करेंगे? क्या होगा? आज पांच साल होने को आ गये मेरे को पत्र व्यवहार करते-करते, आप कोई सुनवाई हीं नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है विधान सभा के अलावा?

आज मेरा प्रश्न नहीं लगा, आज मेरा प्रश्न लगता तो नगर निगम की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आज पोल खुल जाती, क्या नगर निगम जवाब देता है। सरासर गलत जवाब देता है। पत्र व्यवहार करते हैं और कहता है कि हमें पत्र ही नहीं दिया। अगर आज वह सवाल लगता तो बड़ा आनंद आ जाता, सारी पोलें खुल जातीं और मैं मंत्री महोदय को यह सारा बताती।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरी बात ही नहीं हुई। मेरे को मंत्री महोदय से आप जवाब दिलवाओगे, मैं जवाब लूंगी आज इनके कि मेरी वहां पर क्या हालत है। यह बाबूसिंह जी भी वहीं के रहने वाले हैं, एम एल ए, वहां देखो आप, जहां जाओ, वहां सड़कों की ऐसी हालत है। मेरे को आप मंत्री महोदय से जवाब दिलाओ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करो। जवाब का तो पता नहीं लेकिन अगर आप आदेश दो, तो ये आपके पास आकर बात भी कर सकते हैं। आपका पूरा सम्मान करते हैं मंत्रीजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : मेरे को जवाब दिलवाओ आप आज कि क्या हालत हो गयी और कैसे सड़कें सुधरेंगी और कैसे पाइपलाइन... (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय मंत्री महोदय, आज तो जवाब दे दो। आज तो जवाब दे दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदय : अब आप विराजें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : पूरे पांच साल हो गये, पांच साल से मांग कर रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : आप जवाब तो दो उठकर के।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिस्टर्ब मत करिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : नहीं, मैं रहता हूं ना, सूरसागर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इनकी बात को क्यों खतम कर रहे हो? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे नगरों के नाम बता दिए....

श्री उपाध्यक्ष : अब वे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : जब जोधपुर का यह हाल है तो बाकी जगहों का क्या होगा? जहां के मुख्य मंत्री, श्रीमान् अशोक गहलोत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए। माननीय सूर्यकान्ताजी का मामला अलग है। हिम्मत कर सकते हैं क्या जवाब नहीं देने की? इन्होंने कहा, जवाब दीजिए; दे रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं, अभी आपने अपने भाषण में यह कहा कि मेरा सवाल नहीं लगा आज, अगर सवाल लगता तो मैं पोल खोल कर रख देती; उस सवाल को दुबारा से पढ़ लीजिएगा, मेरी बात को पूरी सुन लीजिएगा, मैंने तसल्ली से सुनी आपकी बात, ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो बंद हो जाएगा जवाब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उस सवाल को दुबारा से पढ़ लीजिएगा, वह सवाल सड़कों के बाबत था ही नहीं। वह सवाल था, सुनिए मेरी बात, उतावले मत हों, मैं भी हो सकता था उतावला, मैं भी नहीं बोलने देता आपको। पूरी बात सुनिए मेरी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप हर चीज को मजाक में मत लीजिएगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आपका सवाल था कि खनिज अभियंताओं की एसोसिएशन के द्वारा कोई भूमि आबंटन नगर निगम के द्वारा मांगा गया क्या? मेरा जवाब उसमें यह था कि भूमि आबंटन उनके एसोसिएशन द्वारा नहीं मांगा गया, खान विभाग के द्वारा मांगा गया, जिस पर वे कोई ट्रेनिंग सेण्टर चलाना चाहते हैं। आपका सवाल ही गलत था।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : आपको पत्र दूं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सुनिए ना पूरी बात।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप पढ़ लीजिएगा। मैं बैठता हूं, आप बोलो। पढ़िए, सवाल को पढ़िए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : यह पत्र पड़ा है मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष: पत्र नहीं, सवाल पढ़िए आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : संस्था का पत्र है मेरे पास। मैं टेबल कर दूं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : यह सवाल है, मैं पढ़कर बता दूं आपको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : नहीं, नहीं, पत्र मैं बता दूं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : पहले मैं पढ़कर बता देता हूं ना कि क्या सवाल पूछा है आपने।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : इसमें क्या लिखा है कि...

श्री उपाध्यक्ष : अब, सूर्यकान्ता जी, आप सुनिये। आप बात तो सुनिये ना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आपने सवाल जो पूछा, मैं पढ़कर बता देता हूं। यह जो आप कह रहे हो ना कि पोल खोलकर रख देती, एक सड़क, एक नाली का हवाला नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : यह पढ़ो। आपने कहा, मांगा नहीं, यह...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : अब आप सुनो। सड़कों के बारे में सुन लीजियेगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : बोलो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : परसों के दिन मैंने हाउसिंग बोर्ड की और नगर निगम के अधिकारियों की यहां पर बैठक ली है, बैठक लेकर मैंने उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिये हैं कि जहां-जहां पर भी पानी भरता है, जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर आप उनको आइडेंटिफाई कीजियेगा और वहां पर इंटरलाकिंग के लिये व सी सी के लिये प्रपोजल्स बनाइयेगा। एक बात।

दूसरी बात, मैंने हाउसिंग बोर्ड वालों से भी कहा है कि जो नगर निगम को आपने कालोनीज ट्रांसफर कर दीं, उसमें टोटल उनको फाइलें आज तक नहीं पहुंचायी हैं, आप फाइलें पहुंचाइयेगा और जो भी लैंड वे सेल करना चाहते हैं, वह सेल का पैसा भी नगर निगम के पास फिफ्टी परसेंट जायेगा, फिफ्टी परसेंट हाउसिंग बोर्ड के पास जायेगा।

तीसरा, मैंने उनको इस बात के लिये भी पाबन्द किया कि वे 20

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

करोड़ रुपया लगा करके अपने क्षेत्र की सारी सड़कें 31 अक्टूबर तक बिलकुल तैयार करके, जहां पर पैच रिपेयर होने हैं या जहां पर नवीनीकरण या रि-कार्पेटिंग होना, वह करके दिखायें।

ठीक इसी तरीके से, मैंने जे डी ए कमिश्नर को भी अभी बुलाकर मेरे चैम्बर में रखा है, क्योंकि वे उस रोज नहीं आ पाये थे, उनको भी मैंने यही इंस्ट्रक्ट किया कि आप 20 से लेकर 30 करोड़ रुपये तक के प्रपोजल्स बनाइये तथा बनाकर रि-कार्पेटिंग और पैच रिपेयर का काम अपने हाथ में लीजियेगा। नगर निगम के पास क्योंकि फंड्स की कमी थी, इसलिए मैंने हाउसिंग बोर्ड को यह इंस्ट्रक्ट किया है कि आप जयपुर के जैसे वह 20 करोड़ रुपया नगर निगम को दें ताकि नगर निगम भी 31 अक्टूबर तक सारे प्रपोजल्स बनाकर, 5-7 रोज के अन्दर वे मेरे पास भेजेंगे और 31 अक्टूबर तक की पाबन्दी लगा दी गयी है कि ये सब दुरुस्त कर दी जाएं। नमस्कार।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ओमजी बिरला। अब कृपा करिये आप।

सूचना

कोटा के हैंगिंग ब्रिज के निर्माण में विलम्ब

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : बिरलाजी, आप सहमत हो, छठी दफा जीतकर आयेंगी, लीडर आफ अपोजिशन तो बन ही सकती हैं ना?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 76...

श्री उपाध्यक्ष : अब आज आखिरी दिन है, ज्यादा बात नहीं करते हैं ना, काम की बात करो। काम की बात करो आज।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आज आखिरी दिन है, आप टोको मत।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : जो कांडला से लेकर इलाहाबाद को जोड़ता है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर चम्बल के पुल पर 8.4 किलोमीटर का एक हैंगिंग ब्रिज बनने जा रहा था...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात हुई आपस में?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : हां। यह हैंगिंग ब्रिज, 2007 में इसका वर्क आर्डर दिया गया, निर्माण कार्य शुरू हुआ और 40 माह के अन्दर, मार्च, 2010 में इस हैंगिंग ब्रिज का निर्माण होना था, जिससे कि कोटा शहर के

(श्री ओम बिरला)

अन्दर आने वाले सारे भारी वाहन, वे इस हैंगिंग ब्रिज से गुजर कर झालावाड़ व बारां जाने से, तमाम कोटा के अन्दर भारी वाहनों का आना-जाना बन्द हो जाता, जिससे रोज जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें कभी कोई का बेटा, कोई का पिता, कोई की मां, कोई की बहन, जिस तरीके से जानें जाती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोटा के लिये यह सबसे महत्वपूर्ण हैंगिंग ब्रिज है। 24.12.2009 को इस पुल के गिरने के कारण 48 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद सरकार ने यह कहा था कि हम बहुत जल्दी इस हैंगिंग ब्रिज का कार्य पूरा करेंगे और जुलाई, 2014 तक माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय...(व्यवधान) कोटा की जनता माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय... (व्यवधान) माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, कोटा की जनता...

श्री उपाध्यक्ष : आप धन्यवाद करिये, आप उनको चैलेन्ज मत करिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी रहती है, पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर यहां पर नहीं हैं, हमारे कोटा के विधायक और राजस्थान के सशक्त मंत्रीजी यहां बैठे हैं, उस पुल की जुलाई, 2014 तक...

श्री उपाध्यक्ष : आप जानते हों, कोटा में ओम बिरला और शांती धारीवाल, मतलब, बराबर कोटा...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : अब...(व्यवधान) पर लड़ेंगे, साहब...

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आप क्या बात करते हो? और कोई भी है क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : जुलाई, 2014 तक यह कार्य पूर्ण होने के लिये इस सरकार ने कहा था, लेकिन आज हालत यह है कि अभी तक, जब मैं बोल रहा हूं, तब तक इस हैंगिंग ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ है। यह हैंगिंग ब्रिज कोटा की लाइफलाइन है।

मैं तो सरकार को इतना ही अवगत कराना चाहता हूं, कल कोटा की जनता वहां पर धरना देने जा रही है। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हैं, पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर भी कोटा जिले के हैं और उनका विभाग भी है, पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब का, दो बार दौरा भी करने गये हैं और उसके बाद भी, राजस्थान और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार होने के बाद उस हैंगिंग ब्रिज का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो तय समय अवधि के अन्दर पूर्ण हो सके,

(श्री ओम बिरला)

ताकि कोटा की लाइफलाइन और कोटा में होने वाली दुर्घटनाओं से हम लोगों को बचा सकें। मेरा इतना ही सदन को अवगत कराना था।

मुझे आशा है, सरकार इसमें गम्भीर होगी, पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर खुद केन्द्र में जाकर मंत्रीजी से मिलेंगे और मिलकर उस हैंगिंग ब्रिज के कार्य को शुरू करवायेंगे। माननीय धारीवाल साहब, भरत सिंह जी और तमाम लोग भी दिल्ली के अन्दर जाकर मंत्रीजी से मिलना चाहें, धरना देना चाहें तो हम सब विधायक, हाड़ौती के विधायक उनके नेतृत्व में भी जाकर धरना देने को तैयार हैं, मंत्रीजी से बात करने को तैयार हैं ताकि कोटा में होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके, आम अवाम की जान की सुरक्षा हो सके। यही मैं सदन को अवगत कराना चाहता था।

गुरुशरण छाबड़ा, श्री, द्वारा शराबबंदी को लेकर किये जा रहे आमरण अनशन को समाप्त करने के प्रयास

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, आज 16वां दिन गुरुशरण छाबड़ा के अनशन का है। मैं चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य, इस बात का प्रत्यत्न करके, कम से कम सदन की तरफ उनसे भी यह कहा जाये कि अपनी इस कठोर बात को छोड़कर, जो रिपोर्ट सरकार को देनी थी वे उस सरकार की रिपोर्ट को आने तक का इन्तजार करें, और उसमें जो कुछ भी सुझाव होंगे, जिनको लागू करना सरकार के लिये सम्भव होगा, उन कदमों पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार गुरुशरण छाबड़ा जी तक सदन की इस भावना को पहुंचाये। आज उनके अनशन को 16वां दिन चल रहा है और वे पूर्ण शराबबन्दी के बारे में तो अपनी बात को रख ही रहे हैं, लेकिन वे, दो महीने के समय का जो एक पत्र उनको दिया था कि यह कमेटी गठित होकर दो महीने में इसकी रिपोर्ट आ जायेगी, उस रिपोर्ट के लम्बा होने के कारण से इससे उद्वेलित हुए और उन्होंने 15 अगस्त से ही अपना आमरण अनशन कर रखा है।

क्योंकि सदन का एक माननीय सदस्य है, बहुत ही संजीदा सदस्य है, बहुत ही सरल प्रकृति का और जीवन में भी उसके कई प्रकार के ऐसे निष्ठा और गुण हैं और जिनके कारण से एक व्यक्ति जीवन और मौत से जब झूल रहा है, तो हम सदन के सभी माननीय सदस्य, पक्ष और विपक्ष के, अपनी भावनाओं को यहां प्रकट भी करें और उन तक पहुंचायें जिससे वे किसी तरह से अपना अनशन तोड़कर, यह रिपोर्ट जो दो महीने की थी, वह आने वाले कुछ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समय में, सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट के जो-जो बिन्दु दिखते जाएं, जिनके आधार पर सरकार आगे बढ़ सकती है, उनके ऊपर फिर से विचार किया जाये।

मेरा आग्रह है, आसन से भी, कि इसमें सहयोग करके किसी तरह से उनका अनशन, आज 16वां दिन चल रहा है, उसको तुड़वाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप दोनों पक्ष बैठ कर बात करते हों, आसन को यह कहते हों।

माननीया श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : इसमें माननीय छाबड़ा साहब का जो...(व्यवधान) गुरुशरण जी छाबड़ा का जो...

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती चन्द्रकान्ता जी मेघवाल का अंकित होगा। एक मिनट, चन्द्रकान्ता जी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने परसों, या तीन रोज पहले भी यह बात उठायी थी, तो कल मेरी मुख्य मंत्रीजी से चर्चा हुई थी। मुख्य मंत्रीजी भी बहुत गम्भीर थे, वे शायद प्लान बना रहे थे वहां पर जाकर बात करने का, यह कहने का, लेकिन उसके बाद में मुझे जानकारी नहीं मिली कि वे गये कि नहीं गये; क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। लेकिन वे बहुत चिन्तित थे इस बात को लेकर।

मैंने आपका भी हवाला दिया उनको कि आपकी एब्सेंस में प्रतिपक्ष के नेता ने काफी कुछ इसके बारे में चिन्ता जाहिर की थी और सदन की जानकारी में भी वे सारी चीजें लाये थे कि इस-इस तरीके से कमेटी बननी चाहिये, इस कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, यह आनी थी। तो उन्होंने कहा, मैं बहुत चिन्तित हूं और मैं आज ही कुछ न कुछ...। मुझे उसके बाद में जानकारी नहीं मिली, वरना मैं अभी आपको हाथों-हाथ जानकारी दे देता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया श्रीमती चन्द्रकान्ता जी मेघवाल।

कोटा में मिड-डे मील की गुणवत्ता के सम्बन्ध में बरती जा रही लापरवाही

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिड-डे मील में जो लापरवाही हो रही है, बी पी एल और स्टेट बी पी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

एल के गेहूं के वितरण में जो अनेकों बार लापरवाही कोटा के अन्दर सामने आयी है, उसकी ओर मैं इस सदन का ध्यान इंगित करवाना चाहूंगी। अनेकों बार हम लोगों की तरफ से सुझाव देने के बावजूद मुझे लगता है, प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है और इसका जीता-जागता उदाहरण है, जिस रिपोर्ट में राज्य 15वें स्थान पर पहुंच चुका है, मुझे लगता है, यह उसी का कारण है।

पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। भले ही, कितनी ही बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया हो लेकिन उसके बावजूद भी, हम लोग इस बात पर कहीं किसी तरह का अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। मुझे लगता है, यह सदन के सभी सदस्यों के ध्यान में भी आया होगा कि पिछले 2.12.2012 को अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा एम एन आई टी परिसर में जो स्कूल है, उसमें जो खाना वितरित किया गया, उसमें इतनी जबरदस्त बदबू आ रही थी कि वहां के बच्चों ने उस खाने को छुआ तक नहीं। यह वहां के हैडमास्टर जी के सामने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही जो मानपुर गांव है, वहां के राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, भण्डारी में जब वहां की प्रधान, किशन प्यारे बाई मीणा गयीं तो उन्होंने देखा कि बच्चों को जो मिड-डे मील परोसा जा रहा है, वहां उनके साथ कुत्ते बैठे हुए हैं, वे भी साथ की साथ जो जूठन थी, या इस तरह का भोजन था, उसको खा रहे थे। वे बड़ी नाराज हुईं। इसी तरह की घटनाएं लगातार हम लोगों के सामने आ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बड़े दु:ख के साथ कहना चाहूंगी कि कोटा के अन्दर नंदी फाउंडेशन, जो विगत कई वर्षों से स्कूलों में भोजन वितरित कर रहा है, अनेकों बार, चाहे उदयपुर में सलूम्बर के स्कूल को देखें या और जगह के स्कूलों को देखें, उसकी इतनी बार शिकायतें आने के बावजूद कुछ नही हुआ। कोटा में जो स्कूलों में उन्होंने पोषाहार वितरित किया, उसमें छिपकली निकलना, यह बड़ी गम्भीर बात है। हमें बड़े गम्भीर तरीके से इस विषय को लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह की जन-हानि स्कूलों में, जो गरीब जनता के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी ना हो। इस और हमें ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से, अभी गये महीने में इटावा पंचायत समिति में जो स्टेट बी पी एल और बी पी एल का गेहूं था, जो वितरित किया जा रहा था, वहां दो ट्रक भरे हुए थे और वह गेहूं बिलकुल काला था, उसमें इतनी बदबू आ रही थी। उस गेहूं का कुछ सैम्पल हमारी जो सतर्कता समिति,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

निगरानी समिति की बैठक थी, उसमें वहां के प्रधान लेकर आये, हम लोगों ने जिला कलक्टर महोदय को उस गेहूं का सैम्पल भी दिया लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में जो सरावदा स्कूल है, वहां का जो गेहूं था, जो कि पिसाई के लिए जा रहा था, उस गेहूं की जो क्वालिटी थी, मुझे लगता है कि उसको अगर हम किसी जानवर के सामने भी डाल दें तो वह उस गेहूं को मुंह तक नहीं लगाये।

यह बड़ी गम्भीर बात इस राजस्थान राज्य के अन्दर हो रही है। अनेकों जिलों में इस तरह की घटनाएं नहीं हों, इस पर कहीं न कहीं हमें अंकुश लगाना पड़ेगा, वरना इससे आने वाले समय में बहुत जबरदस्त जनहानि हो सकती है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हनुमान जी बेनीवाल। कृपया करके आखिरी दिन तो सारांश कर दीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : बहुत सावधानी से बात करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आज कम बोलोगे तो सदन में आ जाओगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : हम तो आ गये आज।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं लेकिन ज्योतिष की बात कर जाता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : आज तो आ गये अखबारों में, हमारा रिपोर्ट कार्ड आ गया आज सारा।

श्री उपाध्यक्ष : जीतने का आया है क्या आपका?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : हैं?

श्री उपाध्यक्ष : जीतने का आ गया?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : नहीं, उसमें यह आया है कि 'विवादित रहे विधायक'। रघु शर्मा जी के साथ नाम आया है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष: अखबार वालों को कैसे पता चला कि...(व्यवधान)...

आयुर्वेद चिकित्सक पद पर ओ बी सी अभ्यर्थियों की भर्ती

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सक भर्ती के अन्दर जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

ओ बी सी के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसके सम्बन्ध में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2013 में 1,545 पदों की भर्ती राजस्थान सरकार ने निकाली। इसमें सामान्य श्रेणी के 761 पद, आरक्षित में ओ बी सी के 319, अनुसूचित जाति के 260, जनजाति के 190 और नि:शक्तजन 46 पद पर योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती हेतु आनलाइन आवेदन मांगे गये।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा इन भर्तियों में नि:शक्तजन, विधवा जैसे कोटे की भर्तियों का तो विवरण है लेकिन मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु किसी को नहीं बुलाया गया। विभाग द्वारा आरक्षित संवर्ग को योग्यता के आधार पर भर्ती से पूर्व मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अंतिम दिनांक 13.08.2013 तक बुलाया गया, जो अब निकल चुकी है। विभाग द्वारा 50 प्रतिशत कोटे में 761 गुणा 2 1,522 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही मूल दस्तावेजों हेतु बुलाया गया, जिसकी कट आफ 52 प्रतिशत है, जबकि 1,522 अभ्यर्थियों में ओ बी सी का एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं है, जिनके प्राप्तांक 52 प्रतिशत से ज्यादा हैं। इस प्रकार उक्त 50 प्रतिशत योग्यता की भर्ती संवर्ग के लिए आरक्षित हो गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा आरक्षित संवर्ग में ओ बी सी कोटे में 638 अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अलग से बुलाया गया, जिनका कट आफ 64 प्रतिशत से अधिक है। ओ बी सी के अभ्यर्थियों ने ओ बी सी का सर्टिफिकेट 21 प्रतिशत आरक्षण के लिए लगाया, ना कि सिर्फ 21 प्रतिशत कोटे में भर्ती हेतु।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया है कि ओ बी सी का पूरा कोटा इस आयुर्वेदिक भर्ती के अन्दर भरें। जो सेवा नियम हैं, वे भी यह कहते हैं कि जिस वर्ग के लिए जितनी सीटें आरक्षित हो, पहले उसको भरना अनिवार्य है। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रार्थना-पत्र ऐसे व्यक्ति से, उचित समझें, व्यक्तियों के द्वारा आमंत्रित किये जा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से ये लोग लगातार आयुर्वेद मंत्रीजी से भी मिल रहे हैं एवं बाहर इन्होंने उद्योग मैदान पर धरना भी दे रखा है। मैं राजस्थान सरकार का और आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित

(श्री हनुमान बेनीवाल)

करना चाहूंगा कि जो आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती हो रही है, इसमें ओ बी सी वर्ग के अभ्यर्थियों का पूरा ध्यान रखें और ओ बी सी का कोटा लेप्स नहीं हो। ओ बी सी के पूरे अभ्यर्थियों को इसके अन्दर सरकार और मंत्रीजी पूरा मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की 63 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित विभाग की निम्न 63 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(20)वित/कर/2012-102 दिनांक 8.2.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-9 के अन्तर्गत मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्रा.लि. को माल के प्रवेश पर कर में छूट प्रदान की गई है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(20)वित/कर/2012-103 दिनांक 8.2.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश कर अधिनियम, 1998 की धारा-5 के अन्तर्गत मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्रा.लि. को मोटरयानों पर कर में छूट प्रदान की गई है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित/कर/2013-119 दिनांक 13.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित/कर/2013-120 दिनांक 13.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित/कर/2013-121 दिनांक 13.3.2013,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक : एफ.12(44)वित्त/कर/07-12 दिनांक 23.4.2008 के विखंडन सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.2(84)वित्त/कर/2010-122 दिनांक 25.3.2013 जिसके द्वारा फूडपार्क में भूमि एवं भवन के लिये सम्पादित प्रथम कन्वेन्स डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-01 दिनांक 1.4.2013 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा धारा-90-ए तथा 90-बी के तहत नियमितीकरण के मामलों में सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-02 दिनांक 1.4.2013 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निर्धारित की गई;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/2011-03 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा नगरपालिका के अधिकारियों को उप पंजीयक के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/2007-04 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी इंटरमिडियेटरी अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेन्ट्स जारी की गई है;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-05 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निर्धारित की गई है;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.2(70)वित्त/कर/12-06 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा संपरिवर्तन/नियमितीकरण के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ-पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

13- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-07 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा अरबन लोकल बाडीज द्वारा आबंटित/विक्रय के सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निर्धारित की गई है;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-08 दिनांक 9.4.2013 जिसके द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90(ए) के तहत नियमितीकरण के सम्बन्ध में जारी लीज डीड के सम्बन्ध में स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/2009-09 दिनांक 16.4.2013 जिसके द्वारा ऋण अनुबन्ध कर डिस्काम को स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/2010-10 दिनांक 17.4.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/10-81 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/10-11 दिनांक 24.4.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/10-78 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है;

18\. अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/13-12 दिनांक 1.5.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-39(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्व प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 30.06.2013 तक वही रहने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/13-13 दिनांक 1.5.2013 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम-6बी(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्व प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 30.6.2013 तक वही रहने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/13-14 दिनांक 1.5.2013

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 के नियम-7(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्व प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 30.6.2013 तक वही रहने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/13-15 दिनांक 1.5.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 के नियम-8(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्व प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 30.6.2013 तक वही रहने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/10-16 दिनांक 1.5.2013 जिसके द्वारा बिटुमिन इमल्सन एवं मोडीफाइड बिटुमिन पर मूल्य परिवर्धित कर की रियायती दर से सम्बन्धित अधिसूचना जारी की गई है;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.2(14)वित्त/कर/2013-17 दिनांक 9.5.2013 जिसके द्वारा राजस्थान फूड एण्ड सिविल सप्लाई कारपोरेशन लि. द्वारा फूड कैश क्रेडिट लि. के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

24- अधिसूचना संख्या : एफ.2(8)वित्त/कर/113-18 दिनांक 9.5.2013 जिसके द्वारा ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में सम्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.2(84)वित्त/कर/10-19 दिनांक 10.5.2013 जिसके द्वारा एग्रो बिजनेस पालिसी, 2010 के अन्तर्गत प्रथम सेल डीड अथवा डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

26- अधिसूचना संख्या : एफ.2(48)वित्त/कर/09-20 दिनांक 10.5.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-82 दिनांक 25.8.2005 में संशोधन किया गया है;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.2(48)वित्त/कर/09-21 दिनांक 10.5.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-89 दिनांक 20.9.2006 में संशोधन किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या : एफ.2(54)वित्त/कर/07-22 दिनांक 24.5.2013

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा राजस्थान राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशंस द्वारा जारी बाण्ड्स पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.2(84)वित्त/कर/10-23 दिनांक 24.5.2013 जिसके द्वारा एग्रो प्रोसेसिंग एवं एग्रो बिजनेस पालिसी, 2010 के अन्तर्गत सम्पादित सेल डीड अथवा लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

30- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/10-24 दिनांक 29.5.2013 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा-5 के तहत जिलों एवं उप जिलों का गठन एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है;

31- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/10-25 दिनांक 29.5.2013 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा-6 के तहत पंजीकरण अधिकारी की नियुक्ति की गई है;

32. अधिसूचना संख्या : एफ.12(118)वित्त/कर/09-26 दिनांक 5.6.2013 जिसके द्वारा ऐसे उद्यमी जो एग्रो प्रोसेसिंग एवं एग्रो बिजनेस के उन्नयन के लिये नीति, 2010 के अन्तर्गत स्थापित हैं, के सम्बन्ध में विद्युत शुल्क का परिहार किया गया है;

33- अधिसूचना संख्या : एफ.12(118)वित्त/कर/2009-27 दिनांक 7.6.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 27.7.2012 में संशोधन किया गया है;

34- अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/11-29 दिनांक 21.6.2013 जिसके द्वारा सरपंच को पंजीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है;

35- अधिसूचना संख्या : एफ.12(39)वित्त/कर/13-30 दिनांक 28.6.2013 जिसके द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार को दी गई वैक्सीन वैनों के स्थानीय क्षेत्रों में लाये जाने पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है;

36- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-31 दिनांक 1.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-39(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्व प्रवृत्त भुगतान का

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

तरीका दिनांक 31.12.2013 तक वही रहने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

37- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-32 दिनांक 1.7.2013 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम-6बी(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्व प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 31.12.2013 तक वही रहने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

38- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/13-33 दिनांक 1.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 के नियम-7(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्व प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 31.12.2013 तक वही रहने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

39. अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/13-34 दिनांक 1.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 के नियम-8(1) के अन्तर्गत दिनांक 1.5.2013 से ठीक पूर्व प्रवृत्त भुगतान का तरीका दिनांक 31.12.2013 तक वही रहने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

40- अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-1-35 दिनांक 4.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

41- अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-1-36 दिनांक 4.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत पुलिस कैन्टीन द्वारा राजस्थान में की गई माल की बिक्री कर मूल्य परिवर्धित कर से छूट सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

42. अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-1-37 दिनांक 4.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत पुलिस कैन्टीन द्वारा राजस्थान में की गई खरीद पर 3 प्रतिशत से अधिक कर से छूट प्रदान की गई है;

43- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-38 दिनांक 8.7.2013

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के तहत नियमितीकरण के मामलों में सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

44- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-39 दिनांक 8.7.2013 जिसके द्वारा अरबन लोकल बाडीज द्वारा भूमि आबंटन/विक्रय के सम्बन्ध में सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

45- अधिसूचना संख्या : एफ.2(70)वित्त/कर/12-40 दिनांक 8.7.2013 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिनांक 31.7.2013 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

46. अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-41 दिनांक 8.7.2013 जिसके द्वारा अरबन लोकल बाडीज द्वारा जारी पुनर्वेध लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

47- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/2007-42 दिनांक 8.7.2013 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी इंटरमिडियेटरी अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेन्ट्स जारी किये गये हैं;

48- अधिसूचना संख्या : एफ.2(98)वित्त/कर/10-पार्ट-43 दिनांक 9.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन द्वारा जारी रुपये 7.00 लाख के शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

49- अधिसूचना संख्या : एफ.2(98)वित्त/कर/2010-पार्ट-44 दिनांक 9.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन द्वारा जारी रुपये 9,93,00,000/- के शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

50- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/10-45 दिनांक 9.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जारी रुपये 750 करोड़ के नान-कन्वर्टिबल बाण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

51- अधिसूचना संख्या: एफ.12(71)वित्त/कर/10-46 दिनांक 17.7.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(71)वित्त/कर/10-05 दिनांक 8.4.2011 में संशोधन किया गया है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

52. अधिसूचना संख्या : एफ.2(88)वित्त/कर/10-49 दिनांक 30.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा आबंटित/जारी शेयर सर्टिफिकेट्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

53- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/10-50 दिनांक 30.7.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 30.9.2011 में संशोधन किया गया है;

54. अधिसूचना संख्या : एफ.12(19)वित्त/कर/13-51 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-79 में संशोधन किया गया है;

55- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-52 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90ए के तहत नियमितीकरण के सम्बन्ध में जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

56- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-53 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा लोकल बाडीज द्वारा आबंटित/विक्रय के सम्बन्ध में सम्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

57- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-54 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा लोकल बाडीज द्वारा जारी पुनर्वेध लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

58- अधिसूचना संख्या : एफ.2(70)वित्त/कर/12-55 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिनांक 30.9.2013 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

59- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/07-56 दिनांक 2.8.2013 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी इंटरमिडियेटरी अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेन्ट्स जारी किये गये हैं;

60- अधिसूचना संख्या : एफ.12(39)वित्त/कर/2013-57 दिनांक 8.8.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के तहत एक ब्लड ट्रांसपोर्ट वैन को प्रवेश कर से छूट सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

61- अधिसूचना संख्या : एफ.12(138)वित्त/कर/09-58 दिनांक 8.8.2013 जिसके द्वारा डिस्कास द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में लाई गई सी एफ एल्स पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है;

62- अधिसूचना संख्या : एफ.12(101)वित्त/कर/11-59 दिनांक 13.8.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-80 दिनांक 11.8.2006 के अधिक्रमण में, संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को, संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल की सम्पत्ति के अन्तरण पर उदग्रहणीय कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है; एवं

63- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/10-60 दिनांक 14.8.2013 जिसके द्वारा पाली में नया उप पंजीयक कार्यालय सृजित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

चिकित्सा विभाग

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या : प. 16(5)चिस्वा/2/99-पार्ट दिनांक 6.6.2013 जिसके द्वारा राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 । श्री रामकिशोर सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदन की जाये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : बाद में उस पर कोई चर्चा तो है नहीं। तो इस बिल की क्या स्थिति बनेगी? अगली विधान सभा करेगी इस पर विचार? यह बिल आज पुर:स्थापित हो रहा है और आज सत्र का अंतिम दिन है, तो क्या यह पुर:स्थापित बिल अगले सत्र में आयेगा या यहीं लेप्स होगा? क्या होगा इसका?

श्री उपाध्यक्ष : तेरहवीं विधान सभा तो नवम्बर तक है ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : है, पर विधान सभा का सत्र तो...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आयेगा, तो लेप्स हो रहा है। जो संवैधानिक प्रोविजन हैं, आप तो जानते हो। हमारे यहां आया तो...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तकनीकी विश्वविद्यालय का जो लेकर के आ रहे हैं, बीकानेर के अन्दर जो इंजीनियरिंग कालेज है, उनके प्रिंसिपल के खिलाफ एंटी-करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है। जांच में वे दोषी पाये गये। उसके बाजवूद, मंत्रीजी उसको बचा रहे हैं। पिछली बार मेरा सवाल लगा, तब भी यह कह रहे थे कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रस्ताव है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। ...जांच कराकर उसको हटा दिया जायेगा, लेकिन अब वही प्रिंसिपल अभी और नियुक्तियां दे रहा है, उस बीकानेर कालेज के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : यह परिपाटी मत डालिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : मंत्रीजी पूरी तरह से उस प्रिंसिपल को बचाने में लगे हुए हैं, तकनीकी महाविद्यालय के प्रिंसिपल को।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजो। श्री रामकिशोर सैनी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार) : माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013

श्री उपाध्यक्ष : कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 । श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलालजी गुप्ता ।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्दजी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना इस वर्ष करने की घोषणा की गई है। इन विश्वविद्यालयों में, जोबनेर को छोड़कर, दोनों स्थानों पर न भूमि है, न भवन है और न कोई व्यवस्था है, और जोबनेर भी बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जोबनेर में सबसे पहले कृषि महाविद्यालय बना, उसके बाद बीकानेर बना, उसके बाद उदयपुर बना, लेकिन सबसे पहले विश्वविद्यालय बीकानेर में बना, उसके बाद उदयपुर में बना, अब बना है जोबनेर में। इस गलती को सरकार ने ठीक किया लेकिन देर से किया।

इसमें कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मंत्रीजी को मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जोबनेर विश्वविद्यालय की घोषणा की है, उस विश्वविद्यालय को तो आप तत्काल शुरू कर सकते हैं क्योंकि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पुराना इन्फ्रास्ट्रक्चर है और कृषि अनुसंधान की वहां पर बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसमें उप-कुलपति के बारे में कुछ योग्यताएं छपी हैं, उसमें 6 वर्ष का अनुभव होगा, लेकिन उसमें कम से कम तीन वर्ष का संकाय प्रमुख के नाते, यह डीन और डीन के समकक्ष बहुत लोग होते हैं; प्रोफेसर की योग्यता 6 वर्ष है लेकिन डीन और डीन के समकक्ष लोग कहीं न कहीं डायरेक्टर बन जाते हैं, कहीं न कहीं दूसरे विभागों में काम देखते हैं, इक्विवलेंट होते हैं, उनसे सीनियर भी हो सकते हैं, क्योंकि रोटेशन प्रणाली से डीन बनता है। तो इसको देखा जाना चाहिए, इसमें करेक्शन की

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

आवश्यकता है। कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए, हो सकता है, यह व्यवस्था की गई हो, लेकिन जितने भी डीन के समकक्ष पद हैं, सबको इस योग्यता में शामिल किया जाये और छह वर्ष जो प्रोफेसर के अनुभव का प्रावधान किया गया है, इसके साथ में जो दूसरा परन्तुक जोड़ा गया है, इसको ठीक किया जाये।

जितने सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, उनमें इस सदन के दो सदस्य होते हैं, केवल इसी कृषि विश्वविद्यलय में एक ही सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसमें भी आप दो करें और दो में भी, यह अच्छा लगेगा कि आप यह कर दें कि कृषि का जानकार कोई विधायक ही बने, तो और अच्छा लगेगा। यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : एक मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : मैं ज्यादा नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंहजी

(अनुपस्थित)

...(व्यवधान) आप विराजो। फिर आपको देख लेंगे, अभी नहीं।

माननीय श्री रोहिताश कुमारजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामहेत सिंहजी।

(अनुपस्थित)

श्री बाबूसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंहजी भाटी।

(अनुपस्थित)

मैंने तो आपको पुकारा नहीं। इस उम्र में भी इतने एक्टिव हो। ठीक है।

श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन के सामने कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 है। कृषि विश्वविद्यालय खोलना स्वागत योग्य है लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें फीडिंग कहां से होगी? आज एक जिले में, पूरे सीकर जिले में एक सीनियर स्कूल है एग्रीकल्चर का और यही हालत पूरे राजस्थान में है, जबकि 70 प्रतिशत आबादी का व्यवसाय कृषि है। विश्वविद्यालय खोलने से पहले सरकार को इस बात का भी इन्तजाम करना चाहिए कि हर ब्लाक में निश्चित रूप से एग्रीकल्चर विद्यालय हो और विद्यालय का महाविद्यालय हो। शायद ही, ये तीन कृषि विश्वविद्यालय आप बनाने जा रहे हों, लेकिन एक कृषि विश्वविद्यालय में एक भी महाविद्यालय नहीं हो; जिस विश्वविद्यालय के नीचे एक ही विद्यालय न हो, महाविद्यालय न हो, कैसे विश्वविद्यालय बनेगा? केवल नाम के लिए हम विश्वविद्यालय बना दें! मैं समझता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में तो फिर भी एक कृषि महाविद्यालय है, लेकिन पूरे के पूरे जिलों में आपके एक-एक विद्यालय हों।

तो इसकी जो फीडिंग है, जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं, स्कूल और स्कूल से महाविद्यालय में और महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी कमी है। स्वामीनाथन आयोग ने यह रिकमंडेशन की थी कि दस प्रतिशत विद्यालय ऐसे होने चाहिए जो कृषि से सम्बन्धित हों और महाविद्यालय भी उसी तरह से हों। आज जहां 126 सामान्य हमारे महाविद्यालय हैं, निजी 1,265 हैं, वहां कृषि महाविद्यालय आप गिनेंगे तो, मैं समझता हूं, उंगलियों पर गिनने लायक हैं। जहां पर बहुत सघन कृषि है, वहां भी कृषि महाविद्यालय नहीं हैं।

इसलिए तीन-तीन कृषि विश्वविद्यालय खोलने की बजाय महाविद्यालय खोलते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो आपका भाषण संक्षिप्त होना चाहिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : नहीं, नहीं, मैं तो संक्षेप में ही बोलूंगा।

मेरा पहला तो यह है कि मंत्रीजी यह बतायें, जब अपना उत्तर दें, कि पूरे राजस्थान में कितने कृषि संकाय के विद्यालय हैं? और यह जो तीन विश्वविद्यालय बनने के बाद, कितने महाविद्यालय हैं जो आज की तारीख में चल रहे हैं?

(श्री अमराराम)

जहां तक मैं समझता हूं, पहले भी हालत हमारी यह है कि जितने हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनकी हालत आज की तारीख में बहुत बड़ी दयनीय है। चाहे वह राजस्थान विश्वविद्यालय, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उनके प्रोफेसर, रीडर्स की हालत हो, जहां प्रोफेसरों के पद भरने का सवाल हो, हमारे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर विश्वविद्यालय तक जिस तरह शिक्षा का बंटाधार किया है और हम एक-एक सत्र में इतने निजी विश्वविद्यालय खोलकर उन विद्यार्थियों को इस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में न स्टाफ लगा रखा है, न बजट देंगे; उनकी स्थिति निरन्तर गिरावट की ओर है। जहां हम विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर की उम्र 70 साल करना चाहते हैं लेकिन चड्ढा समिति के अनुसार उन लेक्चरर्स की एज है, उसको 65 भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि केवल मुट्ठी भर लोगों को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि जब वे उत्तर दें तो बतायें कि राजस्थान में कितने कृषि संकाय के विद्यालय हैं? और यह विश्वविद्यालय से पहले कितने कृषि महाविद्यालय चल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री पेमाराम जी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : जन मत जानने के लिए भेजा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोबेनर में कई वर्षों के बाद एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। मैं सोचता हूं कि यह कृषि क्षेत्र में बहुत प्रारम्भ का कोई कालेज था तो जोबनेर महाविद्यालय था। यह स्वागत-योग्य है लेकिन इसमें जिस प्रकार के कुछ अमेंडमेंट ला रहे हैं, पता नहीं, मैं नहीं समझ पाया, या तो यह है कि राजस्थान के जितने भी सरकारी महाविद्यालय हैं, उनमें सबमें एक सा ही पैटर्न बना दिया गया। हमारे यहां जो विश्वविद्यालय में जो कुलपति के सलेक्शन के लिए जो नामिनीज थे, उनमें यह था कि सरकार की तरफ से दो व्यक्ति नोमिनेट होते थे उस कमेटी में, यू जी सी से एक होता था, राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य, सरकार के द्वारा दो व्यक्ति होते थे और कुछ एजुकेशन साइड से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी विशिष्ट योग्यता रखने वाले लोगों का भी उसमें चयन होकर के चयन समिति का गठन होता था। अब इस चयन समिति में सरकार की तरफ से दो से घटाकर एक व्यक्ति किया है। मैं सोचता हूं कि जितनी चयन समिति बड़ी होगी, जितने लोग उसमें होंगे, उतना चयन करने में एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति का चयन कर पाएंगे।

अब तक जितने विश्वविद्यालय राजस्थान में प्रारम्भ से लेकर अब तक थे, सरकार की तरफ से चयन समिति में दो व्यक्तियों का चयन होता था। यह पहली बार इस प्रकार का बिल आ रहा है जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व इस चयन समिति में कम किया जा रहा है। एकाध विश्वविद्यालय के अन्दर तो चयन समिति में, पहले सरकार की सलाह से राज्यपाल उस चयन समिति के माध्यम से कुलपति नियुक्त करते थे, अब केवल 'परामर्श' शब्द रख दिया। इसका मतलब, राज्यपाल को सर्वशक्ति दे दी। सरकार एक तरह से, अपनी तरफ से लाचार हो गई। जो भी इस कमेटी ने आपका पैनल बना दिया, उस पैनल में से...

श्री उपाध्यक्ष : यह किस तारीख को हुआ अमेंडमेंट?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : यह अभी जो बिल आए हैं 3-4, जो हम कल-परसों एब्सेंट थे, उसमें भी था, इसमें भी है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसमें तो नहीं है। कोई आर्डर तो निकला होगा न गवर्नमेंट से?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर तो निकला होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : इसके पहले जो अपन ने परसों पास किये हैं...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, निकला तो था लेकिन वह बिना उसके...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उनमें भी, इसी प्रकार से अपन ने उसमें, क्योंकि उस दिन हम उपस्थित नहीं रह पाये, और उसमें भी यही था कि जो है, वह 'परामर्श' के साथ; पहले सरकार की एक तरह से 'अनुशंसा' पर; 'अनुशंसा' का मतलब, सरकार का कुछ अधिकार था। अब 'परामर्श' का मतलब, केवल आपसे राय कर लेंगे, समझ में आएगा तो भी ठीक, नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक। तो सरकार का जो कंट्रोल थोड़ा-बहुत भी इस पर था, विश्वविद्यालय पर, कम से कम वह इसमें से बिलकुल कमजोर होगा। अब ऑटोनामस के नाम पर, भले ही, आप इसमें कर दो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से, इस बिल में एक निरीक्षण की शक्ति कुलाधिपति, राज्यपाल जो हैं, वह इन विश्वविद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार, अपने इसमें सेक्शन 8 में दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि राज्यपाल को कहां तो इतना समय होगा, कहां इसका निरीक्षण करेगा, किस तरह से निरीक्षण करेगा? अच्छा यह हो कि राज्यपाल से निरीक्षण की भी कोई एक बाडी आप बना दो और उस बाडी के द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय का अगर हो, तो समझ में आ सकता है। एक रेंडम निरीक्षण होगा तो मैं सोचता हूं कि विश्वविद्यालय के ऊपर कई प्रकार के, उस राज्यपाल की मर्सी के ऊपर विश्वविद्यालयों को अपना काम-धाम चलाना पड़ेगा। मैं सोचता हूं, हो सकता हूं, आपको अभी अच्छा लग रहा हो क्योंकि राज्यपाल ने जिस ढंग से आपको प्रभावित किया होगा, लेकिन यह भविष्य में चलकर के, एक तरह से, एक व्यक्ति की इच्छा पर सारे विश्वविद्यालयों का निरीक्षण और उनका सारा काम, वह उनके हाथों में चला जाएगा। अच्छा हो कि इनके पास बजट के अधिकार रहें, लेकिन उसके साथ ही कोई न कोई एक ऐसी कमेटी का कंसेप्शन कर दें, जिस कमेटी के लोग, जब कभी भी आावश्यकता पड़े, किसी विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के काम के निरीक्षण करने की, अगर उसको दिया जाए, तो मैं सोचता हूं, ज्यादा उपयोगी होगा; नहीं तो, इसमें...

इसी तरह से, जो कुलपति से, जो आपने बताया, अभी मैंने कहा था, दो व्यक्ति, धारा 11, एक अमेंडमेंट इसमें आप जो नया ला रहे हैं, अब जो आपका कोई भी वाइस-चांसलर बनेगा, उसकी 65 साल से बढ़ाकर आप 70 साल कर रहे हैं। मैं यह सोच रहा हूं कि कहने के लिए और हम कह सकते हैं, बडे योग्य व्यक्ति आएंगे, पर सामान्यतया योग्य व्यक्ति नहीं आते हैं। यह सब सिफारिशी लोग घुसने लग गये। अगर योग्य व्यक्ति के आधार पर, टैलेंटेड लोगों के आधार पर हिन्दुस्तान में एजुकेशनिस्ट को ढूंढकर के लगाते और उसके आधार पर इस एज को बढ़ाते तो समझ में आता है। जो ढांचा, आज आपकी और हमारी मानसिकता जैसी बन गई हैं, जो जिसका नजदीकी है, वही इस पोस्ट पर बैठता है। उसका कैलिबर अगर देखा जाए, पुराना अगर इतिहास उसका पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि कभी तो डाक्टर महाजनी वाइस-चांसलर होते थे, कभी मोहन सिंह मेहता जैसे व्यक्ति वाइस-चांसलर होते थे, अब अपने वाइस-चांसलर की हाइट घटकर के इतनी नीची हो गई है और मैं सोचता हूं कि इसमें जिस प्रकार की कमियां आ रही हैं और आपने एक और उनको यह दे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया कि 65 साल से हम उनकी 70 साल आयु कर रहे हैं, तो वे लोग नौकरी के लिए आपके पीछे घूमते हैं, ये आपके इशारे पर नाचते हैं। एजुकेशन में जिस प्रकार की सोच चाहिए और जिस प्रकार के डायनेमिक डिसिजन चाहिए, वह डिसिजन नहीं करते हैं। आपके और मेरे पीछे-पीछे घूमते रहने वाले लोग बनेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा लेकिन शैक्षिक दृष्टि से, जिस प्रकार से अपन उसका आज स्टैंडर्ड लाना चाहते हैं, मैं सोचता हूं, उसमें से नहीं आएगा।

अगर आपने यह किया ही है तो उधर से, नीचे से आपके जो प्रोफेसर हैं, उनकी उम्र को भी 60 से 65 साल करो न। तब तो आपके पास इसमें से कोई कैलिबर वाला आदमी आपको मिलेगा। जो प्रोफेसर आपके हैं, वे तो 60 साल के रिटायर हो जाएंगे और आपने कुलपति की आयु 70 साल की है, अब यह कहां-कहां से, रद्दी माल, इधर-उधर पड़ा हुआ कहीं आपका-मेरा निकलेगा। दुर्भाग्य से, मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत अफसोस है, कहना नहीं चाहिए मुझे, मुझ जैसे स्तर के आदमी द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं लगता, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, आजकल जिस प्रकार के लोग वाइंस-चांसलर बनने की दौड़ में आने लग गये हैं, शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं बनाएंगे।

इसी तरह से, आपने एक धारा 14 में, यह 44 का, निम्नलिखित जो है न, यह जो आपका बजट बनने वाला था वह पहले बजट बनना था, बजट बनकर वह आपकी जो वित्त समिति है, उसमें जाता था, वित्त समिति के बाद वह बोर्ड में जाता था और बोर्ड के बाद वह बजट पास होता था; अब आपने उसमें सारी शक्तियों को कम करके, आपके जो नियंत्रक वहां हैं, वित्त का नियंत्रक, वही, वही बजट बनाएगा और वही बजट फाइनल हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं, कहीं न कहीं, तो, वित्त के कामकाज पर नियंत्रण ठीक प्रकार से रहे, इसके बारे में कुछ न कुछ विचार करना चाहिए।

पर चूंकि अपन जिस गति से बिल लाते हैं और जिस गति से इनको निकालते हैं, सच बात तो यह है कि हम भी इतने बिल एक साथ, एक बैठक में बैठकर के, इसमें प्रत्येक शब्द को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ सकते जिस प्रकार से हमारी भी तैयारी चाहिए, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम स्वयं भी इन बिल के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। कारण यह है कि हमारे पास, किसी के पास भी समय नहीं है, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं। सब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्री हों और एक के बाद एक, एक के बाद एक, 17-18 बिलों को पास करके जा रहे हैं।

इतने नये विश्वविद्यालय बना रहे हैं और इन विश्वविद्यालयों को बनाने के बाद आप स्वयं संतुष्ट हो क्या? राजस्थान में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान में कृषि में क्या-क्या विकास नया...; आप और मैं जिस ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, अपन इतने साल से, अपना विश्वविद्यालय उदयपुर में एक बता दो, किसी ट्राइबल के विश्वविद्यालय की देन के कारण से उनकी खेती में दो पैसे की आमदनी बढ़ी हो तो सच्चाई को बताओ। इतने सालों में, प्रयत्न करने के बाद भी, अभी भी वह भगवान-भरोसे ही खेती करता है और भगवान-भरोसे अपनी जिंदगी चलाता है। क्या इतने सालों के बाद भी हम उसकी दो बीघा और डेढ बीघा जमीन, जो पहाड़ के ऊपर है, उसको पानी उपलब्ध नहीं करा सकते, कि वह कम से कम कोई फलदार खेती करके अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल सके? हम उसको अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं कर सके कि अपनी दो बीघा जमीन में 10-5 जानवर रखकर के, वह कोई डेयरी का अच्छा काम करके, अपने बच्चों को पाल सके। हमारा क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से, हम तो जो कुछ जिंदा हैं, भगवान के भरोसे जिंदा हैं और थोडे-बहुत थे तो जंगल के कारण से जिंदा थे। आज वह जंगल भी हमारे हाथ से निकल चुका है। अब तो हमको जो कुछ भी मजदूरी करनी है, हमको करनी है, वही करनी है।

तो वास्तव में जब हम विश्वविद्यालय बनाते हैं, इतने सालों तक विश्वविद्यालय में काम करते हैं, इतने बडे-बडे लोगों की डेढ लाख रुपये तनख्वाह देते हैं, एग्रीकल्चर में एकाध तो ऐसा प्रोजेक्ट बताएं। यहां जिस तरह किसान की आमदनी आज से 10 साल पहले यह थी और आज 10 साल बाद यह है, तब तो समझ में आता है।

हमने कभी कृषि विश्वविद्यालय, मैं बहुत मन की पीड़ा के साथ इस बात को कह रहा हूं, केवल लगाना और पढ़ने के लिए, और यह भी एक कम्पीटिशन, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर जो पढ़ता है उसको स्पेशल वजीफा मिलता है, बच्चा जो आज वजीफे के लिए भाग रहा है। वहां से निकलने के बाद, जितने एम एससी करके निकले हैं, एक लिस्ट तो बनाइए, कितने लोग खेती कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। सब नौकरी में जाना चाहते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हर आदमी नौकरी पकड़ता है। किसी ने भी अपना फार्म तैयार करके बताया कि मैंने यह एजुकेशन प्राप्त की? कम से कम, फार्म ऐसा तैयार करके, माडल के रूप में प्रस्तुत कर सकूं, वह आज तक 65 साल में हमारी स्थिति नहीं बनी कि माडल एग्रीकल्चर की दृष्टि से कुछ लोगों को लगा सकें।

इतनी सुविधाएं देने के बाद भी परिणाम हमारे पास किसी प्रकार का नहीं आता है, तो सच में, इस एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, चाहे यह एक हो, दो-तीन, जितने भी आप पेश कर रहे हों, इनमें सब में लगभग यही बातें हैं। इन सब बातों के आधार पर, अब आपने तय ही कर लिया है कि 70 साल करनी है, करिए; कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको करना ही है तो प्रोफेसर की उम्र को भी 65 साल तक बढ़ाइए, ताकि उनमें से ही कोई अच्छे कैलिबर वाला व्यक्ति आपका हिन्दुस्तान में कहीं से मिले। एक, मेरे स्वयं के लोग मेरी बात को अच्छा नहीं मानेंगे, आपको वाइस-चांसलर ढूंढकर लाना चाहिए; वह देश में जो टैलेंटेड व्यक्ति, जहां से आपको मिले, वहां से ढूंढकर लाइये और विश्वविद्यालय को चलाइये, तब तो कोई विश्वविद्यालय बनेगा। नहीं तो, वहीं का आदमी वहीं के विश्वविद्यालय में लगा दें तो न तो कोई उसकी मानें, न जाने, और केवल भर्ती करने का कारखाना बनकर रह गया, या डिग्री देने का कारखाना बनता चला जा रहा है। विश्वविद्यालय का जो स्तर बनना चाहिए और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड बनना चाहिए, वह तो दिखता नहीं है, क्लास रूम दिखते नहीं हैं, पढाई दिखती नहीं है, इतनी बड़ी तनख्वाह देने के बाद भी। उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक आदमी को एक-एक लाख रुपये देते हैं। जिंदगी में कभी एक लाख रुपया देखा नहीं होगा कि एक लाख रुपया कैसा होता है, लेकिन एक-एक आदमी को पहली तारीख को एक लाख रुपये की सैलेरी मिलती है और उसके बाद उसका काम क्या है, यह इतना सा नाप लो।

जिस ढंग की दुर्दशा इस एजुकेशन की हमारे इस मोह के कारण से, हमारे इन गलत निर्णयों के कारण से हो रही है, हम केवल देश को एजुकेशन के एक स्टैंडर्ड पर भी लाकर खड़ा कर देते तो हमारी आने वाली पीढ़ी खड़ी हो जाती; आज नहीं होती तो दस साल बाद खडी हो जाती लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे हरेक के ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है जिसमें हमें हमारा हित दिखता है, बच्चों के आने वाले भविष्य का हित हमारे ख्याल से गायब हो गया।

इसलिए सारे अमेंडमेंट इसी ढंग से लाकर, पूरा का पूरा आप नया जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बिल लेकर आये; जोबनेर विश्वविद्यालय बनना चाहिए, बहुत प्रारम्भ से है, वह स्वागत योग्य है; बाकी भी बनने चाहिए, स्वागतयोग्य है, पर उनका कोई परिणाम तो आये, उनमें से कुछ निकले तो सही।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, बोलेंगे?

श्री मुरारी लाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : तीनों का एक साथ कामन ही बोल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 । माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से, मंत्री महोदय, एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जिस विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, इस अध्यादेश और इस बिल के पारित होने से पहले यह महाविद्यालय के रूप में कार्यरत है। उस महाविद्यालय का जो नाम है, जिस भामाशाह ने इस विश्वविद्यालय को 1947 में स्थापित किया, देश की आजादी के डेढ़ महीने पहले यह स्थापित हुआ था, उस वक्त की रियासत के व्यक्ति, जिनका नाम सम्माननीय कर्णसिंहजी था, उन्होंने 1 जुलाई, 1947 को इस महाविद्यालय की स्थापना की थी। यह महाविद्यालय 1955 में सरकार को सौंपा गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतनी ज्ञानवर्धक बातें कहां से ले आते हो?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : आप ही तो दिलाते हो।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पहला बैच 1951 में निकला और आज सौभाग्य की बात है कि आपके बहुत से आई.ए.एस. हैं, आई.आर.एस. हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और साइंटिस्ट हैं, वे इस महाविद्यालय में कभी न कभी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे रहे हैं तो आपको इसके अन्दर कर्ण नरेन्द्र विश्वविद्यालय, इस भामाशाह का नाम रखने में कहां एतराज था? आज जहां सवाई मानसिंह अस्पताल के नाम से अस्पताल जाना जाता है, सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के नाम से मेडिकल कालेज जाना जाता है, हम लोग महापुरुषों के, नेताओं के, समाजसेवियों के नाम पर विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, तो आप जब जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय खोल रहे हों और इस व्यक्ति ने 1947 में कृषि महाविद्यालय जैसी चीज का सोच प्रकटीकरण के रूप में कर लिया; साढ़े तीन हजार बीघा जमीन में यह महाविद्यालय खोला गया था और साढ़े तीन हजार बीघा भूमि देने के बाद, पूरी बिल्डिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर वित्त पोषित किया; 1955 तक इस वित्त-पोषित महाविद्यालय को इस व्यक्ति ने चलाया; आज वे दिवंगत हो गये तो दिवंगत होने के बाद में क्या इस सदन का, आपका, हमारा और इस सरकार का और इस प्रजातंत्र की मर्यादा का यह कर्तव्य नहीं बनता कि जिन भामाशाहों ने इस प्रकार के कृत्य किये हों, कृषि जगत के अन्दर अर्थव्यवस्था में जहां प्रधानता आज भी है वहां उन्होंने शिक्षा की माकूल व्यवस्था की, आज आप इसका जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय नाम रख रहे हैं तो इसमें अगर यह नाम जोड़ दें तो कोई अतिशयोक्ति होगी या कोई सामंतवाद को प्रकट करने की बात होगी?

मैं इस संशोधन के माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर आप इसी तरह करते रहे, आज जे.के. सिंघानिया के विश्वविद्यालय हैं, आज जी.डी. गोयनका के विश्वविद्यालय हैं, ये तो वे लोग-बाग हैं जिन्होंने आजाद भारत में, यहां रहकर कारपोरेशन के माध्यम से पैसा कमाकर धर्मार्थ किया है और यह व्यक्ति उस वक्त कर रहा है, जिस वकत उसको किसी वोट की आवश्यकता नहीं थी। उसने उस वक्त इस प्रदेश के और उस भू-भाग के किसानों के हित में, उनके बच्चे शिक्षित हो सकें और वे साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कर सकें, इसलिए इस महाविद्यालय की स्थापना की थी। पूरे महाविद्यालय को इस तरह से खड़ा किया है कि अगर आज आप इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे रहे हैं तो कम से कम अगर कहीं वित्त व्यवस्था की आवश्यकता होगी तो इस विश्वविद्यालय को होगी।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इसलिए कृपा करके आपसे अनुरोध है कि इसमें इस नाम का संशोधन किया जाए। जहां-जहां आपने जोबनेर विश्वविद्यालय का नाम लिया है, उसकी जगह जो मैंने संशोधन मूव किया है, इसका नाम श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर रखा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री निर्मल जी कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मेरे गृह विधान सभा क्षेत्र का मामला है, मैं शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निश्चित तौर पर इस महान् विभूति के साथ रहना चाहिए। यह वहां की जनता की भी मांग है, वहां के कर्मचारियों की भी मांग है और मेरी भी पुरजोर मांग है कि इसका नाम परिवर्तन किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे बडा दर्द और तकलीफ हुई, जब मैंने इस बिल को देखा। इसलिए नहीं हुई कि अपन उसको यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, यह तो बहुत पुरानी मांग है, लेकिन 1947 में एक व्यक्ति ने परिकल्पना की कि एग्रीकल्चर के लिए हमको कालेज खोलना है और जो कालेज खोला, तो उसमें सरकार से कुछ नहीं लिया। सरकार तो उस वक्त उसमें कुछ देने की स्थिति में ही नहीं थी। साढ़े तीन हजार बीघा जमीन आज भी उसके साथ में है। पूरी बिल्डिंग उन्होंने बनाकर दी, पूरा इन्फास्ट्रक्चर उन्होंने बनाकर दिया और सारा काम उनका किया हुआ है। उनकी वहां पर स्टेच्यू भी लगी हुई है। हास्टल भी बनाकर दिये। एग्रीकल्चर के जितने भी लोग पढ़े हुए हैं, वे वहां पर पढ़े हुए हैं। एक छोटे से गांव में उन्होंने यह महाविद्यालय बनाकर यह काम किया है।

हम जो यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, दूसरों के नाम-परिवर्तन के संशोधन लाकर नाम रख रहे हैं और आज उसका नाम हटा रहे हैं, तो यह छेड़खानी है, यह अपमान है। जयपुर जिले की पूरी जनता में इसका आक्रोश है। उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। सारी सम्पत्ति उसको दान करके उन्होंने इतना बड़ा काम किया और उस काम किये हुए आदमी का नाम आप भुलाना चाहते हो, यह बिलुकल अच्छी बात नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यहां सदन की परम्परा रही है जब इस प्रकार का कोई संशोधन आता है तो सरकार स्वयं अपनी तरफ से यह संशोधन ले आती है और संशोधन को सदन स्वीकार कर लेता है। इसलिए, मंत्रीजी, मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं, यदि तुरन्त आप कुछ करने में सक्षम नहीं हों तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को थोड़ी देर आप रोक लें और आप मुख्य मंत्री, मंत्रीजी से या अन्य मंत्रियों से बात करके, जो भी आपको काम करना है, वह काम कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है पर इसे एक बार रोक लें। हम चाहते हैं कि यह संशोधन सरकार स्वयं अपनी ओर से ले आये, हमारा संशोधन स्वीकार न करें। लिखित में नहीं लाये, तो सरकार खड़े होकर भी बोल सकती है और वह संशोधन मान लिया जाता है। तो हम हमारा संशोधन विथड्रा कर लेंगे। आप खड़े होकर दो शब्द अपनी जुबान से बोल देंगे तो यह नाम संशोधन हो जाएगा। इसमें न तो सरकार की हठी है, न इसमें और कोई बात है, यह तो उन लोगों को सम्मान है जिन लोगों ने यह सारा काम किया है।

इसलिए मेरा सरकार से विनीत आग्रह है, इस काम में कोई राजनीति नहीं है, और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने जब इतना बड़ा चिंतन किया, 1955 तक तो उन्होंने खुद ने चलाया, सारा खर्चा उन्होंने दिया, 1955 के बाद सरकार चलाने लगी है और आज आप विश्वविद्यालय बना रहे हो। वह केवल उन्होंने

(14.00 बजे)

नाम लिया। श्रीमान भैरोंसिंहजी शेखावत तक भी जोबनेर में पढ़ने के लिए आते थे। तो यह बड़ा काम है, बहुत लोग वहां पर पढ़े हुए हैं। उन्होंने शिक्षा पर और भी ध्यान दिया था उस जमाने में। इसलिए कृपया आप इस पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मानसिंहजी।

(अनुपस्थित)

मंत्रीजी, कुछ जवाब देंगे?

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : एक साथ दे देंगे तीनों का जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नहीं, यह क्या है? नहीं, एक साथ नहीं होता है। एक बार विराजें; मंत्रीजी, ऐसा है, आप चाहें तो किन्हीं से इस पर राय ले लो आराम से, यह बाद में हो जायेगा। अगर जवाब दे दिया तो वैसे ही रह जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, यह जो संशोधन आया है, उसके बारे में कोई बात कहनी हो तो आप कह दो, एक मिनट, दो मिनट, जो भी आप चाहें।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है और यहां 60 से 70 प्रतिशत लोग-बाग खेती पर निर्भर रहते हैं, हम यह चाहते हैं कि हमारा किसान प्रगति करे, वह भी कम पानी में, क्योंकि राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या रहती है, कम पानी में अच्छा उत्पादन करे।

अभी जैसे माननीय कटारियाजी बोल रहे थे, अब ऐसे कोई उदाहरण नहीं हैं कि किसान कोई प्रोजेक्ट के रूप में एक अच्छी स्थिति में आये हों, बनाकर किसी विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देश में। उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में तीन विश्वविद्यालय और प्रदेश को दिये हैं। सबको इस बात का स्वागत करना चाहिए। क्योंकि, यह सही है कि जब तक प्रदेश के हमारे किसान सम्पन्न नहीं होंगे, अच्छे रिसर्च नहीं होंगे, तब तक हम ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते और यह भी बिलकुल सही है, मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, कोई आदमी चाहे हमारे विश्वविद्यालय में पढ़े, चाहे महाविद्यालय में पढ़े, चाहे कृषि में कितना ही बड़ा वैज्ञानिक बने, लेकिन कोई मां-बाप यह नहीं चाहता कि मेरा बेटा कृषि वैज्ञानिक बनकर खेती करे। इसका मूल कारण यही है कि यह फायदे का धंधा नहीं है। (व्यवधान) हम इस बात को कबूल करते हैं, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं। वह यह चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले, तनख्वाह मिले और उसके पीछे यही कारण है कि उसको ज्यादा फायदा नहीं है। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहली बार, ऐतिहासिक ये फैसले हुए हैं कि तीन विश्वविद्यालय हमारे यहां खुले हैं।

दूसरे माननीय सदस्यों ने पूछा था कि अपने यहां कितने महाविद्यालय हैं, हमारे जो पहले बीकानेर विश्वविद्यालय था, उसके अन्दर हमारे 18 महाविद्यालय हैं और छह महाविद्यालय उदयपुर के तहत थे। ये सब सरकारी थे। बाकी जो इनसे सम्बद्धता रखते थे, वे महाविद्यालय हमारे अलग थे।

एक बहुत बड़ी बात, जिसके लिए सभी ने, मैं स्वयं भी उनसे परिचित हूं, श्री कर्ण नरेन्द्र सिंहजी, यह बिलकुल सही है कि हम उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने किसानों के लिए ऐसी कल्पना की थी देश आजाद होने से

(श्री मुरारीलाल मीणा)

पहले। मैं स्वयं वहां पर गया हूं। यह बिलकुल सही है कि उन्होंने इतना बड़ा भू-भाग, इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी बातें हैं, उन्होंन सब चीज हमको उपलब्ध कराई और निकलकर ये लड़के, मुझे यह बताया गया था कि देश-विदेश, बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स, कई वी.सी. जोबनेर के, उन्हीं की मेहरबानी से आज हम बहुत अच्छी स्थिति में आये हैं।

माननीय सदस्य ने बताया कि हम उनका नाम मिटा रहे हैं, यह बात गलत है। जो महाविद्यालय है, वह तो उन्हीं के नाम से है, श्री कर्ण नरेन्द्र सिंह कृषि महाविद्यालय, जोबनेर। जो मूल भावना यह है कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, उसका नाम भी उनके नाम से होना चाहिए; जैसा आपने अवगत कराया है, मैं स्वयं भी महसूस करता हूं, मैं आपसे यह कह सकता हूं कि हम इसमें सकारात्मक सोच रखते हैं। अभी हम यह पौधा लगा रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी भावनाओं की, आप सबकी भावनाओं की कद्र की जायेगी, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाद में इसके लिए फिर बिल लाना पड़ेगा। इसलिए अभी आप, दयारामजी, आप समझ रहे हैं, आप वरिष्ठ मंत्री हैं...

श्री उपाध्यक्षः संक्षिप्त, छोटा सत्र बुला लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या विश्वविद्यालय, इस महाविद्यालय से अलग खोलेंगे? उसी में खोलेंगे तो फिर नाम रखने में कहां दिक्कत है? इसमें केवल नाम का ही संशोधन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : उसी में खोल रहे हैं। आपको तो खड़े होकर बोलना है कि यह नाम रख लेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : अगर उससे अलग कर रहे हैं, इस जोबनेर महाविद्यालय से अलग कोई विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो बात अलग है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब एक-एक-एक।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि जब वहां इन्फास्ट्रक्चर मौजूद है, जमीन मौजूद है, यूनिवर्सिटी वहीं खोल रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी कालेज का एग्जिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, उस एग्जिस्टिंग इन्फ्रास्टक्चर को

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

यूनिवर्सिटी में तब्दील करते टाइम नाम बदल दिया गया हो। हिन्दुस्तान में कभी नहीं हुआ। आज पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां है...

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : आप यह गलत कह रहे हों। वहां महाविद्यालय उन्हीं के नाम से था, उन्हीं के नाम से है, मैंने यह बोला है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : मेरी बात सुनें आप। अगर आप यह कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का कैम्पस दूसरा होगा, अगर आप यह कह रहे हैं कि उस कालेज का इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होगा, अगर आप यह कह रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उस जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखा जाये। लेकिन सारी जमीन आप इस्तेमाल करेंगे, आप केवल वहां जाकर बैनर बदलेंगे, आप कालेज की जगह यूनिवर्सिटी करेंगे। आपको वहां एक रुपया लगाने की जरूरत नहीं है।

असल में, राजस्थान में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी अगर कहीं पर बननी चाहिए थी, तो पहली यूनिवर्सिटी जोबनेर में बननी चाहिए थी। जोबनेर का हक छीनकर आप बीकानेर ले गये, जोबनेर का हक छीनकर आप उदयपुर ले गये। आज आप पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिन्दुस्तान का पहला कालेज है एग्रीकल्चर का, हिन्दुस्तान का पहला कालेज है जिसने इतने ज्यादा डीन दिये, वाइस-चांसलर दिये। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं।

आपको आपत्ति क्या है? आप नया बिल लाना चाहते हैं? नया बिल लायेंगे, सारा कुछ करेंगे। आप तो इस अमेंडमेंट को स्वीकार करो, सिम्पल सा अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वीकार नहीं करें तो नहीं करें हमारा, हम तो वापस कर लेंगे। आप स्वयं केवल खड़े होकर यह कह दें कि हम इसके नाम को, श्री कर्ण नरेन्द्र नाम रखने पर मैं सहमत हूं। इतना कहने पर ही यह संशोधन हो जायेगा। आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी आपकी जुबान हिली और काम हुआ। (व्यवधान) और नहीं लाना है, तो कह दो ताकि इस पर आगे जो भी हो। बाकी यह बात गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह परम्परा बहुत दिनों तक रही है, हमारे यहां परम्परा बहुत वर्षों तक रही है, जब बिल आता है, ऐसा जब प्रसंग आता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है तो बिल को एक बार रोक देते हैं और रोककर, जिन बड़े लोगों से, मुख्य मंत्रीजी से या मंत्रीजी से आपको बात करनी हो, आप बात कर लें और बात करने के बाद में इस पर विचार कर लें। नम्बर एक। अगर इस पर नहीं करेंगे, चूंकि यह हमारी सबकी भावनाओं से जुडा हुआ सवाल है, इसलिए हमको इस पर मतदान कराना पड़ेगा और वह मतदान भी होगा।

इसलिए हम चाहते हैं कि बिल जब हम पास करें, सदन सोच-समझकर इसको पास करे और इसमें हम सब काम करना चाहते हैं तो जिस रूप में भी आप चाहें, हमें स्वीकार है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इसको एक बार रोक लें; आपको जिनसे राय करनी हो, राय कर लें; दूसरा बिल आप ले लें। हम उस पर बहस करते रहेंगे। राय कर लें, राय करके, फिर कर लें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपने कहा, आप वाइस-चांसलर्स के अपाइंटमेंट की बात कर रहे थे, इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी आपने वाइस-चांसलर के अपाइंटमेंट के क्या अरेंजमेंट किये? आपने यूनिवर्सिटीज खूब खोली हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में पहली बार हुआ है, राजस्थान के इतिहास में, जहां केवल बी.ए. पास आदमी को वाइस-चांसलर बनाया गया है। आपने तीन-तीन यूनिवर्सिटीज ऐसी बनाई हैं, जहां पर बी.ए. पास किया हुए, केवल बी.ए. पास किये हुए आदमी वाइस-चासंलर हैं।

आपने इसके अन्दर अमेंडमेंट दिया है। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर का अपाइंटमेंट होता है, जो प्रोफेसर होता है। इसमें क्या खास बात थी कि डीन को बनाया है आपने? पूरे हिन्दुस्तान में प्रोफेसर हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के अलावा, जहां बी.ए. किये हुए वाइस-चांसलर बन गये हैं, इसके अन्दर आपने डीन बताया है।

यह भी अगर आप कह रहे हैं कि हम इस पर सोच-विचार करेंगे, खुले मन से विचार करेंगे तो यह विचार भी करें कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी में बाकी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले इस पर डिस्क्रिपेंसी नहीं हो। वाइस-चांसलर के अपाइंटमेंट में प्रोफसर्स जो भी हैं, वह प्रोफेसर वाइस-चांसलर बनने के लिए एलिजिबल है। डीन बनना कोई जरूरी नहीं है, डीन तो पालिटिकल अपाइंटमेंट है। डीन तो आलरैडी अपाइंटमेंट है।

इसलिए इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नाम के संशोधन को स्वीकार करने के साथ में इस अमेंडमेंट को भी आप स्वीकार करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक निवेदन है, मैं इसी में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज सब आ गये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में सबसे छोटी नगरपालिका स्वर्गीय भैरोंसिंह जी ने इसलिए बनाई कि इण्डिया में जोबनेर का नाम है, एग्रीकल्चर कालेज है, सबसे पुराना कालेज है। इस कारण से आज भी वहां...

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई नई बात बोलिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : नगरपालिका है। इस कारण से, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और कर्ण नरेन्द्र का नाम जिंदा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। सब कुछ दिया उन्होंने; हमने कुछ नहीं दिया, उन्होंने सब कुछ दिया हमें। इस कारण से, इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। सदन बैठा है, सदन क्यों नहीं कहता? जज क्यों नहीं करता सदन?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। विराजिये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री राव राजेन्द्र सिंह...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : वोट करा लीजिये। वोट कराइये। वोट करा लीजिये आप। (व्यवधान) इसी संशोधन पर वोट करा लीजिये। हां, वोट करा लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : इस संशोधन के ऊपर हम वोट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो बाद की बात है। अभी तो आने दो ना।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री राव राजेन्द्र सिंह, श्री निर्मल कुमावत, श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये?

जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्यः हां।

श्री उपाध्यक्ष : जो विपक्ष में हों ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : We want division. हां पक्ष जीता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : आ तो जाय कम से कम। एक बार रखवायें, क्या होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : एक बार रखवाओ बिल। हां पक्ष जीता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : डिविजन। We want division. (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन महान आत्माओं की आप बात कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कुछ कहना चाहते हैं मंत्रीजी। (व्यवधान) एक मिनट, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): वे इतनी खुश हो रही होंगी कि जिस पौधे को मैं लगाकर गया था, उसको आज की सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। आप सबको इसका स्वागत करना चाहिए। हमने कहा था कि इस पर समय आने पर सकारात्मक विचार किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) : यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : आखिरी दिन में अगर आप यह करें, आप मत विभाजन की घंटी बजाइये, उपाध्यक्ष महोदय। मत विभाजन हो जायेगा, हम हमारा रिकार्ड करा देंगे कि यह उनका नाम काटना किसी प्रकार से उचित नहीं है। हम, we claim division. We have a majority. (व्यवधान) हां, गिर जाय, गिर जायेगा। हमारा नाम रजिस्टर हो जाय इसमें। हां, घंटी बजाइये, सबको बुलाइये, दोबारा प्रश्न रखिये और मतदान कराइये। वे आ गये, मंत्रीजी को सुनाओ एक बार। शांति धारीवालजी आ जायें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ बोल रहे थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : हां, मैं यह कह रहा था, एक मिनट, माननीय धारीवाल साहब पधारे, संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह अपना जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय का बिल चल रहा है। जोबनेर में सबसे पहले 1947 में श्री कर्ण नरेन्द्र नाम से उन्होंने यह एग्रीकल्चर कालेज बनाया, जो राजस्थान का सबसे पहले कालेज है। ती हजार बीघा जमीन उन्होंने दी; सारा कैम्पस, होस्टल, सारा बना कर दिया; उनका स्टेच्यू भी वहां लगा हुआ है; सारा काम। अब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विश्वविद्यालय आ रहा है, उसका नाम जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय रखा है। हमने यह संशोधन दिया है कि आज जिसने सारी जमीन दी, जिसने सारी बिल्डिंग बनाई और 1947 से लेकर 1955 तक वहां उसको चलाया, उसके बाद सरकार को हैंड-ओवर किया; आज जब यूनिवर्सिटी का आप बिल लेकर आ रहे हैं तो इसमें भी कर्ण नरेन्द्र जोबनेर विश्वविद्यालय नाम रखें। तो जोबनेर विश्वविद्यालय के साथ कर्ण नरेन्द्र और जोड़ दें, हम हमारा संशोधन वापस ले लेंगे, सरकार अपनी तरफ से इस संशोधन का रख दे।

यानी, अपन अलग-अलग महापुरुषों के नाम से और भामाशाहों के नाम से नाम रखते जा रहे हैं, श्री कर्ण नरेन्द्र ने उस समय जोबनेर में इतना बड़ा बनाकर दे दिया अपन को कि आज किसी विश्वविद्यालय के पास इतनी जमीन नहीं है और ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे बढ़िया जगह है। वह नाम रखने में, वह न तो किसी पार्टी के, न किसी और के, वे शिक्षा को समर्पित व्यक्तित्व थे। तो उनका नाम काटेंगे तो यह अपमानजनक लगेगा।

इसलिए हम चाहते हैं, आप बात कर लें, अब आप आ गये हैं, वरिष्ठतम आप मंत्री हैं, आप बात करके इस नाम को रख लें। आप पेश कर दें, हम संशोधन वापस ले लेंगे और यह एज-इट-इज पास हो जायेगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : उपाध्यक्ष जी, जो यह कर्ण नरेन्द्र महाविद्यालय जोबनेर में है, यह मामला लोगों की भावनाओं से जुडा हुआ मामला है। राजस्थान में जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में काम कम होता था, बहुत कम होता था, उस जमाने में वहां के जागीरदार ने आगे बढ़कर, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, जब सारे जागीरदार अपनी-अपनी जमीन को बचा रहे थे, अपनी-अपनी जमीन को अपने-अपने परिवार के नाम से दर्ज करवाकर अपने-अपने परिवार के लिए सुरक्षित कर रहे थे और यह महसूस कर रहे थे कि आज हमारी जागीर चली गई, तब हम हमारे परिवार के लिए, आगे के लिए कुछ करके दिखायें; तब ऐसे में एक जागीरदार ने आगे बढ़कर और अपनी साढ़े तीन हजार बीघा, शायद, साढ़े तीन हजार बीघा जमीन आगे बढ़कर राजस्थान की सरकार को महाविद्यालय बनाने के लिए दी। पूरा महाविद्यालय जब खुद ही बनाया, पूरा महाविद्यालय, पैसा भी खुद ने लगाया, ऐसे में जिस व्यक्ति ने...(व्यवधान) हां, बात कोई गलत हो, आप बोल देना।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दें। आप बीच-बीच में, त्रुटि हो तो बाद में बोल देना।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : हां, एक ही बात है। आपकी भावना और मेरी भावना एक जैसी है और यह भावना, उपाध्यक्ष जी, यह भावना अकेले इस सदन की नहीं है, पूरे राजस्थान के आम अवाम में यदि आज यह संदेश जाये कि किसी भामाशाह ने आगे बढ़कर अपनी जमीन भी दो, पैसा भी खर्च किया, पूरा महाविद्यालय भी बनाया और आज जब हमारे हाथ में पावर आई, तो उसकी जमीन और उस महाविद्यालय का नाम हम बदलकर उसका अपमान करें, इससे बड़ी गलत परम्परा कोई हो नहीं सकती। ऐसे में, उपाध्यक्ष जी, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम आगे बढ़कर, जिस भामाशाह ने, जिस जागीरदार ने जमीन दी और पूरा महाविद्यालय बनाया और अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपने बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, तो ऐसे में हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम इस विश्वविद्यालय का नाम कर्ण नरेन्द्र विश्वविद्यालय रखें।

वर्तमान में नाम भी यही है। तो हम नया डवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? उस महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं तो ऐसे यूनिवर्सिटी बनाते वक्त हम उस महाविद्यालय का नाम ही परिवर्तित कर दें, ऐसे में राजस्थान के बहुत, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होंगी, लोग नाराज होंगे।

इस वक्त सरकार हर काम वह कर रही है, जो जन कल्याणकारी है, जनप्रिय है, लोगों को पसंद आता है और लोग हर काम की तारीफ करते हैं। ऐसे में, उपाध्यक्ष जी, आप चेयर पर बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह कृषि यूनिवर्सिटी, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जो हम खोलने जा रहे हैं, वह उसी महाविद्यालय में हम खोलने जा रहे हैं, उसी महाविद्यालय को हम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं; जब हम महाविद्यालय यूनिवर्सिटी बन रहा है, उस महाविद्यालय का नाम परिवर्तित नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं, वह तो बहुत अच्छा है लेकिन उस यूनिवर्सिटी का नाम कर्ण नरेन्द्र जोबनेर विश्वविद्यालय ही रखा जाना चाहिए, मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है और राजस्थान के आम अवाम की आवाज भी यही है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) : हम आपके साथ हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : नामकरण के बाबत आपका सुझाव सीधा विधान सभा में आया। आपके द्वारा

(श्री शांती कुमार धारीवाल)
मुख्य मंत्रीजी को दिये गये सुझाव, मुझे तो ऐसा लगा नहीं इन साढ़े चार सालों में।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : मुख्य मंत्रीजी को यूनिवर्सिटी की घोषणा, जो उन्होंने बजट भाषण में की, उसके बाद तुरन्त मेरा एक पत्र उनको गया ओर कहा कि चूंकि आप उसी यूनिवर्सिटी के कैम्पस में, उस कालेज के कैम्पस के अन्दर...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : किसकी तरफ से गया?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : किसकी तरफ से गया पत्र?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : मेरी तरफ से गया था। मेरी तरफ से गया है; उनके परिवार से गया; जोबनेर नगरपालिका से गया; जोबनेर के लोगों से गया...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप में और फिर तिवाड़ीजी में, तिवाड़ी जी में और आप में फर्क तो डालना पड़ेगा, साहब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : सभी लोगों से गया, जोबनेर के लोगों ने दिया; जोबनेर की जनता ने दिया; जोबनेर नगरपालिका के चेयरमैन ने दिया; वहां के एम.एल.ए. ने दिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : दिया हो। आप मेरी बात पर, मेरी अर्ज सुन लें, अब मेरी सुन लें आप, मेरी सुन लें; मैं यह समझ कर चलता हूं कि चूंकि अब कैबिनेट के द्वारा यह पास हो गया, बिल यहां पर सब कुछ हो गया, यह हो गया, वह हो गया, आपके सजेशंस को भी मैंने टी.वी. पर देख लिया, वहां पर, मुख्य मंत्रीजी को ट्राई किया मैंने, लेकिन मुख्य मंत्रीजी के बेड रेस्ट पर, आज यह बैक-पेन होने की वजह से वे बिलकुल, बात नहीं हो पाई।

तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज तो यह बिल पास करें। निश्चित तौर पर अगली कैबिनेट में हम इस बात को ले जाने का प्रयत्न करेंगे कि इसको कर्ण नरेन्द्र सिंह के नाम पर यह रख दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आश्वासन हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : हमारा जो यह है मत विभाजन, वह तो नोट कर लें। हम इसको, हमारे सारे जोबनेर का, पूरे लोगों का, जयपुर के जिले का, हम सब का, एक परिवार का, जिसने सारा यह दान कर दिया, जिसकी शर्तें थीं, वह सारा उल्लंघन हो; आप हमारा प्रोटेस्ट नोट करा लें, आप डिविजन करा लें। हम चाहते हैं, नाम वह हो; आप पास कर लें, हमारा प्रोटेस्ट नोट कर लें। डिविजन करा लें, हमारा प्रोटेस्ट नोट कर लें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : कम से कम इस बात को स्वीकार करना चाहिए आपको कि इतना एश्योर कर दिया कि हम इस पर बिलकुल गम्भीरता से विचार करते हुए मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि इसको कर्ण नरेन्द्र करें, अब उसके बाद भी...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ले लो न। बिल बाद में शाम को पास कर लेना। (व्यवधान) लास्ट में पास कर लेना, शाम को आज। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : बात कर लो, बाकी बिल ले लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : और बाकी बिल ले लो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : पेण्डिंग कर दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आटोक्रेटिक वे में डिसिजन लेना, यह आपका काम है। आपको वह भी याद होना चाहिए कि आपने शिक्षा संकुल का नाम, जिस पर राजीव गांधी का नाम था, आपने बदलकर के डाक्टर राधाकृष्णन का नाम, बगैर किसी से पूछ कर किया था। आपको कम से कम हमारी बात का विश्वास करके चलना चाहिए कि जब हम आपको इतना एश्योर कर रहे हैं यहां पर...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : जिस ढंग से केस का इक्वेट किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जिस ढंग से इस केस को इक्वेट करने की कोशिश की है, राजीव गांधीजी के नाम से संकुल अगर खुला भी था तो राजीव गांधीजी का...

श्री उपाध्यक्ष : इसको केवल आप यहां तक रखो, ताकि ज्यादा लम्बा नहीं हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : उनका कंट्रिब्यूशन नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : इसको हार्ट...(व्यवधान) आप इसको करिये... (व्यवधान) आप केवल यहां तक सीमित रखें, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : किसका कंट्रिब्यूशन नहीं था? राजीव गांधीजी 'भारत रत्न' हैं, देश के प्रधान मंत्री थे। क्या कंट्रिब्यूशन नहीं था? आप इस बहस को दूसरी तरफ क्यों मोड़ना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं, राजीव गांधीजी का कंट्रिब्यूशन नहीं था; राजीव गांधीजी का भारत निर्माण में कंट्रिब्यूशन था। आप राजीव गांधीजी के कंट्रिब्यूशन को कैसे नकार सकते हो? आप कैसे कह सकते हो, राजीव गांधीजी का कंट्रिब्यूशन नहीं था? यह कौनसा तरीका है आपका? जो देश का प्रधान मंत्री रहा है, उसका कोई कंट्रिब्यूशन नहीं है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : उसको कंट्रिब्यूशन नहीं कह सकते आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने बोल लिया है, माननीय सदस्य। आप बात को डाइल्यूट मत कीजिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : यह तरीका ठीक नहीं है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : आज आप तख्ती लगाना चाहते हो, तख्ती लगाने की कंट्रिब्यूशन कहते हो कि नहीं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : आज 21वीं सदी में ले जाने का काम ही राजीव गांधीजी ने किया है; आज संचार क्रांति राजीव गांधीजी की वजह से ही आई है; आज यह जितना भी देख रहे हो न, यह जो संचार क्रांति आई है, यह क्रांति राजीव गांधीजी की ही सोच है और वह आदमी शहीद हुआ है। वह आदमी देश के लिए शहीद हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। माननीय सदस्य, आप कृपया एक मिनट विराजें। आप माननीय बोहरा जी, एक मिनट।

आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। जो कृषि महाविद्यालय है, वह वास्तव में हिन्दुस्तान प्रसिद्ध रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं है। सारी बात आई, सत्ता और विपक्ष, दोनों के माननीय सदस्यों की भावना की बात आई। प्रश्न यह आया, माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष, घनश्याम जी तिवाड़ी साहब ने भी बोला कि सरकार यदि आश्वासन दे दे और बता दे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। यह तो प्रोसीडिंग्स में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : 'हां' कहने से ही हो जाता है, सरकार को लिखित में देना नहीं पड़ता। सरकार, खड़े होकर कह देते हैं, संशोधन स्वीकार हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने जो भावना व्यक्त की, इन्होंने सारी बात बताई कि मुख्य मंत्रीजी आज यहां नहीं हैं, हम आपकी भावना को और इस भावना को अगली कैबिनेट मीटिंग में हम रख देंगे।

जो भी स्थिति है, अब एक तो मेरा यह निवेदन करना है कि हो सकता है, इसमें आप एक-दो और बोलना चाहें, कोई बात करना चाहें, तो इसको यहां तक ही सीमित रखें; दूसरे महापुरुषों को जोड़ें नहीं; एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं करें, क्योंकि कोई भी, किसी के लिए भी, कुछ भी कह सकता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि एक तो इसको यहां तक रखें, आरोप-प्रत्यारोप में इसको नहीं ले जाएं, नहीं तो फिर यह मामला आगे बढ़ जाएगा और यह बात यहीं डाइल्यूट हो जाएगी।

इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध करना है, चूंकि सरकार ने जो अभी रिप्लाई दिया है, इस मामले में जो अपना वर्शन दिया, उसको आप स्वीकार करें तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : राजपाल जी, एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो बात बहुत गम्भीर हैं। मैं मंत्रीजी से आपके जरिए निवेदन करना चाहूंगा, क्या सरकार यह तो मानती है कि यह जो जोबनेर महाविद्यालय है, यह पूरा उन्हीं जागीरदारों की जमीन पर, उन्हीं के पैसे के द्वारा, सारा उन्हीं के खर्चे पर बना है? और यदि यह मानती है तो क्या हमारी मोरल ड्यूटी नहीं बनती कि हम आगे बढ़कर जब भामाशाहों को सम्मान दे रहे हैं और आगे बढ़कर के यह निवेदन कर रहे हैं कि आप सरकार से जुडिये, हमारे सरकारी स्कूलों को, हमारे सरकारी कालेज को, यूनिवर्सिटी को मदद कीजिए और हम अब तो हास्पिटल्स में उनके नाम से आई सी यू खोल रहे हैं, एस एम एस में खुल गये, जे.के. लोन में खुल गये, हमारी यह पालिसी बन चुकी है। यह कोई प्रेस्टिज इश्यू नहीं है।

ऐसे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, यह

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

राजस्थान के करोड़ों लोगों की भावना है, उनको सदन को आश्वस्त करना चाहिए कि हम उस भामाशाह परिवार को, बिलकुल आज नहीं करेंगे, और इस राजस्थान के जो करोड़ लोग जिस परिवार से जुडे हुए हैं, उस परिवार से और हम इस सारे मामले को दिखवा कर इस महाविद्यालय का नाम, यूनिवर्सिटी जब बनाते हैं तो हम नाम परिवर्तन नहीं करेंगे। यह बात हम मुख्य मंत्रीजी से करके और इसको करवाएंगे, यह तो आश्वस्त करें सदन को जिससे लोगों की भावनाएं तो आहत नहीं हों। आप इतना तो आश्वस्त कर दें, हो जाएगा फैसला।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष के सारे माननीय सदस्य मानते हैं, मिनिस्टर इंचार्ज मानते हैं, सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मानते हैं और किसी-न-किसी रूप में इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि गलती से इन्होंने नाम, जो उनको रखना चाहिए था, जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, इसका ये निर्वहन नहीं कर पाये। ऐसी परिस्थिति में, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो एरोगेंस हैं और चीज को डाइल्यूट करने की जो कोशिश है, वह एब्सोल्यूटली अन्डेमोक्रेटिक है।

इसलिए जब सदन के सारे माननीय सदस्य मान रहे हों, सदन के नेता की अनुपस्थिति में जो नेता हैं वे मान रहे हों, विपक्ष के नेता मान रहे हों, फिर, मैं सोचता हूं कि कोई कारण नहीं बचता है इसके अन्दर कि संशोधन को स्वीकार नहीं कर लिया जाए, या संशोधन खुद सरकार लेकर क आ जाए। हमें संशोधन कराने में कोई खुशी नहीं है। मैंने भी अमेंडमेंट दिया था, आपने यह कह दिया, हमें पहली बार मालूम पड़ा कि साहब, जो बिल आता है आपका, बिल यहां पर मूल रूप से हिन्दी में आता है। मैंने संविधान में यह पढ़ा था कि मूल रूप से बिल अंग्रेजी में आता है, अंग्रेजी वर्जन होता है...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : वह अंग्रजी वर्जन होता है। आप देखिये, आपका संशोधन अंग्रेजी में नहीं लिया जाता लेकिन बिल का जो प्रारूप पास होता है, वह लागू अंग्रेजी वर्जन में होता है। यह भी एक अजीब बात है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : लेकिन आपने यह कहते हुए मेरे संशोधन को निरस्त कर दिया कि मूल बिल आपका हिन्दी में है।

फिर भी, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की सर्व-मान्यता के बावजूद अगर सरकार यह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ऐरोगेंस दिखाती है तो मैं सोचता हूं कि डिविजन के अलावा कोई चारा बचता भी नहीं है। तो या तो सरकार हमारे संशोधन को स्वीकार कर ले, या खुद संशोधन ले आये, या डिविजन, जो हमारा राइट है, वह डिविजन आप हमें परमिट करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर न तो सत्ता पक्ष को कोई आपत्ति है और न विपक्ष को, विपक्ष की भी पूरी सहमति है। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने दे दिया। उस महान विभूति, जो आज संसार में नहीं है, जिसने उस जमाने में जब अंग्रेजों का राज था, उस वक्त शिक्षा की सोच रखी, जमीन दी और सारी बिल्डिंग बनाकर के खड़ी की है; आज तो थोड़ा बहुत भी कोई दान देता है जिसमें उसका नाम लग जाता है; तो यह तो विषय ही नहीं है। आज उस महान आत्मा के नाम पर महाविद्यालय का नाम है, अब कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है और उसके अन्दर नाम का जो संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कह दिया, हम उस पर सब सहमत हैं, उस बात से कि उस महान आत्मा के नाम पर यह कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है कि यह कैबिनेट में जाएगा; कैबिनेट में कोई फैसला हुआ है तो उसको डिविजन करके इस मैटर को क्यों हम उलझाना चाह रहे हैं? इससे उस महान आत्मा को ठेस पहुंचेगी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : यह संशोधन यही स्वीकार कर लीजिए ना। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : प्रोफेसर साहब, आप तो बहुत विद्वान हों, इसको पोलिटिकल मत करो। वैसे ही हो जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति अगर कहीं भी इस तरह की सहायता करता है तो उस उद्योगपति के नाम से महाविद्यालय का नाम रख दिया जाता है। तो ... (व्यवधान) कोई भी उद्योगपति अगर किसी हास्पिटल में पैसे देता है तो उसका नाम हम उसके नाम से रख सकते हैं, फिर यहां पर क्यों नहीं रखा जाए?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : ये न तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, न कोई कांग्रेस के नेता थे। (व्यवधान) विरोध होगा ही क्यों? ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, ये कांग्रेस के नेता नहीं; ये तो वे आदमी हैं जिसने बहुत ऊंचा उठकर के उस वक्त सोच रखी और उस वक्त यह

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

बिल्डिंग खड़ी की, जब राजस्थान में कोई सोचता ही नहीं था; देश में ही नहीं सोचता था, उस वक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया उसने अपना। साढ़े तीन हजार बीघा जमीन देना, बिल्डिंग बनाना, उसकी सोच है। उसके लिए किसको एतराज है? लेकिन तरीका है और वे आश्वस्त कर चुके हैं सदन के अन्दर और हम सब सहमत हैं इस बात से...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : फिर भी, दुर्भाग्य से, उस महान आदमी के नाम पर विश्वविद्यालय भूल गये आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) माननीय, एक मिनट, आपने कह दी अपनी भावना; हम भी तो बात वही कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की भावना में कोई अंतर नहीं है और बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, जहां हमने जो दानदाता हैं, जिन्होंने योगदान दिया है, उनके नाम से हम पचास तरह की संस्थाओं में नामकरण करते हैं। चूंकि शांति धारीवाल जी, जो संसदीय कार्य मंत्रीजी हैं, उन्होंने एक टेक्निकल प्राब्लम यह बताई कि कैबिनेट का प्रस्ताव है यह और जब सदन की भावना...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : यह टेक्निकल है ही नहीं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : जब सदन सर्वोपरि है तो फिर कैबिनेट की कहां प्राब्लम है? यह कानूनी कहां परेशानी है? जब सब एक हैं; गंगानगर में बी डी अग्रवाल 200 करोड़ देकर के मेडिकल कालेज बना रहे हैं, उसके नाम से आप कह रहे हों, तो इसमें कहां प्राब्लम है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : अमराराम जी, इसमें किसी की पूरी होने दोगे कि नहीं होने दोगे? आप किसी की बात पूरी होने दोगे कि नहीं?

मेरा निवेदन यह है कि सदन के नेता से बात कर लें, तब तक अपन दूसरे बिलों की चर्चा कर लें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : सर्वोपरि सदन है या सदन के नेता हैं?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : ठीक है, सदन के नेता से बात कर लें, यह ठीक है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : ऐसा है, हर चीज में, देखो, हम पालिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : हम भी नहीं कर रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : तो फिर बात तो पूरी सुनो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : एक मिनट।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : आपने जब बात कही, हमने सुना उस बात को।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : पूरी बात सुन लें, फिर सुन लूंगा आपकी बात।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : हां, बोलो।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आप दोनों के बीच में बोल जाऊं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : हां, बोलो।

श्री उपाध्यक्ष: सदन में इस तेरहवीं विधान सभा में जो भी परिस्थितियां आईं, कोई भी सदस्य खुश रहा, नाराज रहा लेकिन आसन ने डिविजन को स्वीकार नहीं किया, नाराजगी मोल लेना पसन्द किया। आज चूंकि प्रश्न ऐसा है, यह राजस्थान की अस्मिता तो नहीं कहेंगे लेकिन जिन लोगों ने राजस्थान का विकास किया है, एक एग्रीकल्चर का नाम, हम भी दिल्ली में कभी जाते हैं, वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वगैरह में, तो नाम आता है। सत्ता पक्ष के सदस्य भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब, नाम उनके नाम पर होना चाहिए और प्रतिपक्ष भी बात को कह रहा है। सभी नेता इस बात को कह रहे हैं, सब मानते हैं।

एक माननीय सदस्य : तो फिर कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : अब बात तो सुनिये।

जब सब इस बात को मानते हैं कि यदि डिविजन होगा तो डिविजन में अपनी-अपनी पार्टीलाइन से लोग चलेंगे, तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। यह एक ऐसी बात है जिसको बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। मेरी राय है, सदन की राय हो तो इस बिल को यहीं डेफर करके आगे वाला बिजनेस ले लें। आप बैठ करके विचार कर लें। आखिरी दिन है। इसमें डिविजन से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा नहीं। आप बैठ करके कर लें। तो मैं इसको यहीं डेफर करते हुए मैं दूसरा बिल लेता हूं।

मैं अनुरोध करता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उप नेता को और माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को और मुख्य सचेतक महोदय, आप बैठ कर

(श्री उपाध्यक्ष)

के इस पर बात कर लें, मुख्य मंत्रीजी से बात कर लें। ठीक है, सदन के नेता किसी काम से, अस्वस्थता की वजह से नहीं है। आप आपस में बात कर के विचार कर लें।

मैं अब कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक, 2013 को ले रहा हूं।

श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार। बोलेंगे आप? जोधपुर विश्वविद्यालय पर क्या बोलना है, आप तो कृषि विश्वविद्यालय पर बोल लेंगे न।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : विद्वान आदमी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, रोहिताश जी तो बोलेंगे इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी आपसे सख्त नाराजगी है। आपने पहले क्यों नहीं बताया, विद्वान हैं? बोल रहे हो क्या?

माननीय रोहिताश कुमार।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) : कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्दजी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : उपाध्यक्ष जी, यह सरकारी विश्वविद्यालयों का विधेयक है, इसमें जो प्रावधान किये जा रहे हैं, ये विश्वविद्यालय पर लागू होंगे। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के स्वायत्त संस्थान हैं और आटोनामी की बात की जाती है लेकिन इसमें वित्त समिति का जो गठन है, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त समिति में कुलपति पदेन अध्यक्ष होगा; उसके बाद में, प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग और वह अपने डिप्टी सेक्रैटरी को भेजेगा; प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, वह भी अपने डिप्टी सेक्रैटरी को भेजेगा; निदेशक, अनुसंधान; और एक गैर-सरकारी सदस्य। यह इस प्रकार के चार लोग होंगे, एक कुलपति होगा, इसमें क्या स्वायत्तता होगी? केवल डिप्टी सैक्रेटरी जाकर के कहेंगे, वाइस-चांसलर महोदय, यह करिये, इतना ही सरकार का निर्देश है। यह स्वायत्तता जिन्दा रहेगी क्या? आटोनामी जिन्दा रहेगी क्या? और क्या डिप्टी सेक्रेटरी के कहने से, वाइस-चांसलर की हिम्मत है जो नियुक्ति नहीं करे? उसके कहने से, उसकी सिफारिश से प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं करे? फिर इस स्वायत्तता का क्या अर्थ रह जाता है? विश्वविद्यालय का क्या अर्थ रह जाता है? इस कारण से, सरकारी विश्वविद्यालयों का गला घोंटने का काम इस एक्ट में हो रहा है। मेरी आपत्ति है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें सरकारी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का ध्यान रखा जाए, उसको बनाये रखा जाए।

दूसरा निवेदन है, जो पहले भी आया है, कि आप इसमें पूरे देश भर के विश्वविद्यालय, इस देश में जो देश का पहला उद्योग मंत्री था, वह 33 साल की उम्र में वाइस-चांसलर बन गया था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही हैं, जिसमें महाराजा कालेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय में आता था। इस कारण से, मेरा निवेदन है, प्रोफेसर के नाम तो छह साल की योग्यता रखी थी लेकिन इसमें केवल मात्र संकाय अध्यक्ष हो, जिसको डीन कहते हैं। इसके अलावा भी, जो अन्य होते हैं, निदेशक होते हैं रिसर्च सेंटर के; अकादमी का डाइरेक्टर, रिसर्च सेन्टर क्या कमजोर होता है? क्या वह डीन से कमजोर होता है? डीन तो केवल, दस प्रोफेसर हो सकते हैं कि डिपार्टमेंट में, उनमें से एक डीन बनता है, पूरी फैकल्टी में से। इस कारण, उनको कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की जो बात की गई है, मैं पुन: निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि मंत्रीजी इसको स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री रामहेत सिंह।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : आप बोलने तो दीजिये। अकेला बोल रहा हूं इस एक्ट पर। ऐसे क्यों पास करना चाहते हैं इसको? आपने जमीन खरीदी नहीं, बजट दिया नहीं और विश्वविद्यालय का एक्ट पास करा रहे हैं हमसे। इसमें आपने कमरे लिखे हैं, इस एक्ट में कमरे लिखे हैं, आपने, पत्रिकाएं लिखी हैं, पुस्तकालय लिखा है, ये सब बातें लिखी हैं, छात्रावास लिखे हैं, एक भी कुछ है धरती पर? हमसे पास कराना चाहते हैं और फिर भी कह रहे हैं, आप जल्दी करिये। कुछ तो बोलने दीजिये इस पर, यह एक्ट है।

मैं उच्च शिक्षा से जुडा हुआ आदमी हूं, इस कारण से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उच्च शिक्षा के संस्थानों को ऐसा बनने दीजिये कि एक नजीर पैदा हो, सारे देश में कहा जाए। मुझे एक बार गर्व हुआ, जब यहां दिनकर जी आए थे, विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने यह कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय वह है जिसका इंडिया में प्रशासनिक सेवाओं में पांचवां स्थान है। तब मेरा सीना फूल गया था, मैं एम.ए. में पढ़ता था, कि मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूं। आज हमारी दुर्गति है।

इस कारण से, जब कानून बना रहे हैं, जब एक्ट बना रहे हैं तो कुछ तो इसमें स्थापित करने दीजिये आप।

इसी प्रकार से, एक विधायक कर रहे हैं आप। दो विधायक से सारे विश्वविद्यालय बन रहे हैं, यहां केवल एक विधायक होगा। इसमें भी आप दो विधायक जोड़िये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : थोड़ा सा साफ बोलो, हमारा भी ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा और कुछ ही नहीं है। अगर आप सही बोलोगे तो हमें मजा आएगा। समझ में तो आए कुछ बात।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : मैं यह कह रहा हूं कि इस सदन में यह एक्ट पास हो रहा है, हम जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं, इसमें दो-तीन प्रावधान ऐसे हैं जो सही नहीं हैं। जन-प्रतिनिधियों का यही सदन पास कर रहा है और इसमें जन-प्रतिनिधियों की जो हिस्सेदारी है, वह दो से कम करके एक की जा रही है। इसका मैं विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह है कि वित्त समिति में, जो फाइनेंशल कमेटी है, उसमें चार ब्यूरोक्रेट हैं, एक वाइस-चांसलर है। क्या आटोनामी जिन्दा रहेगी? चार ब्यूरोक्रेट होंगे, एक वाइस-चांसलर होगा, इस कारण से इसकी स्वायत्तता नहीं रहेगी, यह मैं निवेदन कर रहा हूं। यह मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्वायत्तता बनाये रखी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : इसी प्रकार से, सारे देश के योग्य लोगों को लाया जाए। तो डीन की जो बात कही गई है कि तीन साल का डीन बन सकता है, लेकिन छह साल का प्रोफेसर, जो हमारी 'काजरी' का डायरेक्टर था, वह भी नहीं बन पाएगा। इस कारण से, यह प्रावधान भी, जो यह कहता है कि केवल डीन ही, तीन साल का, वाइस-चांसलर बनेगा, इसको हटाया जाए।

ये तीन सुझाव मैं दे रहा हूं, सरकार से मांग कर रहा हूं, इसमें शामिल करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बाबूसिंह राठौड़। आपकी बात तो भिण्डा जी ने बोल ही दी, फूलचन्द जी ने।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं और स्वागत करूंगा सरकार का कि बहुत लम्बे समय से जोधपुर मुख्यालय पर कृषि विश्वविद्यालय की मांग थी, सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा करके इस मांग को पूरा तो किया लेकिन कभी-कभी हमें इस बात का संदेह होता है कि ये विश्वविद्यालय भर्ती के केन्द्र नहीं बन जाएं। अभी जोधपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर्स की भर्ती हुई थी, हिस्टरी का लेक्चरर लेना था और इकोनोमिक्स वाले को ले लिया। जिन्होंने पीएच डी नहीं की, जिन्होंने 'नेट' नहीं किया, जिन्होंने 'स्लेट' नहीं किया, जो 'टेट' में पास नहीं हुआ, कांस्टेबल में पास नहीं हुआ, जो पटवारी में पास नहीं हुआ, वह जाकर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लेक्चरर बन गया। इसलिए इस बात का संदेह है कि ये विश्वविद्यालय भी कहीं भर्ती के केन्द्र नहीं बन जाएं।

हम यह चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं वे विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर बनें, उसमें लेक्चरर बनें और ऐसे 'काजरी' में 'आफरी' में कई हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको इस विश्वविद्यालय में लेक्चरर भी बनाया जाए, कुलपति भी बनाया जाए।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे यहां बालेसर में और सेतराव में 12वीं क्लास में लेक्चरर की पोस्टें पिछले आठ साल से खाली पड़ी हैं। अब हमारे वहां के स्टूडेंट का उस कृषि विषय पर मोह भंग होता जा रहा है। जहां विषय है, वहां विषय प्राध्यापक नहीं है।

हम चाहते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में भी कृषि का अध्याय होना चाहिये; जितने हमारे बारहवीं विद्यालय हैं उनमें कृषि का विषय होना चाहिये और कृषि लेक्चरर लगने चाहिये।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

उसके बाद, आज पूरे मारवाड़, जहां पर हमारा पशुपालन और कृषि मुख्य कार्य था और मुख्य व्यवसाय था, लेकिन आज हालात यह हो गये कि खेती घाटे का सौदा है, घाटे का कार्य है, लाभकारी नहीं है, इस वजह से किसानों का खेती से मोह भंग होता जा रहा है और जो खेती सब लोग करते हैं, उसकी देखा देखी ही हमारे गांव के लोग करते जा रहे हैं। व्यावसायिक खेती हो, उसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाह रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : प्याज कितने रुपये किलो है?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आज पूरे मारवाड़ में कहीं भी कृषि राजकीय महाविद्यालय नहीं है। राजकीय कृषि महाविद्यालय बनें, सब्जेक्ट हों।

हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, उसके लिये जोत में कोई भूमि का आबंटन नहीं है। हम चाहते हैं कि मारवाड़ में हमारे जो भी उप-खण्ड क्षेत्र हैं, वहां पर कृषि के अनुसंधान के लिये, वहां की जमीन उर्वरा, वहां का पानी, वहां का वातावरण, वहां का भौगोलिक वातावरण, सब देखते हुए हर उप-खण्ड मुख्यालय पर इस विश्वविद्यालय के लिये भूमि का आबंटन होना चाहिये। जोत और मुख्यालय पर भी जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय की तरह साढ़े तीन हजार बीघा जमीन; इन्होंने तो बिलकुल ही जमीन अलाट नहीं की है, तो किस प्रकार से वह विश्वविद्यालय चलेगा, इसकी हमको शंका है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस कृषि विश्वविद्यालय को ऐसा खड़ा करें कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लोगों में इसके प्रति जाग्रति हो और एक शानदार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में चले, इसकी पूरी रचना यह सरकार करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री देवी सिंह जी भाटी

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

पेमाराम जी। आप बोलेंगे? बोलना हो, तो बात तो वही है।

श्री ओम बिरला जी।

आप बोलोगे क्या? नहीं?

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 24 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये गये।

खण्ड 25 । प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या 41) में खण्ड 25 के उप-खण्ड 2 की विद्यमान अभिव्यक्ति 'स्नातक स्तर पर कृषि अध्ययन के किसी संस्थान के निदेशक' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 2 के खण्ड ट में यथा परिभाषित निदेशक' प्रस्थापित की जावे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय मंत्रीजी, पहले तो यह क्यों रखा गया था? उसका क्या असर होता? अब यह क्यों रखा गया है? इसका क्या असर है? सरकार संशोधन प्रस्तुत करती है तो स्पष्टीकरण देती है। पहले यह बताएं, फिर बहस करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन तो सब समझ गया, आपके अलावा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नहीं समझे।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : भिण्डा साहब की बात मानी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : अच्छा, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 25 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 25 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 26 से 58 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 26 से 58 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 26 से 58 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री मुरारीलाल जी मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कई विश्वविद्यालयों के बिलों का पारण हो रहा है, जोबनेर का, जोधपुर का और कोटा का और आलरैडी हमारे पास महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय और बीकानेर विश्वविद्यालय हैं। मैं दो-तीन बात इसमें कहना चाहता हूं। पहले हमारे यहां बहुत बड़ी कहावत थी कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और अदम नौकरी; कहते थे कि कृषि करना सबसे बढ़िया है, व्यापार करना मध्यम है और नौकरी करना सबसे खराब है। 'तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरे लाखों का सावन जाय,' इसलिए नौकरी को अच्छा नहीं मानते थे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : सावन किसका जाता है

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : वह तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि किसका जाता है। जौ नौकरी करता है, उसके घर वालों का जाता है।

लेकिन अब सवाल है कि नौकरी प्रथम, व्यापार अपनी जगह पर और खेती सबसे नीचे। जो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ, तो खेती को हुआ है और खेती में भी हमने क्या-क्या नुकसान किया है, हमारी पुरानी मान्यता प्राप्त सारी खेतियों को नष्ट कर दिया। हमने प्रयोग किया यंत्रों का, आवश्यक था। जो अलग-अलग क्षेत्रों में जो अलग-अलग चीजें उपलब्ध थीं, वे समाप्त हो गईं। उस मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त होकर उसका सारा प्रोडक्शन खतम हो गया। उदाहरण के लिए, शेखावाटी और जयपुर के कुछ इलाकों में झाड़ होते थे पाले के, पाला बनता था और पाला दो बार कटता था और वह पशुओं को चरने के लिए काम आता था। ज्यों ही ट्रैक्टर प्रारम्भ हुआ, पूरा का पूरा पाला जो कटता था, वह समाप्त हो गया। उसके बाद, बीकानेर के सारे क्षेत्र में फोगड़ा होता था, बहुत बड़ा था वह फोगड़ा, कोयला बनाने के लिये, और काम करने के लिये, वह सारा फोगड़ा समाप्त हो गया। इसी प्रकार, जो हमारा खेजड़ी का वृक्ष था, वह समाप्त हो रहा है। अलग-अलग स्थानों की अलग-अलग बात है। कोटा डिविजन की अलग बात है।

खेती का सारा स्वरूप बदल कर हम इस पर ले आये। खेती की उर्वरक क्षमता समाप्त हो गई। आज यदि कोई भी आदमी खेती का काम करता है और अगर वह खाद का प्रयोग नहीं करता है, दवाइयों का प्रयोग नहीं करता है तो खेती नहीं हो पाती। हमारे जो खाद का प्रयोग था, वह समाप्त हो गया। खेती को अदल-बदल करके करते थे, उससे एक दड हो जाता था, एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खेती होती थी, इस कारण से उनको अपने आप ही खाद मिल जाता था। अब वह बात समाप्त हो गई। खेती के काम आने वाली चीजें समाप्त हो गईं, उनका संरक्षण मुश्किल हो गया। उदाहरण के लिये, बीज; उदाहरण के लिये, जानवर। ऊंट का प्रयोग होता था, बैल का प्रयोग होता था; आज ऊंट समाप्त हो गया, बैल कटने के अलावा काम आता ही नहीं, वहां पर जाता है। यह काम समाप्त हुआ। उसी प्रकार से, हमारे पास में बीज थे, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में 3,300 किस्म का चावल था, आज हमारा खुद का केवल 33-34 किस्म का चावल बचा है। हमारा जो ओरिजनल बीज था, वह बीज समाप्त हो गया। हमारी खेती की तकनीक, हमारा कृषि प्रधान देश था, वह समाप्त हो गया।

अब ये विश्वविद्यालय बन रहे हैं, इन विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति पैदा होनी चाहिये, इसका इसमें उल्लेख नहीं है। यह विश्वविद्यालय अगर जोबनेर में बन रहा है तो यहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसमें अनुसंधान का प्रबंध सरकार करे। माननीय सदस्य कह रहे थे, मंत्रीजी कह रहे थे कि हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि वहां जाकर, पढ़कर खेती करे, बल्कि इसलिए पढ़ाएंगे कि वहां जाकर पढ़ कर फिर कृषि में नौकरी प्राप्त करे। मंत्री जी, अगर इन विश्वविद्यालयों का काम यह है, नौकरी प्राप्त करने के लिये आप ये विश्वविद्यालय बना रहे हैं तो फिर विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अनुसंधान करने के लिये विश्वविद्यालय बना रहे हैं, आज राजस्थान को सोचना पड़ेगा कि कौनसी जगह पर खेती होनी है और कौनसी जगह पर खेती नहीं होनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके सामने समस्या पैदा हो गई है, 232 ब्लाकों में से अधिकांश ब्लाक आपके ड्राई हो गए हैं। भूजल का अपन अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं, रिचार्ज उसका हो नहीं रहा है। कुछ स्थानों की भौगोलिक परिस्थिति नहरों के कारण से बदल गई। कुछ स्थानों के अन्दर आपने जो पानी का प्रवाह था, नदियों का, उसको बंद कर दिया। उसके कारण से स्थिति पैदा हो गई।

इसलिए सारी बातों पर अलग-अलग विश्वविद्यालय को काम देंगे कि कोटा विश्वविद्यालय में वहां पर्याप्त पानी है तो उसको वैसा काम दीजिए, जोबनेर को दूसरा काम दीजिए, बीकानेर को तीसरा काम दीजिए, जोधपुर को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चौथा काम दीजिए। अगर अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से इन विश्वविद्यालयों को हम काम देंगे तो ये विश्वविद्यालय अनुसंधान के केन्द्र बनकर कृषि में हमारा साथ दे पाएंगे। आज चाहे कृषि कमजोर रही हो लेकिन, माननीय मंत्री जी, मुरारीलाल जी, खेती के बिना राजस्थान की, हिन्दुस्तान की पार नहीं पड़ेगी। 1 अरब और 22 करोड़ की जनसंख्या को खाने-पीने के लिए चाहियेगा जरूर और उसके लिए एग्रीकल्चर पर अनुसंधान, एग्रीकल्चर का काम बहुत आवश्यक है। कई विभाग कई प्रकार के यहां पर, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री जी को, गौ निदेशालय की स्थापना की। मध्य प्रदेश में आर्गेनिक खेती के लिए अलग से डिपार्टमेंट कायम किया गया है। भूमि की समाप्त होती उर्वरा शक्ति के बारे में हमको बात कहनी पड़ेगी।

इसलिए विश्वविद्यालयों का उद्देश्य अपन यह रखते हैं कि 5-6 विश्वविद्यालय बनाये हुए ही हमारे काम आएंगे और अगर विश्वविद्यालयों का उद्देश्य विश्वविद्यालय में पढ़कर, डिग्री लेकर नौकरी प्राप्त करना है, तो विश्वविद्यालय खोलने का मकसद नहीं है। इसलिए, मंत्रीजी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप जवाब में बताएं कि जोधपुर विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का है, उसको कौनसा विशेष अनुसंधान का प्रोजेक्ट आप देने वाले हैं? आप बताएं कि जोबनेर के विश्वविद्यालय को आप कौनसा प्रोजेक्ट देंगे? और बाकी जो बने हैं, उनको कौनसा प्रोजेक्ट देंगे? दूसरा...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : कौन-कौनसी फैकल्टी होगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : फैकल्टी अलग चीज है। फैकल्टी के अलावा, यह जो संरक्षण है हमारे बीज का, हमारी जलवायु का, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति का, हमारी जो भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रजातियों की वनस्पतियां आती हैं, उनका, इन सबका संरक्षण, उनका संवर्धन और उनके बारे में चिन्तन करके यदि हमने इन विश्वविद्यालयों को नहीं दिया तो ये विश्वविद्यालय केवल पढ़ने के, डिग्री लेने के स्थान बन जाएंगे। इनकी फिर कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन विश्वविद्यालयों का कार्य विभाजन, इन विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की रूपरेखा तय करना और उसके लिए क्या-क्या हम कर पाएंगे, यह, मंत्रीजी, आप बताएंगे तो इस बिल को पारित करने में हमको आसानी होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, यह बिलकुल सही है कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और यहां की भौगोलिक स्थिति, यहां की भूमि की स्थिति, वर्षा की स्थिति हर जगह भिन्न-भिन्न है। उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि इस बात को हम स्वीकर करते हैं कि जब तक हम खेती को फायदे का सौदा नहीं बनाएंगे, जब तक हम कम पानी में, कम भूमि में अधिक पैदावार नहीं करेंगे, तब तक कृषि की तरफ हमारे पढे-लिखे लोग नहीं बढ़ेंगे।

पूरे प्रदेश को दस जलवायु खण्डों में बांटा हुआ है। पहले इन दस खण्डों को केवल विश्वविद्यालय बीकानेर और विश्वविद्यालय उदयपुर ही देखते थे। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महसूस किया कि हमारा प्रदेश कृषि में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, हमारे किसान सम्पन्न हों और उसी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन तीन विश्वविद्यालयों का गठन और किया गया है। इसमें एक कोटा, एक जोधपुर, एक जोबनेर और उसमें ज्यूरिस्डिक्शन बंटा है; उसी हिसाब से, जो भी हमारे वहां साइंटिस्ट काम करेंगे, जो भी हमारे वैज्ञानिक काम करेंगे, उस भौगोलिक स्थिति के हिसाब से काम करेंगे। उदाहरण के लिए, पहले बीकानेर हमारा विश्वविद्यालय था और वह पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, और रेगिस्तानी क्षेत्र है तो ज्यादातर हमारे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो और लोग थे, तो उसी आधार पर, उसकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करते थे। पूरे राजस्थान की परिस्थितियां अलग हैं।

तो हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सारी परिस्थितियों को समझते हुए ही इन विश्वविद्यालयों की माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट 2013 में घोषणा की गई थी। मैं समझता हूं कि जैसे ही हमारे ये विश्वविद्यालय विधिवत रूप से संचालित होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे प्रदेश के लिए आएंगे। हमारे साइंटिस्ट जैसे काम करेंगे, आने वाले टाइम में हमारे किसान भी प्रोफिट में आएंगे, अच्छी स्थिति में आएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जी भिण्डा। भावना तो वह ही है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : नहीं, वह नहीं है, और भी है। उपाध्यक्ष जी, पहले ही आप टोक देते हैं। मैं किसान का बेटा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : क्या सामान है इनके पास, समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन वे आपकी बात मानते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उसी बात को रिपीट करते हुए हर में आजमा रहे हो आप और जो नहीं बोलने वाले हैं, उनको चांस नहीं मिल पा रहा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : उपाध्यक्ष जी, मैं ज्ञानवर्धन कर रहा हूं कोटा वाले माननीय मंत्रीजी का। मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : ये यही कह रहे हैं, आप नहीं बोलोगे, ये बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ज्ञान उसको देना चाहिए जिसको ज्ञान की पीपासा हो, अपने जो धारीवाल जी हैं, इनको तो ज्ञान की पीपासा है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : आपने कहा कि क्या सामान है, ये सामान फिर अभी निकालकर दिखा देंगे। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : वह ही बोल रहा हूं। माननीय

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

बृजकिशोर जी को मालूम नहीं है, हनुमान चालीसा से ज्यादा नहीं जानते। (व्यवधान) मैं वेदों पर आ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अथर्वेद में ब्रह्मा जी इन्द्र भगवान से कहते हैं कि आप सरस्वती के किनारे जाओ और जौ की खेती करो; गेहूं की खेती कर रहे हैं, इसका मतलब, बरबाद हो रहे हैं। मैं भी डायबिटिक हूं, यह अथर्वेद की बात कर रहा हूं, मैं, और वे जाकर क्या कहते हैं, आप ऐसी खेती करो, जौ की खेती करो, ऐसी करो जो धीरे-धीरे कर अमृतमय हो जाए। अमृतमय का अर्थ है, हम आज जहरमय बना रहे हैं यूरिया डालकर के, उन्होंने अमृतमय की बात की, हरी खाद डालने की बात की। इतना ही नहीं कहा, अथर्वेद में, इण्डिया में 64 प्रकार के हलों का विवरण है, हलों का और हमारे देश को 56 भागों में बांटा है, ये आठ भाग कम क्यों हो गए, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए। इस कारण से अथर्वेद से आगे एग्रीकल्चर बढ़ नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : अथर्वेद में लिखा हुआ है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, ज्ञान का भण्डार है, आज तो एक, आधा घण्टा बोलने दो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : एक घण्टा नहीं, आधा घण्टा ही बहुत है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सेचतक) : नहीं, नहीं, एक घण्टा। आज हम सुनना चाहते हैं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आपने समय नहीं बढ़ाया तो?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अथर्वेद में यह भी लिखा हुआ है कि हल में लकड़ी की चूल और लोहे की चूल कितने इंच की होगी, कितनी लम्बाई की होगी; यह भी लिखा हुआ है। बैल के कंधे पर जो जूड़ा रखा जाएगा, उसकी भी नाप लिखी हुई है।

इस कारण से, माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि कम से कम यह प्रावधान करें कि इन विश्वविद्यालयों का अनुसंधान, हमारे अथर्वेद के आधार पर अनुसंधान हो। ऐसा एक निवेदन है।

दूसरा निवेदन यह है, अभी सांगानेर से आने वाले माननीय घनश्याम

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

जी ने यह कहा कि किस प्रकार से कृषि का वह किया जाए, मैं आपको महाभारत के ग्रन्थ में ले चलता हूं, जब नारद जी जाते हैं, पहली बार युधिष्ठर जी जब सत्तासीन होते हैं, युधिष्ठरजी जाते हैं वहां, वहां नारद जी जब जाते हैं, तब वह पहला श्लोक जो है, उस पर गौर करने की आवश्यकता है; वह पहला शब्द उपयोग करते हैं, वे कहते हैं कि क्या युधिष्ठरजी, आपने किसानों को बीज नष्ट करने की मनाही कर दी? आज किसान बरबाद हो गया; विदेशी बीज डाला गया, आपने यह कह दिया, बरबाद हो गया। घनश्याम जी ने अभी यह कहा, स्थानीय प्रकार की जो परम्परागत खेती थी, उसके बीज को लाना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं

दूसरा वाक्य वे कहते हैं, क्या, अद्वेमात्रिका कृषि; अब कोटा को विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, पानी पर्याप्त है, अभी भी पानी बरबाद किया गया, खोला गया चम्बल में। मैं माननीय धारीवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में अद्वेमात्रिका कृषि, चाहे लिफ्ट करना पड़े, कोटा डिविजन पूरा सिंचित होना चाहिए; अनुसंधान होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। (व्यवधान) अब आप विराजें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : अभी और बोलूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : +++

श्री उपाध्यक्ष : डा. दिगम्बर सिंहजी।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : मैं कृषि पर बोल रहा हूं, आप क्यों यह करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री रामहेत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : मैं आगे बोल रहा हूं अभी। अभी मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्षजी, अन्याय मत करिये। यह एक्ट बन रहा है, एक्ट। रिकार्ड पर आने दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः श्री बाबूसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : उपाध्यक्षजी, इतिहास के पन्नों में ले जा रहा हूं मैं आप लोगों को। (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए ना आप। माननीय अमरारामजी, मैं दो मिनट बोलूंगा।

(15.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये। अगले पर बोल लेना।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : नारदजी तीसरी बात कहते हैं, उस पर आ जाऊंगा। यहां परसादीलाल जी बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ...

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी। केवल अमराराम जी का।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : केवल अमरारामजी का। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आपका अंकित हो रहा है, आप बोलिये। भिण्डा जी को तो बोलने दीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में तो आए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : ×××

श्री उपाध्यक्षः केवल अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : उपाध्यक्ष महादय, कोटा कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, आपका अंकित हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में, अभी आज हम तीन कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए एक्ट पास कर रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर में जो अभी पास किया है, जोधपुर में 'काजरी' एक संस्था है जो यहां की शुष्क खेती के लिये, जिसमें सात सौ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और हमारे दो कृषि विश्वविद्यालय हैं। मैं नहीं समझता, राजस्थान के खरीफ के मौसम में सबसे ज्यादा रकबा है, एक बुवाई होती है तो बाजरा होता है। उसका जो हाइब्रिड बीज है, उसके लिये राजस्थान का कम से

(श्री अमराराम)

कम सौ करोड़ रुपया राजस्थान से बाहर जाता है। वह गुजरात, आन्ध प्रदेश और तमिलनाडु, जहां, मुख्य फसल बाजरा नहीं है, जाता है। हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज थीं, हमारा बीज निगम है, कृषि विभाग है, इतना बड़ा अमला है लेकिन आज तक भी राजस्थान में हाइब्रिड बाजरे का बीज हम पैदा नहीं कर पाये। इसके कारण राजस्थान का सौ करोड़ रुपया हर साल खरीफ में दूसरे प्रान्तों में जाता है। जब भी इस बात के लिये उनसे बात की जाती है तो वे कहते हैं कि हाइब्रिड बाजरे का बीज इसलिये पैदा नहीं हो सकता कि यहां बाजरे का होता है, लेकिन उदयपुर और कोटा, दो ऐसे सम्भाग हैं जहां बाजरे की बुवाई खरीफ में कहीं नहीं होती।

इसलिये निश्चित रूप से, केवल शिक्षा ही नहीं, अगर हम एग्रीकल्चर को डवलप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन विषयों पर, जो राजस्थान के परम्परागत बीज थे, आज सब के सब खतम हो गये। इसलिये चाहे एग्रीकल्चर में डवलपमेंट करना हे, तो आज 70 प्रतिशत खेती आज की तारीख में भी वर्षा पर निर्भर है। निश्चित रूप से उसमें किस तरह से बीज डवलप किए जाएं, शुष्क खेती में किस तरह से डवलप किय जाए, उस ओर अगर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारा विभाग, सरकार ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि केवल कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने से, एक्ट पास करने से राजस्थान की कृषि का एडवांसमेंट नहीं होगा।

इसलिये मैं जन मत जानने के लिये, जिसमें आम किसान, इसमें इंटरेस्ट रखने वाले आम जन इस पर अपने विचार दें और उसके बाद रखें, इसलिए जन मत जानने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री देवी सिंहजी भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री ओम बिरला। यह तो जोधपुर का है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : कोटा का है।

श्री उपाध्यक्ष : कोटा का है क्या? ज्यादा बोलेंगे तो देर हो जाएगी ना पास होने में; कोटा का नुकसान हो जाएगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : तीन बजे हैं; अभी तो तीन ही बजे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोटा का नुकसान हो जाएगा। धारीवाल जी को कहने का मौका क्यों दे रहे हो कि इन्होंने दो घण्टे देरी करवा दी पास होने में?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : तीन बजे हैं अभी तो। पांच तो बजने दें। नहीं तो लोग कहते हैं, विधान सभा नहीं चलती।

श्री उपाध्यक्ष : छोटे में बोलना आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अन्दर जो सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि और जिसके बारे में पूरे हिन्दुस्तान में, देश में कहा जाता है कि कृषि आधारित हमारा देश है; हमारे जीवनयापन का साधन कृषि है; हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में निवास करता है; आज राजस्थान में सरकार तीन-तीन कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है। कोटा में कृषि विश्वविद्यालय, पिछले बजट के अन्दर, 2013-14 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे सरकार की मंशा तो ठीक नजर नहीं आती। अगर सरकार की मंशा इस राजस्थान में एग्रीकल्चर उत्पादन, उसके रिसर्च और किस तरीके से, जी.डी.पी. के द्वारा आम किसान की आमदनी बढ़े, उसके बारे में सरकार अगर गम्भीर होती तो सदन के पहले सत्र के अन्दर इन विश्वविद्यालयों के बिल को लाती और चार साल के अन्दर, यह विश्वविद्यालय की फंक्शनिंग और इसकी कार्ययोजना सारे पदेश को मिलती, और शायद राजस्थान के एग्रीकल्चर उत्पादन के अन्दर, रिसर्च के अन्दर, हम कहीं न कहीं यह कह सकते थे कि राजस्थान में कृषि उत्पादन की जी.डी.पी. के द्वारा हम राजस्थान के किसानों को उन्नत कर पाये हैं और राजस्थान को खुशहाल कर पाये हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार की नीयत पर प्रश्न उठ रहा है कि आप चुनाव के पहले, विश्वविद्यालय खोलकर इतिश्री करना, राजस्थान प्रदेश के साथ न्याय नहीं है।

(15.05 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

कोटा कृषि विश्वविद्यालय की मांग बहुत बरसों से है और आज हम गर्व से कह सकते हैं, जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, राजस्थान के अन्दर कहीं भी पानी नहीं है, अगर पानी कहीं बचा हुआ है तो वह हाड़ौती सम्भाग में बचा है। आज भी वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु, वहां पर पानी, वहां पर बिजली की सम्पूर्ण उपलब्धता है। हम इस सारे क्षेत्र को, कृषि उत्पादन के अन्दर बहुत बड़ा क्षेत्र बनाकर और किसानों को भी लाभ हो, राज्य

(श्री ओम बिरला)

की जनता और उसके उत्पादन के माध्यम से हम पूरे देश के अन्दर गर्व से कह सकते हैं। हमारे यहां पर माननीय धारीवाल साहब भी मेम्बर आफ पार्लियामेंट रहे, जिला प्रमुख भी रहे; भरतसिंह जी भी वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरपंच से लेकर, प्रधान से लेकर आज भी गांव में खेती करते हैं। हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि अगर सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए तो वह कृषि विश्वविद्यालय कोटा में खोला जाए लेकिन आज कृषि विश्वविद्यालय खोलने के साथ, मंत्री महोदय जब जवाब दें, ऐसा मुझे लगता नहीं है, मंत्री महोदय के दो जवाब मैंने सुने हैं; मंत्री महोदय, तैयारी करके आया करो; विश्वविद्यालय के अन्दर बिल पास कर रहे हो, किस जमीन पर, कहां एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खोलोगे; क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा; क्या फाइनेंस की व्यवस्था होगी; क्या रिसर्च की व्यवस्था होगी; किस विश्वविद्यालय का कैसा स्वरूप होगा; विधान सभा में मंत्री आते हैं, जवाब और तैयारी के साथ आने चाहिए। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से गम्भीर मुद्द्रों पर बात हो रही है, गम्भीर चर्चा हो रही हो, गम्भीर विषय के अन्दर हम किसान के बेटे की बात करते हों, उस समय सरकार गम्भीर नहीं रहे, सरकार को कम से कम अपना मत तो देना चाहिए कि इन तीन कृषि विश्वविद्यालयों के खोलने के पीछे हमारा मकसद यह है; इन तीन कृषि विश्वविद्यालयों के लिये यह-यह जगह हमने चिन्हित की है; यह स्टाफ होगा; यह इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा; यह अध्ययन होगा; इन चीजों के अनुसंधान होंगे; अनुसंधान और रिसर्च के लिये क्या जमीन होगी; इन सारी बातों की योजनाओं की चर्चा यहां पर होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज मुझे दु:ख के साथ इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज सारी सम्पन्नता होने के बाद भी दुनिया के अन्दर पानी नहीं है, पानी की उपलब्धता की कमी है। आज बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, 16-16, 17-17 गेट, चार लाख क्यूसेक्स पानी वहां से निकाला जा रहा है। पानी की उपलब्धता है, बिजली के कारखाने हमारे यहां हैं, हमारे यहां बिजली का कोई ऐसा कारखाना नहीं है, ऐटोमिक पावर से लेकर, कोयले से लेकर, पानी से लेकर, गैस से लेकर तमाम चीजों से बिजली उत्पादन का केन्द्र आज हाड़ौती है, वहां की मिट्टी उपजाऊ है लेकिन सरकार की निष्क्रियता और जिस

(श्री ओम बिरला)

सेक्टर के अन्दर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस सेक्टर पर ध्यान नहीं देने के कारण हम किसान को उन्नत नहीं कर पाये।

हम किसान को उसकी खेती के लिये जो नई रिसर्च, खोज होनी चाहिए, आज भी किसान क्या करता है, अगर फसल में कीड़ा लग जाए तो किसान अपने दिमाग से, जो चीजें होती हैं, वह दवा डालता है। कोई रिसर्च सेण्टर ऐसा नहीं है कि कीड़ा क्यों लग जाए; कीड़े के पहले प्रिवेंटिव उपाय क्या होने चाहिए, कौनसी दवा लगनी चाहिए। हालत यह है, सभापति महोदय, करोड़ों रुपये की सोयाबीन की फसलें, हर बार कोई न कोई कीड़ा लगने से खराब हो जाती हैं। पिछली बार जब मैं तिल्ली के खेतों में गया, तिल्ली की जो बम्पर क्रोप थी लेकिन तिल्ली के अन्दर कीड़ा लगने के कारण वह सारी की सारी तिल्ली की फसल चौपट हो गयी। ऐसी हालत है कि उन किसानों को बताने वाला नहीं था।

आज एग्रीकल्चर के बारे में, ग्राम सेवक चले जाएं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खोल रखा है, फील्ड का स्टाफ, आज 15-20 साल हो गए, फील्ड स्टाफ की कोई नियुक्ति नहीं और जो कृषि अनुसंधान केन्द्र खोले गए हैं, उन अनुसंधान केन्द्रों पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर, अध्यापक नहीं, स्टाफ नहीं।

माननीय सभापति महोदय, चिंता इस बात की है कि हम किसान को, उसकी फसल उग जाए, उसको पेस्ट से कैसे रोका जा सकता है, उसकी उपज का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है; आज हम 65 साल बाद भी अगर किसान के खेत पर कीड़ा लग जाए, किसान की फसल पूरी चौपट हो जाए और हम किसान की फसल को नहीं बचा सकें तो हम किस तरीके से सपने बनाने की बात कर रहे हैं? हम कौन से नये राजस्थान बनाने की बात कर रहे हैं? हमारा नये राजस्थान का सपना तब होगा जब किसान जो खाद डाले, जो बीज डाले, उसके उत्पादन का, स्वामीनाथन आयोग की तरह, कम से कम उसको, जितना पैसा लगाया है उस कोस्ट का दुगना नहीं, तो कम से कम पचास परसेंट हिस्सा कास्ट का, मुनाफे पर उसकी उपज बिके, तब जाकर हम किसान को, एग्रीकल्चर किसान को आत्मनिर्भर खड़ा कर सकेंगे।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि कृषि विश्वविद्यालय के अन्दर तो आप खोलने जा रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, यह जवाब दे दें कि कृषि विश्वविद्यालय के लिए आपने कोटा में कितनी जमीन का

(श्री ओम बिरला)

आबंटन किया है? किस स्थान पर आबंटन किया है? इसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए पढ़ाई होगी या रिसर्च का सेंटर होगा? तो रिसर्च सेंटर के लिए आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? ज्यादा भावी योजनाएं मत बताना क्योंकि अगली बार आप आने वाले नहीं हो। जो आपके पास वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर है...(व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : यह तो चुनाव के बाद में ही पता लगेगा कि आप आएंगे या मैं आऊंगा। पता लग जाएगा चुनाव के बाद में। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : हां, जो आपके पास वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वाहवाही आप लेना चाहते हों, उसकी वाहवाही लो कि कितना आपने वहां पर फाइनेंस रखा है, कितना इसके लिए पैसे का आबंटन किया है। इन सारी पाइंटेड बातों को आप इसके अन्दर कर दो।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इन विश्वविद्यालयों के अन्दर, जिस तरीके के अन्दर सरकार की नीयत पर संदेह हो रहा है, सरकार इस बिल के जो अमेंडमेंट कर रही है, यू.जी.सी. के अन्दर कहा है, पूरा बिल के अन्दर लिखा हुआ है कि कम से कम किसी वाइस-चांसलर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए, मिनिमम टेन यीअर एक्सपीरिएंस एज प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी सिस्टम लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यहां पर जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, उसके अन्दर 6 साल; 6 साल के अन्दर भी वह प्रोफेसर रहा कि नहीं रहा, आप किसको वाइस-चांसलर बनाएंगे? वाइस-चांसलर का एक पद हुआ करता था; वाइस-चांसलर, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर का वाइस-चांसलर चलता था तो लोग कहते थे कि वाइस-चांसलर आ रहे हैं, आज पद की क्या गरिमा बढ़ाई है? आप जिस तरीके से वाइस-चांसलर बना रहे हैं, जिन लोगों को वाइस -चांसलर बना रहे हैं, कम से कम यू.जी.सी. के जो नोर्म्स हैं, आपकी गवर्नमेंट के बनाए हुए, हमारी गवर्नमेंट के बनाए हुए, तमाम पार्लियामेंट से बने हैं, उन यू.जी.सी. के पूरे के पूरे नोर्म्स के अनुसार आप वाइस-चांसलर बना रहे हों? आज आप यू.जी.सी. की उन चीजों को अवोइड करके नया बिल ला रहे हों, जिसमें यह कह रहे हैं कि छह साल, 10 यीअर की जगह पर 6 यीअर का एक्सपीरिएंस वाला वी.सी. बन सकता है।

(श्री ओम बिरला)

माननीय सभापति महोदय, सरकार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जिस तरीके से कोटा के अन्दर आपने कोटा विश्वविद्यालय खोला दिया, आनन-फानन में आपकी सरकार ने विश्वविद्यालय खोला था, आज हालत क्या है? न विश्वविद्यालय के पास संसाधन है, न स्टाफ है। आज उस विश्वविद्यालय के अन्दर केवल 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसकी पेरिफेरी के अन्दर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के कालेज भी उससे एफिलिएटेड नहीं हैं। केवल एग्जामिनेशन सेंटर खोलना, यह विश्वविद्यालय के लिए उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन स्वागत के साथ माननीय मंत्री महोदय से जवाब भी चाहूंगा कि जो आप कोटा विश्वविद्यालय खोल रहे हों, जो-जो मैंने तथ्य उठाए हैं, अपने जवाब में उन तथ्यों का जवाब दें और इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अन्दर आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के लिए क्या फैकल्टीज होंगी, कहां वैज्ञानिक होंगे, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, इन सब बातों को अपने जवाब के अन्दर स्पष्ट रूप से बतायें।

श्री सभापति : विराजिए।

श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रभरी मंत्रीजी। आप बोलेंगे?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का समय मुझे भी बोलने का दीजिए।

श्री सभापति : आपका नाम ही नहीं है न। विराज जाओ। कोटा का सारगर्भित बोल गये वे, सारा जो बोलना था। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : एक सुझाव रख दूं मैं। एक सुझाव, ओनली। आधा मिनट मुझे बोलने में लगेगा, और कुछ मत बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आगे बोल लेना आप। आगे बहुत आ रहा है, बुला देंगे आपको।

प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य, अमरारामजी ने और सभी

(श्री मुरारीलाल मीणा)

माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, यह सही बात है कि हमने बहुत तेजी से खेती के साधनों में प्रगति की है और कई हमारे साथी यह कह रहे हैं कि यह नहीं किया, वह नहीं किया, यह नहीं किया, अभी बिरलाजी बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे कि साहब, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, और यह भी स्वयं ही कह रहे थे कि कोटा की बहुत लम्बे समय से मांग चली आ रही थी...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : पाइंटेड जवाब दीजिए आप। ऐसे थोड़े ही...(व्यवधान)

श्री सभापति : पहले जवाब सुन लीजिए आप। यह बिलकुल सही नहीं है। (व्यवधान) मंत्रीजी की सुनिए, आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : मैंने पाइंटेड सवाल किए हैं, आप पाइंटेड जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह गलत बात है, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : पांच साल आपकी सरकार रही थी, आपने क्यों नहीं कवर किया? हमने महसूस किया किसानों की पीड़ा को; हमने किसानों की पीड़ा को महसूस किया। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : यह खोल दिया, वह खोल दिया, यह कहकर...(व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : देखो, हमारे...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, यह जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं, उसका जवाब दे ही दें, यह जरूरी नहीं है। (व्यवधान) कोई जरूरी नहीं है। जो इनको जवाब देना है, दे देंगे। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : जैसा अमरारामजी पूछ रहे थे कि पिछले वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा 4,337 क्विंटल बीजों का उत्पादन किया गया...(व्यवधान)

श्री सभापतिः वह नहीं है। आपके पास में, जो पूरा का पूरा जवाब देना है, वह दे देंगे। आप चाह रहे हैं कि मैं पिन-पाइंटेड कर रहा हूं, वह का वह जवाब दो...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : हां, देना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, कोई जरूरी नहीं है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : जवाब देना पड़ता है, बिलकुल जवाब देना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं है, माननीय सदस्य, विराजिए आप। नहीं, बिलकुल नहीं, आप विराजिए।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : आप अभी अलग-अलग बोल रहे थे, तो आपके ऊपर नहीं आता यह? हमारे जो दो विश्वविद्यालय थे, इन्होंने बहुत, अमरारामजी जो बोल रहे थे कि हमने कौन-कौन से बीजों का किया है...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : मंत्रीजी, ...(व्यवधान)

श्री सभापति : विद्वान माननीय सदस्य, आप तो विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : मंत्रीजी, एक मिनट कृषि विश्वविद्यालय के बारे में...(व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): बीकानेर जो कृषि विश्वविद्यालय था, उसने अच्छे-अच्छे विभिन्न प्रकार के बीजों का उत्पादन किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : आगे बुलवा दूंगा न। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : एक मिनट सुन लीजिए, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : यह जब बाजरे की बात कर रहे थे, हाइब्रिड बाजरा...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हों, आप टोकाटोकी करोगे तो मंत्रीजी कहां से जवाब देंगे? बताओ आप। एक बार आप जवाब तो सुनो पहले। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : जिस बाजरे के हाइब्रिड बीज के लिए मैंने कहा, पिछली बार खरीद में जिस तरह का बीज आपके विभाग ने, कृषि मंत्रालय ने बांटा, उससे 200 करोड़ का नुकसान चारे और बाजरे का हुआ है। शायद वैसा बाजरा किसी ने नहीं देखा होगा। राजस्थान की सरकार के कृषि विभाग ने जो बाजरे का बीज बांटा, उसकी बढ़ोतरी जौ से ज्यादा नहीं थी; जौ और गेहूं की दंगी से ज्यादा बड़ा सिट्टा नहीं था, और केवल आपने एक

(श्री अमराराम)

एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। आज तक भी उन किसानों को एक नया पैसा आपने नहीं दिया।

आप, मंत्रीजी, बता दें कि आज तक हमारे कृषि विश्वविद्यालय और बीज निगम राजस्थान ने, बाजरे का हाइब्रिड बीज कौनसा दिया है, जिसको राजस्थान का किसान बो रहा है? आज 99 परसेंट वह बीज बो रहा है जो राजस्थान के बाहर, जहां पर बाजरा पैदा नहीं होता, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात व सब जगह से आ रहा है। राजस्थान का बीज कोई एक परसेंट नहीं बोता है। या तो पैदा नहीं किया, और पैदा किया तो ऐसा किया है जिसको कोई खरीदता नहीं है। बता दें आप। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : एक मिनट। पान की खेती के बारे में भी थोड़ा बता देना क्योंकि बाद में कब सत्र आएगा, कब बताओगे आप? पान वाला मामला ध्यान है न आपको? पिछली बार, पान...। नहीं, ध्यान है मंत्रीजी को।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : माननीय सभापति महोदय, जैसे हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो भी बीज तैयार किए गए थे और माननीय सदस्य महोदय ने जैसा बताया, उसमें अभी तक ऐसा कोई बीज नहीं था, जो खराब निकला हो और किसानों का नुकसान किया हो।

जहां तक बाजरे का सवाल है, हमारा हाइब्रिड बाजरा एस.एफ.सी.आई. अनूपगढ़ फार्म पर तैयार किया जाता है, जो हमारी सलेक्ट क्वालिटी है।

इसके अलावा, हाइब्रिड मक्का, बांसवाड़ा में वृहत्त स्तर पर इस कार्य को अब और तेजी से हाथ में लिया गया है और उसके रिजल्ट भी पिछले टाइम में बहुत अच्छे, इस बाजरे के बीज के और मक्का के बीज के बहुत अच्छे रिलज्ट आए हैं और हमने किसानों के स्तर पर भी, खेती में जाकर इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं और किसानों से जोइंट मिलकर भी ये बीज तैयार किए गए हैं। उसमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है और बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इसीलिए तो हम ये विश्वविद्यालय संचालित कर रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, अगर मंत्री जवाब नहीं दे सकते तो...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : कैसे विराज जाएं? मेरे सवालों का

(श्री ओम बिरला)

जवाब दो, मंत्री महोदय। जवाब दो मेरे सवालों का। आप चले जाएंगे। आपने कांग्रेस का....(व्यवधान) यह विधान सभा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 24 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये गये।

खण्ड 25 । प्रभारी मंत्री।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : सभापति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा 2013 (2013 का विधेयक संख्या 41) में खण्ड 25 के उप-खण्ड 2 की विद्यमान अभिव्यक्ति 'स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि अध्ययन के किसी संस्थान के निदेशक' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 2 के खण्ड ट में यथा परिभाषित निदेशक' प्रतिस्थापित की जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 25 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 25 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 26 से 58 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 26 से 58 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 26 से 58 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री मुरारीलाल मीणा।

विधेयक का पारण

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप मुझसे थोड़ा सा कह तो दो कि मैं बोलना चाहता हूं, मैं आपको अलाउ करूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : हां, बोलो। (व्यवधान) जिसको जाना है, जाये। बोलें न।

श्री सभापति : आप विराजो तो सही। आप विराजो।

श्री प्रताप सिंहजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : प्रताप सिंहजी सीट पर नहीं हैं, उनको तो बुला रहे हैं; हम खड़े हैं, उनको नहीं बुला रहे।

श्री सभापति : पहले मैं इनको कह चुका था कि मैं आपको बुलाऊंगा। आप बोल रहे थे, उस वक्त की बात है। ये भी कोई अच्छा सुझाव ही देंगे। आप भी अच्छे सुझाव दे रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पहली बार कोई सरकार तीन-तीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लेकर आ रही है और जो लोग ना तो बोलते हैं, ना तारीफ करते हैं; विपक्ष की एक मोरल ड्यूटी और होती है कि बुराई करने के अलावा, आपके पास कोई अच्छे सुझाव हों तो आप सुझाव दो। आप बार-बार मंत्रीजी को टार्गेट करके कह रहे हैं कि मंत्रीजी, आप तैयारी करके नेहीं आये। आप लोग जो विपक्ष में, ससम्मान कह रहा हूं कि ज्यादा तैयारी करते हैं, मैं तैयारी करके नहीं आता, मैं यहां आकर देख लेता हूं, वही बोलता हूं; आप लोग यदि तैयारी करके आये हों, आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप अच्छे सुझाव दो।

आप यह भी बताओ कि पिछले पांच वर्षों में आपके मन में यह सोच डवलप क्यों नहीं हुई कि राजस्थान में हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए? आज राजस्थान सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का प्रदेश है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है, तो राजस्थान जब सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है, इससे पहले आप राज में रहे, राज में रहे तब आपके पास सब कुछ था, तो आप राजस्थान की चिन्ता करते, आप कोटा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलते। आज कोटा से तो आज हमारे धारीवालजी हैं। पहले आप लोग भी कोटा से आये थे लेकिन हिम्मत चाहिये मुख्य मंत्री से बात करने के लिये, मुख्य मंत्री पक्ष का हो या विपक्ष का। यहां चीफ मिनिस्टर वह है जो सबसे बात करके, जहां यूनिवर्सिटी की जरूरत है, उनको ला रहा है। कोटा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, जोबनेर में खुल रही है, जोधपुर में खुल रही है और उदयपुर में पहले से है। पूरे राजस्थान में, आप यह मानकर चलिये, पूरे राजस्थान में घेराबंदी हो गयी कि अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम पर यदि कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेगा तो उसको खून के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे। उसके लिये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर जगह तैयार है, हर सेक्टर में तैयार है। यह बड़ा काम राजस्थान की सरकार ने किया है।

सभापतिजी, कल हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत बड़ा चार्ज लगाया; आज हम तो एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देकर कह रहे हैं, राजस्थान में अमन-चैन कायम रहना चाहिये; हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति, धर्म के व्यक्ति के लिये यह सोचना चाहिये कि न हिन्दू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, हम सब सबसे पहले इंडियन हैं और इंडियन होने पर फख्र है और हर इंडियन, यूनिवर्सिटीज में और यूनिवर्सिटीज के जरिए इस देश का नाम रोशन करना चाहता हूं, कल बड़े-बड़े चार्ज लगे, हम तो

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

विकास की बात करना चाहते हैं, विकास के लिये, रिसर्च के लिये यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, आपने कल चार्ज लगाया कि जब-जब कांग्रेस पावर में आती है तो यहां पर साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसका मतलब, कांग्रेस पावर में आयेगी तो आप प्री-प्लांड वे में क्या यह सारा माहौल बिगाड़ते हों? जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सब जगह प्लांडवे में विपक्ष के लोग..., मैं आज कह सकता हूं, सभापति महोदय, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब दंगा होता है, जिसका बच्चा जाता है, वह जाति और धर्म नहीं पूछता; ऐसे में आज विधान सभा का आखिरी सत्र है, सबको यहां से संकल्प लेकर जाना चाहिये कि चाहे वोट की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे कुछ भी हो जाये, हम जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे; हम धर्म निरपेक्ष रहते हुए यह संकल्प लेकर जायेंगे कि किसी भी कीमत पर कहीं भी हम वोट के आधार पर दंगा फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज पूरे राजस्थान में षड्यन्त्र हो रहा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। कल गले साफ आपने किये थे, सुन तो लो असलियत अपनी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : पूरे राजस्थान में षड्यन्त्र हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस और बी जे पी, दोनों की मोरल ड्यूटी है, यदि किसी कस्बे में बेवजह कोई भावनाओं को भड़काए, तो कांग्रेस और बी जे पी के लोगों को उनके बीच में जाकर यह कहना चाहिये कि ना यहां कांग्रेस है, ना बी जे पी है, यहां सब इंडियन हैं, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। हम सब मिलकर यह फैसला करें कि हम कस्बे को बंद नहीं कराएंगे; पार्टीबाजी के नाम पर पथराव नहीं करेंगे; पार्टियां काल नहीं करेंगी; इस बात को लेकर, मंदिर और मस्जिद के नाम को लेकर तनाव नहीं फैलाएंगे; मंदिर और मस्जिद के नाम पर कोई भेदभाव की बात होगी तो कांग्रेस और बी जे पी आगे बढ़कर लोगों में अमन-चैन कामय करेगी, शांति-व्यवस्था कामय करेगी। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हम संकल्प लेकर जायें कि राजस्थान हमारा है और इस प्रदेश के हर कस्बे में, हर जिले में, सब जगह अमन-चैन कायम रखना हमारी ड्यूटी है। वोट के जरिए नहीं, हम शांति के जरिए इस प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे।

मैं यह भरोसा करता हूं, तीन-तीन यूनिवर्सिटीज के बिल यहां पर आयें और हमने आज जोबनेर यूनिवर्सिटी की जब बात आई, पार्टीबाजी से ऊपर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

उठकर अपनी बात कही; मैं विपक्ष के साथियों से भी कहूंगा कि आप भी पार्टीबाजी से, वोट से ऊपर उठिये, प्रदेश के अमन-चैन में पार्टीबाजी से ऊपर उठकर फैसला लीजिये, जिससे जनता हम पर भरोसा कर सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय ओम बिरलाजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय एक जवाब दे दें कि इस बिल के अन्दर पेज नम्बर 25, पाइंट नम्बर 2, उसमें आपने संशोधन किया है, टेन यीअर से सिक्स यीअर; माननीय सभापति महोदय, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन बिल पास कराने के पहले माननीय मंत्री महोदय, जो-जो तथ्य मैंने उठाये थे, अगर वह भूल गये हों तो उनको याद दिला दूं, न तथ्यों का जवाब भी दे दें।

हमारे साथी बोल रहे थे कि हमने तीन-तीन यूनिवर्सिटीज खोल दीं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में विकलांग यूनिवर्सिटीज मत खोलो। विकलांग और असक्षम विश्वविद्यालय खोलकर हम राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ न्याय करने वाले नहीं हैं। जब राजस्थान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी, जब जोबनेर कालेज का विद्यार्थी पढ़ने जाता था, हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चर के लोग उसको लेने के लिये कैम्प्स में इंटरव्यू लेने जाते थे लेकिन आप जिस तरीके से एग्रीकलचर यूनिवर्सिटीज खोल रहे हों, जिसमें न रिसर्च का काम है, अगर रिसर्च का काम होगा तो बतायें कि क्या-क्या काम होगा? मंत्रीजी अपने जवाब में बता दें। किस-किस के प्रोफेसर्स होंगे, कितनी जमीन होगी, रिसर्च के लिए कितनी जमीन होगी, यूनिवर्सिटी के लिए कितनी जमीन होगी, यह भी जवाब दे दें।

सभापति महोदय, हमने भी विश्वविद्यालय खोले हैं। यदि धन हो राज्य सरकार के पास तो पूर्णत: विश्वविद्यालय खोलो। हमने स्वागत किया कोटा में कृषि विश्वविद्यालय का, लेकिन विकलांग यूनिवर्सिटी खोल कर...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : आपने कितने खोले, वह भी बता दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : हमने तो एक नहीं खोला, हमारे पास पैसे नहीं थे, पर विकलांग नहीं खोला। जिस दिन खोलेंगे...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : आपकी मानसिकता तो विकलांग नहीं है न?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : हमारी मानसिकता विकलांग नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : बिड़लाजी, आप कोटा का सम्मान करो। आप यह कहो कि कोटा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलना गलत है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप यह बता दो, आपने खोला तो कौनसा खोला?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमने खोली।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए अलग जमीन नहीं दी। जो इंजीनियरिंग कालेज कांग्रेस के टाइम पर खुला था, उसी कैम्पस में आपने यूनिवर्सिटी खोल दी। (व्यवधान) इंजीनियरिंग कालेज पर कब्जा कर लिया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : जितने संसाधन थे, उनका उपयोग किया। टेक्निकल यूनिवर्सिटी आज कोटा ही नहीं, पूरे राजस्थान के उन इंजीनियरिंग कालेजों की टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। अत्यधिक भार पड़ने के कारण आपने नयी यूनिवर्सिटी खोली है। हम कभी भी असक्षम और अधूरी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस वोटों के लिए अंतिम सत्र के अन्दर...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आपने मेडिकल कालेज खोल कर किया था।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : आपने उसको बन्द करवा दिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप उसे बतौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाते रहे। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : मेरा आरोप है कि वह मेडिकल कालेज कोटा दक्षिण में था, पांच साल में उसमें आपने एक पैसा नहीं लगने दिया, न ही प्रोफेसर लगने दिए। आपने कहा कि मैं कोटा का विधायक हूं, किसी भी सूरत में मेडिकल कालेज को नहीं चलने दूंगा। आपने दावा किया था, यह रिकार्डेड बात है, कोटा की जनता जानती है।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : झालावाड़ में मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज, दोनों खोले हैं। मैं वहां का प्रभारी

(श्री मुरारीलाल मीणा)

मंत्री हूं, वहां की सारी व्यवस्था फेल थी, हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद में हमने संचालित किया। (व्यवधान) वहां से आपकी मुख्य मंत्रीजी थीं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : आपने मेडिकल कालेज के लिए पैसा दे दिया क्या? बजट दिया हो तो बताओ, कितना करोड़ रुपया दे दिया? (व्यवधान) वर्षवार बजट बता दो, कितना दे दिया, नहीं तो मैं बता दूं यहां पर। जवाब देने के लिए तैयारी के साथ आया करो, धारीवालजी का मुकाबला मत करो। बिना तैयारी के उठ जाते हो। बताओ, झालावाड़ में कितना बजट दिया? बताओ। उठ गये बिना काम के।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : बिड़लाजी, कोटा का विरोध तो करो कम से कम।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : मैं कह रहा हूं, जवाब दो न फिर। आप तो मंत्री हों, सरकार हो, कोई बोले तो जवाब तो दो न। झालावाड़ में यह कर दिया; बताओ पांच साल में झालावाड़ में कितना दे दिया?

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): दो करोड़। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री) : धारीवाल साहब का लोहा तो मान गये न आप?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : हां, मानता हूं न। सक्षम मंत्रियों में से सक्षम मंत्री ये ही हैं। लोहा मानता हूं विधान सभा के अन्दर।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात) : जानते हो न? तो फिर अबकी बार वे कह रहे हैं कि आपको भी...जी हां, बिलकुल।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : आपके जैसे गृह मंत्री बनेंगे न, तो आपके विधायक जो कह रहे हैं न कि दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, जातिवाद के आधार पर बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जिम्मेदारी आपकी है। (व्यवधान) क्यों नहीं रोकते हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक) : इन्होंने कहा कि जब आप सत्ता में नहीं होते हो तो आप इस काम को हाथ में ले लेते हो; यह कहा इन्होंने। चोर को थानेदार बना दोगे तो चोरी रुक जाएगी। (व्यवधान) कोई कहावत तो चरितार्थ करते हों। जब सत्ता में आते हों, दंगे कौन करवायेगा? सत्ता में खुद बैठ गए। बाहर हो जाते हों तो दंगे कराते हों। और क्या कह रहे थे वे? यही तो कह रहे थे। धंधा बना रखा है आपने।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : जिम्मेदारी किसकी है? अब तो आपकी जिम्मेदारी है न। (व्यवधान) जवाब दो।

श्री सभापति: आज अंतिम दिन है, अच्छे-अच्छे सुझाव दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : ....(व्यवधान) जातिवाद और धर्म के आधार पर जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।

सभापति महोदय, मेरी पाइंटेड बातों का जवाब मंत्रीजी दे दें, जो मैंने विषय उठाये हैं। यही मेरा आपसे कहना है।

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजो। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : आप कोटा के पक्ष में हो या विरोध में, यह तो बता दो कम से कम। आप कोटा यूनिवर्सिटी का विरोध कर रहे हो क्या? आप कहो न। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : विधान सभा के अन्दर सारा रिकार्ड रहता है। मैंने कहा, कोटा विश्वविद्यालय का स्वागत करता हूं लेकिन अपंग विश्वविद्यालय नहीं चाहिए।

श्री सभापति: मंत्रीजी, एक मिनट। चन्द्रकान्ताजी बोल रही हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : सभापति महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि कोटा में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए आज विधेयक लाया गया है और मुझे लगता है कि हाड़ौती के अन्दर उसका जो फायदा होना चाहिए, उस फायदे को अगर हम और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं, चाहे हम कृषि नीति बना पाये हों या नहीं बना पाये हों लेकिन इस विश्वविद्यालय का फायदा लेने के लिए पूरे राजस्थान के अन्दर हम लोगों को कृषि विद्यालय और कृषि महाविद्यालय खोलने चाहिए।

खास कर हाड़ौती के लिए यह खुशी की बात है लेकिन हाड़ौती को जो चम्बल का वरदान है, जहां पर सारी मूलभूत सुविधाएं कृषि विश्वविद्यालय के अनुरूप हैं, जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, जहां जमीन उपजाऊ है और जहां कृषि का इतना बड़ा रकबा है कि पूरे राजस्थान में हाड़ौती में जितना है उतना कहीं नहीं होगा, मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैंने यहां पर कई बार याचिकाएं भी लगायीं कि क्यों नहीं रामगंजमण्डी और कोटा के अन्दर हर जगह हम कृषि विद्यालय के साथ-साथ कृषि महाविद्यालय भी खोलें, लेकिन आज वह मांग हम पूरी नहीं कर पाये।

मैंने इसमें देखा कि प्रबन्ध बोर्ड का गठन जो किया गया, उसके

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

अन्दर आपने उत्कर्ष महिला, समाजसेविका को लिया जाएगा; इसके साथ, अगर आप खेती के बारे में जानने वाली, या गांव की जो कृषक महिला है, उसको भी अगर लेते हो तो मुझे लगता है कि एक साथ जब दो महिलाएं बैठेंगी तो निश्चित रूप से फायदा होगा।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहती हूं कि कुलपति की योग्यता में यह जोड़ा जाए कि राजस्थान सरकार के अनुसंधान कार्यालयों में विश्वसनीय विशेषज्ञों को भी लिया जाए, तो मुझे लगता कि बहुत अच्छा फायदा होगा।

हाड़ौती के अन्दर लहसुन की बहुत जबरदस्त खेती होती है लेकिन लहसुन की प्रोसेसिंग यूनिट हम नहीं ला सके। रामगंजमण्डी के अन्दर धनिये की एशिया में नम्बर वन मण्डी है और बेस्ट क्वालिटी का धनिया होता है, उसके बावजूद भी हम धनिये की प्रोसेसिंग यूनिट नहीं ला पाये।

कोटा के आसपास आलू की जबरदस्त खेती होती है। मात्र एक या आधे आलू से बनाये गये चिप्स के एक पैकेट को हम लोग 15-15 रुपये में खरीदते हैं। यदि वहां पर आलू की एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लग जाती तो मुझे लगता कि हाड़ौती के किसानों को बहुत अच्छा फायदा होता।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम लोगों ने आज तक किसानों के लिए क्या किया? हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाये।

मैं कहना चाहूंगी कि अभी बाजरे के बीज के लिए जो चर्चा हो रही थी, मुझे मालूम है, हाड़ौती के अन्दर कृषि रथों ने घूम-घूम कर जो बीज वितरित किये, रामगंजमण्डी की धरती के जो हमारे किसान थे, मैं खेत में जब देखने गयी तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने जो सरकारी बीज खरीदा, उस फसल में कोई फल नहीं आया। यह बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा मानती हूं कि किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ।

ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय हम लोग लाये हैं लेकिन साथ-साथ यह बतायें कि उसका स्थान कहां तय किया गया? कहां वह बनेगा? कहां उसका उचित फायदा मिल सकता है? उसके भवन की क्या व्यवस्था होगी? हमने पहले भी महाविद्यालय खोले हैं लेकिन पांच-पांच, छह-छह साल बीत जाने के बावजूद भी उनको आज तक केन्द्र नहीं मिल पाया। तो मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों का ध्यान रखकर जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवायें।

मेरा निवेदन है कि इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम अगर हम दाऊ

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

दयाल जोशी कृषि विश्वविद्यालय रखते हैं तो यह पूरे हाड़ौती के लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि अनेकों बार वे सांसद रहे हैं, अनेकों बार वे विधायक रहे हैं और दुनिया में नहीं होने के बाद भी जिस तरीके से किसानों की उनके साथ भावना है, उनका सम्मान आज भी किसान करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद।

श्री सभापतिः प्रभारी मंत्रीजी।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, शायद बाहर चले गये, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय खोल दिये गये लेकिन वहां पर यह व्यवस्था नहीं है, वह व्यवस्था नहीं है। कोटा में जो हमारा ए आर सेन्टर है उसमें बहुत बड़ा भू-भाग पड़ा हुआ है, उसी में हम उसको संचालित कर रहे हैं।

जोबनेर के बारे में बता ही रहे थे। सारे विश्वविद्यालयों के लिए बजट प्रोविजन कर दिया गया। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 27 करोड़ रुपये और आवर्ती व्यय हेतु 2.50 करोड़ रुपये प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए कर दिया है।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य इस तरह की बात कह रहे थे कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ और सोच रहे हों कि इसकी शादी कहां करेंगे, इसके फेरे कहां पड़ेंगे, इसको कौन से स्कूल में पढ़ायेंगे, इसके लिए कौनसा क्या काम करेंगे, इस तरह की चिन्ता वे जाहिर कर रहे थे; कह रहे थे कि विकलांग विश्वविद्यालय खोल दिए और यह विकलांग विश्वविद्यालय खोल दिये; मैं समझता हूं कि इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए, समर्थन करना चाहिए कि सरकार ने, हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इतने बड़े फैसले किये हैं। इसलिए इसको पास किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 । डा. दयाराम परमार।

विधेयक पर विचार

मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: विधयेक को जन मत जानने के लिए परिचालित करने हेतु निम्न माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

श्री मोहनलाल गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री रामहेत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बाबू सिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 प्रस्तुत है, मैं तो आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जोधपुर में कितने विश्वविद्यालय खोलोगे? आज ही दो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं और पहले से सात विश्वविद्यालय हैं, क्या जोधपुर सम्भाग में जोधपुर के अलावा कोई अन्य जिले नहीं हैं? निश्चित रूप से एक ही जगह इस तरह से विश्वविद्यालय खोलकर के, चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय हो, आज निश्चित रूप से खोला जाना चाहिए, इसमें

(श्री अमराराम)

किसी को एतराज नहीं है लेकिन ऐसी जगह खोला जाए कि पूरे राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, न-केवल संभाग स्तर पर ही खोले जाएं बल्कि दूसरे विश्वविद्यालय डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर भी खोले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। जहां मौलाना आजाद फाउंडेशन, यह विश्वविद्यालय का है, निश्चित रूप से जोधपुर के बजाय अगर इसको बाड़मेर या जैसलमेर के मध्य खोला जाता तो ज्यादा बेहतर होता।

निश्चित रूप से खोले जाने चाहिए लेकिन पूर्व विश्वविद्यालयों की जो हालत है, निश्चित रूप से पूरी शिक्षा को हम निजी हाथों में कर रहे हैं; जितने विश्वविद्यालय हम सरकारी खोल रहे हैं, उससे कई गुणा अधिक हमने निजी विश्वविद्यालय खोले हैं। जो हमने खोले हैं, वे भी अभी जमीन पर नहीं उतरे हैं। पहले इन्होंने जाते-जाते तीन घोषणाएं की थीं, सीकर-शेखावाटी विश्वविद्यालय, भरतपुर और अलवर; वह यह कानून लेकर आये, कानून नहीं बनाये थे; आज वे जमीन पर नहीं हैं। आज वे तीनों विश्वविद्यालय कहीं जमीन पर नहीं हैं।

केवल हम एक्ट से प्रोविजन कर दें, मैं समझता हूं कि एक हम प्राइमरी स्कूल भी खोलते हैं तो उसमें दो कमरे और एक आफिस बनाते हैं, उसमें पांच लाख का बजट देते हैं। आज हालत यह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में खोला गया है, उसमें बजट केवल इतना है जितना वाइस-चांसलर और उनके रजिस्ट्रार हैं, उनका। उनके खुद का आफिस नहीं है। आज हालत यह है, विश्वविद्यालय का एक्ट पास कर दिया, शेखावाटी विश्वविद्यालय, पिछले सत्र में पास किया था और आज की तारीख में केवल एक वाइस-चांसलर बढ़ाया है। तो यह हालत है, हम जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं!

निश्चित रूप से खोले जाने चाहिए लेकिन जिस तरह से, हम एक तरफ तो निजी विश्वविद्यालयों को केवल एक कमरे का विश्वविद्यालय और जिस तरह से डिग्रियां बांटने का, पहले सुनते थे कि बिहार से लोग डिग्री खरीद कर लाते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान में भी हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय देख लें या दूसरे विश्वविद्यालय देख लें, किसी में भी स्टाफ पूरा नहीं है। उनको पैसे की जितनी हम सहायता देते हैं, वह हम करटेल करते जा रहे हैं। शिक्षा को निश्चित रूप से हम निजी हाथों में सौंपने का काम कर रहे हैं। हमारे विद्यालय से लेकर के, हमने सुबह देखा है कि राजस्थान की

(श्री अमराराम)

स्कूली शिक्षा की जो हालत है, महाविद्यालयी शिक्षा की हालत है, वह ही विश्वविद्यालय की हालत है।

तो निश्चित रूप से केवल विश्वविद्यायल का एक्ट पास करके हम वाहवाही ले लें कि हमने तीन कृषि विश्वविद्यालय खोल दिये, यह मौलाना हमने खोल दिया, शेखावाटी में खोल दिया, अलवर और भरतपूर में खोल दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर आज की तारीख में उनका कहीं अस्तित्व नहीं है।

इसलिए मेरा तो निवेदन है कि विश्वविद्यालय खोलें लेकिन उसके लिए आर्थिक प्रोविजन, पूरे स्टाफ का प्रोविजन भी निश्चित रूप से करें। 27 करोड़ हम देंगे, ढाई करोड़ अब देंगे और 13 साल तक 27 करोड़ देंगे तो कैसा विश्वविद्यालय होगा?

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापतिः श्री पेमाराम।

(अनुपस्थित)

श्री ओम बिरला।

(अनुस्थित)

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013, मैं इसका कुछ पोर्शन आपको पढ़ रहा हूं, यह विश्वविद्यालय कैसे एग्जिस्ट हो रहा है। यह कोई नियम है, कुछ है, कोई देखभाल करने वाला ...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप पीछे तो देखो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पीछे तो देखा हुआ है, आप पहले मौलाना आजाद को देख लो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, वह तो देख लेंगे लेकिन, सर, देखो तो सही, गम्भीरता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वह गम्भीरता से ही देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

इसमें जो उद्देश्य दिये हैं, वह मैं पढ़ रहा हूं- 'उक्त मारवाड़ मुसलिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जोधपुर ने राजस्थान राज्य में ग्राम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बुझावड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में अनुसूची एक में यथा-विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक, दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं एक वर्ष में स्थापित करने का परिवचन दिया है,' विश्वास दिलाया है कि एक साल बाद हम इसकी व्यवस्था कर देंगे। यह बताओ कि आज दिन तक कोई विश्वविद्यालय इस राजस्थान में स्थापित हुआ है क्या जिसका कोई आथोरिटी यह आश्वासन दे कि हम यह-यह काम कर लेंगे, इसलिए हमें विश्वविद्यालय की मन्जूरी दें? ऐसा कौनसा आसमान पड़ रहा है? पहले कम से कम उसकी व्यवस्था तो कराओ; जो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं उनके पास कोई सामान भी है कि नहीं है, कहां से, क्या साधन आयेंगे, कैसे यूनिविर्सिटी बनी। मैं तो आपके लिखे हुए वडर्स को पढ़ रहा हूं। इसको भले ही आप धां-धूं में पास करा देना, जैसा आप चाहो वैसे करो, लेकिन यह परिपाटी इतनी गलत बनेगी और आपको और मुझको जनता माफ नहीं करेगी।

जो आप शब्द लिख रहे हैं; हम तो अभी इसको बहुत ज्यादा पढ़ भी नहीं पाये, कारण क्या है कि आप इतने बिल एक साथ लगाते हो कि हम ईमानदारी से इसको ठीक तरह से रीडिंग भी नहीं कर सकते और उसको समय भी नहीं दे पाते; आप कह रहे हो; '...प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं एक वर्ष में स्थापित करने का परिवचन...', परिवचन, मतलब, आपको यह विश्वास दिला रहे हैं कि हम यह सब व्यवस्था एक साल में कर लेंगे। ऐसी एक भी यूनिवर्सिटी बनी क्या राजस्थान में जिसका ऐसा बिल आया? ऐसी क्या जल्दी है? केवल वोटों के पीछे ही भागना एक मात्र मकसद बना लिया, और जीत कर के अमर हो जाओगे? इस प्रकार से क्यों प्रदेश की दुर्गति करने पर तुले हुए हो?

आप शब्द लिख रहे हों; '...दिया है और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं के अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गयी है।' यह सहमत हो गयी; मतलब, उसने अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो आप उसमें सहमत हो गये।

'इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए दो करोड़ रुपये रकम भी जमा करा दी है।' बस मात्र दो करोड़ रुपये की यह पूंजी आपके पास जमा हो गयी, आपने इसको विश्वविद्यालय मान लिया और मान करके आप यह सारा बिल लाकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हों, इसकी अंडरटेकिंग के आधार पर कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हम यह सब व्यवस्था कर लेंगे, ऐसी अंडरटेकिंग के आधार पर राजस्थान में एक भी विश्वविद्यालय इसके पहले बना है क्या?

अगर यह ही सरकार की मंशा है, मतलब, जाते-जाते, अपने अंतिम समय में, अपनी सारी मुराद पूरी कर जाओ ताकि भगवान और कुछ करे न करे, तुम्हें बोट की गणित में हिसाब बैठ जाए। अगर यही करोगे तो तुम्हें भगवान भी उलटे चक्कर देगा। जो इस प्रकार का घृणित काम करके, केवल वोटों का सौदा जब करते हैं न, तो ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करता और मैं यह कहता हूं कि यही बिल तुम्हें ले डूबेगा।

आपने जिस आधार पर, जिस बात को आधी-अधूरी, आप इसकी पूरी तैयारी करते। हर आदमी को अधिकार है विश्वविद्यालय खोलने का, नियमों की पालना करते हुए हर आदमी को आने का, और हर व्यक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करके एजुकेशन को आगे बढ़ाये, हम इसकी एक तरह से प्रशंसा करते हैं, उसके काम के लिए हम अनुमोदन करते हैं लेकिन कम से कम नियमों को इस तरह से रफा-दफा तो मत करो कि कोई आदमी यह कह दे कि मैं एक साल में यह खड़ा कर दूंगा, इसलिए आपको विश्वविद्यालय...। एक साल बाद ले आते न इसको। ऐसा कौनसा फर्क पड़ने वाला है?

अगर इसी विश्वविद्यालय को बनाना ही था तो इनको यह मौका देते; भाई, एक साल में तो इतनी इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो-जो साधन तुम्हें चाहिए, उसकी तुम तैयारी करके आओ, तुम्हें हमारे यहां स्वीकृति मिलेगी। हम राजस्थान में किसी को 'ना' तो कह नहीं रहे हैं कि विश्वविद्यालय नहीं बनेंगे। जब हमने तीस विश्वविद्यालय बना दिये, दो और बन जायेंगे तो आसमान धरती पर नहीं आयेगा, लेकिन कम से कम विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो अति-आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं, कृपा करके उसकी पूर्ति करके बनाओ और अगर नहीं बनाओगे तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।

आपका मन भले ही खुश हो जायेगा पर राजस्थान की जनता इस नाम से, केवल मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के नाम से जो वोट का सौदा करने जा रहे हो, वह आपको बहुत महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापतिजी, मैं एक मिनट अपनी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाने का सबसे पहला काम किया था छतीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ ने बहुत सारे विश्वविद्यालय बना लिए थे और प्रोफेसर यशपाल सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको स्ट्रक-डाउन कर दिया था। उसके बाद में राजस्थान में अपने ने विश्वविद्यालय बनाने का काम किया और राजस्थान हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने उसको रोक दिया और रोकने के बाद उन्होंने एक आदेश दिया, उस आदेश में उन्होंने लिखा कि तीन काम पूरा करेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन सकती है। पहला काम था कि इसके लिए एक सोसायटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो शिक्षा का काम करती हो।

मुझे इस बात की खुशी है कि यह मारवाड़ की जो सोसायटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यह बहुत वर्षो से काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। इसको मैं जानता हूं, मैं गया हुआ भी हूं, इसमें कोई मीन-मेख नहीं है। जिस नाम से विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, मैं उनको भी अच्छी तरह से जानता हूं और उनका नाम हमारे लिए उन्हीं राष्ट्र नेताओं के प्रकार से है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस राष्ट्र की एकता के लिए किया, वह भी मैं जानता हूं, लेकिन सरकार दो आदमियों से झूठ बुला रही है। दो शर्तें पूरी कर दीं इन्होंने, एक शर्त पूरी कर दी दो करोड़ रुपया जमा कराने की; एक शर्त पूरी कर दी, पहले से ही काम कर रहे हैं, मुस्लिम सोसायटी, मारवाड़ बहुत अच्छा काम कर रही है; दो काम ठीक हैं, तीसरे काम का आप वर्णन देखो तो उसके बाद आपको लगेगा कि यह धोखा है। यह धोखा सदन को ही नहीं है, सदन को धोखा है और मुस्लिम सोसायटी, जो मारवाड़ में वह शिक्षा का काम कर रही है, उसको धोखा है, यह बिल एक दिन में ही स्ट्रक-डाउन होगा। स्ट्रक-डाउन इसलिए नहीं होगा कि यह गलत है; इसके जो शुरू में और आखिर में लिखा हुआ है, उसको, सभापति महोदय, आप देखिए।

पहला लिख दिया आपने, यह जो उद्देश्य है इसमें, ''और यतः मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी जो 1958 से रजिस्टर्ड है...'', यह सारा लिख दिया, बिलकुल ठीक हो गया; अब पढ़िए, ''और यतः उक्त मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जोधपुर ने राजस्थान राज्य में ग्राम बुझावड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में अनुसूची 1 में यथा-विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक, दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं एक वर्ष में स्थापित करने का परिवचन दिया है।'' जो कमेटी जाती है, वह जाकर यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देखती है कि दो लाख फीट कन्स्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ; यह कमेटी जाकर यह देखती है कि इतना पुस्तकालय बना कि नहीं बना; इतने कम्प्यूटर आए कि नहीं आए; इतने कमरे बने कि नहीं बने; आडिटोरियम बना कि नहीं बना; ये कोई नहीं बने। केवल उन्होंने लिखित में एक आश्वासन दे दिया कि हम एक वर्ष में इनको बनाने का वचन देते हैं। तो इस सदन में हमको भी यह वचन देना चाहिए कि एक वर्ष बाद, कोई भी सरकार हो, हम यह मारवाड़ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन ट्रस्ट बनाना चाहेगा तो हम साथ रहेंगे; हम भी साथ रहेंगे, आप भी साथ रहिए, लेकिन कानून का उल्लंघन करके, राजस्थान उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके आप इस बिल को पारित करोगे तो आपके साथ इस बिल में कौन खड़ा रहेगा?

यह सदन, फिर मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों को सजा दी जानी चहिए, मैं नाम बोल रहा हूं उनके। इतनी गलत रिपोर्ट, इतने बड़े-बड़े आदमी करेंगे। आप देखिए, लिखते हैं, ‘‘और यतः उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर; निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी संकाय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर; संकायाध्यक्ष, प्रबंधन संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर; संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर; और प्राचार्य, डा. सम्पूर्णानन्द चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर...।’’ इससे बड़ा कोई धोखा सरकार सदन को नही दे सकती। केवल तीन उप-कुलपतियों की कमेटी बनती है और तीन उप-कुलपति जाकर जांच करके रिपोर्ट देते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा हो गया। इसमें उप-कुलपति नहीं, संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, मेडिकल कालेज, फलानां कालेज, इनको भेजकर के रिपोर्ट करा रहे हैं। सारे सदन को, राजस्थान की जनता को धोखे में रख रहे हैं। यह किस बात का न्याय है?

उन्होंने भी क्या किया, ‘‘और यतः उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन किया जाता है...।’’ You are making a law, आप कानून पास कर रहे हैं, you are making a joke of this assembly! मजाक बना रहे हैं इस सदन को। ‘‘...निगमन किया जाता है कि तो उक्त मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जोधपुर को विश्वविद्यालय चलाने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के लिए अनुज्ञात किया जाता है।'' यदि बनाती है तो आप अनुज्ञात करोगे, क्या मजाक बनाया है।

बिल लेकर आ गये आप। यह लिखा है शुरू में और बिल का जो जिस्ट आता है ना, सभापति महोदय, वह आत है उसके उद्देश्य और कारणों में, और उद्देश्य और कारणों में इसको अगर ठीक कर देते तो हम समझते कि यह काम कर रहे हैं। उद्देश्य और कारणों में उन्होंने यह बात दोहरा दी, उद्देश्य और कारणों में भी यही लिखा है, ''अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गयी है।'' शुरू में आपने लिखा यह ही और अन्त में आपने लिखा यह ही, और बीच में आपने वे सारे के सारे सेक्शन डाल दिए जो अन्य एक्ट में डाले गये हैं।

इसलिए मैं कहता हूं, यह बिल इस सदन में आ नहीं सकता, यह बिल इस सदन में पेश नहीं हो सकता, यह गैर-कानूनी बिल है; इस कानून में, स्टेट्यूट में जो व्यवस्था की गयी है, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ है। यह कानून न केवल विधान सभा को धोखा है, सम्पूर्ण यह मारवाड़ मुस्लिम रिलीफ सोसाइटी, जो यह संस्थान है, इसके साथ धोखा है। इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का नाम रखकर, उसको कोर्ट में ले जाकर स्ट्रक-डाउन कराएं, इतने बडे राष्ट्रीय नेता के साथ धोखा अगर यह सरकार करती है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। यह पाप यह सरकार करने जा रही है। यह विश्वविद्यालय का बिल, न तो यहां चर्चा होगी इस पर, न यह पास होगा और न यह रखा जा सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं आपको भी कहता हूं, यह खिलवाड़ है उनके साथ, जो भी सोसाइटी है, मुसलमानों की है कि हिन्दुओं की है, जो भी है, उसके साथ खिलवाड़ है। आप उनका क्यों मजाक बना रहे हो।

इसलिये मैं आपसे विनीत आग्रह करता हूं, आप अपने सचिवालय से पूछ लीजिए, पहले जो हाई कोर्ट के आदेश हैं वे देख लीजिए, वह देखकर आप यह फैसला करिए कि यह बिल सदन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कई बार बजट पास कराने में, कोई ध्यानाकर्षण व प्रस्ताव में, इनमें अपन गलती कर दें तो गलती कर दें; इसका नाम बजट सभा नहीं है, इसका नाम ध्यानाकर्षण सभा नहीं है, इसका नाम विधान सभा है, लेजिस्लेटिव असेम्बली, अगर हम विधान को बनाने में, विधान को ठीक करने में, विधान का संचालन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करने में गलती करेंगे तो हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उसके साथ धोखा करेंगे, सरकार के साथ धोखा करेंगे।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल का, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप तो विद्वान हैं, आप समझदार हैं, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, यह बिल यह सरकार लेकर आ गयी है, यह बिलकुल नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि सरकार इसको पेश नहीं करे, सरकार इस बिल को वापस ले।

श्री सभापति : यह जन मत जानने वाली बात है, इसमें आपको क्या है...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : आप तो सत्ता पक्ष के हैं.... (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : मेरे से सम्बन्धित है, आप मुझे बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको बाद में समय दूंगा, आपको बुलवा दूंगा...(व्यवधान) लेकिन कब बुलाना है, आप मेरे विवेक पर छोड़ो। आप विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : चलाना इसको दुबारा, बोलूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको नहीं बोलना है, आप विराजो। आपको कहां बोलना है, मैं आपको अलाउ कर दूंगा बहुत जल्दी। आप विराजें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : सभापति महोदय, सत्रह यूनिवर्सिटीज की पहले बजट भाषण में घोषणा की थी, उसमें झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, सीकर में फलानां बनाया जाएगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें बजट भाषण में भी वह ही पढ़ दिया।

अभी मेरे घर के पड़ौस की एक महिला लाल बत्ती में आती है, मैंने पूछा, भाभीजी, यह कहां से लग गयी? पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी है, कि, भाई साहब, मेरे को सीकर में वी सी लगा रखा है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं, नींव का पत्थर नहीं रखा। सिर्फ एक मकान किराए पर लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र चौधरी की धर्मपत्नी वी सी लगा दी वहां। वह क्या काम करती है?

(श्री रणवीर पहलवान)

यह राज्य सरकार जनता के पैसे किसलिए लुटाना चाह रही है? सब जगह वी सी ठोक दिए। हर जिले में लगा दो, हर गांव में वी सी लगा दो। कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कमरा हो, कोई बच्चे पढ़ रहे हों, कोई आफिस हो। सरे आम इतना बड़ा धोखा। इससे बड़ा धोखा तो मेरे ख्याल में कोई और दे ही नहीं सकता।

(16.00 बजे)

उस चीज को, सभापति महोदय, मैं तो लम्बा-चौड़ा भाषण देने के लिये नहीं, इसका, मंत्रीजी बैठे हैं, आप भी बैठे हों, थोड़ा सा उत्तर तो दिलवा दो। थाना नहीं, थानेदार है; बस नहीं, कंडक्टर और ड्राइवर गे हुए हैं; वी सी लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी नहीं; अध्यापक, स्कूल नहीं। दवाई फ्री, गूदड़ फ्री, गाजर फ्री, मूली फ्री, बैंगन फ्री। (व्यवधान) सुनो मेरी बात को, जनता सच्चाई में क्या कह रही है। पूरे राजस्थान में एक दुकान दिखा दो, जिस पर यह लिख रखा हो, इसमें दवाई फ्री मिलती है; एक जगह पर वह जगह बता दो कि यहां जांच फ्री होती है।

अभी थोडे दिन पहले +++बीमार होकर अमरीका गयीं। हमारे यहां फ्री दवाई और फ्री जांच है तो हमारे यहां क्यों नहीं आयीं इलाज करवाने के लिये? उनका इलाज यहां हो जाता अच्छी प्रकार से। यह पूरे राज्य में हमारे...

श्री सभापति : यह बीच में कहां आ गया? एक्सपंज करो आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : 2 करोड़ रुपये यात्रा पर...

श्री सभापति : एक्सपंज करो। यह क्या चीज को लेकर आये हैं?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : एक यात्रा पर 2 करोड़ खर्च होते हैं वहां अमरीका जाने में...

श्री सभापति : इसको कार्यवाही से निकाल दो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : जब सारी दवाइयां और सारी जांचें... (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू) ...(व्यवधान) +++पर बोले हैं। यह क्या? बताइये ना। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : कांग्रेस के नेता बीमार हों तो अमरीका चले जाएं...(व्यवधान) हमारे बहन-भाई राजस्थान के बीमार हों न, उनका इलाज होगा रोड्स के ऊपर। अस्पतालों के अन्दर कम्पाउंडर ढंग का

(श्री रणवीर पहलवान)

नहीं। दवाई कौन लिख रहा है? क्या चीज लिख रहे हैं? सभापति महोदय, यह बात विचार करने की है। मैं कोई यह नहीं कह रहा, आज आखिरी दिन है, मेरी प्रार्थना है, राजस्थान की जनता, हाहाकार मचा हुआ है कि बोर्ड तो दिखा दो, दवाई यहां फ्री है।

यहां पर शिक्षा का तो ऐसा कर दिया, मैं सच्चाई से कहता हूं कि ग्रामीण का बच्चा कोई 8-9 वर्ष बाद में नौकरी में आयेगा नहीं। आठवीं तक फेल नहीं करा जायेगा, अध्यापक को कोई चिन्ता नहीं पढ़ाने की, हंड्रेड प्रतिशत रिजल्ट आयेगा। गांव के बीच से अध्यापक जायेगा छाती चौड़ी करके। बच्चा घबराकर पढ़ता था, वह भी पास तो हो ही जायेगा। बच्चों से अभी गाय-भैंस चरवायी जाएं और नवीं में एडमिशन दिलवाये जाएं। यह आठवीं तक के स्कूल बंद करे जाएं, एक तो मेरी प्रार्थना है यह, क्योंकि फायदा क्या है? या फिर बी ए तक का कर दो। आप बी ए का कर दो और वी सी, वी सी लगा दो, जो भी हैं आपके यूनिवर्सिटी के। कोई उत्तर, सवाल-जवाब...। बड़ा इसको सोचो, जनता के साथ बाहर निकलोगे ना, तब बतायेंगे, दवाई कहां-कहां फ्री मिल रही है, कहां अनाज फ्री मिल रहा है।

श्री सभापति : रणवीरजी पहलवान साहब, यह विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मामला है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : वह, सभापति, चूहा पकड़ने के लिए पिंजरे के अन्दर रोटी लगाते हैं ना...

श्री सभापति : इसके अन्दर कोई संशोधन है आपका, तो बोलिये। यह...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : हमें भी पता है कि अपन चूहे को जिमाने के लिये रोटी नहीं लगा रहे हैं, चूहे को फंसाने के लिये लगा रहे हैं। राजस्थान की जनता पूरी की पूरी समझ चुकी है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू) : आप लोग जा रहे हो ना, दो महीने बाद जन मत जानने के लिये। जन मत जानने के लिये दो महीने बाद जा रहे हो ना। क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों चिन्ता करते हैं? (व्यवधान) आप जा रहे हो जन मत जानने के लिये। क्यों चिन्ता करते हो आप? (व्यवधान)

श्री सभापति : जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। आप विराजो। सुन लो अब। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू) : तीर मार रहे हो जन मत जानने के लिये...(व्यवधान) चिन्ता मत कीजिये आप...(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : पूरे निर्दलीय खा गये...(व्यवधान) को खा गये तब तो सरकार बनी है। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद तीर मारोगे। 25-40 बैठे पाओगे, मेरी गारण्टी है। यह दवाइयां गांवों में बतायेंगे, जब जाओगे ना बाहर...

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : माननीय सभापति महोदय, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर को लेकर के माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं...

श्री सभापति : आप दोनों जीत जाओगे, आप दोनों बैठ जाओ। रणवीरजी पहलवान साहब, आप दुआ करो, सब जीत करके आयें। जो भी हैं, वे सब जीत करके आयें, यह दुआ करो ना।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : एक दुकान समस्त राजस्थान में यह बता दो कि दवाई यहां फ्री मिलती है और जांच फ्री होती है, जांच करवाने आ जाओ। बोलो ना।

श्री सभापति : मंत्रीजी, आप बोलिये ना। आप विराज जाओ अब। अब आप विराजो। अब आप विराजो। (व्यवधान) आपका सारा आ गया। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू) : पता लग जायेगा आपको। समझ में आ गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजो आप। मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू) : आपके साथी बैठे हैं ना, चूरू के ही हैं, राजेन्द्र सिंहजी से पूछो। बच्चे स्कूल में...(व्यवधान) कोई दवाई की दुकान है कि नहीं...(व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय के लिये...(व्यवधान) लेकिन विश्वविद्यालय के संस्थान के पास में...(व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू) : सफारी सूट पहनकर आप जाइये हमारे...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजो। (व्यवधान) आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू) : पता लग जायेगा, किसने दवाई देखी है, कितनी दवाइयां मिलती हैं फ्री में। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो विराजो। दवाइयां कहां आ गयीं बीच में? कृषि विश्वविद्यालय की बात है, दवाइयां कहां आ गयीं बीच में? (व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : विश्वविद्यालय खोलने के लिये जो भवन किराये पर लिया है...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजो।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू) : वह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजो। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू) : दवाई कहां फ्री मिलती हैं, वह बता रहे हैं। दवाई फ्री कहां मिलती हैं, वह बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजो। (व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : ..(व्यवधान) वर्ग मीटर पर बना हुआ है...(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजो आप। (व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : संस्थान ने यह कहा है, संस्थान ने यह विश्वास दिलाया है कि हमारी जो 56 एकड़ जमीन है, उस पर एक साल के अन्दर-अन्दर हम नया विश्वविद्यालय भवन बना देंगे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नहीं, यह क्या बात हुई? ऐसे नहीं ला सकते आप बिल। आप बिल तब ला सकते हों जब बनाया हो आपने। यह नहीं ला सकते बिल आप। (व्यवधान) मजाक बना रखा है इसको। नहीं, हाउस मजाक नहीं बनेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : नहीं, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान) बना देंगे...(व्यवधान) क्या तमाशा कर रखा है यह? (व्यवधान) अस्थायी भवन; नहीं, यह नहीं चलेगा। आप मंत्री होकर यह कह रहे हों, एक साल में आप...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : आपसे करवा रहे हैं सब कुछ यह दुष्कर्म। आप नेक आदमी हों, इस बिल को...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : राजस्थान में ऐसे पचासों लोग तैयार हो जायेंगे, जो कहेंगे, एक साल बाद यह कर देंगे। इस विश्वविद्यालय का बिल ला सकते हों यहां? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : यह नहीं हो सकता है... (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : अभी कहीं पर भारतीय जनता पार्टी आयेगी, वह खोलेगी; फिर यह कहेगी, हमारी घोषणाएं हैं। अभी भी हमारी घोषणा की हुई थी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : आप तो कृपा करके, अगर तैयार नहीं होता है...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठ जाओ अब। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : यह नियमों में नहीं है...

श्री सभापति : आप विराजो। विराजो आप। (व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : और प्रोविजन करके विश्वविद्यालय विघटन...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो विराजो। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ना। (व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : विरोध करना... (व्यवधान) जितने भी कृषि विश्वविद्यालय खोले गये हैं...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : माननीय सभापति महोदय, नियमों के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं सदन में? (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दो ना। (व्यवधान)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : वह सभी अस्थायी व्यवस्था के...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : यह तो बन जाने के बाद ही होता है...(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजो। विराजो। (व्यवधन)

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : और उसी तर्ज पर यह भी एक अस्थायी व्यवस्था के...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : सभापति महोदय, अगर आपने यही परम्पराएं रखीं, आपने यह काम किया...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : नियमों के खिलाफ है अभी भी...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नियम विरुद्ध सदन में ऐसा काम किया तो हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम इस पाप में शामिल नहीं होना चाहते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : सारे कानून-कायदों को ताक में रखकर, केवल वोटों की गणित के आधार पर, बिना किसी साधन के और आश्वासन के आधार पर विश्वविद्यालय की जो बात करे, मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं और आपको सड़क पर देखेंगे, क्या होता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 47 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 से 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 से 3 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 से 3 स्वीकार की गयीं।

(श्री सभापति)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

डा. दयाराम परमार।

विधेयक का पारण

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2013 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 ।

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

श्री निर्मल कुमावत।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3।

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री निर्मल कुमावत।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 24 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 24 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 24 स्वीकार किये गये।

खण्ड 25 ।

प्रभारी मंत्रीजी। कोई संशोधन हो तो।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : सभापति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या 41) में खण्ड 25 के उप-खण्ड 2 की विद्यमान अभिव्यक्ति 'स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि अध्ययन के किसी संस्थान के निदेशक' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 2 के खण्ड ट में यथा-परिभाषित निदेशक' प्रतिस्थापित की जावे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 25 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 25 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 26 से 58 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 26 से 58 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 26 से 58 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री निर्मल कुमावत।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री मुरारीलाल मीणा।

विधेयक का पारण

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 । श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : सभापति महोदय, एक मिनट। मंत्रीजी, आप बैठिये एक मिनट। आप कहकर जाओ। यह कोई तमाशा है क्या? कहकर जाओ। यह कोई तमाशा है, सभापति महोदय? एक मिनट, एक ऐसा है, ठीक है, विपक्ष नहीं है यहां पर लेकिन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मामला है, मंत्रीजी, आप खडे होकर के स्पष्ट कीजिये। यह सदन की भावना है। आप कैसे कर सकते हैं राजस्थान की करोड़ों जनता की भावनाओं को आहत? आप बताइये। कल सड़कों पर जवाब हमको देना है।

श्री सभापति : वह कह चुके।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : नहीं, एक मिनट, वह एश्योरेंस बोल दें ना, यह एश्योरेंस दे दें ना मंत्रीजी। यह गलत बात है, मंत्री जी। ऐसे थोड़े ही ना आप सदन को चला रहे हो। (व्यवधान) यह गलत है तरीका आपका। (व्यवधान) यह बोल दें। वह बोल दें ना, क्या जा रहा है उसमें? (व्यवधान)

श्री सभापति: पारित हो चुका है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : पारित हो चुका है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : कर्ण नरेन्द्र विश्वविद्यालय बोलने में क्या फर्क पड़ रहा है इनको? इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एश्योरेंस दे चुके, तो दे दें ना मंत्रीजी। (व्यवधान) मंत्रीजी ने तय करके, यह धोखाधड़ी थोडे ही ना चलेगी। आपके साथ बैठकर जब तय हुआ है तो मंत्रीजी दे दें जवाब। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप व्यवस्था दीजियेगा। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : नहीं, व्यवस्था दे दो ना। (व्यवधान) व्यवस्था दे दो। (व्यवधान) क्या फर्क पड़ता है व्यवस्था से? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : आप व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप क्यों प्रेस्टिज पाइंट बना रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, आप एक मिनट मेरी बात सुनो। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : नहीं, यह क्यों प्रेस्टिज इश्यू बना रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप मेरी बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : नहीं, नहीं सुननी आपकी बात। (व्यवधान) गलत है यह। यह गलत है, सभापति महोदय। (व्यवधान) गलत है तरीका। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : यह बहुत गलत बात है। मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : मंत्रीजी ने तय किया...(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : पहले मंत्रीजी यह बतायें, कर्ण नरेन्द्र विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने कहा कि मैं मुख्य मंत्रीजी से

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)
बात करूंगा और कर्ण नरेन्द्र के लिए, यह जो जोबनेर विश्वविद्यालय का मामला है, इसमें नाम बदलने के नाम पर मुख्य मंत्रीजी, इतना सा ही तो कहना है, मंत्रीजी खड़े होकर के कह दो, लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी। कहने में क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? सभापति महोदय, कहने में क्या फर्क पड़ जायेगा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : यह पारित हो चुका है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : नहीं, पारित हो चुका है, एग्रीड, लेकिन मंत्रीजी तो बोलें खड़े होकर के। मंत्रीजी तो बोलें खड़े होकर के।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया कि पारित कर दिया जाये और हाउस ने पारित कर दिया। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : एग्रीड, एग्रीड ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : आप यहां खड़े होकर के बोलिये। गलत बात है, मंत्रीजी। आपने क्या तय किया मेरे से बैठकर के कुर्सी पर? आपको भी जवाब देना है आपके विधान सभा क्षेत्र में जाकर। आपकी खड़े होकर के जो मेरे से बात हुई, आप देओ जवाब कि मैं मुख्य मंत्री जी से बात करूंगा। आपको कहने में क्या तकलीफ है? यह कोई प्रेस्टिज इश्यू है आपका? प्रेस्टिज इश्यू है इनका? इनका प्रेस्टीज इश्यू चलेगा यहां पर।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : सभापति महोदय, इस बारे में, जब मैं पहले बोल रहा था, उस टाइम भी, हम सम्मान करते हैं कर्ण सिंहजी का, यह सबको पता है, पूरे सदन की भावना है, सब अवगत हो चुके हैं...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : अपमान कर रहे हो।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)) : सब अवगत हो चुके हैं और बैठकर हमने यह तय किया था कि इस मामले में सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से वार्ता करेंगे। मेरा विभाग इसको कैबिनेट तक ले

(श्री मुरारीलाल मीणा)

जायेगा। हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि इसका नाम उस महान आत्मा के नाम से रखा जाये।

श्री सभापति : राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 । श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन) : सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : विधेयक को जन मत जानने हेतु निम्न माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

श्री राजेन्द राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह।

श्री रोहिताश कुमार।

श्री देवी सिंह भाटी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : बोलने को कुछ रखा है क्या आपने?

श्री सभापति: आपने दिया है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : पहले बात हुई थी कि इस जोबनेर विश्वविद्यालय के लिए अभी हम डेफर कर रहे हैं, चर्चा करेंगे; ना तो अपने किसी से चर्चा की, ना कोई रास्ता निकाला। वापस वैसा का वैसा ही। क्या तरीका है? हम अपनी भावना रखते हैं, अगर गलत है, दोनों पक्षों से बात आ गयी कि ऐसा होना चाहिए। जो दानदाता है, भामाशाह है, उससे जनता की भावनाएं जुडी हुई हैं। अब उस बात के लिए कोई चर्चा कर ले तो शायद रास्ता निकल जाता। कोई प्रयास ही नहीं है। क्या बोलें?

श्री सभापति : मैं निवेदन करूं आपको, आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : बोलने को ही नहीं है कुछ। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजो तो सही। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने सदन को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि कैबिनेट के अन्दर रखकर के जो सदन की भावना है, उसके अनुरूप निर्णय किया जायेगा। (व्यवधान) किसी ने विरोध नहीं किया इस बात का।

इसमें कोई आपका संशोधन हो तो प्रस्तुत करो आप।

श्री पेमाराम।

श्री ओम बिरला।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : कोई नहीं बोलेगा।

श्री सभापति : कोई नहीं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

विधेयक का पारण

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन) : माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

श्री सभापति : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है? (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन माननीय सदस्य प्रस्तुत करेंगे।

श्री ओम बिरला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह।

श्री रोहिताश कुमार।

श्री अर्जुन लाल।

श्री देवी सिंह भाटी।

श्री पेमाराम।

श्री अमराराम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

कोई नहीं बोलना चाहता?

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : जो प्रस्ताव ही पेश नहीं हुआ, किस पर करा रहे हो?

श्री सभापति : बोल तो दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : चाहे जो करो; हां, करो आप तो।

श्री सभापति : बोल तो दिया।

खण्ड 2 से 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किए गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

(श्री सभापति)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.24 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

मुख्य मंत्री सहायता कोष से राशि स्वीकृत करने के मानदण्ड

58. **श्रीमती निर्मला** (किशनगंज) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्य मंत्री सहायता कोष से दुर्घटना में मृतक एवं घायल को अधिकतम एवं न्यूनतम कितनी राशि की सहायता किन-किन संवर्ग के व्यक्तियों को देने के प्रावधान हैं? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहायता राशि स्वीकृत एवं वितरण करने हेतु कौन अधिकारी सक्षम है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सहायता राशि जारी करने हेतु किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा क्या-क्या अभिशंसा की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सहायता राशि जारी करने हेतु प्रपत्र निर्धारित किया हुआ है? यदि हां, तो प्रपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरण में मृतक के आश्रित को राशि रुपये 50,000 एवं घायल को राशि रुपये 10,000 तक की सहायता राज्य के समस्त संवर्गो को सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से प्रदान की जाती है। (परिशिष्ट-1 व 2)

(2) मुख्य मंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरण में सहायता राशि स्वीकृत एवं वितरण करने हेतु राज्य के समस्त जिला कलक्टरों को अधिकृत किया हुआ है एवं राशि रुपये 10-10 लाख का रिवाल्विंग फण्ड वर्तमान में उपलब्ध है। (परिशिष्ट-3)

(3) मुख्य मंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा क्षेत्र के तहसील कार्यालय से प्राप्त प्रार्थना पत्र, एफ.आई.आर., पोस्टमार्टम रिपोर्ट/चोट प्रतिवेदन की प्रतियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायता स्वीकृत की जाती है।

(4) मुख्य मंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में सम्बन्धित जिला कलक्टर/तहसील कार्यालय में साधारण प्रार्थना पत्र, एफ.आई.आर.,

(मुख्य मंत्री)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट/चोट प्रतिवेदन की प्रतियों सहित, प्रस्तुत करने पर सहायता स्वीकृत की जाती है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में निर्माणाधीन बस स्टैण्ड

59. **श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ (अलवर) का बस स्टैण्ड काफी समय से निर्माणाधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर यहां से बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि बस स्टैण्ड के बिना कस्बे की सड़कों पर बसें बेतरतीब खड़ी करने के कारण जाम लगने से असुविधा हो रही है?

(3) क्या सरकार द्वारा बस स्टैण्ड चालू होने तक बसों को किसी उपयुक्त स्थान पर खडे किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) वर्तमान में राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के कौन-कौन से गांवों व कस्बों के लिये बस सेवा का संचालन किया जा रहा है? क्या सरकार राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के गांव/ग्राम पंचायत/कस्बों/शहरों को बस सेवा से जोडने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि गढ़ी सवाईराम से लक्ष्मणगढ़ (अलवर) मार्ग के बीच स्थित ग्राम उछर में बस स्टैण्ड स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या बसें वहां रूककर यात्रियों को चढ़ाती-उतारती हैं व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड निर्माण नहीं करवाया जा रहा है।

(2) जी नहीं। निगम वाहन उपयुक्त स्थान लक्ष्मणगढ़ कस्बे के सर्किल तिराहे पर खड़े होते हैं। अत: राजस्थान परिवहन निगम की वाहनों के खड़े रहने से किसी प्रकार के जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती हैं।

(3) लक्ष्मणगढ़ (अलवर) का बस स्टैण्ड राजस्थान परिवहन निगम

(यातायात राज्य मंत्री)

के स्वामित्व का नहीं है। निगम बसों की संचालन व्यवस्था खण्ड-2 के अनुसार हो रही है।

(4) राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के जिन-जिन ग्रामों एवं कस्बों में बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, उनकी मार्गवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में जिन ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, उनकी सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न हैं। इन प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में निविदाएं आमंत्रित की जाकर निजी बस संचालकों से अनुबंध की कार्यवाही की जा चुकी हैं।

इन प्रस्तावित मार्गों पर मोटर यान नियमों के अन्तर्गत अधिसूचित (Notified) किये जाने के पश्चात वाहन संचालन माह सितम्बर, 2013 के अन्त तक कर दिया जायेगा।

लक्ष्मणगढ़ तहसील के मण्डावर-लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर तीन ग्राम पंचायतें यथा, खो, नाहरखोरा, टोडा पूर्व से ही अन्य कलस्टरों से जोड़ी जाकर वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(5) जी हां। गढ़ी सवाईराम से लक्ष्मणगढ़ मार्ग के बीच ऊछर स्टैण्ड है जो साधारण बस सेवाओं का बस स्टाप घोषित किया हुआ है तथा द्रुतगामी सेवाओं के लिये प्रार्थना बस स्टाप घोषित किया हुआ है। इस स्थान से यात्रियों को बैठाया/उतारा जाता है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पाली जिले में श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाएं

60. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से जुलाई, 2013 तक श्रमिकों/मजदूरों के हितार्थ कौन-कौनसी योजनाएं लागू की गईं व उक्त योजनाओं के लिये कितना बजट निर्धारित किया गया व कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पूर्व में लागू की गई योजनाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में 1 अप्रैल, 2008 से जुलाई, 2013 तक श्रमिकों, मजदूरों के हितार्थ लागू की गई योजनाएं, बजट निर्धारण एवं किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) लागू की गई सभी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं।

परिशिष्ट–अ

पाली जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ 22.09.2010 से जुलाई 2013 तक निम्न योजनाएं लागू की गई हैं

1. जनश्री योजना (समूह बीमा योजना)
2. दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में तत्काल सहायता योजना
3. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना
4. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना
5. शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति)
6. प्रसूति सहायता योजना
7. निर्माण श्रमिकों के लिये गम्भीर बीमारियों पर व्यय की पुनर्भरण योजना 2011
8. साईकिल सहायता वितरण योजना 2011
9. हिताधिकारियों के निजी आवास के निर्माण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना 2011
10. मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना 2011
11. संभागीय मुख्यालयों पर निर्माण श्रमिकों के रात्रि विश्राम हेतु विश्राम गृह निर्माण योजना

पाली जिले में इन योजनाओं के लिये भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल जयपुर से 40,62,250/- रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। पाली जिले में इन योजनाओं के तहत 6,50,750/- रुपये खर्च किये गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति योजना)	6750/-
2. दुर्घटना में तत्काल सहायता योजना	20,000/-

3. विवाह सहायता योजना 1,02,000/-

4. साइकिल सहायता योजना 4,62,000/-

5. जनश्री योजना (समूह बीमा योजना) 60,000/-

पाली जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जुलाई, 2013 में लागू की गई एवं उक्त योजना पर वर्ष 2013 में 5283296/- रुपये व्यय किया गया है। पाली जिले में राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कर्मकार अंशदायी पेंशन योजना वर्ष 2008 से 31 मार्च, 2011 तक संचालित की गई। विश्वकर्मा योजना के विद्यमान सदस्यों को केन्द्र सरकार की एनपीएस/स्वावलम्बन योजना से लाभान्वित करने के लिये राज्य सरकार के निर्णयानुसार 31.3.2011 से विश्वकर्मा योजना को बन्द कर विद्यमान सदस्यों को एनपीएस/स्वावलम्बन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

विश्वकर्मा योजना के लिए वर्षवार राज्य सरकार द्वारा जमा कराई गई अंशदान राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राशि (लाख रु.)
2008-09	38.28
2009-10	100.28
2010-11	154.45
2011-12	20.12
कुल	313.13

जोधपुर में खान श्रमिक एवं संचालकों के प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भूमि का आबंटन

61. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माइनिंग इंजिनियरिंग एसोसिएशन आफ इण्डिया, जोधपुर द्वारा पत्थर की खानों के खनन श्रमिकों एवं खान संचालकों के लिये एक वोकेशनल ट्रेनिंग-कम-स्कील डवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए भूमि आबंटन हेतु नगर निगम, जोधपुर को आवेदन किया गया था? यदि हां, तो उक्त आवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि सेन्टर के लिये भूमि भी चिन्हित कर ली गई है? यदि हां, तो कौन से स्थान पर एवं कितनी भूमि कब चिन्हित की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

गई व भूमि आबंटन में देरी के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खान श्रमिकों एवं खान संचालकों के लिये उपयोगी उक्त सेंटर के लिये अब कब तक भूमि आबंटित कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। माइनिंग इन्जीनियर एसोसिएशन आफ इण्डिया, जोधपुर द्वारा नगर निगम, जोधपुर में वोकेशनल ट्रेनिंग-कम-स्कील डवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिये भूमि आबंटन का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु खनिज अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर द्वारा पत्रांक खअ/जोध/माचि/2013/421 दिनांक 09.03.2013 से ग्राम गेवां के खसरा संख्या 64 की राजकीय भूमि में से 2.00 बीघा भूमि माइनिंग इन्जीनियर एसोसिएशन आफ इण्डिया, जोधपुर को ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (जी.वी.टी.सी.) बनाने हेतु आबंटित किये जाने का निवेदन आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को किया गया है। उक्त भूमि वर्तमान में नगर निगम, जोधपुर में निहित नहीं है।

(2) भूमि का चिन्हिकरण नगर निगम द्वारा नहीं किया गया है। खनिज अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर द्वारा नगर निगम को उक्तानुसार पत्र लिखकर ग्राम गेवा के खसरा संख्या 64 की राजकीय भूमि, जिसका कुल क्षेत्रफल 44.06 बीघा किस्म बारानी-4 है, में से 2.00 बीघा भूमि को ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर (जी.वी.टी.सी.) बनाने हेतु उपयुक्त बताया गया है।

(3) माइनिंग इन्जीनियर एसोसिएशन आफ इण्डिया, जोधपुर द्वारा नगर निगम में भूमि आबंटन किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि वर्तमान में नगर निगम के स्वामित्व की भूमि नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा भूमि हस्तान्तरित किये जाने एवं संस्था द्वारा आबंटन का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर गुणावगुण के आधार पर भूमि आबंटन की कार्यवाही की जायेगी।

जैसलमेर जिले के आर.एस.एम.एम. खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण में अनियमितताएं

62. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(1) जैसलमेर स्थित आर.एस.एम.एम. खनन क्षेत्र में विगत 10 वर्षों में प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा किये गये सर्वे की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खनन क्षेत्र में अत्यधिक गड्ढे हो जाने के कारण सरण खड़ीन का पानी उसमें जमा होने से आर.एस.एम.एम. के किसी कर्मचारी की मृत्यु भी हो चुकी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके बचाव के क्या-क्या उपाय किये गये?

(3) क्या यह सही है कि विभाग को वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य के लिये वन विभाग द्वारा वृक्षवर्धक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यदि हां, तो खनिज विभाग द्वारा विगत 20 वर्षों में किस-किस किस्म के किन-किन खसरा नम्बर के किन स्थलों पर किन सड़कों के पास कितनी संख्या में वृक्षारोपण किया गया तथा कितनी नर्सरियां स्थापित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा स्वत: उगने वाले विदेशी बबूल को ही वृक्ष की श्रेणी बताकर खानापूर्ति की गई है?

(5) विगत 20 वर्षों में विभाग द्वारा कितने कुम्भट के पौधों को काटकर खनन कार्य किया गया एवं उसकी एवज में क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में आर.एस.एम.एम. लि. के सानू खनन क्षेत्र में विगत 10 वर्षों में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, जोधपुर द्वारा समय-समय पर किये गये सर्वे की रिपोर्ट्स की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त खदान क्षेत्र में पानी जमा होने से आर.एस.एम.एम. लि. के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई है। दिनांक 3.8.2010 को हुई अतिवृष्टि के कारण खान में इकट्ठे हुए पानी में अनाधिकृत रूप से नहाते समय 3 जनों की डूब जाने से मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

a. वर्षा जल से भरे गहरे गड्ढों को चिन्हित कर उनके समीप सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जाती है ताकि पानी में नहाने के लिये उतरने वालों को रोका जा सके।

(खान मंत्री)

b. अत्यधिक गहराई वाले गड्ढों से पानी निकासी हेतु आवश्यकता पड़ने पर यांत्रिक पम्प भी लगाये जाते हैं, जिनके द्वारा निकाले गये पानी को खनन क्षेत्र में प्रदूषण रोकने हेतु छिड़काव कार्य एवं वृक्षारोपण की सिंचाई में प्रयुक्त किया जाता है।

(3) आर.एस.एम.एम. लि. द्वारा सानू खदान क्षेत्र में उत्कृष्ट वृक्षारोपण कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 में वन विभाग द्वारा जिला स्तरीय वृक्षवर्धक पुरस्कार दिया गया। पूर्व में भी वन विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 में यह पुरस्कार आर.एस.एम.एम. लि. को प्रदान किया गया।

विगत 20 वर्षों में खदान क्षेत्र में प्रति वर्ष किए गए विभिन्न किस्म के वृक्षारोपण का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। उक्त वृक्षारोपण कार्य, वर्षा ऋतु के दौरान वन विभाग अथवा 'काजरी' की नर्सरी से पौधे लाकर आराजीराज क्षेत्र में किया जाता रहा है। पौधों की किस्में, जिनका चयन स्थानीय जलवायु के आधार पर किया गया - झाल, कणेर, टोटलिस, बगन बेलिया, आदि।

आर.एस.एम.एम. लि. द्वारा सानू खदान कार्यालय के निकट एक नर्सरी स्थापित है। इसके अतिरिक्त, जोगा ग्राम में आर.एस.एम.एम. लि. की अनुदानित राशि के मार्फत वर्ष 2010-11 में राघवा पंचायत द्वारा नर्सरी स्थापित कर संचालन किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। आर.एस.एम.एम. लि. को आबंटित खनन क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विदेशी बबूल अथवा झाड़ियां नहीं के बराबर थीं। जो भी विलायती बबूल खनन क्षेत्र में आज है, उनका वृक्षारोपण आर एस एम एम एल द्वारा वन विभाग की नर्सरी से लाकर किया गया है। खनन कार्य के पश्चात् भरे गये गड्ढों में विलायती बबूल के बीच छिड़काव पद्धति से रोपण किया गया।

(5) विगत 20 वर्षों में आर.एस.एम.एम. लि. द्वारा कुम्भट के पौधों को खनन कार्य हेतु काटा नहीं गया है। कुम्भट के पौधे क्षेत्र में बरसाती नालों के किनारों पर स्थित हैं। आर.एस.एम.एम. लि. द्वारा वन विभाग से इस प्रजाति के पौधे लाकर सड़क के किनारे व कार्यालय के नजदीक लगाए जा रहे हैं। इन पौधों का लगातार रख-रखाव किया जा रहा है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

विराट नगर के विद्यालयों में विज्ञान संकाय की स्थापना

63. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक कौन-कौन से विद्यालयों में नये संकाय खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में कौन-कौन से विद्यालयों में नवीन संकाय खोले गये तथा उनमें से किस-किस विद्यालय में विज्ञान विषय की मांग रही तथा किन-किन के मांग-पत्र प्राप्त हुए?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजनोता में विभिन्न स्तर से मांग होने के उपरान्त भी विज्ञान विषय नहीं खोले जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में पिछले चार वर्ष 2009-10 से 2012-13 में कौन-कौन से विद्यालयों में नये संकाय खोले गये, का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के निम्नांकित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संकाय खोले गये :-

खोलने का सत्र	नाम रा. उ. मा. वि.	खोले गये संकाय
2009-10	चिमनपुरा	विज्ञान संकाय
2009-10	साईवाड	विज्ञान संकाय
2009-10	प्रागपुरा	वाणिज्य संकाय
2009-10	बड़नगर	वाणिज्य संकाय
2012-13	विराट नगर	वाणिज्य संकाय

विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजनोता, प्रागपुरा, बड़नगर, बाघावास अहिरान एवं भाभरू और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, विराट नगर एवं पावटा में विज्ञान संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(3) विज्ञान संकाय खोलने की सीमित संख्या एवं सीमित वितीय

(शिक्षा मंत्री)

प्रावधान होने से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजनोता में विज्ञान संकाय खोला जाना सम्भव नहीं हो सका।

परिशिष्ट-क

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जयपुर-प्रथम, जयपुर

बिन्दु सं. 1 - सत्र 2009-10 से 2012-13 तक राजकीय विद्यालयों में खोले गये संकायों की सूची

क्र. सं.	सत्र	विद्यालय का नाम राउमावि...	स्वीकृत संकाय
1	2009-10	कालवाड़	विज्ञान
2	2009-10	बेगस	वाणिज्य
3	2009-10	सुलानपुरा	विज्ञान
4	2009-10	मुहाना	विज्ञान
5	2009-10	दहमीकला	वाणिज्य
6	2009-10	हरमाडा	वाणिज्य
7	2009-10	जयसिंहपुरा खोर	वाणिज्य
8	2009-10	बीचून	विज्ञान
9	2009-10	सेवा	वाणिज्य
10	2009-10	बा. चाकसू	विज्ञान
11	2009-10	राउमावि गोनेड़ा	वाणिज्य संकाय
12	2009-10	राउमावि सामोद	वाणिज्य संकाय
13	2009-10	राउमावि चन्दवाजी	वाणिज्य संकाय
14	2009-10	राउमावि धानोता	वाणिज्य संकाय
15	2009-10	राउमावि बगवाड़ा	वाणिज्य संकाय
16	2009-10	राउमावि चिमनपुरा (कोटपूतली)	विज्ञान संकाय
17	2009-10	राउमावि ढोढ़सर	विज्ञान संकाय

क्र. सं.	सत्र	विद्यालय का नाम राउमावि...	स्वीकृत संकाय
18	2009-10	राउमावि साईवाड़ (शाहपुरा)	विज्ञान संकाय
19	2009-10	राउमावि खोराबीसल	विज्ञान संकाय
20	2009-10	राउमावि राड़ावास	विज्ञान संकाय
21	2010-11	कालवाड़	वाणिज्य
22	2010-11	बांसखों	वाणिज्य
23	2010-11	बीलवा	वाणिज्य
24	2010-11	भम्भौरिया	वाणिज्य
25	2010-11	सोमेश्वरपुरी	वाणिज्य
26	2010-11	खातीपुरा	विज्ञान
27	2010-11	बा. झोटवाड़ा	विज्ञान
28	2010-11	जयसिंहपुरा खोर	विज्ञान
29	2010-11	बा. गंगापोल	विज्ञान
30	2010-11	शिवदासपुरा	विज्ञान
31	2010-11	कोटखावदा	वाणिज्य
32	2010-11	नीमेड़ा	विज्ञान
33	2010-11	राउमावि प्रागपुरा	वाणिज्य संकाय
34	2010-11	राउमावि बा. सांभर	वाणिज्य संकाय
35	2010-11	राउमावि लोचूका बास	वाणिज्य संकाय
36	2010-11	राउमावि बड़नगर	वाणिज्य संकाय
37	2010-11	राउमावि आंधी	वाणिज्य संकाय
38	2010-11	राउमावि चावण्डिया	विज्ञान संकाय
39	2010-11	राउमावि बा. फुलेरा	विज्ञान संकाय
40	2010-11	राउमावि दांतिल	विज्ञान संकाय
41	2010-11	राउमावि करणसर	विज्ञान संकाय
42	2010-11	राउमावि बा. भानपुरकलां	विज्ञान संकाय
43	2011-12	राउमावि चंदवाजी	विज्ञान संकाय
44	2011-12	राउमावि गठवाड़ी	विज्ञान संकाय
45	2011-12	राउमावि रूण्डल	विज्ञान संकाय
46	2012-13	राउमावि रायथल	विज्ञान संकाय

क्र. सं.	सत्र	विद्यालय का नाम राउमावि...	स्वीकृत संकाय
47	2012-13	राउमावि बा. चौमूं	विज्ञान संकाय
48	2012-13	बांसखों	विज्ञान
49	2012-13	गागरड़ू	वाणिज्य
50	2012-13	गणपति नगर	वाणिज्य
51	2012-13	बा. गंगापोल	वाणिज्य
52	2012-13	फतेहटीबा	वाणिज्य
53	2012-13	बीलवा	वाणिज्य
54	2012-13	मुरलीपुरा बीड	वाणिज्य
55	2012-13	बा. ब्रह्मपुरी	विज्ञान
56	2012-13	राउमावि विराट नगर	वाणिज्य संकाय
57	2012-13	राउमावि टांकरड़ा	वाणिज्य संकाय

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

जयपुर-प्रथम, जयपुर

जोधपुर के भींचरली गांव की ''पैराडाइज विला'' आवास योजना

64. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर स्थित भींचरली गांव के खसरा नम्बर 4/36/1 की 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि को रक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 24 के अन्तर्गत अवाप्त किया गया था? यदि हां, तो कब तथा उक्त भूमि का नामान्तरण रक्षा विभाग के नाम कब दर्ज किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर वर्तमान में पैराडाइज विला आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हो रहे हैं व इसका परिवर्तित ले आउट प्लान जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च, 2003 व अप्रैल, 2010 में स्वीकृत कर पट्टे जारी कर दिये गये थे? यदि हां, तो क्यों तथा किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि वायुसेना की बाउण्ड्री से 100 मीटर व पम्प गोदाम से 900 मीटर पर स्थित है? यदि हां, तो क्या

(डा. दिगम्बर सिंह)

नियमानुसार उक्त भूमि का भू-रूपान्तरण सम्भव है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो भू-रूपान्तरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पैराडाइज विला आवासीय योजना के खसरों के बीच से गुजरने वाले नगर निगम के नाले के ले-आउट प्लान में आवासीय भूखण्ड के पट्टे जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों व किसके आदेशों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 1-5-82 व भूमि अवाप्ति अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 29-4-87 के तहत अवाप्त की गयी थी। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तरण रक्षा विभाग के नाम दिनांक 9-4-2013 को दर्ज किया गया।

(2) जी नहीं। उक्त भूमि पर वर्तमान में पैराडाइज विला के अन्तर्गत भूखण्डों पर निर्माण नहीं हो रहा है। उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बर 4/36/1 में अन्य खातेदार भी हैं तथा उक्त भूमि की पैमाइश/सीमांकन होने के पश्चात् ही रक्षा विभाग हेतु अवाप्त की गयी भूमि की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पैराडाइज विला का ले आउट प्लान राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2002 के तहत वर्ष 2010 में स्वीकृत कर पट्टे जारी किये गये।

(3) जी हां। उक्त भूमि का आंशिक भाग वायु सेना की बाउण्ड्री से 100 मीटर व बम गोदाम से 900 मीटर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। उक्त सीमा में स्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ (आवासी) रूपान्तरण भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (बी) के तहत नियमानुसार राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2002 के अन्तर्गत किया गया है।

(4) जी नहीं।

गंगापुर-रायपुर (भीलवाड़ा) में स्टेडियम निर्माण के लिए मैचिंग ग्रांट की राशि

65. **श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में खेल स्टेडियम

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

बनाने हेतु गंगापुर व रायपुर उपखण्ड मुख्यालय पर विधायक कोष से रुपये 10-10 लाख की राशि की स्वीकृति जारी की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार अब तक सरकार से मिलने वाली मैचिंग ग्रांट की राशि जारी नहीं की गई है?

(3) सरकार द्वारा राशि की स्वीकृति कब तक जारी कर कार्य प्रारम्भ करने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्रको.) भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक विधायक/2013-14/89413 दिनांक 31.07.2013 द्वारा उपखण्ड मुख्यालय रायपुर तथा गंगापुर पर खेल स्टेडियम निर्माण हेतु मैचिंग ग्रांट स्वीकृत करवाये जाने के सम्बन्ध में 10-10 लाख रुपये की राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। किन्तु उक्त राशि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। स्टेडियम निर्माण के क्रम में मैचिंग ग्रांट स्वीकृत करने हेतु प्रस्तावित कार्यों का सार्वजनिक निर्माण विभाग का तखमीना एवं विधायक कोष से 10.00 लाख रुपये की अंशदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः मैचिंग ग्रांट स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) मैचिंग ग्रांट स्वीकृत करने हेतु सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पक्ष में प्रस्तावित राशि का डी.डी. एवं प्रस्तावित कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग का तखमीना बतौर प्रस्ताव भिजवाया जाने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही अमल में लाया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजसमन्द जिले में मुख्य मंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना से लाभान्वित परिवार

66. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मुख्य मंत्री शहरी अवनिर्धनता बी.पी.एल. आवास योजना किस तिथि से लागू की गई तथा इसके क्या लक्ष्य रखे गये हैं?

(2) उक्त योजना में जुलाई, 2013 तक कितने परिवारों को आवास स्वीकृति दी गई? सम्भाग एवं वित्तीय वर्ष अनुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(3) उक्त योजना में पात्र परिवारों को क्या-क्या लाभ देय हैं?

(4) प्रदेश में उक्त योजना में कितने परिवारों को देय लाभों का पूर्ण भुगतान किया गया है, कितने परिवारों को आंशिक भुगतान किया गया एवं कितने परिवारों को भुगतान नहीं किया गया है? सम्भाग एवं वित्तीय वर्ष अनुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) राजसमन्द जिले में उक्त योजनाएं कितने परिवारों को स्वीकृति जारी की गईं एवं कितने परिवारों को पूर्ण, आंशिक एवं भुगतान नहीं किया गया?

उत्तर

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 में अगस्त, 2012 से लागू की गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रत्येक वर्ष 1 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) इस योजना में अभी तक 1 लाख 21 हजार 738 परिवारों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं तथा 97 हजार 9 सौ 6 वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। सम्भागवार एवं वित्तीय वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस योजना में पात्र परिवारों को आवास निर्माण हेतु 50 हजार रुपये अनुदान सहायता देय है तथा 5000 रुपये शौचालय निर्माण हेतु सहायता दी जाती है। आवास निर्माण की अनुदान राशि 1 अप्रैल, 2013 से बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दी गयी है।

(4) प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत देय लाभों का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि स्वीकृत आवास निर्माणाधीन हैं। अभी तक देय लाभों का 63,618 परिवारों को आंशिक भुगतान किया गया है। 34,288 परिवारों का भुगतान शून्य है। सम्भागवार एवं वित्तीय वर्ष अनुसार सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) राजसमन्द जिले में 1,336 परिवारों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 843 परिवारों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। देय लाभ में पूर्ण भुगतान की संख्या शून्य तथा आंशिक भुगतान 673 परिवारों को किया गया एवं शून्य भुगतान के अन्तर्गत परिवारों की संख्या 170 है।

परिशिष्ट-अ

सम्भागवार एवं वित्तीय वर्षवार स्वीकृतियों का विवरण

क्र. सं.	सम्भाग का नाम	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14	
		जारी प्रशासनिक स्वीकृतियां	जारी वित्तीय स्वीकृतियां	जारी प्रशासनिक स्वीकृतियां	जारी वित्तीय स्वीकृतियां
1	अजमेर	19186	16275	3839	4423
2	बीकानेर	14471	9592	1037	1555
3	जयपुर	23041	12243	5113	6164
4	जोधपुर	13969	13328	16	54
5	उदयपुर	12995	10918	2015	1089
6	कोटा	25752	21213	304	1052
	कुल योग	**109414**	**83569**	**12324**	**14337**

परिशिष्ट-ब

सम्भागवार एवं वित्तीय वर्षवार देय लाभों के लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	सम्भाग का नाम	वर्ष 2012-13			वर्ष 2013-14		
		पूर्ण भुगतान	आंशिक भुगतान	शून्य भुगतान	पूर्ण भुगतान	आंशिक भुगतान	शून्य भुगतान
1	अजमेर	-	6762	9513	-	4709	-
2	बीकानेर	-	6073	3519	-	1301	254
3	जयपुर	-	9590	2653	-	4719	1445
4	जोधपुर	-	6082	7246	-	2328	-
5	उदयपुर	-	3671	7247	-	1355	-
6	कोटा	-	10772	10441	-	6256	-
	कुल योग		**42950**	**40619**		**20668**	**1699**

प्रदेश में पूर्ण शराबबन्दी लागू करने की योजना

67. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शराबबन्दी पर रिपोर्ट देने के लिये

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एक कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब एवं किस आदेश के तहत तथा इस कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कमेटी द्वारा सरकार को अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? यदि हां, तो सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में सम्पूर्ण शराबबंदी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में शराबबंदी के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर 6 माह में रिपोर्ट देने हेतु वित्त (आबकारी) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2012 पार्ट जयपुर दिनांक 26.03.2013 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में निम्नांकित सदस्य हैं:-

1	श्री सी.एस. राजन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2	श्री ओम प्रकाश जोशी	मा. विधायक, विधान सभा क्षेत्र फलौदी	सदस्य
3	श्रीमती कमला कस्वां	मा. विधायक, विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर	सदस्य
4	डा. वीरेन्द्र सिंह	अधीक्षक, एस.एम.एस. चिकित्सालय जयपुर	सदस्य
5	श्री दिनेश कुमार	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	सदस्य सचिव

उक्त आज्ञा एवं संशोधित आज्ञा की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कमेटी द्वारासरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है।

(3)वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक : प.4(1)वित्त/आब/2012/पार्ट जयपुर, दिनांक 26.03.2013

आज्ञा

शराबबन्दी के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1.	श्री सी.एस. राजन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2.	मा. विधायक	राजस्थान विधान सभा, जयपुर	सदस्य
3.	मा. विधायक	राजस्थान विधान सभा, जयपुर	सदस्य
4.	श्री वीरेन्द्र सिंह	अधीक्षक, एम.एस.एम. चिकित्सालय, जयपुर	सदस्य
5.	श्री दिनेश कुमार	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	सदस्य सचिव

समिति के दो मा. विधायकों का मनोनयन मा. अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर की अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।

समिति शराबबंदी के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों का विश्लेषण कर शराबबंदी के सभी पहलुओं पर विचार कर दो माह में दो प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, वित्त (आबकारी) विभाग होगा।

आज्ञा से,

ह.

(मेवाराम जाट)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक : प.4(1)वित्त/आब/2012/ पार्ट जयपुर, दिनांक 26.03.2013

संशोधित आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.3.2013 के अतिक्रमण में शराबबन्दी के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1.	श्री सी.एस. राजन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण	
2.		विकास एवं पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री ओमप्रकाश जोशी	राजस्थान विधान सभा क्षेत्र, फलौदी	सदस्य
3.	श्रीमती कमला कस्वां	मा.विधायक, विधान सभा क्षेत्र, सादुलशहर	सदस्य
4.	डा. वीरेन्द्र सिंह	अधीक्षक, एम.एस.एम. चिकित्सालय, जयपुर	सदस्य

5. श्री दिनेश कुमार आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर सदस्य सचिव

समिति शराबबंदी के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों का विश्लेषण कर शराबबंदी के सभी पहलुओं पर विचार कर दो माह में प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, वित्त (आबकारी) विभाग होगा।

आज्ञा से,
ह.
(मेवाराम जाट)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक :प4(1)वित्त/आब/2012 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.03.2013

संशोधित आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2013 द्वारा गठित समिति हरियाणा एवं आन्ध्र प्रदेश में शराबबंदी लागू करने में सामने आई कठिनाइयों तथा वापस लिये जाने के कारणों का विस्तृत अध्ययन कर उस पर भी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगी।

समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 'दो माह' के स्थान पर 'छह' माह की जाती है।

आज्ञा से,
ह.
(मेवाराम जाट)
उप शासन सचिव

धौलपुर में मन्दिरों को देय अनुदान

68. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा धौलपुर में कौन-कौन से मन्दिरों को कितना-कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? मन्दिरवार, राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मन्दिरों को उपलब्ध अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा धौलपुर जिले में सहायता प्राप्त 281 मंदिरों को सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। मंदिरवार, राशिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा से राज्य के 10 हजार से अधिक मंदिरों को पूजा-अर्चना हेतु दी जा रही सहायता अनुदान राशि को दुगना करते हुए न्यूनतम 1,200 रुपये दिनाक 12-12-2012 से किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खेल कोटे से नियुक्ति के मानदण्ड

69. **श्री पानाचन्द** (बारां-अटरू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नई नियुक्तियों में खेल कोटे में कितने पद आरक्षित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) खेल कोटे से नियुक्ति देने हेतु क्या पात्रता निर्धारित की हुई है एवं किस स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्र वैध हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) खेल कोटे में नियुक्ति देने हेतु कौन-कौन से खेल चिह्नित किये गये हैं? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आयोग के परिक्षेत्र के बाहर की सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों का दो प्रतिशत आरक्षण देय है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बिन्दु सं. 1 में वर्णित उत्तर के अनुक्रम में खेल कोटे में नियुक्ति के पात्र उत्कृष्ट खिलाडी हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी से अभिप्राय ऐसे खिलाड़ी से है जिन्होंने-

इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,

या

इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल

(कार्मिक मंत्री)

स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो

या

इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो

या

इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के आल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त बिन्दु का उत्तर बिन्दु संख्या 2 में समाहित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में खेल विद्यालयों की स्थापना

70. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के खेल विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कितने विद्यालय अब तक कहां-कहां व कब-कब स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर खेल विश्वविद्यालय, जनजाति खेल, बास्केटबाल, कबड्डी तथा नौकायन बनाने/खोलने की घोषणा बजट में की गई थी? यदि हां, तो इस सम्बध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

खेल विश्वविद्यालय :- बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के बिन्दु संख्या 150 के अनुसार झुंझुनूं में "Physical Education and Sports University" पीपीपी मोड पर खोले जाने की घोषणा की गई थी जिसे बजट भाषण वर्ष 2013-14 के बिन्दु संख्या 189 (i) के अनुसार पीपीपी माडल के स्थान पर राजकीय क्षेत्र में ही खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया गया है। अध्यादेश को इसी सत्र में प्रख्यापित किये जाने हेतु राजस्थान विधान सभा में पेश किया जा चुका है। खेल विश्वविद्यालय के कुलपति एवं विशेषाधिकारी के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इन पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनजाति खेल अकादमी :- बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं के विकास की असीम सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार के सहयोग से, उदयपुर में जनजाति खेल अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। जिसके क्रम में प्रस्ताव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया जा चुका है।

बास्केटबाल अकादमी :- बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में जैसलमेर में बास्केटबाल अकादमी स्थापित करने हेतु 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में राशि रुपये 50 लाख स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में लिन्टल लेवल तक भवन निर्माण हो चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। अब तक 12.62 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

कबड्डी अकादमी :- बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में करौली में कबड्डी अकादमी स्थापित करने हेतु 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को राशि रुपये 25 लाख जारी कर दी गयी है। जिसमें से कार्यकारी एजेन्सी द्वारा राशि रुपये 11 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष 2013-14 में शेष राशि 25 लाख स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नौकायन अकादमी :- बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में कोटा में

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

नौकायन अकादमी स्थापित करने हेतु 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में राशि रुपये 50 लाख स्वीकृत किये जा चुके हैं। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए कार्य योजना

71. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए अब तक कई कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए कई परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। "ठोस कचरा प्रबन्धन" के लिए अब तक किये गये कार्य/ परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। राज्य के नगर निकायों में "ठोस कचरा प्रबन्धन" कार्य के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धनापा (नागौर) की मैसर्स गोटन लाइमस्टोन का लीज प्रकरण

72. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धनापा तहसील मेड़ता जिला नागौर में मैसर्स गोटन लाइमस्टोन खनिज उद्योग को लाइमस्टोन खनन के लिये 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनन हेतु पट्टा संख्या एम. एल. नं. 45/93 आबंटित हुआ था? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका नवीनीकरण कब तक के लिये किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि उक्त खनन पट्टाधारी ने साझेदारी फर्म को कम्पनी में परिवर्तित कराने हेतु कोई आवेदन किया है? यदि हां, तो किन शर्तों पर परिवर्तन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मैसर्स गोटन लाइम खनिज उद्योग में एल्ट्राटेक सीमेन्ट कम्पनी के व्यक्तियों को निदेशक बनाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को, कब व किन शर्तों व नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मैसर्स गोटन लाइमस्टोन जो मुख्य लीज धारक थे, के द्वारा अपनी लीज एल्ट्राटेक सीमेन्ट कम्पनी को स्थानान्तरित करने के लिये कोई राशि ली गई है? यदि हां, तो कब व कितनी तथा किन नियमों के अन्तर्गत तथा इसकी स्वीकृति सरकार द्वारा कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा सं. 45/93 का नवीनीकरण दिनांक 7.4.2014 तक के लिए स्वीकृत किया गया है।

(2) जी हां। उक्त खनन पट्टाधारी फर्म मैसर्स गोटन लाइमस्टोन खनिज उद्योग ने अपने खनन पट्टे का हस्तान्तरण मैसर्स गोटन लाइमस्टोन खनिज उद्योग प्रा. लि. के पक्ष में करने हेतु दिनांक 28.3.2012 को सहायक खनिज अभियन्ता, गोटन कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदनानुसार निदेशालय के आदेश दिनांक 25.4.2012 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 15 के तहत खनन पट्टे के हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी की गई। हस्तान्तरण की शर्तें निदेशालय के आदेश एवं निष्पादित संविदा में अंकित हैं, जिनकी प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। मैसर्स गोटन लाइमस्टोन खनिज उद्योग की लीज अल्ट्राटेक सीमेन्ट कम्पनी के नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति जारी नहीं की गई है, न ही राज्य सरकार को ऐसी जानकारी है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में साम्प्रदायिक घटनाओं की रोक हेतु कार्य योजना

73. **श्री अमराराम** (दांतारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में प्रदेश में साम्प्रदायिक घटनाएं एवं तनाव की वारदातें कहां-कहां हुईं, कितनी जन एवं धन की हानि हुई, कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किये गये तथा कितने लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटनाओं के कारण जिन लोगों को जान एवं माल का नुकसान हुआ, उनको सरकार द्वारा क्या सहायता उपलब्ध करवाई गई?

(3) क्या सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक घटनाएं होने पर जिले के कलक्टर व एस. पी. को उत्तरदायी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में प्रदेश में हुई साम्प्रदायिक घटनाएं एवं तनाव की वारदातों का विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 5 व 6 पर, जन-धन हानि का विवरण कालम संख्या 9 व 10 पर, जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए हैं, का विवरण कालम संख्या 8 पर एवं न्यायालय में पेश चालान का विवरण कालम संख्या 11 व 12 पर अंकित हैं।

(2) उक्त घटनाओं के कारण जिन लोगों को जान एवं माल का नुकसान हुआ, उनको दी गयी सहायता का विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 14 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में किसी भी साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बनने अथवा साम्प्रदायिक घटना घटित होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने हेतु गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र/दिशा-निर्देशों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट 'ब', 'स' व 'द' पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चन्द्रदत्त पुरोहित, स्व. श्री, स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन प्रकरण

61. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी समिति की बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2005 में स्व. श्री चन्द्रदत्त पुरोहित, परबतसर (नागौर) का पेंशन प्रकरण जेल यातना सहने के प्रमाण पत्र के अभाव में बंद कर दिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि स्व. चन्द्रदत्त पुरोहित ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1945 से 25 मार्च, 1946 तक जेल यातनाएं सही थीं, जिसका प्रमाण पत्र उनके आश्रितों द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2005 को सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित कर दिया गया था?

(3) क्या सरकार प्रेषित प्रमाण पत्र के आधार पर अब स्वतंत्रता सेनानी/आश्रित पेंशन स्वीकृत का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी समिति की बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2005 में स्वर्गीय श्री चन्द्रदत्त पुरोहित का पेंशन प्रकरण जेल यातना सहने एवं स्वतंत्रता आंदोलन में 12 वर्ष की आयु पश्चात 10 वर्ष निरन्तर भाग लेना प्रमाणित नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया था।

(2) राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी समिति की बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2005 में स्वर्गीय श्री चन्द्रदत्त पुरोहित, परबतसर (नागौर) के पेंशन प्रकरण पर निर्णय करते समय जेल यातना सहने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। विभाग में प्रथम बार दिनांक 18 जुलाई 2013 को श्री राजेन्द्र पुरोहित द्वारा भिजवाये गये पत्र के साथ श्री चन्द्रदत्त पुरोहित के जेल यातना सहने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

(3) राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम 1959 के प्रावधान अनुसार पात्र आश्रित को आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी।

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव

62. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है? यदि हां, तो कब-कब तथा उक्त प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु राजस्थान विधान सभा में सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 25.08.2003 को पारित संकल्प की प्रति दिनांक 03.09.2003 को तत्कालीन उप प्रधान मंत्री महोदय को प्रेषित की गई थी एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28.06.2009, 04.10.2010 एवं 08.04.2011 द्वारा पुन: प्रधान मंत्री महोदय को स्मरण पत्र भिजवाया जाकर इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.05.2013 के माध्यम से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं चाही गई थीं (परिशिष्ट-"क"), जो दिनांक 23.08.2013 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं (परिशिष्ट-"ख")।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-63

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-64

(स्थगित)

राजकीय उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

65. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में कितने महिला प्रतिनिधित्व की घोषणा की गई?

(2) घोषणा अनुसार अब तक किस-किस उपक्रम में महिला निदेशकों की नियुक्ति कर दी गई है?

(3) किन-किन उपक्रमों में उक्त नियुक्ति घोषित अनुपात से कम है अथवा शून्य है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त उपक्रमों में महिला निदेशकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 2013-14 में बजट घोषणा संख्या 109 के द्वारा प्रदेश में राजकीय उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में एक तिहाई महिलाओं को नामित करने बाबत घोषणा की गई, जिसकी प्रति राजकीय उपक्रम ब्यूरों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 23 उपक्रमों (प्रति संलग्न) को एवं उनके प्रशासनिक विभागों को दिनांक 04.04.2013 अनुपालना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। (प्रति संलग्न है) (परिशिष्ट-अ)।

(2) 23 उपक्रमों से प्राप्त जवाब परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं। अभी तक राजस्थान हाथकरघा विकास निगम द्वारा घोषित स्तर तक नियुक्ति की गयी है।

(3) सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) सभी राजकीय उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में नियुक्ति सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाती है। बजट घोषणा की अनुपालना हेतु सभी प्रशासनिक विभागों को पत्र दिनांक 4.4.2013 द्वारा अनुरोध कर दिया है।

(प्रति, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन

66. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ओम बिरला)

(1) प्रदेश में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए? योजना की शर्तों व नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आवेदकों द्वारा दी गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर उद्यमियों का चयन करने हेतु एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त कमेटी के सदस्य कौन-कौन थे तथा उनकी क्या-क्या योग्यताएं थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी द्वारा 1000 आवेदनों का चयन किया जाना था? यदि हां, तो कमेटी द्वारा चयनित आवेदकों के नाम व पते व उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा चयनित युवाओं में से कितनों को उद्योग स्थापित करने हेतु अब तक क्या-क्या सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुल 45,947 अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया तथा 13,600 अभ्यर्थियों ने बिजनेस प्लान आनलाइन प्रस्तुत किये। योजना से सम्बन्धित शर्तों की छायाप्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। निगम द्वारा अभ्यर्थियों के प्रस्तुत किए गये बिजनेस प्लानों का मूल्यांकन का कार्य 'कोसीडीसी' (Council of State Industrial Development & Investment Corporation of India) व CIIE, IIMA (आई.आई.एम. अहमदाबाद) के सहयोग से किया गया। कोसीडीसी द्वारा मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों यथा आई.आई.टी. जोधपुर, आई.आई.एम. अहमदाबाद व उदयपुर, एन.आई.टी., सिडबी, बैंक व वित्तीय संस्थानों, इत्यादि के कार्यरत/रिटायर्ड विशेषज्ञों, प्रोफेसरों एवं अधिकारियों से करवाया गया। 'कोसीडीसी' ने विशेषज्ञों को, आवेदकों के व्यक्तिगत विवरणों को गोपनीय रखते हुए, बिजनेस प्लान को आनलाइन रेन्डम के आधार पर भेजा था। IIMA (आई.आई.एम. अहमदाबाद) ने वेबसाइट को पूर्ण गोपनीय रखा।

(3) विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई गयी तथा प्रथम 1,000 अभ्यर्थियों का चयन किया (कट आफ मार्क्स

(उद्योग मंत्री)

613, कुल 1039 अभ्यर्थी पाये गये) जिनसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी गयी। शेष 4,000 चयनित अथ्यर्थियों के कट आफ मार्क्स 443 हैं। चयनित आवेदकों के विवरण की छायाप्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) इस योजना में प्रथम 5,000 सफल अभ्यर्थियों को रुपये 5,000/- प्राइज मनी के रूप में तथा प्रथम 1,000 अभ्यर्थियों को रुपये 10,000/- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर हैण्ड-होल्डिंग राशि देने का प्रावधान रखा गया था। सफल 5,000 चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के अनुसार रुपये 5,000/- प्राइज मनी के चैक दिये जा चुके हैं। इनमें से जिन अभ्यर्थियों ने 613 या इससे अधिक अंक प्राप्त किये थे, उनसे दिनांक 31.07.2013 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी गयी थी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को 12-14 अगस्त, 2013 को संभागीय मुख्यालय एवं भिवाड़ी पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों को रुपये 10,000/- का चैक हैण्ड-होल्डिंग राशि के रूप में प्रदान किया गया। जिन अभ्यर्थियों ने किसी कारणवश प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया, उनको पुन: एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 30-31 अगस्त, एवं 1 सितम्बर, 2013 को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय स्तर पर आयोजित करना प्रस्तावित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीवरेज फार्म सोड़ाला (जयपुर) में निगम के कर्मचारियों को भू-खण्डों का आबंटन

67. **श्री सन्तोष कुमार सहारण** (सादुलशहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीवरेज फार्म, सोडाला, जयपुर में निगम कर्मचारियों को भूखण्ड आबंटन हेतु वर्ष 1999 से प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी व अब तक नगर निगम जयपुर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निगम कर्मचारियों को उक्त स्थान पर भूखण्ड आबंटन हेतु एक प्रस्ताव दिनांक 7 अगस्त, 2012 को सरकार को भेजा गया था? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1999 में सीवरेज फार्म सोडाला में कर्मचारियों को भूखण्ड आबंटन किये जाने की कार्यवाही की गई थी, परन्तु वर्तमान में सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना, सोडाला के ब्लाक सी में जी +8 आवासीय काम्प्लेक्स में फ्लैट आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। इसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट 'अ'

1. वर्तमान में कर्मचारियों को श्री सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना सोडाला (तत्कालीन सिवरेज फार्म सोडाला) के ब्लाक सी में प्लाट आबंटन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। दिनांक 14.07.2011 को पी.पी.पी. माडल योजना की बैठक में G+8 आवासीय काम्प्लेक्स बनाया जाने का निर्णय लिया जा चुका है।
2. उक्तानुसार कार्यवाही बाबत बिड डाम्युमेन्ट मय स्ट्रक्चरल एवं आर्किटैक्चरल डिजाइन ड्राइंग तैयार करने हेतु परामर्शी सेवायें दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य महाप्रबंधक आवास-विकास लि. जयपुर को पत्रांक 265 दिनांक 26.06.2012 भेजा गया जिसमें तीन दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबन्ध पत्र का निष्पादन करने हेतु लिखा गया।
3. 12 दिसम्बर, 2012 को उपरोक्तानुसार कन्सलटेन्सी से एग्रीमेन्ट किया गया।
4. परामर्शी सेवाएं दिये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान आवास-विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा पत्रांक 6783 दिनांक 11.03.2013 द्वारा 6 लाख राशि की मांग की गई।
5. राजस्थान आवास–विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा मांग किये जाने पर नगर निगम जयपुर से पत्रांक 1268 दिनांक 25.03.2013 के द्वारा ICICI बैंक का चैक नम्बर 903199 दिनांक 22.03.2013 से 6 लाख रुपये की राशि भिजवाई जा चुकी है।
6. अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 15 दिवस में डी.पी.आर. की कार्यवाही बनाकर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नगर निगम जयपुर से मुख्य

कार्यकारी अधिकारी महोदय द्वारा पत्रांक एफ-6 ()आ.राज.(सा.प्र.)/ ननिज:13/04 दिनांक 04.04.2013 भेजकर डी.पी.आर. की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

7. राजस्थान आवास-विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. से वर्क आर्डर पत्रांक RAVIL/2013-14/6000 प्राप्त हो चुका है।

8. M/S याशि कन्सलटिंग सर्विसेज द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल का सर्वेक्षण करवाया जा चुका है।

9. नगर निगम जयपुर द्वारा कर्मचारियों को फ्लैट बनाकर आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में योजना के ब्लाक सी में स्वतंत्र भूखण्डों को पुन: गठित करते हुए तीन भूखण्ड सृजित करने हेतु एम्पावर्ड कमेटी नगर निगम जयपुर को प्रस्ताव संख्या (13) प्रस्तुत किया गया जिसका दिनांक 03.05.2013 को हुई मीटिंग में अनुमोदन हो गया।

10. अनुमोदन पश्चात तीनों भूखण्डों के सृजन की स्वीकृति हेतु मुख्य नगर नियोजक को भेजे जाने पर स्वीकृति पत्र क्रमांक 954 दि. 22.06.2013 को प्राप्त हुआ।

बी.एल. यादव
आयुक्त राजस्व
नगर निगम जयपुर

श्रीगंगानगर, नगर परिषद द्वारा सड़क निर्माण में अनियमितताएं

68. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा जनवरी, 2013 से जुलाई, 2013 तक करोड़ों रुपये की लागत से विभिन्न वार्डों में सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है? क्या उक्त सभी सड़कें गारण्टी अवधि में पहली बारिश में ही उखड़ गईं एवं उनमें बड़े-बड़े गढ्ढे हो गये हैं?

(2) उक्त अवधि में किन-किन वार्डों में कितनी सड़कें बनाई गईं एवं उन पर कितनी लागत आई है? वार्डवार सड़कों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगर परिषद द्वारा सड़क निर्माण में की गई

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

अनियमितताओं की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही नहीं है कि उक्त सभी सड़कें गारण्टी अवधि में, पहली बारिश में ही उखड़ गईं एवं उनमें बड़े-बड़े गढ्ढे हो गये हैं। कारपेट सड़कों का गारण्टी पीरियड 2 वर्ष व सी.सी. सड़कों का गारण्टी पीरियड 5 वर्ष है तथा समस्त सड़कें सही स्थिति में हैं।

(2) उक्त अवधि में जिन-जिन वार्डों में जितनी सड़कें बनाई गयी हैं, उनका वार्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था हेतु गठित मानीटरिंग कमेटी

69. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला मानिटरिंग कमेटी बनी हुयी है? यदि हां, तो उक्त कमेटी का गठन कब किया गया और उसके द्वारा कितने एक्शन प्लान पूरे किये गये तथा कितने अधूरे हैं एवं उसके क्या कारण रहे?

(2) क्या उक्त कमेटी ने जोधपुर शहर में नियम विरुद्ध बनी बिना पार्किंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों की सूची तैयार की है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कमेटी द्वारा अपने गठन से लेकर अब तक बिना पार्किंग वाली इमारतों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार द्वारा शहर में बनी बिना पार्किंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के लिये किसी कर्मचारी व अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाकर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2012 को जोधपुर संभागीय आयुक्त कक्ष में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में मानिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। मानिटरिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर किये गये सिटी राउण्ड के दौरान नगर निगम से सम्बन्धित 230 बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये, जिनमें 175 बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण की गई तथा 55 बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) मानिटरिंग कमेटी द्वारा 15 बी आर टी एस रूट पर निर्माणाधीन/निर्मित बहुमंजिला इमारतों की पार्किंग एवं स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण के भौतिक सत्यापन हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा सर्वे कर 64 इमारतों की सूची प्रस्तुत की गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) मानिटरिंग कमेटी के समक्ष 64 इमारतों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग संख्या 2 के संलग्न विवरण में अंकित है।

(4) शहर में बनी बिना पार्किंग मल्टी-स्टोरी बिल्डिंगों के सम्बन्ध में जांच कर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले के गांवों के विकास हेतु मास्टर-प्लान

70. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रदेश में दस हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के विकास हेतु ग्राम मास्टर प्लान तैयार करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत नागौर जिले के किन-किन गांवों को चयनित किया गया? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा नागौर जिले के उक्त योजना में चयनित किये गये एवं तैयार करवाये गये विलेज डवलपमेंट प्लान का विवरण पंचायत समितिवार निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	राजस्व ग्राम का नाम
1	रियां	थांवला
2	मेडता	मेडतारोड
		गोटन
3	जायल	जायल

सांगानेर में प्रशासन शहरों के संग अभियानान्तर्गत कालोनियों का नियमन

71. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी कालोनियों का नियमन किया गया एवं कौन-कौन सी कालोनियां का नियमन नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की शेष रही कालोनियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली कालोनियां, जिनका नियमन किया जा चुका है, की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है एवं नियमन से शेष रही योजनाओं की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की नियमन से शेष रही कालोनियों का परीक्षण किया जा रहा है। शेष रही कालोनियों की गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों द्वारा सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण कराने पर प्रचलित आदेशों/परिपत्रों के अन्तर्गत परीक्षण कर नियमन किया जावेगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्थान अरबन स्ट्रीट एक्ट के तहत वेंडर्स जोन का गठन

72. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजस्थान अरबन स्ट्रीट एक्ट लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो एक्ट के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त एक्ट के अन्तर्गत शहरों में नो-वेंडर्स-जोन व वेंडर्स-जोन घोषित किये जाने थे? यदि हां, तो घोषित किये गये उक्त वेंडर्स जोन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त एक्ट के अन्तर्गत वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो रजिस्टर्ड व्यवसायियों की शहरवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने के लिये कोई कमेटी का गठन किया जाना था? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किस स्तर की कमेटियों का गठन किया गया? निकायवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2011 दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील किया गया है। एक्ट के अन्तर्गत नियम अभी नहीं बने हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। व्यवसायियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

(4) जी हां। अभी कमेटियों का गठन नहीं किया गया है।

ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति (जयपुर) की विश्वकर्मा नगर योजना का नियमन

73. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वकर्मा नगर, रामगढ़ बाइपास जयपुर का नियमन करने हेतु प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान, 2013 में जोन नं. 10, जयपुर विकास

(श्री कालीचरण सराफ)

प्राधिकरण, जयपुर को कालोनी के निवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो कब व इस पर क्या निर्णय लिया गया? प्रार्थना पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान, 2013 में अवाप्तिधीन भूमि पर बसी हुई कालोनियों का भी नियमन करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इसके लिए क्या नियम/उपनियम बनाये गये हैं? नियमन की क्या दर निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कालोनी का सरकार द्वारा प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान, 2013 में दी गई नियमों में शिथिलता के तहत नियमन किया जा सकता है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिस योजना के लिए भूमि अवाप्त की गई है, उसका उपयोग उसी योजना में होगा? यदि हां, तो खसरा नम्बर 172, ग्राम बास-बदनपुरा, जयपुर की भूमि किस योजना के लिए कब अवाप्त की गई एवं भौतिक कब्जा कब लिया गया? अवार्ड कब जारी किया गया व मुआवजा कब जारी किया गया? कितनी भूमि अवाप्त की गई एवं क्या-क्या कार्य करवाये गये? अवाप्ति अधिनियम की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार निर्धारित अवधि में योजनानुसार कार्य नहीं करवाने के कारण इस भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 31.10.2012 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से प्रार्थी को पत्रांक दिनांक 31.07.2013 के द्वारा सूचित कर दिया गया है। भिजवाये गये पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त योजना इकोलोजिकल जोन में स्थित है, जिसमें वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त योजना की 90-बी निरस्त की जा चुकी है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अवाप्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जाता है। अत: जिस योजना के लिए भूमि अवाप्त की गई है, प्राय: उसका उपयोग उसी योजना के लिए किया जाता है। ग्राम बास बदनपुरा, तहसील जयपुर स्थित खसरा नं. 172 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा की भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में वर्ष 1991 में राज्य सरकार द्वारा जलमहल योजना हेतु भूमि अवाप्ति की अधिसूचना अन्तर्गत धारा 4(1) जारी की गई थी, जिसका अवार्ड दिनांक 24.11.1995 को घोषित किया गया तथा भूमि का कब्जा दिनांक 08.11.2001 को लिया गया। अवाप्त भूमि का मुआवजा भुगतान अभी तक नहीं किया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। अवाप्त भूमि खसरा नं. 172 ग्राम बास बदनपुरा के अधिकांश भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग (जयपुर से दिल्ली) का निर्माण कार्य किया हुआ है।

(5) जी नहीं।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

धौलपुर में श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

74. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सही है कि धौलपुर में विभाग का कोई कार्यालय स्थापित है? यदि हां, तो कहां व वर्तमान में कौन अधिकारी नियुक्त है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है? यदि हां, तो योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला धौलपुर में गत चार वर्षों में कितने श्रमिकों को किन योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भविष्य में श्रमिकों के लिये उक्त लाभकारी योजनाओं का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि धौलपुर में श्रम विभाग का कार्यालय स्थित है जो कि कचहरी परिसर स्टेशन रोड पर स्थित है। श्रम कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है। वर्तमान में श्री हनुमान सहाय शर्मा, श्रम निरीक्षक, प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं।

(2) जी हां। सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित लाभकारी योजनाएं निम्नानुसार हैं -

1. जनश्री योजना (समूह बीमा योजना);
2. दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में तत्काल सहायता योजना;
3. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना;
4. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना;
5. शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति);
6. प्रसूति सहायता योजना;
7. निर्माण श्रमिकों के लिये गम्भीर बीमारियों पर व्यय की पुनर्भरण योजना, 2011;
8. साइकिल सहायता वितरण योजना, 2011;
9. हिताधिकारियों के निजी आवास के निर्माण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना, 2011;
10. मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना, 2011;
11. संभागीय मुख्यालयों पर निर्माण श्रमिकों के रात्रि विश्राम हेतु विश्राम गृह निर्माण योजना;
12. एन पी एस/स्वावलम्बन योजना; एवं
13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

(3) जिला धौलपुर में 148 श्रमिकों को नि:शुल्क साइकिल वितरित की गई हैं एवं एक हिताधिकारी को प्रसूति सहायता योजना से लाभान्वित किया गया है एवं एक हिताधिकारी का मृत्यु उपरान्त दावा प्रकरण विचाराधीन है। 2,105 श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीकरण किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 6,701 श्रमिकों के नामांकन कर

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

स्मार्ट कार्ड प्रदान किये गये हैं। पिछले 4 वर्षों में विश्वकर्मा योजना में 1,093 श्रमिकों को सदस्य बनाया गया। योजना के सदस्यों को अब एन पी एस/ स्वावलम्बन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

(4) जी हां। योजनाएं संचालित हो रही हैं।

प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के ज्ञानोदय स्कूल खोलने की योजना

75. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2003 से 2008 के मध्य प्रदेश भर में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के ज्ञानोदय विद्यालय खोले जाने हेतु योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त योजना में सरकार द्वारा विद्यालयों हेतु भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी-कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना को वर्तमान में बन्द किया जा चुका है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त योजना को पुनः प्रारम्भ किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2008-09 की बजट घोषणा संख्या 49 की अनुपालना में जुलाई, 2008 में योजना बनाई गई थी।

(2) ज्ञानोदय पी.पी.पी. स्कूल के प्रथम चरण अन्तर्गत अजमेर व उदयपुर संभाग के जिलों में भूमि आरक्षित की गई है। विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) योजना बंद नहीं की गई है। इसलिए पुन: प्रारम्भ करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट 'अ'

ज्ञानोदय पी.पी.पी. स्कूल के प्रथम चरण अन्तर्गत अजमेर व उदयपुर सम्भाग के जिलों में भूमि आरक्षित की गई का विवरण

Sr. No.	Division	District	Block	Selected Villages	Khasra No.	Area of the Land
1.	Ajmer	Ajmer	Pisangarh	Bittur	1580	5 Acre
2.	Ajmer	Ajmer	Masuda	Shergarh	2995/3	5 Acre
3.	Ajmer	Ajmer	Bhinai	Jawla	1118	5 Acre
4.	Ajmer	Ajmer	Jawaja	Sarmaliya	1270	5 Acre
5.	Ajmer	Ajmer	Silora	Udaipur khurd	420/29	5 Acre
6.	Ajmer	Bhilwara	Asind	Irass	1127	5 Acre
7.	Ajmer	Bhilwara	Suwanha	Raydha (Rampuriya)	1	5 Acre
8.	Ajmer	Bhilwara	Kothadi	Reeth	333	5 Acre
9.	Ajmer	Bhilwara	Shahpura	Bhojpur	148	5 Acre
10.	Ajmer	Bhilwara	Hurdha	Taswariya	1488	5 Acre
11.	Ajmer	Nagaur	Nagaur	Sinodh	468	4.84 Acre
12.	Ajmer	Nagaur	Kuchaman City	Indali	257	4.84 Acre
13.	Ajmer	Nagaur	Mundhwa	Badhana	95	4.84 Acre
14.	Ajmer	Nagaur	Deedwana	Bichawa	373	4.84 Acre
15.	Ajmer	Nagaur	Jayal	Ratanga	1022	4.84 Acre
16.	Ajmer	Tonk	Uniyara (Aligharh)	Dihkoliya	633	5 Acre
17.	Ajmer	Tonk	Toda raisingh	Lambakala	1090	5 Acre
18.	Ajmer	Tonk	Niwai	Mahapura (Turkiya)	70/4	5 Acre
19.	Ajmer	Tonk	Tonk	Chiroj	2081	5 Acre
20.	Ajmer	Tonk	Devli	Badholi	109 102	5 Acre
21.	Udaipur	Banswara	Baagidora	Monadugar	305, 308	5 Acre
22.	Udaipur	Banswara	Ghatol	Faadla	815	5 Acre
23.	Udaipur	Banswara	Kushalgarh	Bijoli Badi	378	5 Acre
24.	Udaipur	Banswara	Sajjangarh	Mhoodiya Wajja	21, 22	5 Acre
25.	Udaipur	Banswara	Gadi	Nawagoan	3676	5 Acre
26.	Udaipur	Chittaurgarh	Nimaheda	Badawali	40	5 Acre
27.	Udaipur	Chittaurgarh	Bengu	Dorai	261	4.40 Acres

Sr. No.	Division	District	Block	Selected Villages	Khasra No.	Area of the Land
28.	Udaipur	Chittaurgarh	Gangrar	Gangrar	327	5 Acres
29.	Udaipur	Chittaurgarh	Chittaur-garh	Palka	1800	1.5 Acres
30.	Udaipur	Chittaurgarh	Kapasan	Pawtia	569	5 Acre
31.	Udaipur	Dungarpur	Simalvada	Shithal	2118	5 Acre
32.	Udaipur	Dungarpur	Sanghwada	Khadlai	2065, 1012	5 Acre
33.	Udaipur	Dungarpur	Dungarpur	Maadvak-hapdha	1902	5 Acre
34.	Udaipur	Dungarpur	Aaspur	Tonkwasa	2154	5 Acre
35.	Udaipur	Dungarpur	Bichiwara	Palbhokla	3744	5 Acre
36.	Udaipur	Pratapgarh	Pratapgarh	Narayan Kheda	186	2 Hectare
37.	Udaipur	Pratapgarh	Arnod	Bhachundla	403	2 Hectare
38.	Udaipur	Pratapgarh	Chotisadhi	Siyakhedhi	686	2 Hectare
39.	Udaipur	Pratapgarh	Pipalknut	Somavati	1	2 Hectare
40.	Udaipur	Pratapgarh	Dhariya vadh	Madhvi	837	2 Hectare
41.	Udaipur	Rajsamand	Bhim	Togi	690	5 Acre
42.	Udaipur	Rajsamand	Khamnor	Jhallo Ki Madaar	823	5 Acre
43.	Udaipur	Rajsamand	Aamet	Bikawas	358	5 Acre
44.	Udaipur	Rajsamand	Railmagra	Peepli Dodiyaan	2362/ 357	5 Acre
45.	Udaipur	Rajsamand	Rajsamand	Bhava	245/1b & 245/2	5 Acre
46.	Udaipur	Udaipur	Bheender	Sawana	27	5 Acre
47.	Udaipur	Udaipur	Girwa	Paatia	7851	4.63 Acre
48.	Udaipur	Udaipur	Kotda	Kolia	311	5 Acre
49.	Udaipur	Udaipur	Kherkhada	Bikhai	4091	5 Acre
50.	Udaipur	Udaipur	Sarada	Mokaat	10187	4.06 Acre

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की बकाया राशि

76. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों को पूरा नहीं करने पर प्रदेश में निजी व सरकारी विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही के कोई निर्देश हैं? यदि हां, तो निर्देशों के अनुसार क्या-क्या कार्यवाही हुई?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2012-13 में जिन जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश देने व निजी विद्यालयों को उन बच्चों की फीस पुनर्भरण राशि के लिए पात्र नहीं मानने की कोई जानकारी विभागीय भौतिक सत्यापन के पश्चात् सरकार को प्राप्ति हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने निजी विद्यालयों की कितनी राशि गरीब बच्चों के प्रवेश पर निजी विद्यालयों को नहीं मिलने के प्रकरण जुलाई, 2013 तक लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सत्र 2012-13 में जिन गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेशित बालकों को सत्यापन में सही नहीं पाया गया, उन बालकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित गैर-सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण नहीं किया गया। उक्त विद्यालयों में प्रविष्ट बालकों के प्रवेश जिन कारणों से सत्यापित नहीं पाये गये, उन्हें उन कारणों के सम्बन्ध में लिखित सूचना सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों/ब्लाक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित की गई।

(3) राज्य के सीकर, जयपुर, कोटा व जैसलमेर जिलों के 88 विद्यालयों के 503 विद्यार्थियों के सम्बन्ध में 11,90,333 रुपये की राशि का पुनर्भरण इसलिए रोक लिया गया क्योंकि उन संस्थाओं के खाता संख्या संस्था के नाम से न होकर व्यक्तिगत नाम से थे। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों/ब्लाक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये थे कि 30 अप्रैल, 2013 तक उन संस्थाओं से संस्था के नाम से खाता संख्या प्राप्त कर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये नये खाते में पुनर्भरण की राशि का अन्तरण कर दिया जाए। जुलाई, 2013 में जिलेवार विद्यालयों की संख्या, जिनकी पुनर्भरण राशि लम्बित थी, निम्नानुसार है:-

सीकर 10 विद्यालय, जयपुर 70 विद्यालय, कोटा 02 विद्यालय व जैसलमेर 06 विद्यालय।

बहरोड़ के विद्यालयों के अध्यापकों के रिक्त पद

77. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कुल कितने राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस संकाय के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में कितने पद किस-किस संकाय के कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार के द्वारा उक्त रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 36 राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं 38 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। स्थानवार विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस संकाय में कितने-कितने पद स्वीकृत और वर्तमान में कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं, के विवरण का परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही उक्त रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

78. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	विद्यालय स्तर	अध्यापक श्रेणी (स्वीकृत पद)			
		ग्रेड-II	ग्रेड-III	शाशि	प्रबोधक
1	रा उ प्रा वि	148	541	59	31
2	रा प्रा वि	00	441	00	22

(2) उक्त विद्यालयों में वर्तमान में रिक्त पद इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	विद्यालय स्तर	अध्यापक श्रेणी (रिक्त पद)			
		ग्रेड-II	ग्रेड-III	शाशि	प्रबोधक
1	रा उ प्रा वि	48	85	09	01
2	रा प्रा वि	00	76	00	00
	योग	**48**	**161**	**9**	**1**

जिला नागौर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त 840 पदों पर नियुक्ति हेतु जिला परिषद, नागौर द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

राजकीय अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर में प्रतिनियुक्त शैक्षणिक कर्मचारी

79. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर में कितने शैक्षणिक कर्मचारी (स्थायी) प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये हैं? नाम एवं पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शैक्षणिक कर्मचारियों के किस नियम के आधार पर इन महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के आदेश किये गये हैं एवं कितने समय के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है? प्रतिनियुक्ति के नियमों की प्रति सहित प्रतिनियुक्ति के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवी सिंह भाटी)

(3) कुल कितने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया तथा उनमें से कितने कर्मचारियों को उक्त महाविद्यालयों में नियमित किया गया है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालयों से शैक्षणिक कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों? प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों की पदवार सूची सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर में वर्तमान में एक शैक्षणिक कर्मचारी, श्री देवाराम गोदारा, वरिष्ठ प्रवक्ता, इलेक्ट्रोनिक्स, राजकीय पालीटेक्निक, जोधपुर से रीडर (एसोसिएट प्रोफेसर) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बीकानेर में कोई शैक्षणिक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है।

(2) सोसायटी के अपने कोई नियम नहीं होने के कारण उक्त कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144 एवं वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.सं.8 (94) त.शि./91 दिनांक 11.6.2008 के तहत एक वर्ष के लिए शैक्षणिक कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करवाने की दृष्टि से प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था।

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.1.2009 द्वारा इनकी प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेशों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 9.2.2009 एवं इस स्थगन आदेश पर दिनांक 4.6.2012 द्वारा प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में श्री गोदारा वर्तमान में भी कार्यरत है एवं श्री गोदारा की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने एवं इनको कार्यमुक्त करते हुए पैतृक विभाग, राजस्थान तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर में भेजने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है। नियमों की प्रति एवं राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के आदेश दिनांक 4.6.2012 की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(3) वर्तमान में अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर में एक शैक्षणिक कर्मचारी, श्री देवाराम गोदारा वरिष्ठ प्रवक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, राजकीय पालिटेक्निक जोधपुर से रीडर (एसोसिएट प्रोफेसर) के पद पर लगाया हुआ है तथा इन महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये किसी भी कार्मिक को नियमित नहीं किया गया है।

(4) जी हां। अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर एवं अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कार्मिकों की पदवार सूची मय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के कारण सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

80. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु कार्यकर्ता, सहयोगिनी, सहायिकाओं को नियुक्त किया जाता है? यदि हां, इनको नियुक्त करने के क्या मानदण्ड हैं? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? क्या सभी स्वीकृत केन्द्रों पर कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं सहायिका कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र बायतू में ऐसे कितने केन्द्र हैं जो उक्त कार्मिकों की नियुक्ति के अभाव में बन्द हैं? परियोजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विशेष परिस्थितियों में योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक योग्यता में शिथिलता प्रदान कर नियुक्ति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु कार्यकर्ता, सहयोगिनी, सहायिकाओं को नियुक्त किया जाता है। आंगनबाड़ी

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

कार्यकर्ता व सहायिका के मानदेय सेवा पर चयन करने सम्बन्धी आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' तथा सहयोगिनी के मानदेय सेवा पर चयन करने सम्बन्धी आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में 2898 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 298 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 3,196 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। सभी स्वीकृत केन्द्रों पर निर्धारित मापदण्डों एवं पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्मिक कार्यरत नहीं हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बायतू में 14 आंगनबाडी केन्द्र मानदेय कर्मियों के चयन के अभाव में शुरू नहीं हो पाये हैं, जिनकी परियोजनावार सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) विशेष परिस्थितियों में योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश परिशिष्ट 'अ' के बिन्दु संख्या 2 के उप-बिन्दु संख्या (6) में समाहित हैं।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

बहरोड़ के पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु कार्य योजना

81. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को परिवहन सेवा से जोड़ने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं, जिन्हें अभी तक परिवहन सेवा से नहीं जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों को अब कब तक परिवहन सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा में घोषणा की गई थी कि "ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा पी पी पी माडल पर अपनी सेवाओं का

(यातायात राज्य मंत्री)

विस्तार किया जायेगा और अगले तीन वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जायेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 18 ग्राम पंचायत मुख्यालय अभी तक बस सेवा से वंचित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न हैं।

(3) बस सेवा से वंचित इन ग्राम पंचायतों को पी पी पी मोड पर माह अक्टूबर, 2013 तक जोड़े जाने की कार्ययोजना है।

परिशिष्ट-1

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	वंचित ग्राम पंचायत
1.	बहरोड़	हमीदपुर
2.		खोहरी
3.		कोहराना
4.		मोहम्मदपुर
5.		गूजरावास
6.	नीमराना	माजरा
7.		रोडवाल
8.		नानगबास
9.		कान्हावास
10.		डाबडवास
11.		माडन
12.		गिगलाना
13.		सांतो
14.		मेहताबास
15.		खुन्दरोठ
16.		काठूवास
17.		परतापुर
18.		हुडियाकलां

खानपुर में परिवहन सेवा से वंचित गांव

82. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले के खानपुर विधान सभा क्षेत्र के तारज-सारोला-खानपुर, सारोला-तारज-झालावाड़, सारोला-तारज-अकलेरा मार्ग पर वर्तमान में झालावाड़ डिपो की कितनी बसें संचालित हैं? मार्गवार व समयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम के झालावाड़ डिपो की बदहाली के कारण खानपुर विधान सभा क्षेत्र के तारज-सारोला कलां क्षेत्र के 50 गांवों के लोग परिवहन सुविधा से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर झालावाड़ डिपो की पर्याप्त बस सेवा इसी सत्र से शुरू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रश्नगत दो मार्गों पर झालावाड़ डिपो की निम्नानुसार बसें संचालित की जा रही हैं :-

1. तारज-सारोला-खानपुर

अकलेरा से कोटा वाया तारज-सारोला-खानपुर-सांगोद मार्ग पर दो परिचक्र निम्न समयानुसार दैनिक संचालित किये जा रहे हैं :-

अकलेरा	कोटा	कोटा	अकलेरा
1630	2130	0500	1000

2. सारोला-तारज-अकलेरा

अकलेरा-जयपुर वाया तारज-सारोला-खानपुर मार्ग पर दो परिचक्र निम्न समयानुसार दैनिक संचालित किये जा रहे हैं :-

अकलेरा	जयपुर	जयपुर	अकलेरा
0745	2023	0553	1830

3. सारोला-तारज-झालावाड़

पूर्व में निगम द्वारा बस सेवा का संचालन किया गया था लेकिन

(यातायात राज्य मंत्री)

पर्याप्त आय व यात्रीभार प्राप्त न होने के कारण संचालन बंद कर दिया गया। मार्गवार प्राप्त हुए आय प्रति किमी एवं यात्रीभार का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में प्रश्न के भाग संख्या 1 में अंकितानुसार बस सेवाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधार्थ बारां एवं कोटा आगारों द्वारा निम्न मार्गों की बस सेवाएं और संचालित हैं :-

बारां आगार :-

क्र.सं.	मार्ग	समय
1	कोटा-सांगोद-खानपुर-तारज	1500-1900
2	तारज-खानपुर-सांगोद-कोटा	0700-1100
3	कोटा-सांगोद-खानपुर-सारोला	1800-2130
4	सारोला-खानपुर- कोटा	0630-0900

कोटा आगार :-

क्र. सं.	मार्ग	समय
1	कोटा-सांगोद-बपावर-खानपुर-सारोला-अकलेरा	0530-1030 0600-1130
2	अकलेरा-सारोला-खानपुर-बपावर-सांगोद-कोटा	1145-1645 1345-1845
3	कोटा-कनवास-खानपुर-सारोला-अकलेरा	0600-1100 0730-1230
4	अकलेरा-सारोला-खानपुर-कनवास-कोटा	1215-1715 1430-1930

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के तहत निम्न दो मार्गों पर मिडी बसों का संचालन और किया जायेगा :-

1. झालावाड़-भीमसागर-सारोला-तारज-अकलेरा-बीन्दाखेड़ा
2. अकलेरा-सारोला-तारज-भीमसागर

परिशिष्ट-1

1. झालावाड़-सारोला-कोटा वाया सैलीगढ़ी, भीमसागर, अकावद समय 0810 बजे

विवरण	जुलाई, 2012	अगस्त, 2012	सितम्बर, 2012	अक्टूबर, 2012
आय प्रति किमी. (रुपयों में)	15.96	19.56	13.85	19.31
लागत प्रति किमी. (रुपयों में)	26.09	27.15	31.58	29.64
अन्तर प्रति किमी. (रुपयों में)	-10.13	-07.59	-17.73	-10.33
यात्रीभार (प्रतिशत में)	55	67	47	61

2. झालावाड़-सारोला-अजमेर वाया सैलीगढ़ी समय 0945 बजे

विवरण	नवम्बर, 2012	दिसम्बर, 2012
आय प्रति किमी. (रुपयों में)	19.26	18.68
लागत प्रति किमी. (रुपयों में)	29.20	28.02
अन्तर प्रति किमी. (रुपयों में)	-09.94	-09.34
यात्रीभार (प्रतिशत में)	61	59

3. झालावाड़-अकावद-कोटा वाया भीमसागर-सारोला समय 1630 बजे

विवरण	दिसम्बर, 2012
आय प्रति किमी. (रुपयों में)	16.71
लागत प्रति किमी. (रुपयों में)	28.02
अन्तर प्रति किमी. (रुपयों में)	-11.73
यात्रीभार (प्रतिशत में)	53

बारां जिले में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें

83. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती निर्मला)

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा माह दिसम्बर, 2008 से जुलाई 2013 तक की अवधि में बारां जिले में ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं सड़क सुदृढ़ीकरण के कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि एवं कितने-कितने किलोमीटर लम्बाई के स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कौन-कौनसी सड़क का कार्य किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि से पूर्ण हुआ? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों का निर्माण पूर्ण होने से किस-किस गांव को लाभ प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत सड़कों में कौन-कौनसी सड़क का निर्माण किन-किन कारणों से पूर्ण नहीं हुआ है एवं वर्तमान में किस स्थिति में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में वर्तमान में चार कृषि उपज मण्डी समितियां, अटरू, बारां, छबड़ा व अन्ता संचालित हैं। इन मण्डी समितियों में दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2013 तक स्वीकृत किये गये ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग की आज्ञा दिनांक 29.06.2010 से मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं तथा हस्तान्तरण के पश्चात इनके रखरखाव/मरम्मत का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है।

(2) उक्त सड़कों की स्वीकृति दिनांक 18.05.2010 को प्राप्त हुई एवं निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, परन्तु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4(6) कृषि/ग्रुप-2/2010 दिनांक 29.06.2010 द्वारा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित समस्त सड़कों का रखरखाव एवं निर्मित सड़कों का हस्तान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को किये जाने के आदेश जारी किये गये। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। अतः उक्त स्वीकृति के तहत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया।

इन सड़कों के विशेष मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संपादित कराया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्य एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(3) लाभान्वित गांवों की सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.06.2010 की अनुपालना में सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के फलस्वरूप कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इन सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। इन सड़कों का नवीनीकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवा दिया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(सूचियां, प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-57 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	व्याख्याता			वरिष्ठ अध्यापक		
		स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त है
1	राउमावि सांजू	8	5	6/13, 3/04, 3/96, 12/11, 7/05	6	-1	अधिक लगे हैं
2	राउमावि हरसौर	11	7	5/13, 7/97, 12/01, 9/03, 12/05, 5/13, 6/12	3	0	-
3	राउमावि डेगाना	17	9	9/12, 3/10, 1/11, 8/10, 6/03, 10/02, 12/01, 9/10, 6/13	7	2	1/11, 5/13
4	राउमावि ईडवा	7	4	11/11, 11/1, 9/03, 11/11	3	-1	अधिक लगे हैं
5	राउमावि जालसूनानक	4	3	12/04, 6/13, 8/12	4	1	8/07
6	राउमावि खुडीकलां	6	5	6/03, 3/13, 6/12, 5/08, 4/11	3	1	5/13
7	राउमावि पून्दलौता	6	5	3/13, 6/03, 6/13, 5/13, 5/13	3	-1	अधिक लगे हैं
8	राउमावि जाखेडा	5	4	11/08, 5/13, 5/13, 8/10, 5/12	6	2	6/13, 5/11
9	राउमावि थांवला	9	1	6/13	5	1	6/12
10	राउमावि भैरून्दा	9	9	3/13, 7/06, 7/06, 11/11, 11/1, 11/11, 6/13, 5/12	4	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
11	राउमावि बग्गड़	5	2	6/13, 5/13	6	1	7/08
12	राबाउमावि डेगाना	7	5	10/08, 8/08, 5/13, 5/13, 5/13	6	1	7/10
13	राउमावि कीतलसर	3	3	5/13, 5/13, 5/13	6	0	-
14	राउमावि राजलौता	3	3	5/13, 5/13, 5/13	4	3	1/12, 1/11, 6/13
15	राबाउमावि ईडवा	0	0	-	5	3	9/11, 9/11, 6/13
16	रामावि बिखरनियाकलां	0	0	-	6	3	6/12, 7/03, 8/12
17	रामावि सिरासना	0	0	-	6	2	6/13, 5/13
18	रामावि निम्बड़ीकलां	0	0	-	6	1	6/13
19	रामावि चकढाणी	0	0	-	6	4	9/10, 7/05, 7/08, 6/13
20	रामावि चम्पाखेडी	0	0	-	5	1	5/13
21	रामावि निम्बड़ीचांदावतों	0	0	-	5	0	-
22	रामावि पालड़ीकलां	0	0	-	5	1	6/13
23	रामावि हिरणीढाणी	0	0	-	4	1	7/99
24	रामावि मांझी	0	0	-	4	1	6/13
25	रामावि मेवडा	0	0	-	4	1	10/10
26	रामावि चोलियास	0	0	-	4	1	6/03
27	रामावि ईग्यासनी	0	0	-	4	1	6/12
28	रामावि बूटाटी	0	0	-	4	-1	अधिक लगे हैं
29	रामावि बच्छवारी	0	0	-	4	0	-
30	रामावि जालसूकलां	0	0	-	4	1	8/10
31	रामावि जालसूखुर्द	0	0	-	4	2	5/13, 5/13

1	2	3	4	5	6	7	8
32	रामावि चुई	0	0	-	5	1	9/11
33	रामावि माण्डलजोधा	0	0	-	6	1	9/11
34	रामावि चौसली	0	0	-	6	3	7/11, 9/11, 9/11
35	रामावि राजोद (डेगाना)	0	0	-	5	1	9/11
36	रामावि बरना	0	0	-	5	1	9/11
37	रामावि तिलानेश	0	0	-	6	0	-
38	रामावि पालियास	0	0	-	6	2	9/11, 9/11
39	रामावि पुनास	0	0	-	5	0	-
40	रामावि डाबोलीमीठो	0	0	-	5	2	9/11, 9/11
41	रामावि ढाणीपुरा	0	0	-	4	0	-
42	रामावि लाडपुरा	0	0	-	4	2	3/05, 6/03
43	रामावि टेहला	0	0	-	4	1	12/09
44	रामावि कोड	0	0	-	4	2	8/06, 6/13
45	रामावि निम्बोला-विश्वा	0	0	-	4	2	6/13, 1/12
46	रामावि डोडियाना	0	0	-	6	1	6/08
47	रामावि मोडीकलां	0	0	-	6	2	9/11, 9/11
48	राबामावि हरसौर	0	0	-	5	2	6/12, 9/11
49	राबामावि भेरूंदा	0	0	-	6	3	9/11, 9/11, 9/11
50	राबामावि थांवला	0	0	-	5	1	9/11
51	रामावि आछोजाई	0	0	-	5	1	9/11
52	रामावि बीजाथल	0	0	-	5	1	9/11
53	रामावि भंवाल	0	0	-	5	0	-
54	रामावि गवारडी	0	0	-	5	1	1/12
55	रामावि सूदवाड	0	0	-	5	1	9/11
56	रामावि बडायली	0	0	-	5	1	9/11

1	2	3	4	5	6	7	8
57	रामावि अरनियाला	0	0	-	5	2	1/12, 1/12
58	रामावि मेडास	0	0	-	5	3	1/12, 9/11, 6/13
59	रामावि सथानाकला	0	0	-	5	1	1/12
60	रामावि बाडीघाटी	0	0	-	5	2	1/12, 1/12
61	रामावि चुन्दिया	0	0	-	5	-1	अधिक लगे हैं
62	रामावि जडाऊकला	0	0	-	5	2	9/11, 1/12
63	रामावि जसवन्ताबाद	0	0	-	5	2	9/11, 1/12
64	रामावि जाटावास	0	0	-	5	1	9/11
65	रामावि झिटिया	0	0	-	5	1	9/11
66	रामावि मुगदडा	0	0	-	5	1	9/11
67	रामावि किरोदा	0	0	-	5	1	9/11
68	रामावि नथावडा	0	0	-	5	2	9/11, 1/12
69	रामावि लगोंड	0	0	-	5	1	9/11
70	रामावि बंवरला	0	0	-	5	2	1/12, 1/12
71	रामावि चान्दारूण	0	0	-	5	2	9/11, 1/12
72	रामावि खेरवा	0	0	-	5	2	1/12, 1/12
73	रामावि थाटा	0	0	-	5	2	1/12, 1/12
74	रामावि डेगाना गांव	0	0	-	5	2	6/13, 1/12
75	रामावि आन्तरोलीकलां	0	0	-	5	1	9/11
76	रामावि निम्बोलाकला	0	0	-	5	2	9/11, 6/13
77	रामावि झगडवास	0	0	-	5	0	-
78	रामावि सुखबासनी	0	0	-	5	2	1/12, 1/12
79	रामावि गोठड़ा (डेगाना)	0	0	-	3	2	1/12, 1/12

1	2	3	4	5	6	7	8
80	रामावि कात्यासनी	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
81	रामावि देवगढ़	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
82	रामावि खीवताना	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
83	रामावि लूणियास	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
84	रामावि ढाढरियाकला	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
85	रामावि सिंधलास	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
86	रामावि भादवासी	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
87	रामावि केरियारावा	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
88	रामावि गोनेरडा	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
89	रामावि गुन्दीसर	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
90	राबामावि चान्दारूण	0	0	-	3	3	5/13, 5/13, 5/13
	योग	**100**	**65**		**419**	**131**	

प्रभारी अधिकारी
विधान सभा प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जो पढ़ी हुई मानी गयीं

सीकर के श्रम विभाग कार्यालय में श्रमिकों के अनिस्तारित आवेदन पत्र

सीकर जिले में असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों का सीकर जिले में किसी भी प्रकार का जैसे रजिस्ट्रेशन फीस जमा होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, पिछले दिनों माह अप्रैल 2013 से लेकर आज तक जमा प्रसूति आवेदन, शादी के फार्म जमा होना तथा श्रमिक की मृत्युपरान्त देय आर्थिक सहायता के आवेदनों का अभी छह माह से किसी भी तरह का कार्य नहीं हो रहा है, गत वर्ष के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, बच्चों की छात्रवृत्ति आदि कार्य तथा रजिस्ट्रेशन के 10 हजार आवेदन लम्बित चल रहे हैं सीकर में श्रम अधिकारी के पद पर O.P. सहारण नामक अधिकारी कार्य कर रहा है। लेकिन पिछले तीन माह से उक्त अधिकारी ने एक भी श्रमिक का रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण नहीं किया। श्रमिकों को देय श्रम के एक भी आवेदन यहां तक कि मृत्यु के आवेदन को भी स्वीकार नहीं किया। जबकि बिना कार्य किये ही उक्त अधिकारी लगातार माहवार वेतन ले रहा है। जहां तक श्रमिकों के कार्य नहीं होने की वजह से 13 अगस्त, 2013 को भारी संख्या में श्रमिकों ने श्रम कार्यालय पर प्रदर्शन व सभा भी की जिसमें जिला प्रशासन ने कार्य करवाने का आश्वासन के बावजूद भी कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उक्त अधिकारी भ्रष्टाचार करना चाहता है वरना आज तक एक भी आवेदन का निस्तारण क्यों नहीं हुआ। अतः मैं मांग करता हूं कि सीकर जिले के श्रमिकों के श्रम विभाग में जमा आवेदनों का तुरन्त निस्तारण किया जावे।

पेमाराम

(धोद)

राजसमन्द तहसील की खनन व खनिज पिसाई इकाइयों को पर्यावरण सहमति की अनुपलब्धता

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा खनिज पिसाई उद्योगों के लिये प्रकाशित मार्गदर्शिका के अनुसार खनन एवं खनिज पिसाई इकाइयों की

स्थापना आबादी क्षेत्र से बाहर होने की शर्त को 1,500 मीटर के स्थान पर 500 मीटर कर दी गई है। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा नहीं करने के कारण खनन एवं खनिज पिसाई संयंत्रों के पर्यावरण सहमति एवं भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अतः राजस्व विभाग द्वारा भी प्रदूषण मण्डल के समान 1,500 मीटर के स्थान पर 500 मीटर परिसीमा निर्धारित की जाय।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने खनन एवं खनिज पिसाई इकाइयों के लिए भूखण्ड के सामने की ओर 50 मीटर एवं अन्य तीन दिशाओं में 20 मीटर रिक्त स्थान छोड़ने की अनिवार्यता कर रखी है, जबकि रीको के प्रावधानों में यह सीमा सामने की और 15 मीटर एवं अन्य दिशाओं में 4 मीटर ही है। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को भी रीको के समान ही रिक्त स्थान छोड़ने के प्रावधान अपनाने चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अव्यावहारिक शर्त के कारण लघु उद्यमियों को उद्योग स्थापना में कठिनाइयां आ रही हैं, उनकी लागत बढ़ रही है। अतः भूखण्डों में रीको के अनुसार रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए।

खनन एवं खनिज पिसाई उद्योगों के भूखण्ड जल-भराव क्षेत्र में है या नहीं, इसकी सूचना जल संसाधन विभाग से उपलब्ध होने पर ही प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पर्यावरण अनुमति देता है, जबकि राजसमन्द तहसील में ही जल संसाधन विभाग उक्त सूचना पर्यावरण विभाग को उपलब्ध नहीं करवा रहा है। इस कारण राजसमन्द तहसील क्षेत्र में खनन एवं खनिज पिसाई इकाइयों को पर्यावरण सहमति नहीं मिल रही है, जबकि आमेट तहसील क्षेत्र के सम्बन्ध में यह सूचना यथा-समय उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः उक्त सूचना राजसमन्द तहसील में भी उपलब्ध कराई जाये ताकि कोई भेदभाव नहीं हो।

किरण माहेश्वरी
(राजसमन्द)

किशनगढ़ बास से गढ़ बोलनी (हरियाणा) तक सड़क का शीघ्र निर्माण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सड़कों की हालत बहुत दयनीय स्थिति में है। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में किशनगढ़ बास से गढ़ी बोलनी (हरियाणा) तक की सड़क सेन्टर रोड फण्ड व इन्टर-स्टेट योजना में स्वीकृत है। टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर

कार्य आदेश जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया, परन्तु कार्य प्रारम्भ करने के बावजूद वापस कार्य को बंद कर दिया गया।

उक्त सड़क हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले को जोड़ती है। उक्त सड़क तहसील कोटकासिम के ग्राम बिलाहेड़ी के बीच से गुजरती है तथा सड़क सम्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण गांव में पानी भरा रहता है, जिसके कारण ग्रामवासियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

इसी तरह से, किशनगढ़ बास में अनाज मण्डी के सामने नाला क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी भरा रहता है। पानी भरा रहने के कारण सड़क भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

किशनगढ़ बास से खैरथल कस्बे को जोड़ने वाली सड़क की भी बहुत अधिक दुर्दशा है। किशनगढ़ बास से बाघौड़ा सड़क का तो कई वर्षों से नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण सड़क लगभग समाप्त हो चुकी है। जौड़िया से गैलपुर वाया भौंकर वाली सड़क की भी यही हालत है। कोटकासिम में बिजलीघर के आस-पास की सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण आमजन का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में भारी जन-आक्रोश बना हुआ है।

अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि किशनगढ़ बास से गढ़ी बोलनी (हरियाणा) सड़क का तुरन्त प्रभाव से कार्य प्रारम्भ किया जावे एवं अन्य सड़कों का अतिशीघ्र नवीनीकरण करवाया जावे ताकि आम जन को राहत मिल सके।

रामहेत सिंह

किशनगढ़ बास

भीलवाड़ा शहर की बिगड़ी कानून-व्यवस्था की स्थिति

विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं भीलवाड़ा शहर में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। भीलवाड़ा शहर में महिलाओं की चेन लूटने की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। एक दिन में 2-3 चेन स्नैचिंग की घटना होना आम बात हो गयी है। अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे हैं।

इसी तरह, भीलवाड़ा शहर में नशेड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा

रही है। भीलवाड़ा शहर में अवैध नशा, स्मैक, गांजा, चरस का व्यापार खुले आम हो रहा है और इसकी ज्यादातर शिकार नई पीढ़ी हो रही है। स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे इस नशे के कारोबारियों के जाल में फंसकर बरबाद हो रहे हैं। इसके साथ-साथ ब्याजखोरों की चांदी बन आई है। इस नई पीढ़ी के बच्चे नशे की लत में पड़कर पैसा उधार लेते हैं। ब्याजखोरों से 10 रु. 15 रु सैकड़ा की दर से ब्याज के जाल में फंसकर कई परिवार बरबाद हो रहे हैं।

वाहन चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराने में पीड़ित का पसीने आ जाते हैं। वाहन-चोरी के पीछे एवं चेन-स्नैचिंग के पीछे अधिकांश नशे की लत के शिकार युवकों का हाथ है।

अत: सरकार से मांग है कि भीलवाड़ा शहर की कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए अवैध नशे के कारोबार को सख्ती से रोकने के प्रभावी उपाय किये जायें।

विट्ठल शंकर अवस्थी

(भीलवाड़ा)

श्रीगंगानगर में कृषि भूमियों पर बसी निजी कालोनियों में पाइप लाइन द्वारा पेयजल की व्यवस्था

महोदय प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निम्न प्रकार सूचना प्रस्तुत करता हूं।

श्रीगंगानगर यू आई टी क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि भूमि पर कई आवासीय कालोनियां बसाई गई हैं। यू आई टी द्वारा तथाकथित अप्रूव्य कालोनियों में जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पेयजल के लिए न तो पाइपलाइन बिछाई जा रही है और ना ही अन्य स्रोतों से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी विकट हो जाती है। विभाग द्वारा इन निजी कॉलोनियों में सरकारी योजनान्तर्गत किसी भी कार्य को करने में असमर्थता प्रकट कर दी गई है। विभाग द्वारा इसके लिए कालोनाइजर से राशि भरवाने की मांग की जा रही है, जबकि यू आई टी द्वारा उक्त आवासीय कालोनी के कालोनाइजरों से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करवाई जा रही है। दोनों विभागों द्वारा गेंद को एक दूसरे के पाले में फेंका जा रहा है जिसका खामियाजा बेकसूर कालोनी-वासियों को भुगतना पड़ रहा है।

महोदय, श्रीगंगानगर में कृषि भूमि पर बसी निजी कालोनियों में पेयजल पाइपलाइन बिछाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा हेतु मैं माननीय जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन में प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव करता हूं।

राधेश्याम गंगानगर

(श्रीगंगानगर)

भीम व देवगढ़ सी.एच.सी. में चिकित्सकों के रिक्त पद

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में 2007 में सी.एच.सी. भीम एवं देवगढ़ क्रमशः 50 से 70 शय्याओं व 30 से 50 शय्याओं में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा क्रमोन्नत की गयी थीं। प्रत्येक सी.एच.सी., भीम एवं देवगढ़ में 14 कनिष्ट विशेषज्ञ एवं अन्य चिकित्सकों के पद सृजित किये गये थे। अफसोस है कि इस सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी कनिष्ट विशेषज्ञ एवं अन्य चिकित्सकों में से केवल 4-5 चिकित्सक ही सेवारत हैं, जिनमें से केवल भीम एवं देवगढ़ सी.एच.सी में एक-एक कनिष्ट विशेषज्ञ ही सेवारत है।

बड़े अफसोस के साथ निवेदन है कि मुख्य मंत्री महोदय रेवाड़ियां बांटने के लिए तो तैयार हैं लेकिन चिकित्सकों की भर्ती करने में असमर्थ हैं, जिसमें निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना की घोषणा तो कर दी लेकिन दवाई-रूपी रेवड़ी एवं निःशुल्क जांच रेवड़ी की क्रियान्विति के लिए न तो चिकित्सक हैं और ना ही लैब टेक्निशियन सेवारत हैं। सरकार को तो जनता की चिन्ता नहीं है। केवल वापस राज कैसे आये, इस हेतु रेवड़ी बांटने का कार्य पहले करना है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम N.H. 8 पर बसा हुआ है, जहां पर आये-दिन एक्सिडेंट होते रहते हैं, जिससे जनता को अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। सी.एच.सी. भीम में 2005 से ट्रोमा यूनिट हेतु सर्जिकल एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं की गयी हैं लेकिन ब्लड बैंक एवं सम्बन्धित आर्थोपेडिक चिकित्सक एवं निश्चेतन चिकित्सक एवं लैब टेक्निशियन नहीं होने से सभी औजार धूल चाट रहे हैं। सी.एच.सी., देवगढ़ की 108 एम्बूलेंस पिछले 2-3 माह से खराब पड़ी है, जिसकी भी अभी तक कोई सुधबुल नहीं ली जा रही है।

अत: आपके माध्यम से निवेदन है कि तत्काल सम्बन्धित सृजित पदों अनुसार एवं अन्य सम्बन्धित लैब टेक्निशियन का पद स्थापन एवं अन्य समस्याओं का तत्काल निवारण कर मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के निवासियों को लाभ दिलाने का श्रम करावें।

हरि सिंह रावत

(भीम)

चौमूं के गांवों की सड़कों की मरम्मत व नयी सड़कों का निर्माण

कस्बा चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में वर्षा से अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त होकर रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। चान्दजीवाली ढाणी, महारियों की ढाणी, कलालियों की ढाणी, अशोक विहार से जाहोता मार्ग, कृष्णा कालोनी एवं परकोटे की सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो सड़कें तमाम क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, वहां नई सड़कों का निर्माण करवाया जावे एवं मरम्मत होने वाली सड़कों की मरम्मत करवाई जाये।

इसी प्रकार, विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुडलिया, नांगलकलां, गोविन्दगढ़, रणजीतपुरा की मुख्य आबादी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें वर्षा से क्षतिग्रस्त होकर रास्ता अवरुद्ध हो गया है। नेशनल हाइवे-11 राधास्वामी बाग-बस स्टैण्ड-हाड़ोता व उदयपुरिया-खेजरोली स्टेट हाइवे सड़कों पर खड्डे हो गये हैं। हाड़ोता-कालाडेरा-महला मेगा हाइवे का निर्माण कार्य बन्द होने से आवागमन में भारी असुविधा हो रही है।

अत: नगरीय विकास विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग से चौमूं विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त रास्तों में नया निर्माण व सड़क मरम्मत करवाने का श्रम करें।

भगवान सहाय सैनी

(चौमूं)

जहाजपुर के विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वर्तमान में 30 उच्च माध्यमिक, 41 माध्यमिक स्तर के विद्यालय चल रहे हैं

जिनमें प्राध्यापक एवं विषय अध्यापकों के पद काफी समय से रिक्त हैं। कई विद्यालयों में तो क्रमोन्नति के बाद से अब तक एक भी प्राध्यापक/विषय अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसी प्रकार, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय एवं संकाय खोलकर पदों का सृजन कर दिया गया है किन्तु पदस्थापन नहीं किया गया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकांशतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब काश्तकार निवास करते हैं जो अपने बच्चों को अध्ययन हेतु जिला मुख्यालय पर भी नहीं भेज सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित राजकीय विद्यालयों में ही अध्ययन करवाते हैं।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से तथा अतिरिक्त विषय/संकाय खोलने से ग्रामीण अभिभावक अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में प्रवेश दिला देते हैं किन्तु सरकार द्वारा विषय अध्यापकों एवं प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन नहीं करने से अच्छी रैंक वाले छात्र भी 10वीं एवं 12वीं में अनुतीर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार, क्षेत्र के छात्रों का भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है।

विद्यालयों में रिक्त पदों के कारण छात्रों के हित में ग्रामीण आये-दिन विद्यालयों के तालाबन्दी एवं रास्ता रोकने सहित, कई प्रकार से आन्दोलन कर रहे हैं, जिससे छात्रों को शिक्षण कार्य में नुकसान के साथ-साथ आम जन को कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बावजूद, सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शिक्षण व्यवस्था के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, प्राध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त होने से छात्रों को गुणात्मक शिक्षा नहीं मिल पाती है तथा परीक्षा परिणाम में भी गिरावट आती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों में प्रतिभा होते हुए भी वे शहरी क्षेत्र के छात्रों से प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं।

अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सहित, सभी विद्यालयों में रिक्त प्राध्यापकों एवं विषय अध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन की व्यवस्था करावें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

शेरगढ़ व बालेसर पंचायत समितियों में महानरेगा अन्तर्गत अतिरिक्त सामग्री राशि की स्वीकृति

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान बजट 2013-14 के बिन्दु संख्या-125 में महात्मा गांधी नरेगा योजना की गाइडलाइंस में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत सामग्री मद की गणना अब ग्राम पंचायतवार ही की जा सकेगी। उक्त घोषणा के अनुरूप कन्वर्जेन्स में महात्मा गांधी नरेगा कार्य में श्रम सामग्री अनुपात 60:40 रखते हुए शेष अतिरिक्त सामग्री मद राशि की व्यवस्था की-गई-घोषणानुसार राज्य मद से करनी है। उक्त घोषणानुसार, अतिरिक्त सामग्री मद की राशि कन्वर्जेन्स तथा परिसम्पत्ति निर्माण निधि में से करवाने हेतु पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर की वार्षिक योजना 2013-14 में शामिल किये गये सार्वजनिक टांकों के प्रस्तावों की माडल एस्टिमेट अनुसार टांका निर्माण की कुल लागत 1.50 लाख में से महात्मा गांधी नरेगा से 0.72 लाख, जो कि अकुशल श्रम मद-0.43 लाख (60 प्रतिशत), सामग्री-0.29 लाख (40 प्रतिशत) तथा कन्वर्जेन्स एवं परिसम्पत्ति निर्माण निधि के तहत राज्य मद से अतिरिक्त सामग्री राशि 0.78 लाख की स्वीकृति जारी की जानी है।

राज्य सरकार द्वारा परिसम्पत्ति निर्माण निधि के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक एफ 41 ग्रावि/नरेगा/परि.नि.नि./2013 दिनांक 29.04.2013 पैरा 3.2.3 के अनुसार ग्राम पंचायतों में एक भी अपूर्ण कार्य नहीं होने की स्थिति में ही नए कार्य की स्वीकृति हेतु इस निधि का उपयोग किया जा सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में अपूर्ण कार्य प्रगतिरत अथवा बन्द स्थिति में हैं तथा मेरे द्वारा पूर्व में भी क्षेत्र में जल संग्रहण के कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई परिसम्पत्ति निर्माण निधि से कन्वर्जेन्स कर स्वीकृति जारी करवाने हेतु लिखा गया तथा जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान को पत्र प्रस्तुत कर दिशा-निर्देश चाहे गये हैं कि वार्षिक योजना 2013-14 में अपूर्ण कार्य रहते हुए भी, यदि राज्य सरकार द्वारा जल संग्रहण के नवीन कार्यों के लिये अतिरिक्त सामग्री राशि कन्वर्जेन्स तथा परिसम्पत्ति निर्माण निधि में से स्वीकृति के लिये अनुमति दी जाए तो ही ये स्वीकृतियां जारी करना सम्भव हो सकेगा।

अतः राज्य सरकार की बजट घोषणानुसार महात्मा गांधी नरेगा से 0.72 लाख व कन्वर्जेन्स एवं परिसम्पति निर्माण निधि के तहत राज्य मद से अतिरिक्त सामग्री राशि 0.78 लाख, कुल प्रति टांका 1.50 लाख राशि की स्वीकृति जारी करावें, जिससे गांवों व ढाणियों में टांकों के निर्माण से परिसम्पतियों का निर्माण हो सकेगा व बरसाती पानी के संग्रहण होने से ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल संकट से निजात मिल सकेगी।

बाबूसिंह राठौड़

(शेरगढ़)

अनूपगढ़ के रावला-घड़साना क्षेत्र के कच्ची बस्ती निवासियों को आवासीय पट्टे की उपलब्धता

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के रावला-घड़साना क्षेत्र में विगत 25-30 वर्षों से कच्ची बस्ती, घड़साना व केशव कालोनी, रावला में 20-22 हजार परिवार निवास कर रहे हैं। उपरोक्त बस्तियों के पट्टे नहीं नहीं होने की वजह से राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना सहित, कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उपरोक्त लाभार्थी नहीं उठा पाते एवं न ही किसी भी प्रकार का लाभ ले सकते हैं। उपरोक्त कालोनियों में गरीब बी.पी.एल. अनु.जाति के लोग बहुतायात में रहते हैं।

अतः राज्य सरकार से मांग करता हूं कि विगत 25-30 वर्षों से रह रहे लोगों को आवासीय पट्टा जारी करवाने का कष्ट करें ताकि अनु. जाति व बी.पी.एल. लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

पवन कुमार दुग्गल

(अनूपगढ़)

बंजारा जाति सहित कतिपय उप-जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना

बंजारा समाज 1956 से बार-बार निवेदन करता आ रहा है कि इस आदिवासी जनजाति को सामाजिक न्याय दिलाये और इस आदिम जनजाति के साथ न्याय किया जावे।

यह बंजारा जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजाति है तथा इस बंजारा समाज के प्रमुख पर्यायवाची शब्द भाट, बंजारा, मारू बंजारा, भाट

बंजारा, बाल्दिया बंजारा, बामणियां बंजारा, लबाना बंजारा, बागोरा बंजारा प्रमुख हैं तथा राजस्थान के प्रत्येक जिले में निवास करते हैं तथा राजस्थान में बंजारा या इन्हीं उपनामों से पहचाने जाते हैं।

राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक संख्या F3(8)Res/63/Vol.11/46052 दिनांक 15.09.1966 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पत्र क्रमांक संख्या F3(8) Res/63/Vol.11/2575 दिनांक 29.07.1966 में बंजारा समुदाय जनजाति में जोड़ा जावे तथा 29.7.1966 के पत्र को revise किया जावें। राजस्थान सरकार द्वारा revised पत्र भेजकर बंजारा, उपनामों सहित, समुदाय को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने की सिफारिश की गई थी।

दूसरो पत्र क्रेमाक F 11 R&P स.का. कि/81/69/08/ दिनांक 23.11.1981 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बंजारा समाज एवं उपनामों सहित, एस.टी. में सम्मिलित करने की सिफारिश भारत सरकार को भेज दी गई हैं। तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री स्व. श्री सीताराम केसरी के पत्र क्रमांक अ.शा. पत्र संख्या 12016/17/15 एस.सी.डी./आर.सेल दिनांक 22.09.1995 में स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि बंजारा, उपनामों सहित, एस.टी. में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है।

इसके उपरांत भी राजस्थान सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के आदेश संख्या F1(2)S.W./63 दिनांक 24.02.1964 के तहत Denotified Tribes की सूची क्रमांक भाट एवं Nomadic घुमन्तु जाति क्रमांक 1 पर बाल्दिया (बंजारा) अंकित है, जबकि भाट, बाल्दिया और बंजारा एक ही समुदाय हैं। फिर भी कोई आवश्यक आरक्षण सुविधा एवं राहत उपरोक्त आदेश के तहत अभी तक नहीं मिल रहे हैं।

मैं एक बार पुन: आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शीघ्र से शीघ्र सामाजिक न्याय व हक दिलाने के लिए बंजारा एवं उपनाम मारु, बंजारा, भाट, बामणिया, लबाना, बागोरा, आदि उपनामों सहित, राजस्थान की अनु. जन-जाति में शामिल किये जावें। शोषित, उत्पीड़ित, अशिक्षित, गरीब समाज को वास्तविक हक दिलाकर वचनबद्धता का परिचय दिलावें। वर्तमान एवं सदियों से सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से पिछड़े समाज को न्याय दिलावें।

केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)